राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का बारहवां दिवस [संख्या : 7

सोमवार,

3 अप्रेल, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, यह ट्यूब लाइट दुश्मन हो रही है मेरी तो जो आपके दर्शन भी नहीं हो पाते हैं, साहब इस ट्यूब लाइट से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय प्रश्नकाल के अंदर सरकार आधी से ज्यादा गायब है।

श्री रामस्वरूप : अब सही है साहब ट्यूब लाइट...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री जगमाल सिंह यादव : सत्ता पक्ष का तो कोरम ही पूरा नहीं है।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदयजी, बांसवाड़ा जिले के अंदर माही परियोजना लम्बे समय से अपूर्ण पड़ी हुई है। उसके लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा बजट जो 2001 का पढ़ा गया है...

श्री अध्यक्ष : आप बजट के वक्त में बोलना, यह क्वेश्चन आवर है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : क्वेश्चन आवर होने दीजिए, उसके बाद बात करिये।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन आवर में व्यवधान मत डालिये।

श्री जीतमल खांट : आपका आदेश मेरे लिए शिरोधार्य है माननीय अध्यक्षजी, लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख है कि पूरे बांसवाड़ा जिले के अंदर अकाल के हालात इतने गम्भीर बनते जा रहे हैं...

डा. किरोड़ी लाल : इस मामले में आसन को ध्यान है...

श्री जीतमल खांट : और हम इसी तरीके से अकाल में जिन्दगी जी रहे हैं और यह परियोजना 17 साल से अपूर्ण पड़ी हुई है। राज्य सरकार, पिछली सरकारों ने कुछ भी किया हो, लेकिन वर्तमान सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है...

श्री अध्यक्ष : यह उपयुक्त समय नहीं है इस प्रश्न को यहां उठाने का। प्रश्न काल। श्री संजीव बेनीवाल।

तारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील भादरा के ग्राम मुख्यालयों पर कैरोसीन वितरण

183. **श्री संजीव कुमार (भादरा)** : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री संजीव कुमार)

(1) तहसील भादरा (हनुमानगढ़) में कैरोसीन तेल वितरण की वर्तमान में क्या व्यवस्था है? उक्त तहसील क्षेत्र में प्रति माह कितना कैरोसीन तेल आवंटित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसील में ऐसे कितने गांव हैं जहां कैरोसीन तेल का वितरण ग्राम मुख्यालय पर न किया जाकर अन्य जगह किया जा रहा है? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या सरकार उक्त तहसील के ग्रामों में कैरोसीन वितरण कार्य ग्राम मुख्यालय पर ही करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री जीतमल ख़ांट : माननीय अध्यक्ष महोदयजी, आपका आदेश मेरे शिरोधार्य है, मैं आपकी बात को मेरे सिर पर धारण करता हूं लेकिन इस माही की परियोजना जो लम्बे समय से अपूर्ण पड़ी हुई है, इसके लिए मैं आज इस सदन के माध्यम में...

श्री अध्यक्ष : श्री संजीव बेनीवाल। (व्यवधान) आप बैठिये। बैठिये।

श्री रामकिशन वर्मा : (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से (1) तहसील भादरा में कैरोसीन तेल का वितरण...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब बैठिये आप।

श्री जीतमल ख़ांट : इस परियोजना का काम लम्बे समय से अपूर्ण पड़ा हुआ है जिसके लिए मैं राज्य सरकार...

श्री अध्यक्ष : कई योजनाएं अभी तक लम्बित हैं, इसलिए जो...(व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न कच्ची बस्तियों के नियमन का लगा हुआ है...

श्री जीतमल ख़ांट : माही परियोजना लम्बे समय से अपूर्ण पड़ी हुई है इस बात की ओर राज्य सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, बार-बार प्रश्न स्थगित हो रहे हैं...(व्यवधान)

श्री जीतमल ख़ांट : मैं राज्य सरकार के इस रवैये के कारण इस वैल के अन्दर धरने पर बैठता हूं।

(माननीय सदस्य, श्री जीतमल ख़ांट द्वारा सदन कूप में धरना)

डा. रतन लाल जाट : और उसमें सरकार की पोल खुलती है इसलिए किसी प्रकार की सूचना इकट्ठी करके जवाब नहीं देना चाहती है, आज भी उसको वापस स्थगित कर दिया गया है...

श्री अध्यक्ष : आप दे दीजिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जब भी प्रश्न आता है, स्थगित हो जाता है, रतन लालजी ने...

डा. रतन लाल जाट : बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल है और मैंने...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन करूंगा कि आप सदन में अव्यवस्था नहीं फैलावें। प्रश्नकाल।

श्री सांवर लाल : पहले प्रश्न स्थगित हुआ और फिर आपने स्थगित कर दिया...

डा. रतन लाल जाट : माननीय मुख्य मंत्रीजी और स्वायत्त शासन मंत्रीजी की कई प्रकार की घोषणाएं हैं और थोथी घोषणाएं हैं उसके बारे में यह जवाब देना नहीं चाहते हैं। पहले मेरा सवाल स्थगित कर दिया और आज फिर उन्होंने स्थगित कर दिया है। बड़ा साधारण-सा सवाल शहर की कच्ची बस्तियों के नियमन का है जिसके बारे में माननीय मंत्री महोदय कई बार अखबारों में घोषणा कर चुके हैं कि हम 14 लाख लोगों को लाभान्वित कर देंगे, कच्ची बस्तियों का सर्वे करवा लेंगे, नियमन करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे चैम्बर में मिले थे।

डा. रतन लाल जाट : एक साधारण-सा सवाल है उसका आज दिन तक जवाब नहीं दे पाये माननीय मंत्री महोदय। मेरा पिछली बार भी स्थगित कर दिया...

डा. सांवर लाल : सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, सवालों के जवाब टाल रही है...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : आखिर कब तक प्रश्न स्थगित करते रहेंगे...

श्री मदन दिलावर (अटरू) : इतने महत्त्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं देना चाहती यह सरकार...

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह सुनिश्चित कर दिया जाय कि इसका जवाब इसी सत्र में दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हमें आपके संरक्षण की आवश्यकता है। आपका संरक्षण हमें चाहिए, बार-बार प्रश्न स्थगित करवाये जाते हैं। सरकार उत्तर नहीं देना चाहती, हम कहां जायें। अध्यक्ष महोदय, हमें आपके संरक्षण की आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमेशा जब कोई सवाल आता है तो स्थगित कर देते हैं...

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जब भी गरीबों से संबंधित नीतिगत सवाल उठाया जाता है...

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्री मदन दिलावर : सरकार को प्रताड़ना दी जाय...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, बहुत नम्रता से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रश्न में ऐसी कौन-सी चीज पूछी गई थी जिसके कारण से प्रश्न को स्थगित किया गया। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं केवल, क्वेश्चन है, राज्य में शहरी क्षेत्र में कितनी कच्ची बस्तियों के नियमन का...

श्री अध्यक्ष : हां, हां, मैंने प्रश्न पढ़ लिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मतलब जो प्रश्न राज्य सरकार की सवा साल की लगातार घोषणा के बाद हम सब लोगों ने यही

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जानकारी की जो राज्य सरकार ने अब तक अपनी...

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न के माध्यम से विस्तृत जानकारी मांगी है, विस्तृत जानकारी एकत्रित नहीं हुई है। उन्होंने मुझे निवेदन किया था कि इसको स्थगित किया जाय, मैंने स्थगित करने की अनुमति दे दी है। और डाक्टर साहब से भी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसी सत्र में तो दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : आप से मैंने बात की है और निश्चित तौर पर...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप इस सत्र में जवाब दिलवा दीजिये। कोई बात नहीं, आज स्थगित हुआ है लेकिन इस सत्र में तो लग जायेगा?

डा. रतन लाल जाट : पहले भी स्थगित हुआ है सवाल, बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल सभी लगाते हैं साहब, एक का भी जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित जो किया है, मैं निश्चित तौर पर उसी जगह पर उस प्रश्न को रखूंगा।

डा. रतन लाल जाट : इसी सत्र में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस सत्र में आप इसको लगवा दें, बस इतना ही, इस सत्र में किसी भी दिन लगवा दें।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, लगवा दूंगा, वह नहीं, वह तो मैं निश्चित तौर पर लगा रहा हूं। मैंने स्थगित किया है और मैं उसी जगह पर लगवाऊंगा जहां आज लगा हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है परन्तु प्रश्न स्थगित करें उसके पीछे कोई...

श्री अध्यक्ष : अब बात हो गई...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आदत पड़ गई है, अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार होता तो कोई बात नहीं, हमेशा की आदत पड़ गई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य यहां वैल में विराजमान हैं, आप यह कह दें कि जब क्वेश्चन आवर खतम हो जाय उस समय बोलने की अनुमति दे देंगे और मंत्री महोदय कोई जवाब दे दें तो माननीय सदस्य को संतोष हो सकता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप उनको ऊपर तो बैठाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बैठा देंगे, आप इतना कह दें, बैठा देंगे फिर।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सदस्य को एक बार आश्वासन मिल जाय कि क्वेश्चन आवर खतम होने पर उनको बोलने की अनुमति होगी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अपनी व्यथा कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अपनी पीड़ा ही कह रहे हैं, दो मिनट में अपनी बात कह देंगें।(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : बहुत ही व्यथित हैं।

श्री सांवर लाल : इतना आश्वासन बहुत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में सिर्फ आप आशा के प्रतीक रहे हैं। आपके अलावा तो हमें कोई आशा है नहीं, सरकार+ + +और संवेदनहीन हो गई है अध्यक्ष महोदय, आपसे संरक्षण मांग रहे हैं, आपसे गुहार कर रहे हैं, माननीय सदस्य आपसे संरक्षण मांग रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो बोले और वह अपनी बात कह देंगे।

एक माननीय सदस्य : आदिवासी क्षेत्र की समस्या है अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर समस्या है और लम्बे समय से लम्बित पड़ी है, आपके आदेश से ही...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को मैं विशेष तौर से दो मिनट का समय दे दूंगा।

(माननीय सदस्य, श्री जीतमल खांट ने अपना स्थान ग्रहण किया)

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) तहसील भादरा में कैरोसीन तेल का वितरण उचित मूल्य के दुकानदारों एवं राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्रधारियों के द्वारा करवाया जा रहा है। भादरा तहसील को 156 किलोलीटर कैरोसीन तेल का प्रति माह आवंटन किया जाता है।

(2) भादरा तहसील में कुल 159 गांव हैं जहां ग्राम मुख्यालय पर कैरोसीन तेल का वितरण नहीं किया जा रहा है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक उचित मूल्य की दुकान है जिसके माध्यम से कैरोसीन वितरण की व्यवस्था की जाती है।

(3) 2000 यूनिट से कम पर उचित मूल्य की दुकान नहीं खोली जा सकती है अतः प्रत्येक ग्राम के मुख्यालय पर उचित मूल्य की दुकान खोली जाना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री संजीव कुमार : माननीय अध्यक्षजी, जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने अभी बताया कि तहसील भादरा में कैरोसीन तेल का वितरण उचित मूल्य के दुकानदारों और अनुज्ञापत्रधारियों के द्वारा करवाया जाता है, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भादरा तहसील में क्या यह उचित मूल्य के दुकानदार और अनुज्ञापत्रधारी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाकर कैरोसीन का वितरण करते हैं? यदि यह अनुज्ञापत्रधारी किसी दूसरी जगह या शहर में अपनी दुकानों पर बैठ कर तेल का वितरण करते हैं तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार सरकार रखती है, यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ए.पी.एस. की दुकानें तो ग्राम मुख्यालय पर ही होती हैं और आरटी.एल. अनुज्ञापत्रधारी जिनके साथ कुछ दुकानें अटैच की गई हैं लेकिन यह पहले से चली आ रही हैं, हमने नहीं की, अगर यह आपकी जानकारी में है कि उनमें अनियमितता है तो आप भिजवा दें, उसकी जांच करवा दूंगा और जो आप चाहेंगे, वैसी ही व्यवस्था बनवा दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या मतलब है जैसा चाहेंगे ? जैसा यह चाहेंगे वैसी व्यवस्था से क्या मतलब ?

श्री रामकिशन वर्मा : वैसी व्यवस्था से मेरा मतलब है कि अगर अनियमितता पाई गई तो मैं सजा दिलवाऊंगा।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मानना यह है कि जितने गांव ग्राम पंचायत में आवश्यकता...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री संजीव कुमार : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि भादरा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति राशन कार्ड केवल ढाई लीटर कैरोसीन दिया जाता है जबकि शहरी क्षत्र में, हालांकि शहरी क्षेत्र में रसोई गैस का कनेक्शन भी दिया जा चुका है और भादरा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक रसोई गैस का कनेक्शन भी किसी को नहीं दिया गया है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में ढाई लीटर कैरोसीन प्रति राशन कार्ड और शहरी क्षेत्र में पांच लीटर कैरोसीन प्रति राशनकार्ड दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ी असमानता है। तो मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में भी इस असमानता को दूर करने का विचार रखती है और ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक राशन कार्डधारी को शहरी क्षेत्र के बराबर ही पांच लीटर कैरोसीन देने का कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? एक छोटा-सा सवाल और है। जनसंख्या के लिहाज से भादरा तहसील में जैसा किमंत्री जी ने अपने जवाब में बताया 156 किलोलीटर तेल का कोटा दिया गया है जो कि अपर्याप्त है, जबकि हनुमानगढ़ जिले में ही दूसरी तहसीलों में जनसंख्या के अनुपात में कहीं ज्यादा किलोलीटर कैरोसीन दिया जा रहा है। तो क्या भादरा क्षेत्र के लिए इस कैरोसीन तेल का कोटा बढ़ाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, तेल का वितरण जिला कलेक्टर उनकी व्यवस्था के अनुसार जैसा वे वहां पर सुविधा देखते हैं, जैसी मांग देखते हैं वे करते हैं। हम तो यहां से उनको कोटा दे देते हैं। फिर भी हमने यह आदेश किये हुए हैं कि दोनों जगह समानता के अनुसार ही तेल बंटवाया जाए न ग्रामीण वाले तथा न कोई शहरी वाले किसी के साथ कोई कन्सेशन की आवश्यकता नहीं है बल्कि शहर में जिनके पास डी.बी.सी. है उनको तो हम दो लीटर ही तेल देते हैं। जहां तक दूसरे सवाल का प्रश्न है कि वहां पर वितरण व्यवस्था में तेल कम पहुंचता है, तो अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से हमको 47 हजार

(श्री रामकिशन वर्मा)

किलोलीटर तेल मिलता है जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय औसत से भी हमको बहुत कम मिलता है। हमें साढ़े दस मिलता है और भारत सरकार के राष्ट्रीय औसत के हिसाब से साढ़े बारह होता है। हमने कोशिश की है। मैं स्वयं रामनायकजी के पास गया और सारे मंत्रालयों के मंत्रियों की कांफ्रेंस हुई थी, उसमें मैंने उनसे निवेदन किया कि राजस्थान की विषम परिस्थितियां हैं। राजस्थान में रेगिस्तान है जहां जलाऊ लकड़ी नहीं होती। हर दूसरे साल अकाल पड़ जाता है। आप कृपा करके हमको गैस भी दें और तेल का कोटा भी 60 हजार किलोलीटर बढ़ावें। उसके बारे में मैंने पत्र भी लिखा है। वह पत्र मैंने ही नहीं लिखा, मेरे बाद हमारे मुख्य सचिव जी ने भी लिखा और हमारे फूड सैकेट्री साहब ने भी लिखा। हमारे प्रयत्न में कोई कमी नहीं है। मैं तो आपसे भी इस बारे में आग्रह करूंगा कि आप भी अपनी ओर से अगर यह कोटा बढ़वा सके तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा तेल देने की व्यवस्था करा देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : यह वितरण व्यवस्था ठीक करवाये।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : ये शहर में ज्यादा तेल दे रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : वितरण व्यवस्था को ठीक करवाने का सवाल है।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : भारत सरकार से कितना मिलता है कि नहीं मिलता, प्रश्न इस बात का नहीं है। जो मिलता है इसको आप शहरों में ज्यादा दे रहे हो...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : गांवों में कम दे रहे हो, इस भेदभाव को दूर करो।

श्री सांवर लाल : ...जहां पर गैस है लाइट ज्याद आती है। गांवों में जहां पर बिजली नहीं आती है कैरोसीन के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर आप कम दे रहे हो। शहरों में लोग उसको लेकर ब्लैक करते हैं। भारत सरकार बढ़ाये या नहीं लेकिन जो आपको दिया हुआ कोटा है उसको भी अगर आप जस्टिफाइड तरीके से लोगों को दें तो उससे काफी राहत मिलेगी। इसलिए बार-बार हर मामले में, चाहे अकाल का मामला आवे, चाहे राशन का मामला आवे, लोगों की समस्याओं को देखने के स्थान पर अध्यक्ष महोदय, केवल भारत सरकार का बहाना करके...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री सांवर लाल : ...हमेशा टाल दिया गया। अपनी जिम्मेदारी निभावे नहीं। आपके पास जो राशन व कैरोसीन है उसको अगर आप सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भादरा का प्रश्न है। प्रश्न की लक्ष्मण रेखा में रहना पड़ेगा आपको। प्रश्न भादरा के सम्बन्ध में है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे अक्षम सरकार होगी क्या जो हर बात के लिए, खुद सरकार

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

चला नहीं सकते, व्यवस्था कर नहीं सकते, और हर बात के लिए हम लोगों को रिक्वैस्ट करते हैं। खुद से सरकार नहीं चलती है। आपको अगर सरकार चलाना नहीं आता है तो हम लोगों को ही सौंप दीजिये दुबारा। आप बार-बार यह बात कहते हो कि हमारी मदद करें। ऐसी अक्षम सरकार हमने देखी नहीं कि जो हम लोगों को बार-बार रिक्वैस्ट करे कि हम इनको सहयोग करें। आप अपनी अक्षमता को मत छिपाइये। अपनी नाकामयाबी को मत छिपाइये। अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या कह रहे हो आप हमको सरकार चलाना नहीं आता ? हमने तो 40 साल तक लगातार सरकार चलाई है। नहीं तो ले आवें आपकी ढाई साल की सरकार...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नाकामयाबी है आपकी...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : (व्यवधान) साल में भी कई बार चले गये। हमने तो पहले भी 40 साल राज किया था और अब भी राज करेंगे और आगे भविष्य में लगातार राज करेंगे। हमने तो वह राज किया जो कोई कर नहीं सकता। बात करते हो, सरकार चलाना नहीं आता है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही जानना चाहता हूं कि भादरा शहर में जो राशन डीलर हैं उनको, कितनी ग्राम पंचायतों को कैरोसीन बांटने का अधिकार दे रखा है?

श्री रामकिशन वर्मा : मैंने बताया न अध्यक्ष महोदय, यह वितरण व्यवस्था जिला कलेक्टर के माध्यम से उनके जिले में होती है। कहां कितनी डिमाण्ड है किस प्रकार की व्यवस्था है उसके अनुसार वे उसका वितरण कर देते हैं। हम यहां से नहीं करते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं-नहीं, उनके लिए ही पूछ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम तो वही पूछ रहे हैं। मंत्रीजी से ही सवाल पूछ रहे हैं। कलेक्टर साहब से तो यहां सवाल पूछ नहीं सकते। मेरा सीधा सवाल है कि भादरा शहर में जो राशन डीलर हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्र की कितनी पंचायतों का कैरोसीन वितरण करने का लाइसेंस दे रखा है? आप ही उत्तर देंगे, कलेक्टर यहां उत्तर कहां देंगे ?

श्री सांवर लाल : (व्यवधान) मंत्री महोदय, जो शिकायत आयी उसको आपको देखना है। उसको कौन देखेगा।

डा. किरोड़ी लाल : (व्यवधान) इसका मतलब यह है कि मंत्रीजी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब कलेक्टर के पास जाएं माननीय सदस्य ये मंत्रीजी तो बता नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : डा. साहब, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और बार-बार आप बीच में खड़े हो रहे हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी जगहों पर, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, 10 लीटर तेल बांटने के आदेश हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी।

श्री अमराराम (धोद) : कहां बांटा जा रहा है ?

श्री रामकिशन वर्मा : नहीं बांटा जा रहा है तो जांच करवा लेंगे। आप जो बात कह रहे हैं...

एक माननीय सदस्य : यह ग्रामीण क्षेत्र में केवल ढाई लीटर और शहरी क्षेत्र में 5 लीटर दे रहे हैं साहब।

श्री अमराराम (धोद) : मैंने सवाल यह पूछा है कि शहर में जो राशन डीलर हैं, ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतों का उनको कितना मिलता है, जो गांव वालों के पास नहीं पहुंचता है।

एक माननीय सदस्य : ग्रामीण क्षेत्र में केवल ढाई लीटर और शहरी क्षेत्र में पांच लीटर प्रति राशन कार्ड कैरोसीन भादरा क्षेत्र में दिया जा रहा है।

श्री अमराराम (धोद) : और वहां गांव में राशन डीलर होते हुए भी उनको कैरोसीन का डीलर नहीं बना कर शहर में उनको राशन डीलर बना रखा है क्योंकि वे ब्लैक कर सकें और गांव वालों को वह कैरोसीन नहीं मिले, और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि 10 लीटर मिलता है। भादरा ही पूरे राजस्थान में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में प्रति राशन कार्ड तीन लीटर से ज्यादा तेल नहीं मिलता है।

श्री रामकिशन वर्मा : इसको दिखवा लेंगे, अध्यक्ष महोदय, अगर होगा तो इसकी व्यवस्था कर देंगे और कहीं गड़बड़ पायी जाएगी तो इसके खिलाफ कार्यवाही कर देंगे।

प्रश्न संख्या-184

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल चौहान।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-185

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री शिवनाथ सिंह।

उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) में चेजा पत्थर के ठेकेदारों से वसूली

186. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील क्षेत्र उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) में किन-किन स्थानों पर बजरी एवं चेजा पत्थर पर रायल्टी वसूल करने का ठेका वर्ष 1999-2000 की अवधि का किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि का दिया गया ?

(2) उक्त ठेका राशि में से फरवरी, 2000 के अन्त तक कितनी राशि ठेकेदारों में बकाया है, जो इस अवधि तक जमा हो जानी चाहिए थी ?

(3) उक्त क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर किस-किस व्यक्ति को कितनी अवधि की लीज दी हुई है तथा कितनी लीज मनी फरवरी, 2000 के अन्त तक उनमें बकाया है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री हीरालाल इन्दौरा) : (1) जिला झुंझुनूं की उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में निम्नानुसार बजरी एवं चेजा पत्थर पर रायल्टी

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

वसूली के ठेके वर्ष 1999-2000 की अवधि के लिये स्वीकृत किये गये हैं :

क्र.सं.	नाम ठेकेदार	क्षेत्र	खनिज	अवधि	वार्षिक राशि
1.	श्री बाबूलाल पुत्र श्री रामप्रसाद गुप्ता बासड़ी, मोहल्ला, कोटपूतली।	मावता, जहाज, अडवाना, पचलंगी, पापड़ा, हुकुमसिंह छाहूसिंह, मनकलाल, मण्डावरा, बागोली, जोधवा, सुरपुरा, सराय, हरीपुरा, गुढ़ा, नेवरी, चंवरा, दीपपुरा, किशोरपुरा, नवरंगपुरा, सुनारी, आदि।	बजरी	12.9.99 से 11.9.2001	1,87,83,332/-
2.	श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह झाझड़, जिला-झुंझुनूं	ग्राम-नांगल, उदयपुरवाटी, टोडा, आकावाली नेवरी, गुढ़ा क्षेत्र	चेजा पत्थर	3.3.99 से 31.3.2001	2,20,625/-

(2) फरवरी, 2000 के अन्त तक श्री बाबूलाल गुप्ता में 27,25,764/- व श्री प्रहलाद सिंह में 21,529/- बकाया है।

(3) उक्त क्षेत्र में दी गई लीजों के स्थान, अवधि व फरवरी, 2000 तक की बकाया की सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने इस प्रश्न के उत्तर के अन्त में लिखा है कि प्रधान खनिज के क्रम संख्या 1, 4 से 8 तथा अप्रधान खनिज के क्रम संख्या 7 एवं 20 के नवीनीकरण के लिए इनकी दरख्वास्त पेश हुई है। माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह 20 जो आपने जिक्र किया है उसको 7.4.88 को 10 वर्ष के लिये लीज दी गई थी और आज मेरे ख्याल से इस लीज को समाप्त हुए लम्बा अर्सा हो गया है। इसी तरह से आप 7 नवम्बर पर देखिये सुशील कुमार गाडिया। इसकी भी लीज का समय खतम हो चुका है। इसी तरह आपके प्रधान खनिज 4,5,6,7....

श्री हीरालाल इन्दौरा : अप्रधान या प्रधान में ?

श्री शिवनाथ सिंह : प्रधान की बात कर रहा हूं और बाद में अप्रधान की बात करूंगा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं यह कह रहा हूं मैंने आपको दो सूची दी हैं। एक तो प्रधान की है मेजर मिनरल, और दूसरी माइनर मिनरल। दो सूची हैं, आप कौनसी में से बोल रहे हैं ? नम्बर 4-5 बोल रहे हैं क्या ?

श्री शिवनाथ सिंह : पहले बोला था दूसरी सूची से जो अप्रधान है, और अब बोल रहा हूं प्रधान से। प्रधान की सूची आपने दी है उसमें 1972 से 20 साल के लिये था, 1976 से 20 साल के लिये था। इस प्रकार से जब उनकी मियाद 1992 में खतम हो गई उसके बाद भी वह खनन का काम वहां कर रहे हैं। आप उनका नवीनीकरण 8 साल तक कर नहीं पाये। आपको उस समय का कोई पैसा वसूल नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, कृपया सदन को जानकारी दें कि 10 साल से अनधिकृत खनन वहां हो रहा है इससे सरकार को कितनी हानि हुई है और इतने लम्बे समय तक नवीनीकरण की कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह प्रश्न जाने के बाद आपके विभाग के कर्मचारियों ने उनके नवीनीकरण की दरख्वास्त लेकर किया हो, पहले कृपया यह बता दें बाद में और पूछूंगा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह सही है कि इसमें जो रिनुअल होना चाहिये था 20-20 साल का वह सैकण्ड रिनुअल इसका बकाया है और वह क्यों नहीं हो पाया मैं उसकी जांच करके बता दूंगा।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, आपके सामने जांच हैं, आपने उत्तर दिया है। आपने कहा है कि उनके नवीनीकरण के कागजात हमारे पास हैं। मैं जानना चाहता हूं कि नवीनीकरण के कागजात आपके पास कब आये ? यह प्रश्न जाने के बाद आये या पहले आये ? जो इससे संबंधित आपके अधिकारी हैं, उन्होंने आज तक कार्यवाही नहीं की, वह ठीक है। लेकिन उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि इस प्रश्न से मैं भी संतुष्ट नहीं हूं और मैंने इसको देखा था और डिस्कशन भी किया था। मैंने इसके सारे पेपर मंगाये हैं। यह रिनुअल टाइम पर क्यों नहीं हो पाया इसकी मैं सारी जांच करवाऊंगा। जो अधिकारी दोषी है...

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि जब आप जांच कर रहे हो, यह जो गांव आपने गिनाये हैं, मैंने यह पूछा था कि किन-किन स्थानों पर आपने पट्टे दिये हुए हैं ? गांव का नहीं पूछा था, स्थान का पूछा था। स्थान का मतलब होता है कि किस खसरा नंबर में आपने दिये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह सब पट्टे आपके फोरेस्ट एरिया में दिये हुए हैं और फोरेस्ट एरिया में हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट के आदेशानुसार कोई भी खनन कार्य नहीं हो सकता। लेकिन आपके अधिकारी उनसे

(श्री शिवनाथ सिंह)

मिलकर फोरेस्ट एरिया में खनन कार्य करवा रहे हैं। क्योंकि उनका नवीनीकरण हो नहीं सकता इसीलिए वह आपसे मिले हुए हैं और यह फोरेस्ट एरिया है। क्या आप सदन को आश्वस्त करेंगे कि फोरेस्ट एरिया में कोई भी खनन कार्य वह चाहे किसी भी रूप का हो, नहीं किया जायेगा?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खसरा नंबर तो कहीं पूछा नहीं। आपने यह पूछा है उक्त क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर किस-किस व्यक्ति को कितनी अवधि की लीज दी हुई है तथा कितनी लीज मनी फरवरी, 2000 के अन्त तक उनमें बकाया है?

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, आपने गांव बताये हैं, गांव तो मुझे ही पता है। उन गांवों में कुछ एरिया फोरेस्ट में है। मुझे आप बता दें कि किस-किस स्थान पर आपने पट्टे दिये हैं? प्रश्न में मैंने यह पूछा है कि किन-किन स्थानों पर पट्टे दिये हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यही होता है कि उस गांव का ही नाम होता है, खसरा नंबर तो यह पूछे कि पर्टीकुलर खसरा नम्बर क्या था, गांव क्या था? तब उसमें जवाब होता है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं दूसरा सप्लीमेंट्री पूछना चाहूंगा कि जो आपने रायल्टी वसूल करने के ठेके दिये हैं वह किस रेट से खनन करने वालों से यह रायल्टी वसूल कर सकते हैं, उनका प्रति टन क्या रेट है और जो भी वाहन है उसकी किस क्षमता पर कितनी रायल्टी वसूल कर सकते हैं?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्सेस रायल्टी का ठेका हम देते हैं। एक तो रायल्टी है और दूसरा एक्सेस रायल्टी है। जो रायल्टी है वह है 5 हजार रुपये पर हैक्टेयर लीज मनी हम उससे लेते हैं। और उस लीज होल्डर को हम 5 हजार की जमानत पर दे देते हैं। एक्सेस रायल्टी का ठेका यह होता है कि जो 5 रुपये प्रतिटन रायल्टी हम लेते हैं उस रायल्टी के अलावा जो एक्सेस रायल्टी होगी वह ठेकेदार वसूल करेगा, और उससे परमिट फीस अलग से ली जायेगी। परमिट फीस में यह है कि मान लीजिए कि कोई ठेले में ले जाता है तो उससे हम 2 रुपये परमिट फीस लेंगे और उसमें दो टन तक माल होगा। 8 टन तक 10 रुपये परमिट फीस होगी, 30 टन तक 20 रुपये परमिट फीस होगी, 200 टन तक 50 रुपये परमिट फीस होगी, 500 टन तक 100 रुपये परमिट फीस होगी और 500 टन से ऊपर 200 रुपये परमिट फीस होगी। लेकिन 5 रुपये प्रतिटन के हिसाब से जितना वेट होगा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 8 टन की एक ट्रोली है तो 40 तो वह हो गये और 10 रुपये उसकी परमिट फीस होगी, इस प्रकार से 50 रुपये वह ठेकदार वसूल करेगा।

श्री शिवनाथ सिंह : सरकार द्वारा यह निश्चित है कि 9 टन से अधिक भार ट्रक

(श्री शिवनाथ सिंह)

वाला वहन नहीं करेगा। क्या आप 9 टन के अंदर ही उसका वसूल करते हैं या 20 टन का भी वसूल कर सकते हैं जबकि अधिकृत तौर से 9 टन से अधिक का वाहन कोई परमिट नहीं हो सकता है। इसलिए 9 टन तक आप सीमित रखते हैं या 20 टन का भी आप ले लेते हैं?

श्री हीरालाल इन्दौरा : हमने तो आपको वेट पर बता दिया। हमारा 9 टन से, 8 टन से मतलब नहीं है। हम तो ट्रोली में ले जायेगा तो इतना रुपया लेंगे, ट्रक में ले जायेगा तो इतना रुपया लेंगे, इतना टन ले जायेगा तो इतना रुपया लेंगे। इसकी सूची मैंने आपको दे दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह यादव। (व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से इम्पोर्टेंट बात पूछना चाह रहा हूं। कृपया मुझे यह बताने का कष्ट करें कि जैसे ही कोई व्यक्ति रिनुअल की एप्लीकेशन देता है...

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी है, आप बैठिए।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, अभी खान मंत्री महोदय ने एक्सेस रायल्टी की बात की है। मैं खान मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि पट्टाधारी जो रायल्टी देते हैं उसके अलावा एक्सेस रायल्टी वसूल करने का आप ठेका देते हैं। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि जो पट्टाधारी है उससे जो रायल्टी लेते हैं उसके अलावा क्या सरकार यह मानती है कि रायल्टी की चोरी होती है? रायल्टी की चोरी रोकने का काम आपके खान विभाग का है, वह क्यों नहीं करते? अध्यक्ष महोदय, सीधी-सीधी बात यह है कि एक्सेस रायल्टी कोई आइटम नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। खान विभाग उन लोगों को एक्सेस रायल्टी का ठेका देता है जो फोरेस्ट में खनन करने का काम करते हैं और फोरेस्ट के लोग जब उनको पकड़ लेते हैं कि पत्थर कहां से ला रहे हो, तो वह खन्वे काट कर जो चोरी करने वाले लोग हैं, उनको साहूकारी का काम दे देते हैं, क्या यह सही है?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो एक पर्टीकुलर एरिया का ठेका दे दिया है। मान लीजिए एक नदी का हमने बजरी का ठेका दे दिया और परमिट व रायल्टी कलेक्शन का दे दिया। ठेकेदार परमिट फीस और रायल्टी चार्ज कर के लेता है। अब वह कहां से लाता है, कहां से नहीं लाता उससे हमें मतलब नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्रीजी बजरी का ठेका अलग बात है। अध्यक्ष महोदय, जो खान का पट्टा आपने दिया उससे आप रायल्टी ले रहे हैं लेकिन जो नदी का बजरी का ठेका आप दे रहे हैं उसकी रायल्टी किसी से नहीं ले रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस खान का पट्टा दिया वह रायल्टी आपको दे रहा है फिर एक्सेस रायल्टी काहे की? मैं आरोप लगाता हूं कि

(श्री जगमाल सिंह यादव)

जो फोरेस्ट में खनन होता है, उन ठेकेदारों को आप एक्सेस रायल्टी के नाम पर पट्टे दे देते हैं, रवन्ने दे देते हैं। वह उस फोरेस्ट में चोरी करवाने का काम करते हैं और जब फोरेस्ट वाले देखते हैं, चैक करते हैं तो खान विभाग का रायल्टी का पट्टा आप दिखा देते हैं।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी मंत्रीजी से जानकारी चाहता हूं कि यह जो बाबूलाल को आपने बजरी का ठेका दे रखा है इसमें कितने रुपये आपने उससे एडवांस ले रखे हैं? 1/4 एडवांस का कायदा है। कितना एडवांस लिया है और आज उस पर कितना रुपया बाकी है? क्या उसने कोई कोर्ट केस कर रखा है? और कोर्ट केस की वजह से आपके 50 और 55 लाख रुपये बकाया हैं। आपके इन अधिकारियों से मिलकर कौनसी तारीख को कोर्ट केस किया। जब आपका मार्च का महीना आखिरी वसूली का है तो यह पैसा वसूल क्यों नहीं किया किसकी गलती से नहीं किया? (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाबूलाल में, हमारा बकाया रुपया, फरवरी में 27 लाख रुपया बकाया था, और सिस्टम यह है कि फरवरी का पैसा हम पिछले महीने की 12 तारीख तक एडवांस लेते हैं, 12 जनवरी तक। 12 जनवरी तक कोई जमा नहीं कराते तो हम उसे नोटिस देते हैं। बाबूलाल गुप्ता का 27 लाख रुपया जनवरी का बकाया रह गया। हमारे एमई. ने 18 तारीख को नोटिस दिया। 15 दिन का नोटिस दिया फरवरी में। 18 तारीख को नोटिस दिया, नोटिस 24 तारीख को मिला और वे एसीजेएम. कोर्ट में झुंझुनूं में चले गये। एसीजेएम. कोर्ट ने यथास्थिति स्टे दे दिया और स्टे अब तक चल रहा है। 27 लाख रुपये बकाया है, जब तक हम उसकी रिकवरी नहीं कर पाते उसके अलावा और कोई बकाया बाकी नहीं है।

श्री मोहन लाल मोदी : यह बहुत बड़ी मिलीभगत है, यह सारा विभाग इसी तरह से कार्यवाही करता है उसे भेज दिया एसीजेएम. कोर्ट में, यानि कोर्ट का कोई ज्युरिस्डिक्शन नहीं है इसके अंदर और इन्होंने परमिट फीस बढ़ा दी, वह परमिट फीस तो रहने दीजिये, काहे के बारे में गया वह कोर्ट में क्या है कोर्ट में, क्यों गया है? (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह ठीक है, माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : स्टेट्स-की रिकवरी को कहां इफेक्ट करता है...(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। पहले परमिट फीस एक थी, हमने 2 कर दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आपने प्रश्न पूछ लिया। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : दस रुपये के बीस रुपये कर दिये इसके अगेंस्ट में वह गया। और टर्म्स एण्ड कन्डीशन में साफ लिखा हुआ है कि जब जब भी सरकार रायल्टी बढ़ाएगी या परमिट फीस बढ़ाएगी तो ठेकेदार को देनी होगी फिर भी वह

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

कोर्ट में चला गया। वह एक्सेस रायल्टी के अगेंस्ट में गया है। जो हमने एक जनवरी से परमिट फीस बढ़ाई है उसी के अगेंस्ट में गया है और कल चार तारीख की पेशी है...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : आपने रायल्टी बढ़ाई, रायल्टी तो उसी को मिलेगी जिसको एक्सेस रायल्टी का ठेका दे रखा है, वह क्यों गया उसको क्या तकलीफ हुई।

श्री हीरालाल इन्दौरा : रायल्टी नहीं बढ़ाई, परमिट फीस बढ़ाई है।

श्री मोहन लाल मोदी : परमिट फीस बढ़ाई है, वह परमिट फीस भी ले रहा है। जो आपने बढ़ाई है, वह परमिट फीस वसूल कर रहा है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : उसने कहा परमिट फीस हमें मिलेगी, इसलिये वह कोर्ट में गया कि कैसे बढ़ा दिया। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : ले रहा है, परमिट फीस वसूल कर रहा है, आप चैक करवाइये और मंथली दे रहा है वहां पर जो एमई. वहां पर बैठा है उसको, क्या बात करते हो...(व्यवधान) पूरी जांच करवाइये इस मामले में...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा मैटर है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, नीमकाथाना से आने वाले सदस्य ने कहा, एक बात कही कि खान विभाग से मिलीभगत होकर यह काम हो रहा है और माननीय खान मंत्रीजी ने यह स्वीकार कर लिया कि माननीय सदस्य सही कह रहे हैं तो खुलासा तो होना चाहिये कि मिली भगत किसके पीछे है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैंने यह स्वीकार नहीं किया। मैंने यह कहा था कि जो हमने परमिट फीस बढ़ाई है, जैसा माननीय सदस्य ने हा, उसी के अगेंस्ट में वह गया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि मैं आरोप लगाता हूं कि खान विभाग की मिलीभगत से यह कार्यवाही हुई है और आपने यह कहा कि मैं यह स्वीकार करता हूं...(व्यवधान) तो वह मिलीभगत क्या है, उसका खुलासा तो सदन में हो, कि किसकी मिलीभगत से...(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं, उन्होंने कहा कि परमिट फीस बढ़ाने में पार्टी कोर्ट में गई। मैंने कहा यह सही है, लेकिन मैंने तो इल्लीगल माइनिंग के लिये हां नहीं भरी (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : मंत्री महोदय एक बात बता दें कि पार्टी पर क्या इफैक्ट पड़ता है, परमिट फीस आपने बढ़ाई वह परमिट फीस बढ़ी हुई वसूल कर रहा है। आप उससे थोड़े वसूल कर रहे हैं जो वह कोर्ट में जाए...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो 1992 और 1997 में रिलीज होना चाहिये था और दो हजार तक नहीं हुआ इसके लिए जो अधिकारी आज तक अनधिकृत माइनिंग हो रही है, उनमें जो अधिकारी आज

(श्री अमराराम)

तक लिप्त रहे हैं जिन्होंने रिलीज नहीं की, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ मंत्री महोदय कार्यवाही के लिये तैयार हैं? तैयार है तो कब तक उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी। जो सरकारी खजाने को चूना लगाने का काम है, उनके खिलाफ कब तक कार्यवाही होगी। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : जब हमारे परमिट फीस व रायल्टी कलेक्शन का ठेका है तो नुकसान कहां हो रहा है। (व्यवधान) जब परमिट फीस व रायल्टी कलेक्शन का ठेका है। फरवरी का आप मांग रहे हैं कि फरवरी को 27 लाख बकाया है तो नुकसान कहां हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जो रिलीज होने का है 20 साल का, वह मैं नहीं कह रहा हूं। कोर्ट में गया है, अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में गया है। (व्यवधान) यह जो फीस बढ़ी है उसके खिलाफ, लेकिन जो लीज 20 साल के लिये थी, जिनका समय 1992 में ही समाप्त हो गया, आज 2000 तक उसमें रिलीज नहीं किया गया, जो आपने आज से 20 साल पहले...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह मंथली किसको ...(व्यवधान) अधिकारी या मंत्री को, कृपया स्पष्ट करें, इसका खुलासा करें, इसका खुलासा करें। (व्यवधान) मंत्री महोदय को कमीशन में लेंगे, कृपया इसका खुलासा करें...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उसके लिये नहीं दिया...(व्यवधान) परमिट फीस बढ़ाई उसके लिये। 92 में जो लीज खतम हो गई, रिलीज नहीं हुई। 2000 आ गया आठ साल तक उसने उसी लीज पर जो आपने दिया था उसी रेट से खनन कर रहा है। वह रेट दी होगी, लेकिन 1992 में रिलीज होती तो शायद 20 साल पहले जो रिलीज थी उससे 20 गुणा लीज की रेट होती तो यह सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले अधिकारी, जो उनसे मिलकर 10 साल तक रायल्टी की रिलीज नहीं की, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या मंत्री महोदय कार्यवाही करने को तैयार हैं? तैयार हैं तो कब तक करेंगे? (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैंने यही कहा ना माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस पर रिन्युअल क्यों नहीं हो पाई 7-8 (व्यवधान) उसको मैं देखकर जिन लोगों ने डिले किया है, जो कानून के हिसाब से नहीं पाये जाते, उन्हें सजा देंगे। (व्यवधान) दूसरा रायल्टी का सवाल है या परमिट फीस का सवाल है, वह तो एक्सेस रायल्टी देता है दो साल से, उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : फोरेस्ट के अंदर जो लीजिंग हो रही है, मूल बात तो यही थी...(व्यवधान) जो फोरेस्ट एरिया में खनन कार्य हो रहा है उनको आप रुकवाएंगे कि नहीं रुकवाएंगे? मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंथली की जांच कौन कर रहा है? मंथली किसे दी? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : मैं मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहता हूं कि इसमें कितनी पेशी हुई और उन पेशियों पर कितनी सुनवाई हुई है। यह अहम मामला है। जब भी तारीख पेशी होती है, वह अफसर छुट्टी लेकर बैठ जाता है, सुन नहीं रहा है। इसमें 3-4 पेशियां पड़ चुकीं, वह अक्सर वहां पर नहीं बैठता। इसके अंदर ऐसी मिलीभगत है। मैं आपको बता देता हूं सरकारी रुपया डूब जाएगा। (व्यवधान) 25 लाख रुपया आज इस पर बाकी है। (व्यवधान) पार्टियों से वसूल कर रहा है और अधिकारी छुट्टी लेकर बैठ रहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय मंत्रीजी अकेले को बचाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय मोदी जी, कौनसा अफसर छुट्टी लेकर बैठता है, ए.टी.जे.एम. छुट्टी लेकर बैठता है...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : हां, ए.सी.जे.एम. छुट्टी लेकर बैठ जाता है...(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : अगर माइनिंग वाला छुट्टी लेकर बैठता है तो उसकी जांच करूंगा, अगर ए.सी.जे.एम. छुट्टी लेता है तो इसका मैं क्या करूं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : चार दफे ऐसी पोजीशन आ गई, जिस दिन पेशी आई उस दिन छुट्टी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। रतनलाल जाट।

शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों का नियमन

187. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य के शहरी क्षेत्रों में कुल कितनी कच्ची बस्तियों का नियमन करके अब तक कुल कितने व्यक्तियों को पट्टे जारी किये जा चुके हैं?

(2) उक्त कच्ची बस्तियों के सर्वे के अनुसार कुल कितने व्यक्तियों को पट्टे दिये जाने हैं तथा यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

(3) नगरपालिका क्षेत्रों में कृषि भूमि पर गृह निर्माण सहकारी समिति खातेदारों एवं प्रोपर्टी डीलर्स द्वारा आवंटित किये गये प्लाटों/मकानों का नियमितीकरण कब तक हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित।

अजमेर जिले के ग्रामों में जंगली जानवरों से फसलों को क्षति

188. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्तमान में जिला अजमेर के विभिन्न क्षेत्रों में कौन-कौन से जंगली जानवर किस-किस क्षेत्र में कितने-कितने हैं?

(2) क्या उक्त जानवरों के कारण किसान खेती-बाड़ी करने में परेशान रहते हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से जानवरों के कारण

(श्री सांवर लाल)

कहां-कहां किसानों की फसलों को उक्त जानवरों से बचाने के लिए रखवाली करनी पड़ती है?

(3) क्या रोजड़े इनमें प्रमुख हैं? यदि हां, तो अजमेर जिले में कहां-कहां इनकी संख्या कितनी-कितनी है?

(4) क्या सरकार किसानों को रोजड़ों से मुक्ति दिलाने की योजना बना रही है? यदि हां तो क्या व कब तक और नहीं, तो, क्यों?

राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण (श्री भगराज चौधरी) : (1) अजमेर जिले में पाये जाने वाले जंगली जानवरों की क्षेत्रवार अनुमानित संख्या की सूची संलग्न है।

(2) मुख्यतः रोजड़ों के कारण खेती बाड़ी करने में किसान परेशान रहते हैं। अजमेर जिले के लगभग सभी फसलों वाले क्षेत्रों में रोजड़ों से फसलों को बचाने हेतु किसानों को रखवाली करनी पड़ती है।

(3) जी हां। अजमेर जिले में पाये जाने वाले रोजड़ों की अनुमानित क्षेत्रवार संख्या निम्नानुसार है : —

1. किशनगढ़	6315
2. ब्यावर	5107
3. पुष्कर पीसांगन	1860
4. नसीराबाद	4107
5. अजमेर	1560
6. सरवाड़	3150
7. रावली टाटगढ़	121
योग	22220

(4) जी हां। किसानों को रोजड़ों से मुक्ति दिलाने के लिए इन्हें वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूचित-3 से हटाकर अनुसूची-5 में स्थानान्तरित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1992 से ही भारत सरकार को निरन्तर निवेदन किया जाता रहा है तथा अभी भी प्रयास चालू है। भविष्य में भी प्रयास किये जाएंगे। समस्याग्रस्त जिलों के क्षेत्रीय वन अधिकारियों को फसल का नुकसान करने वाले रोजड़ों को नष्ट करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया हुआ है तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों को भी इस हेतु अधिकृत करने के बारे में प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में ही नहीं राजस्थान में सब जगह रोजड़ों और जंगली जानवरों से किसानों को भयंकर परेशानी होती है और रात और दिन खेतों की, फसल की रखवाली करनी पड़ती है। मंत्री महोदय ने खण्ड एक में दिया है कि पाये जाने वाले अनुमानित संख्या की सूची संलग्न है। सूची में आपने दिया है कि जानवरों की सूची संलग्न है तो यह अनुमानित है कि वास्तविक सूची है। और मैं यह जानकारी चाहता हूं कि आपने लिखा है कि 1999 की गणना के अनुसार यह सूची है। मंत्री महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मसला है। जनगणना एक दिन में एक समय में पूरे हिन्दुस्तान में शुरू होती है। आप किस प्रकार की प्रक्रिया से इन पशुओं की गणना करते हैं। अगर 1999 में की है तो किस तारीख को कितने बजे

(श्री सांवर लाल)

से आपने शुरू की है। किस-किस अधिकारी को किस-किस रेंज में गणना के लिये मुख्य अधिकारी नियुक्त किया व अन्य अधिकारी कौन-कौन से थे। अगर आपने गणना की है तो यह जानकारी दीजिए, बाकी यह अधिकारियों से अनुमान ले लिया, अनुमान का क्या मतलब है। लोग तो रो रहे हैं, मर रहे है, खेती-बाड़ी के लिये घर छोड़कर जाना पड़ता हैं, पीछे से चोर आते हैं। किसान बहुत परेशान हैं और अधिकारी कहते हैं कि यह गणना है। गणना किसने की। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं। आपने लिखा है कि सरवाड़ में एक भी मोर नहीं है। आपने यह लिखा है कि सरवाड़ की तहसील के अन्दर कम संख्या और किशनगढ़ में रोजड़े ज्यादा हैं। मैंने गिनती की है, किशनगढ़ से 3 गुना सरवाड़ तहसील के अन्दर हैं। इसलिये यह बताइये। (व्यवधान) यह आपसे लड़ाई थोड़े हो रही है, आप तो बैठ जाइये। (व्यवधान) तो मेरा आपसे निवेदन है कि किस तारीख को कितने बजे यह गणना किस-किस अधिकारी के नेतृत्व में, कौन-कौन कर्मचारी थे, शुरू की है। (व्यवधान) क्योंकि एक समय पूरे जिले में, विभिन्न रेंजरों ने...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : दिग्विजय सिंहजी, आप तो बैठिये+ + +(व्यवधान)

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : एक-एक चार-चार साथ हुए हैं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप बैठ जाइये, आपकी लड़ाई थोड़ी हो रही है।+ + + (व्यवधान)... तो मेरा निवेदन है कि किस तारीख को कितने बजे, किस-किस अधिकारी के नेतृत्व में यह गणना चालू की गयी, कितने बजे समाप्त हुई?

नम्बर-दो, आपने लिखा है कि मुख्यतः खेती बाड़ी को रोजड़ों से नुकसान होता है। मुख्यतः का क्या मतलब? सामान्य तौर पर बता दीजिए। किस-किस जानवर की रखवाली करनी पड़ती है। सारे जानवरों की मैंने जानकारी चाही है। आपने कह दिया मुख्यतः रोजड़ों के लिये हम+ + +तो रोजड़े बता दिये। खरगोश का आपने नाम नहीं लिया। खरगोश से रजगे की रखवाली बहुत करनी पड़ती है, आपको ध्यान में हो तो। बंदरों से परेशानी होती है। तो हम यह जानकारी चाहते हैं आखिर हम 200 यहां सदस्य हैं जिनमें से डेढ़ सौ से ज्यादा राजस्थान के ग्रामीण हल्के से आये हैं। और अकाल के टाइम इस वर्ष अगर किसी गांव में 10 बीघा, 5 बीघा अनाज बोया गया तो वहां पर पूरे गांव के किसान इसी धंधे में लगे रहते हैं तो बहुत गम्भीर मामला है। तो पहले यह 2 सवाल, जो मैंने कहे हैं, इनका जवाब आप दे दीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी कड़ी में जानकारी मंत्री महोदय से कर लूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब तो आने दीजिए।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य ने जो पूछा है कि रोजड़ों की गिनती कब करवाई गयी, किसके द्वारा करवायी गयी...(व्यवधान)...

श्री सांवर लाल : रोजड़ों की ही नहीं, सब जानवरों की।

श्री भगराज चौधरी : इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रति वर्ष मई के महीने में रोजड़ों की गिनती करवाई जाती है। पिछले वर्ष मई के महीने में गिनती करवाई गई थी और यह गिनती वन विभाग के जो पद-स्थापित अधिकारी होते हैं जिले में, उनके द्वारा करवाई जाती है। साथ में गिनती करवाते समय रेंज के क्षेत्रों में जो गांव बसे हुए हैं उन गांवों के किसानों से भी जानकारी प्राप्त की जाती है। उसकी पुष्टि हमारे वन विभाग के कर्मचारी करते हैं। फिर इस प्रकार से करते-करते जो फिगर सामने आते हैं उसकी पुष्टि फिर हमारे डी.एफ.ओ. अथवा उप वन संरक्षक भी करते हैं। इसलिये यह जो गिनती सामने आयी है यह अनुमानित गिनती है और पांच प्रतिशत कम-ज्यादा हो सकता है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या की गणना भी, सब लोग-बाग अपने घरों में रहते हैं उसके बावजूद भी एक साथ समय-समय पर शुरू की जाती है। रोजड़े तो ऐसे जानवर हैं जो सौ-सौ किलोमीटर, दो-दो सौ किलोमीटर पार कर सकते हैं। तो मई के पूरे महीने में रोजड़ों की और दूसरे जानवरों की गिनती करेंगे तो वह गिनती सही नहीं हो सकती। (व्यवधान) मंत्री महोदय आप यह बताइये, हमने जो पर्टिकुलर सवाल किया है कि आपने किस तारीख को गिनती शुरू की। आप कह रहे हैं गांव वालों का सहयोग लिया है। गांव वालों के सहयोग से क्या अभिप्राय है। किस तारीख को कितने बजे की, किस-किस जानवर की गिनती कराई। अब आपने सारे जानवरों की तो सूची दे दी और आप कह रहे हैं कि मई के महीने में रोजड़ों की गिनती करवाई। तो यह पूरा क्लीयर जवाब दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से दो सवाल पूछना चाहता हूं। यह तो सही है कि आपने इसके शिड्यूल को 3 से 5 में डालने के लिये भारत सरकार को लिखा हुआ है। उसका फैसला तो भारत सरकार जब करेगी, तब करेगी। लेकिन आपने दूसरी बात यह कही कि हम राजस्व अधिकारियों को भी इनको नष्ट करने के अधिकार देने पर विचार कर रहे हैं। वह आप कब तक कर लेंगे और क्या उसकी रूपरेखा है, कैसे कर रहे हैं, जरा उसकी डिटेल आप बताइये।

दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं, मेरे पूरे चने खा गये रोजड़े, मेरा खेत यहीं टोंक रोड पर है, चने तो छोड़े ही नहीं, चने खा गये पूरे।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपके फार्म पर चने हैं कहां, वहां तो मछलियां हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : चने हैं। आपने जब देखा था तब चने थोड़े ही थे। अब तो गेहूं का टाइम है। जौ के साथ चने उगा रखे हैं। आप जाकर देखिये, जौ वह

(मोहम्मद माहिर आजाद)

गये और चने खा गये। दूसरा सवाल मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने संख्या बता दी, उन जानवरों की संख्या कितनी है...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (खाटची) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि किसान रोजड़ों से परेशान रहता है। मुख्यतः बात यह है कि किसान वास्तव में परेशान रहता है, उस परेशानी को दूर कैसे किया जा सकता है, उसके लिये सरकार क्या करने जा रही है, इसको बताया जाए। आप स्वीकार कर रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सुनें तो सही। (व्यवधान) संख्या तो बता दी लेकिन यह तो बताइये कि इसमें नर रोजड़े कितने हैं और मादा रोजड़े कितने हैं।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : आप परेशानी महसूस करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का राज दिल्ली में है। क्यों नहीं वह इस बात की परेशानी को खतम करने के लिये एक नियम बना दे जिससे कि यह अपने आप रोजड़ों को खतम करने की, मारने की इजाजत दे दे उनको। (व्यवधान) और इन लोगों का 8 साल राज रहा। इन्होंने क्यों नहीं कानून बनाया जो आज ये क्वेश्चन कर रहे हैं। या फिर यह कहना चाहिए कि हिन्दुस्तान के अन्दर वहां बी.जे.पी. की सरकार है सैण्टर के अन्दर, क्यों नहीं कानून बनवा देते हैं आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या सही बात कह रहीं हैं। आपकी सरकार बैठी है दिल्ली के अन्दर। आप क्यों नहीं इसको पास करवाते वहां पर। दिल्ली में आपकी सरकार बैठी है, अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हैं आपके, क्यों नहीं मंजूर करवाते इस बात को। (व्यवधान) दिल्ली सरकार दबा कर बैठी है इसको।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : आपको पता नहीं है...(व्यवधान) अगर आप सचमुच परेशान हैं तो बनवायें कानून...(व्यवधान) केवल यहां बात करते हैं। (व्यवधान) अगर आप असल में किसान हैं तो आपको नहीं करना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : राजस्व अधिकारी को क्या अधिकार दे रहे हैं, कब तक दे देंगे ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दिल्ली सरकार को जब भेज रखा है राज्य सरकार ने, आप जाकर के दिल्ली सरकार पर दबाव डालिये। (व्यवधान) आपके प्रधान मंत्री पर दबाव दीजिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, रोजड़ों को मारने नहीं दिया जाएगा। न ही धारा 3 में, न धारा 5 में...(व्यवधान) रोजड़ों को मारने नहीं दिया जाएगा। इनकी हत्या पर बहुत बड़ा आन्दोलन होगा। रोजड़ों के बारे में कोई कानून नहीं बनेगा, कोई जीव हत्या नहीं होगी...(व्यवधान) कोई हत्या नहीं होगी।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : आप कितनी कोशिश कर लेना...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप बंदरों को तो मार सकते हैं, ये बंदर की बात कर रहे हैं...(व्यवधान) आप बंदरों को मारने की बात...

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, ये बंदर को मारने की बात करते हैं। (व्यवधान) इनको हनुमानजी के रूप में माना जाता है, बंदर को।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप : ये कहते हैं कि बंदर को मार दिया जाएगा। (व्यवधान) इसलिये ये बंदर को मारने की बात करते हैं। बंदर को हनुमानजी के रूप में पूजा जाता है और...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जीव हत्या की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर दी गई तो इसका विरोध किया जाएगा, इसका आन्दोलन किया जाएगा। कोई जीव हत्या नहीं होने दी जाएगी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जो किसानों की फसल को बरबाद करेंगे उनको मारेंगे और...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हिन्दू की बात करने वाले आप बंदर को मारने की बात करते हैं। (व्यवधान) एक तरफ आप गऊ की रक्षा की बात करते हो...(व्यवधान)+ + + आनी चाहिए आपको। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : और जानवर को मारेंगे तो आन्दोलन करेंगे। + + + (व्यवधान) टोंक में जाकर के एक मस्जिद में...पेश इमाम...(व्यवधान) को मार दें। इनके तकलीफ नहीं होती हैं और रोजड़ा, जो किसान की फसल बरबाद करता है उसको मारने पर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने साम्प्रदायिक दंगों में हजारों बे-कसूर लोगों को मार दिया। (व्यवधान) आदमी मारे जाने पर इन्हें दर्द नहीं होता है और जानवर मारे जाने पर...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई कानून में परिवर्तन नहीं होने दिया जाएगा। (व्यवधान) राजस्थान में आन्दोलन होगा अगर आपके धारा 3 से 5 को लाएंगे। कोई हत्या और पाप नहीं करने दिया जाएगा। आप हत्या और पाप करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री दिग्विजय सिंह जी।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि आपने जो फिगर्स बतायी हैं, गणना कर 1665, 6615, तो सब जानवर है, दूसरे मिलाकर तो आपकी इसकी गणना करने का आधार क्या है? What is the method you have adopted ? आप किस प्रकार से यह गणना करते हो कि रोज तो इतने हैं, साम्भर इतने हैं और दूसरे जानवर इतने हैं, उसका आपका मैथड़ क्या है? आप सैंक्चुरी में तो कर सकते हो पर ओपन एरिया में, जहां पर आपका कोई खास नियंत्रण नहीं है, वह माइग्रेट्री है सारी। पर एनीमल पापुलेशन, वहां पर आपका मैथड क्या है

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री दिग्विजय सिंह)

जिसके अनुसार आप यह बता सकते हो कि 6000 तो इतने ही हैं। मेरी जानकारी के अनुसार दो-चार साल पहले तो आठ हजार थे। आज 6615 कैसे आ गये?

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी और चाहूंगा कि प्रिजर्वेशन आफ वाइल्ड लाइफ एक्ट, 1972 की शिड्यूल वन में यह पकड़ रहे हैं एनीमल। पर इसके साथ-साथ उस एक्ट के अन्तर्गत आपको, आपके चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को पावर भी है कि अगर किसी फसल को डेस्ट्राय करता है और नुकसान पहुंचाता है और किसी आदमी पर भी वह जानवर अटैक करता है तो वह उसको डेस्ट्राय करने की इजाजत दे सकता है। क्या आप इस सम्बन्ध में भी विचार करेंगे? आपको तीन साल गुजर गये। चार साल हो गये आपको लिखे हुए परन्तु उसका कोई जवाब नहीं आया और प्रिजर्वेशन आफ वाइल्ड लाइफ एक्ट, 1972 में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को यह अधिकार दिया हुआ है कि अगर वह किसी काश्तकार की फसल को नुकसान पहुंचाएगा या किसी प्राणी को भी नुकसान पहुंचाएगा, तो आप उसको डेस्ट्राय करने की इजाजत दे सकते हैं। क्या आपने इस सम्बन्ध में कभी कोई कदम उठाये हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से यह सवाल करना चाहूंगा कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 में जो अनुसूची थर्ड है, उसके अन्दर रोज़ड़े सम्मिलित हैं, आज। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : यह भूल जाएंगे। आप पहले जवाब देने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर आप अनुसूची थर्ड से अनुसूची पांच में ले जाएंगे तब तो आपको अधिकार है कि आप उनको मारने की अनुमति दे सकते हैं। राजस्व अधिकारी भी दे सकता है और आपके वन विभाग का कोई अधिकारी भी दे सकता है। आपने कहा कि आपने क्षेत्रीय वन अधिकारियों को नष्ट करने की अनुमति दे दी जबकि यह शिड्यूल जब तक चेंज नहीं हो जाएगा तब तक आप इस अधिनियम के तहत अनुमति नहीं दे सकते। आपने किस तरह अनुमति दी है, यह बतायें?

नम्बर-दो बात, जो उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि गणना तो आपने कर ली पर उसकी पद्धति क्या है, इन दो चीजों के बारे में आप बता दो।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा यह प्रश्न किया गया है कि जो भी गिनती करना आपने बताया है और जो भी रोजड़ों की संख्या बतायी है, उसका क्या आधार है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे तो आप खुद जानते हैं कि रोजड़ों की गिनती करना सम्भव नहीं है तो फिर आपके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न पूछना ही मैं समझता हूं कि कहां तक बुद्धि की बात है, नम्बर-एक।

नम्बर-दो, जहां तक गिनती करने के सम्बन्ध में मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो वन्य प्राणी सैंक्चुरी एरिया के अन्दर 24 घंटे में एक बार पानी पीने आता है। इसलिए

(श्री भगराज चौधरी)

पानी पीने के स्थान को हम वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी, 24 घंटे में एक बार जरूर आता है तो जहां तक सैंक्चुरीज हैं, उनमें तो वन्य प्राणियों की गिनती करना काफी हद तक सम्भव है और किया जा सकता है। पर दूसरे जो इलाके हैं, जो अपने वन्य क्षेत्रों से बाहर है, सैंक्चुरी से बाहर ओपन है, तो वहां पर अपने काश्तकारों से जानकारी प्राप्त करके हम अपने कर्मचारियों को लगाते हैं और काफी लम्बे समय तक इनके पीछे बराबर लगे रहते हैं, काफी दिनों तक और 15-20 दिनों के बाद जब हमारे पास में जानकारी प्राप्त हो जाती है कि फलां गांव में 500 रोजड़ें हैं, फला गांव में 10 रोजड़ें हैं, फलां जगह पर 30 रोजड़ें बैठे हैं, फलां जगह पर 40 बैठे हैं, इस प्रकार की हमें जानकारी मिलती है तो फिर उनका जोड़ लगाकर, उन सबका जोड़ लगाकर उस...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + + (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : रेंज के अन्दर कुल पाये जाने वाले रोजड़ों की संख्या मालूम कर लेते हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह हमारा अपमान है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सीधा हमारा अपमान किया है।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारा अपमान है,+ + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी ने बहुत अच्छी संख्या बतायी है + + + यह संख्या आपने बहुत अच्छी गिनती की है। जब यह पानी पीने गये होंगे तब करी होगी आपने गिनती इनकी। सही संख्या है आपकी + + + वास्तव में इन रोजड़ों को नष्ट करना बहुत जरूरी है। इनकी तो आप नसबंदी कर दो। इनको मराओ नहीं तो नसबंदी कर दो आप इनकी। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नीलगाय और रोजड़े की परिभाषा के बीच इतनी उलझनें पैदा की हैं कि राजस्थान में आज तक किसानों को रोजड़े के नाम से जो जानवर है, उससे फसलें इतनी नष्ट हो रही हैं और नीलगाय करके इस तरह से बी.जे.पी. वालों ने इस मामले को उलझा दिया है और जैसे नीलगाय कहकर...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : राजस्थान के किसानों को उजाड़ देंगे। (व्यवधान)

श्री रतल लाल ताम्बी (जहाजपुर) : कोई अन्तर ही नहीं है। यह रोजड़ों का मामला है...(व्यवधान) नीलगाय की परिभाषा को स्पष्ट नहीं करके राजस्थान में इतनी बड़ी तादाद में यह पैदा हो रहे हैं और मैं यह कहना चाहता हूं, वन मंत्री महोदय, न तो इनकी कोई जनगणना हुई है और न हो सकती है। मेरे इलाके में घूमते हैं इतनी बड़ी तादाद में, इतनी संख्या में मिलते हैं और वे... (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय सदस्य, जनगणना तो हर जगह होती है।

श्री रतन लाल ताम्बी : एक जगह होते नहीं है। इसके बाद फिर पैदा हो जाते हैं। दूसरी बार इसकी नस्ल फिर पैदा होती है पर नीलगाय और रोजड़ों की परिभाषा, हमेशा जब भी यह मामला उठता है, आप उसको नीलगाय के नाम से साम्प्रदायिक और धार्मिक रूप देकर राजस्थान के किसानों के साथ, बरबादी के साथ में जितनी आपने साझेदारी की और पिछले आठ सालों में इनकी संख्या इतनी बड़ी तादाद में बढ़ी है जिससे आज राजस्थान के किसान बरबाद हैं।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जंगली जानवरों की सूची जो माननीय मंत्री महोदय ने दी है, वह प्रकृति में बहुत ही बड़ा असन्तुलन का रूप दर्शाता है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मेहरबानी हो तो एक सप्लीमैंट्री मैं भी पूछ लूं? आपकी अनुमति से मैं भी एक सप्लीमैंट्री पूछ लूं?

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : यह फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : + + + (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : + + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बिल्कुल + + + गिनती की उन्होंने। उन्होंने सही गिनती की है। + + + जो गिनती की है उन्होंने सही गिनती की है। आप इन + + + नसबंदी कर रहे हो या मरवा रहे हैं इनको, यह बताइये, माननीय मंत्रीजी। इन + + + नसबंदी करोगे या मरवाओगे इनको? दिल्ली की सरकार को लिखो इन तीस रोजड़ों के लिए। दिल्ली की सरकार मारने की स्वीकृति दे इनके लिए...(व्यवधान) इन तीस रोजड़ों को मारने के लिए...(व्यवधान) यह + + + जो आपने बतायें इन तीस रोजड़ों के लिए दिल्ली की सरकार से...(व्यवधान) सदन में पारित किया जाए कि इन + + + जल्दी से जल्दी नसबंदी की जाए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + गिनती कैसे होगी, यह बता दो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + + ही दुःख क्यों हुआ है? यह भारतीय जनता पार्टी को दुःख क्यों हुआ है तीस रोजड़ों का और रोजड़ों का क्यों नहीं हुआ इनको? + + + ही दुःख क्यों हुआ है? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + गिनती कैसे होगी? (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : यह बात छोटी मत समझो। (व्यवधान) लोग बहुत दुःखी हैं। मेरा यह निवेदन है कि काश्तकार बहुत दिनों से खेत की बुवाई नहीं कर रहे हैं। बुवाई छोड़ देगा और आज इनका इन्तजाम कराओ। यह लोग दुःखी है। काश्तकार दुःखी है। बरसात नहीं होगी तो फसल जल जाती है, ज्यादा हो जाती है तो गल जाती है और नहीं तो कीड़ें लग जाते हैं। चाहे ओले पड़ जाएं पर यह रोजड़े तो छोड़ते ही नहीं है और यह लोगों की फसलों को

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री देवीलाल बैरवा)

खाते हैं। इनका इन्तजाम करो। किसी भी रूप से हो, इनका इन्तजाम करो।

श्री रामस्वरूप : + + + सारे राजस्थान को बरबाद कर दिया इसलिए माननीय मंत्रीजी, इनका इलाज करो + + + (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, + + + गिनती भी इस सदन में की जाए। + + + (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह सदन का मजाक बना रखा है। He has been telling repeatedly. कि + + + खतम करो।

श्री मदन दिलावर : यह सदन का मजाक उड़ाये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपको दुःख क्यों हो रहा है इस बात का? माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको दुःख क्यों हो रहा है+ + + आपको दुःख क्यों हुआ तीस रोजड़ों का? माननीय मंत्रीजी के द्वारा+ + + गिनती देते ही आपको दुःख क्यों हुआ? आप क्यों पुकारने लगें? + + + कहते ही आपको दुःख क्यों हुआ? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जंगली जानवरों की सूची दी है उसे प्रकृति में बहुत भारी असन्तुलन पैदा हो गया है। इस तरह रोजड़ों की गिनती से...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी ने एक तरफ 22 हजार रोजड़े जिले में बताये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या मजाक बना रखा है ? कोई + + + बोलता है, कोई क्या बोलता है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी ने रोजड़ा बोला है। माननीय मंत्रीजी ने आपका नाम नहीं लिया है। आपका नाम नहीं लिया, मंत्रीजी ने। मंत्रीजी ने + + + बात की है। आपकी बात नहीं की है, कतई। तीस रोजड़ों की बात की है।

श्री मदन दिलावर ; यह सदन में इस प्रकार से मजाक न बनायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्री देवीलाल बैरवा : यह तो गिनती बतायी है।

श्री अध्यक्ष : देवीलालजी, विराजिये। बैठिये।

श्री देवीलाल बैरवा : जो गिनती आयी है, यहां-यहां से वह बता रहे हैं। इन्होंने इनका नाम नहीं लिया है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमैंट्री पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या माननीय वन मंत्रीजी को इस बात की जानकारी है कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किसानों की फसलों को रोजड़ों से बचाने

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

के लिए समुचित उपाय किये जाने का आश्वासन दिया हुआ है?

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में रोजड़ों से किसानों को जो भारी तकलीफ हो रही है, अपनी फसलों को बचाने के बारे में, उससे मुक्ति दिलाने के बारे में अलबत्ता एक गम्भीर समस्या के बारे में चुनाव घोषणा पत्र में उल्लेख था। उस घोषणा पत्र के अनुसार नयी सरकार बनने के बाद में लगातार इस सरकार के द्वारा किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के प्रयत्न बराबर किये जाते रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको दिक्कत क्या है, यह बता दो।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उसमें दिक्कत यह आ रही है...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, उसमें कठिनाई यह आ रही है...(व्यवधान)

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बीच में नहीं बोलें। विराजिये आप।

श्री रमजान खान : क्या रोजड़ों के हमले से कई बार खेतों में रखवाली करने वाले काश्तकार की मौत हो गयी है, इन हमलों में? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। रमजान खानजी, आप विराजिये।

श्री रमजान खान : और यदि हो गयी है तो कितने काश्तकार इस तरह से मरे हैं, कृपया बतायें। (व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक नई सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयत्न करने का प्रश्न है, हमने कई चिट्ठियां भी लिखी हैं। हमने खुद ने मंत्री महोदय से वार्ता भी की है पर हमारा दुर्भाग्य यह है कि केन्द्र सरकार इस वन्य जीव को अनुसूची-3 से निकालकर अनुसूची-5 में शामिल करने को तैयार नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : राज्य सरकार क्या कर रही है?

श्री भगराज चौधरी : केन्द्र सरकार का यह मानना है कि यदि किसानों को तकलीफ हो और फसलों की बरबादी यह वन्य जीव कर रहा है तो होलसेल परमिशन लेने के बजाय आप अपने अधिकारियों को अधिकार दे दीजिए। जो कोई भी किसान अपनी फसल को बचाने के लिए अगर इसको मारना चाहेगा, नष्ट करना चाहेगा तो वह अधिकार-पत्र के आधार पर ऐसा कर सकेगा। इस प्रकार का अधिकार दे दीजिए।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है, ऐसा कर दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कर दीजिए।

श्री भगराज चौधरी : हमने उनसे कहा राजस्थान के 32 जिलों में से 26 जिलों में भयंकर समस्या है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : इसके लिए कोई आदेश नहीं देंगे आप। किसी अधिकारी को आदेश नहीं देंगे रोजड़ों को मारने के लिये और नीलगायों को मारने के लिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इनके तो कोई खेती-बाड़ी नहीं है, इनका लेना-देना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इनको तो आदमी मरे तो दर्द नहीं होता है; रोजड़ा मरे तो दर्द होता है। + + + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसके हमले से कई आदमी मारे गये, इस बात को मानते हो क्या आप?

मोहम्मद माहिर आजाद : सैकड़ों लोगों को मार दें, कोई परेशानी नहीं है...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...(व्यवधान) तो जाते भी हैं नगर में, अपने विधान सभा क्षेत्र...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्री महोदय ने बता दी आपको सारी बात। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही किसान विरोधी पार्टी रही है इसलिए तो यह आदेश देने के लिये मना कर रहे हैं बार-बार। खुद ने नहीं किया...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + + (व्यवधान)

श्री कमला बृजलाल : भारतीय जनता पार्टी तो किसान विरोधी है।

श्री रामस्वरूप : + + + इसलिए दुःख होता है आप लोगों को इन रोजड़ों का। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से माननीय रामस्वरूपजी जिस ढंग से बोलते हैं आप आसन की तरफ से इसकी व्यवस्था करें अन्यथा यह कभी भी बहुत बड़ी...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैंने कोई भी शब्द अपशब्द नहीं कहा है। माननीय मंत्रीजी ने कहा + + + उन्होंने संख्या बतायी + + +

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री बुलाकी दास कल्ला : यह किस तरह से बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप अकेले रामस्वरूपजी की व्यवस्था करने को क्यों कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें यह छूट नहीं चाहे जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें और बार-बार करते चले जाएं और आसन उनको कुछ भी नहीं कहे।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय सदस्य, संयम बरते। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने आज तीन बार नहीं, दस बार इनके मुंह से सुन लिया। जो मर्जी चाहे जो कमेंट, इनकी इच्छा है, इनको खुली छूट है? आसन इन्हें ताड़ना दे, बंद कराने के प्रयास करें कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करें। नहीं तो इस सदन की गरिमा गिरेगी और फिर एक-दूसरे के शब्द इधर-उधर चलते रहेंगे, इसका कोई कहीं समापन नहीं होगा। पचास बार इनसे आपने कह दिया उसके बाद भी जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्री महोदय ने +++ कही थी, इसमें कोई मैंने मेरी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप इस पर गौर करके इनको रोके अन्यथा कभी भी सदन में किसी प्रकार की दुर्घटना घटेगी जिसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : क्या दुर्घटना होगी? आप करिये न उस दुर्घटना को आज ही। क्या दुर्घटना होगी सदन के अंदर? (व्यवधान) माननीय अध्यक्षजी के साथ क्या दुर्घटना होगी सदन के अंदर? दुर्घटना क्या होगी सदन के अंदर? क्या दुर्घटना करना चाहते हो आप? +++ (व्यवधान) यहां कोई +++ नहीं बैठते। यहां इंसान बैठते हैं सदन के अंदर। कोई +++ नहीं बैठते सदन के अंदर। क्या व्यवस्था करोगे आप? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले भी माननीय सदस्य, रामस्वरूप जी की टांग तोड़ दी थी, दुर्घटना यह हुई...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : कटारियाजी के द्वारा माननीय रामस्वरूप जी को डायरेक्ट धमकी दी गयी है। इस धमकी को हम सहन नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह धमकी नहीं दे सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह धमकी दे रहे हैं हमको। इस प्रकार की धमकी देते हैं सदन के अंदर। कैसे देओगे आप धमकी? हम इस तरह घबराने वाले नहीं धमकियों से।(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में आकर धरना)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : मंत्री महोदय ने कहा +++ तो वह सही है। सही कहा है उन्होंने।

श्री रामस्वरूप : यह तो धमकी देते हैं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : यह माननीय सदस्य रामस्वरूप जी को डायरेक्ट धमकी...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह कह रहे हैं +++ (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : आप भाषा में संयम रखें। मुझे प्रतिदिन ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जो पार्टी देश में राज कर रही है...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह गंदे शब्द बोल रहे हैं + + + कुछ भी बोल लेंगे। हम इनसे ज्यादा गंदे शब्द बोल सकते हैं। हम शालीनता बनाये रखते हैं।(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपकी सरकार थी आपने क्या कमी छोड़ी हमारे साथ। (व्यवधान) आपने हाथ-पैर तक तो तोड़ दिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कह रही हूं कि आसन का काम गरिमा बनाये रखने का है। अभी टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। कटारिया जी, मुझे प्रतिदिन इस ओर बैठने वाले और उधर भी जो असंसदीय शब्द बोलते हैं तो एक्सपंच करना पड़ता है और मैं उनको एक्सपंच करता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आसन का काम इस सदन की गरिमा को बनाये रखने का है। अभी-अभी टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि + + + यदि इसी तरह से हम एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ... (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : ज्ञानदेवजी ने क्या बोला?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कौन क्या बोला तो आप उनको भी एक्सपंज करवाएं लेकिन यह गलत बात है कि कोई इस प्रकार से कहे कि + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो बात असंसदीय की है, वह एक्सपंज की जाती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ...(व्यवधान) तो फिर आसन से यह व्यवस्था दे दें ... (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही में से एक्सपंच की जाती है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और इनकी सीट भी बदल दीजिए यहां से। यह हमें बहुत परेशान करते हैं। सारे दिन हमारे कान खा जाते हैं। (व्यवधान) + + + यह कहा इन्होंने। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + +(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या कर रहे हो आप, संयम रखिये। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारे कान खराब नहीं हुए हैं। (व्यवधान) आपकी आदत पड़ गयी है हर बार कुछ न कुछ, + + + बोलने की और + + +। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला नागौर की कृषि उपज मण्डी के अधीन स्वीकृत सड़कें

184. **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में कृषि उपज मण्डी के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की गई? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) अपूर्ण सड़कें कब तक पूर्ण करवा दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला नागौर में कृषि उपज मण्डी समिति के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में स्वीकृत सम्पर्क सड़कों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) परिशिष्ट-"अ" में अंकित सम्पर्क सड़कों में वर्ष 1998-99 में स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत सड़कों की निविदाएं प्राप्त कर ली गई है।

(3) परिशिष्ट-"अ" में अंकित वर्ष 1999-2000 की स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य प्राप्त निविदाओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

अकालग्रस्त ग्रामों में एनीकट्स निर्माण

185. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) अकालग्रस्त जिलों में सरकार द्वारा किस-किस प्रकार के कार्य खोले गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन ग्रामों में तालाब नहीं हैं वहां पर सरकार तालाब बनाने का विचार रखती है? क्या सरकार पुराने ग्राम जो ग्रेवल सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं उनको जोड़ने के लिए ग्रेवल सड़कों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब उक्त सड़कों का कार्य प्रारम्भ होगा?

(3) क्या सरकार ने अकाल राहत कार्यों में एनीकट्स को प्राथमिकता दी है? यदि हां, तो किन-किन जिलों में एनीकट्स का निर्माण करवाया जा रहा है? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के अभावग्रस्त जिलों में खोले गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-"क")

(2) जी हां। अभावग्रस्त जिलों में कराये जाने वाले कार्यों की सूची में तालाब कार्य भी शामिल है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में सड़क निर्माण के कार्य लिये जा सकते हैं। इस संबंध में जिला कलक्टर्स को दिनांक 2.3.2000 को निर्देश दिये जा चुके हैं।

(अकाल राहत मंत्री)

(3) जी हां। एनिकट्स के कार्य भी राहत कार्यों के अन्तर्गत प्राथमिकता अनुसार स्वीकृत करने के जिलों को निर्देश दे दिये गये हैं। निर्माण करवाये जा रहे एनिकट्स की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-"ख")

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वर्ष 1999-2000 के आय व्ययक में वृद्धि

237. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सातवीं, आठवीं, नवीं पंचवर्षीय योजना के वर्षों में विभिन्न विभागों पर योजना मद में कितनी-कितनी राशि व्यय होनी थी और उसकी तुलना में कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नवम् पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1999-2000 के बजट में जो प्रावधान किये गये थे उसके अनुसार प्रत्येक विभाग को कितनी राशि का आवंटन किया गया तथा उसकी तुलना में कितना व्यय हुआ और योजना मद में कितनी कटौती की गई तथा कटौती करने के क्या कारण रहे?

(3) क्या राज्य सरकार को केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा वर्ष 1999-2000 के बजट में मात्र 4700 करोड़ की स्वीकृति मिली और इसके विपरीत राज्य सरकार ने 5020 करोड़ का बजट पेश किया? यदि हां, तो इस वृद्धि का क्या आधार था और योजना का आकार बढ़ाने के क्या कारण थे?

उत्तर

(1) सातवीं, आठवीं एवं नवीं पंचवर्षीय योजना में क्रमशः 3000 करोड़ रुपये, 11500 करोड़ रुपये तथा 27650 करोड़ रुपये (चालू मूल्यों पर) की राशि व्यय होनी थी जिसके विरुद्ध क्रमशः 3106.18 करोड़ रुपये, 11998.97 करोड़ रुपये तथा 10463.63 करोड़ रुपये (इसमें वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 में फरवरी, 2000 तक की व्यय राशि शामिल है) की राशि व्यय की गई। विभागवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 1999-2000 के बजट में विभागवार आवंटित राशि तथा उसकी तुलना में माह फरवरी, 2000 तक व्यय राशि की सूचना परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। वार्षिक योजना 1999-2000 में 1167.04 करोड़ रुपये की कटौती की गई। राज्य सरकार के विभिन्न खर्चों में वृद्धि एवं संसाधनों में कमी होने के कारण योजना में कटौती की गई।

(3) योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं मुख्य मंत्री महोदय के मध्य विचार-विमर्श उपरांत वार्षिक योजना 1999-2000 का आकार 4750 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। राज्य सरकार की अतिरिक्त संसाधन उगाहने की क्षमता को मद्देनजर रखते हुए 5022.18 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। 4750 करोड़ रुपये की योजना के

(राज्य मंत्री आयोजना)

लिए 586 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन राज्य सरकार द्वारा उगाहने थे। योजना में वृद्धि के कारण 858 (586+272) करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन उगाहने के विरुद्ध बजट में 662 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन उगाहने का प्रस्ताव किया गया। शेष राशि की पूर्ति वर्ष के दौरान की जानी थी।

(विवरण की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगरपालिका रानी (पाली) के विकास कार्यों में अनियमितताएं

238. **श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत आठ वर्षों के दौरान नगरपालिका रानी, जिला पाली में कितनी राशि विकास कार्य पर व्यय की गई है? क्या सरकार उक्त कार्यों की जांच उच्च स्तर के तकनीकी अधिकारी से कराने का विचार रखती है? क्या अठारह लाख में बने नगरपालिका भवन का निर्माण कई जगह पर फट चुका है? क्या इसमें घटिया सामग्री ऊंची दर पर खरीद कर उपयोग कर नगरपालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है? क्या सरकार उक्त कार्य की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) गत आठ वर्षों में उक्त पालिका में कितने कर्मचारी कार्यरत थे? उक्त पालिका में गत आठ वर्षों में कितने कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई? क्या चुंगी नाकेदार व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां नियमानुसार की गई? यदि नहीं, तो उन्हें हटाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? क्या उक्त नियुक्तियों में अनियमितता हुई है?

उत्तर

(1) नगरपालिका रानी का पुर्नगठन वर्ष 1994 में हुआ है, जिसके पश्चात् पालिका द्वारा विकास कार्यों पर 77,11,621.48 रुपये की राशि व्यय की गई है। उक्त कार्यों में अनियमितता के संबंध में गंभीर तथ्य प्राप्त होने पर जांच करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा। नगरपालिका भवन के निर्माण में कई जगह दरारे आने के तथ्य सरकार के ध्यान में लाये गये हैं जिसकी शीघ्र ही जांच करवाई जायेगी।

(2) नगरपालिका रानी के पुनर्गठन से अब तक 30 कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें से 5 चुंगी कर्मचारियों का समायोजन किया गया है। उक्त अवधि में कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं की गई है परन्तु पंचायत काल के दौरान 10 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अनियमित रूप से नियमित वेतन श्रृंखला दी गई है। जिसकी शीघ्र जांच करवाई जावेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के स्थगन के कारण उक्त कर्मचारी नगरपालिका सेवा में कार्यरत है। न्यायालय के निर्णय अनुसार मामले में समुचित अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

सुभाष कालोनी भगत की कोठी (जोधपुर) में सड़क पर अतिक्रमण

239. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सुभाष कॉलोनी-भगत की कोठी, जोधपुर में भूखण्ड संख्या 106 से 110 मेन पाली रोड तक 20 फुट सड़क सीमा में पक्की चबूतरियां बनाकर अतिक्रमण किये गये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सड़क सीमा में अतिक्रमण के साथ पत्थर मिट्टी डालकर सड़क का लेवल बिगाड़ दिया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अतिक्रमण से आवागमन एवं वाहनों के मोड़ने में असुविधा हो रही है ?

(4) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण/मिट्टी-पत्थर हटवा कर 20 फुट सड़क खाली कराकर समतल कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि सुभाष कॉलोनी भगत की कोठी में भू-खण्ड संख्या-106 से 107 व 109 से 110 जो मेन पाली रोड से अन्दर जाने वाली 20 फुट चौड़ी सड़क पर स्थित है, के मकान मालिकों द्वारा सड़क भाग में लगभग $2\frac{1}{2}$ फुट चौड़ाई में मकान के आगे चबूतरियां बनाकर अतिक्रमण कर रखे हैं।

(2) जी हां यह सही है कि सड़क सीमा में मलवा डाल दिये जाने के कारण सड़क लेबल सही नहीं है।

(3) जी हां। यह सही है कि सड़क सीमा में चबूतरियां बनी होने के कारण आवागमन में असुविधा होती है।

(4) सभी अतिक्रमण बेदखली करने योग्य होने के कारण सड़क सीमा में बनायी गयी चबूतरियां, नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा हटाये जाने वाले अतिक्रमण हटाओं अभियान के दोहरान हटा दी जावेगी।

नगर परिषद् टोंक में लिपिक का स्थानान्तरण प्रकरण

240. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि श्री शंकर लाल ठाडा कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद् टोंक में गत कई वर्षों से कार्यरत है ? क्या राज्य सरकार ने गत वर्ष 1999 में उनका स्थानान्तरण बाडी नगरपालिका जिला धौलपुर में किया था ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आयुक्त नगर परिषद् टोंक द्वारा जानबूझकर उसे कार्य मुक्त नहीं किया ? यदि हां, तो आदेशों के बाद भी पालन न करना व पालन नहीं करने पर कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कनिष्ठ लिपिक ने मुन्सिफ न्यायालय से स्थगन

(श्री दिग्विजय सिंह)

प्राप्त कर लिया यदि हां, तो स्थगन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्थगन आदेश को निरस्त कराने हेतु आयुक्त नगर परिषद् टोंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्यां स्थगन आदेश जो जारी किया गया न्यायालय द्वारा खतम कर दिया गया? यदि हां, तो पूर्व आदेशों की पालना क्यों नहीं की गई?

(6) क्या स्थगन आदेश को निरस्त कराने में परिषद् रुचि नहीं दिखा रही है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्री शंकर लाल ठाडा, वरिष्ठ लिपिक नगर परिषद, टोंक में दिनांक 6-1-89 से कार्यरत हैं। श्री ठाडा का स्थानान्तरण दिनांक 4-1-99 को सवाई माधोपुर तथा 7-1-99 को नगर पालिका बाडी जिला धौलपुर में किया गया था। स्थानान्तरण आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) श्री ठाडा ने उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से दिनांक 27-1-99 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। स्थगन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) उक्त स्थगन आदेश को निरस्त कराने हेतु नगर परिषद, टोंक द्वारा अधिवक्ता की नियुक्ति की जाकर स्थगन आदेश को निरस्त कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी नहीं। स्थगन आदेश यथावत है।

(6) जी नहीं। परिषद द्वारा समुचित कार्यवाही की जा रही है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

हिण्डौन सिटी (करौली) के नाले की सफाई

241. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि हिण्डौन सिटी जिला करौली के मध्य एक गंदा नाला लम्बे समय से सड़ रहा है? यदि हां, तो इस गन्दे नाले की कब-कब सफाई करवाई गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गन्दे नाले की सफाई हेतु उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई थी? यदि हां, तो क्या उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना राज्य सरकार ने कर दी हैं? यदि नहीं, तो उच्च न्यायालय की पालना अब कब तक कर दी जावेगी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त नाले की सफाई नहीं होने के कारण से आस-पास के इलाके में बीमारियां फैल रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने जा रही है?

उत्तर

(1) यह सही है कि हिण्डौन शहर के मध्य एक गन्दा नाला स्थित है। इस गन्दे नाले की सफाई का कार्य पालिका एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1990 एवं 1995-96 में करवाया गया।

(2) यह सही है कि उक्त नाले की सफाई हेतु उच्च न्यायलय में एक जनहित याचिका एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1090/89 एम. एल. वशिष्ठ बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर हुई थी, जिसकी पालना में नाले की सफाई व पक्का निर्माण करने के लिये राज्य सरकार द्वारा 59.89 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे। जिसमें से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सफाई कार्य में 21.16 लाख तथा पालिका द्वारा नाले की खुदाई कार्य में 4.78 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। उक्त नाले के लिये सफाई व पक्का निर्माण के लिये 32.00 लाख रुपये सार्वजनिक निर्माण विभाग, करौली को दिनांक 30.9.99 को भिजवाये जा चुके हैं ताकि शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(3) जी नहीं।

जालौर शहर में चामुण्डा माता की सड़क का डामरीकरण

242. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जालौर शहर में चामुण्डा माता का मन्दिर है?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष में दो बार नवरात्रों में यहां पर गरबों का आयोजन होता है?

(3) क्या यह सही है कि जालौर शहर की जनता गरबा नृत्य देखने हेतु उमड़ती है?

(4) क्या यह भी सही है कि शहर से चामुण्डा माता मन्दिर जाने वाली सड़क खराब है?

(5) क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत अथवा पुनः डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां, अधिकांश सड़क क्षतिग्रस्त है।

(5) उक्त क्षेत्र में स्थित आर. के. टिम्बर से किसान छात्रावास तक सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण करवा दिया गया है। शेष सड़क पर सीमेन्ट कंक्रीट सड़क अथवा डामरीकरण का कार्य नगर पालिका, जालौर द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र करवाने का हर सम्भव प्रयास किया जावेगा।

कुण्डा रोड (जयपुर) पर अतिक्रमण

243. **डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल) एवं **डा. के. सी. चौधरी** (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(डा. समरजीत सिंह)

(1) क्या यह सही है कि आसन वाले बाबा के सामने पुराने कुण्डा (जयपुर) रोड बाउण्डरी व नये रोड के मध्य की पार्क भूमि पर भारी मात्रा में अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं? यदि हां, तो उक्त पुराने कुण्डा रोड बाउण्डरी से अतिक्रमण कब तक हटा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पार्क भूमि पर स्थानीय नागरिकों की बार-बार मांग व मंत्री महोदय के आदेशों के पश्चात् भी अभी तक न तो चारदीवारी बनाई गई न ही तारबन्दी की गई? क्या उक्त भूमि पर सार्वजनिक पार्क का बोर्ड आदि भी नहीं लगाया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त भूमि की सुरक्षा हेतु अब कब तक चारदीवारी/तारबन्दी कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? पार्क भूमि के ब्ल्यूप्रिन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आसन वाले बाबा के सामने पुराना कुण्डा जयपुर रोड बाउण्डरी व नये रोड के मध्य की पार्क भूमि पर पूर्व में किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक कोठरीनुमा निर्माण करवाया गया था, उसे उसी समय हटवा दिया गया था तथा वर्तमान में किये गये अतिक्रमणों को शीघ्र ही हटवाये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(2) उक्त वर्णित स्थल, जयपुर रोड व राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य स्थित है तथा रोड के स्तर से काफी गहरा (नीचा) है इसमें से सिंचाई नहर भी निकलती है। उक्त सरकारी भूमि की सुरक्षा की दृष्टि से नगर निगम द्वारा तारबंदी का प्रस्ताव तैयार किया जाकर सार्वजनिक पार्क का बोर्ड लगाने व निगम द्वारा उक्त पार्क को चयनित किये जाने तथा पार्क का ब्ल्यू प्रिन्ट इत्यादि के संबंध में भूमि के स्वामित्व के निर्धारण के पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।

(3) भाग सं. 2 में इसका उत्तर निहित है।

कोटा शहर को काउन्टर मैगनेट सिटी बनाने का प्रस्ताव

244. **श्री प्रभूलाल करसोल्या** (नैनवां) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर को काउन्टर मैगनेट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर लिये हैं? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रस्ताव तैयार करने हेतु किस-किस अधिकारी को लगाया गया तथा किस-किस अधिकारी को किस-किस प्रकार के प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेश दिये गये? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रस्ताव तैयार हो गये? यदि हां, तो क्या उन्हें नेशनल केपीटल रीजन बोर्ड के सामने स्वीकृति हेतु रख दिये हैं?

(श्री प्रभूलाल करसोल्या)

केपीटल रीजन बोर्ड ने कितनी स्वीकृति जारी कर दी ?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा शहर को काउन्टर मेगनेट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी। रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण 5 प्रतियां संलग्न है।

(2) प्रस्ताव तैयार करने वाले अधिकारियों की सूची की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां। रिपोर्ट को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा दिनांक 28.3.94 को रुपये दो करोड़ की स्वीकृति नगर विकास न्यास, कोटा को जारी की गई।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर की महेश नगर कालोनी की सड़कों का डामरीकरण

245. **श्री उदय सिंह राठौड़** (बनीपार्क) एवं **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या सरकार कृष्णा विहार, स्कीम नं. 10 सूर्यनगर, बैंक कॉलोनी, महेश नगर जयपुर के महर्षि मार्ग विस्तार-बी की सड़कों का डामरीकरण एवं उसके दोनों ओर नालियां निकालने का विचार रखती है ? क्या उक्त सड़कों/पार्क की भूमि को कई स्थानों पर आवासीय रूप में अतिक्रमण करके काम में लिया जा रहा है ? यदि हां, तो अतिक्रमण कब तक हटा दिया जावेगा ?

उत्तर

कृष्णा विहार स्कीम नं. 10, सूर्य नगर, बैंक कॉलोनी, महेश नगर जयपुर के महर्षि मार्ग विस्तार बी की सड़कों का डामरीकरण एवं उसके दोनों ओर नालियों का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण के संसाधनों पर निर्भर करता है।

जी हां। यह सही है कि उक्त कॉलोनियों के कुछ पार्कों की भूमि पर कई स्थानों पर आवासीय/व्यावसायिक भवनों का निर्माण करके काम में लिया जा रहा है। उक्त निर्माणों के संबंध में विधिक प्रक्रिया अपनाकर नियमों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में उच्च/भूमिगत जलाशय

246. **डा. रघुवीर सिंह गौड़** (कोटपूतली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में किन-किन स्थानों पर उच्च/भूमिगत जलाशय स्थापित किए हुए हैं ?

(2) उक्त क्षेत्र में अब किन स्थानों पर उच्च/भूमिगत जलाशय स्थापित किये जाने की योजना है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में वर्तमान में 14 स्थानों पर उच्च जलाशय

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

तथा 22 स्थानों पर भूतल जलाशय स्थापित किए हुये हैं। सूची परिशिष्ट-"अ" के अनुसार है।

(2) उक्त क्षेत्र में ग्राम भांखडी में उच्च जलाशय तथा ग्राम मोरधा एवं ग्राम टोरडा ब्राह्मण में भूतल जलाशय बनाये जाने की योजना स्वीकृत है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जिला बाड़मेर के कमीशन ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

247. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला बाड़मेर में नगर खण्ड व राइजेप खण्ड में कुल कितनी योजनाएं चल रही हैं और उनमें कितनी ग्राम व ढाणियां आती हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर के नगर खण्ड में कितने ग्राम व ढाणियां कमीशन हैं? उसमें कितने ग्रामों व ढ़ाणियों में पानी नहीं जाता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कमीशन गांवों में पर्याप्त पानी पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर के नगर खण्ड व राइजेप खण्ड के अधीन क्रमशः 49 एवं 137 कुल 186 योजनायें वर्तमान में चल रही हैं, जिनमें 460 ग्राम व 904 ढाणियां सम्मिलित हैं। तहसीलवार सूची परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध हैं।

(2) ज़िला बाड़मेर के नगर खण्ड में 213 ग्राम एवं 398 ढाणियां पेयजल से लाभान्वित हैं। 12 ग्राम एवं 46 ढाणियों के अंतिम छोर पर होने के कारण इन्हें पानी नहीं पहुंचता है, जिनकी सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न हैं।

(3) जी हां। सरकार कमीशन गांवों में पर्याप्त पानी पहुंचाने हेतु उपरोक्त बिन्दु 2 के 12 गांव व 46 ढाणियों में से 9 गांव व 40 ढाणियों को 9 योजनाओं के माध्यम से 800 लाख रु. की स्वीकृत 98-99 के 99-2000 के बीच में जारी की जा चुकी है, जिसमें क्रियान्विति आरंभ कर दी गई है। विवरण परिशिष्ट-"स" पर अंकित है। शेष 2 गांव व 6 ढाणियों के लिये भी वैकल्पिक जल स्रोत हेतु भूजल वैज्ञानिक से सहमति प्राप्त कर योजनाएं बनाया जाना प्रस्तावित है एवं जिन गांवों व ढाणियों में जल वितरण वर्तमान में 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है, उनमें से भी 10 गांव व 10 ढाणियों में गांव व 4 ढाणियों की पुनर्गठित योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट-"द" पर है। शेष गांव व 1 ढाणी के लिये वैकल्पिक जल स्रोत का चयन कर योजना बनाना प्रस्तावित है। स्वीकृत योजनाओं पर बजट उपलब्धतानुसार कार्य पूरा कराया जाना संभव हो सकेगा।

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) में लगाये गये हैण्ड पम्पों के सामान का भौतिक सत्यापन

248. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जनवरी, 1998 से फरवरी, 2000 की अवधि में झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में किस-किस ठेकेदार द्वारा नये हैण्ड पम्प लगाये गये तथा कितनी-कितनी राशि का भुगतान प्रत्येक हैण्ड पम्प के लिये इनको किया गया/किया जाने वाला है?

(2) उक्त तहसील क्षेत्र में किस-किस हैण्डपम्प के लिये विभाग द्वारा क्या-क्या कितना-कितना नाप-माप का सामान दिया गया तथा जांच के समय कितना-कितना सामान इनमें लगाया हुआ मिला? संबंधित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा इनमें से किन-किन हैण्ड पम्पों का फिजिकल वैरीफिकेशन कब-कब किया गया?

उत्तर

(1) जनवरी, 1998 से फरवरी, 2000 तक की अवधि में झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा कुल 266 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं तथा 50.56 लाख का भुगतान किया गया है। भुगतान का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) उक्त हैण्ड पम्पों के लिये दिये गये सामान व जांच के समय पाया गया सामान का विवरण संलग्न परिशिष्ट-"क" पर है। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा 15 हैण्ड पम्पों का सितम्बर, 98 से मार्च, 2000 तक फिजिकल वैरीफिकेशन किया जिसका विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति बौंली एवं बामनवास में हैण्ड पम्पों की स्वीकृति

249. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बौंली एवं बामनवास में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु गत वर्ष आवश्यकतानुसार हैण्ड पम्प लगाये जाने के प्रस्ताव तैयार किये थे? यदि हां, तो किस-किस योजना में कब-कब लगाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 25-6-99 एवं 22-10-99 को अनुसूचित जाति/जनजाति एवं जरूरतमंद ढाणियों में हैण्ड पम्प लगाये जाने की जनता की मांग के अनुसार स्थानीय विधायक ने विभाग को प्रस्ताव भिजवाये थे? यदि हां, तो उनमें से कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये और नहीं, तो उन्हें कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। लगाये गये हैण्डपम्पों की पंचायत समिति वार व ग्राम वार सूची परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी हां। माननीय विधायक महोदय द्वारा अपने पत्रों के अंतर्गत मांग किये गये हैण्ड पम्पों में से 37 हैण्ड पम्प विभागीय मानदण्ड एवं बजट उपलब्धता अनुरूप स्वीकृत किये गये।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

महेश नगर एवं बैंक कॉलोनी (जयपुर) में पेजयल व्यवस्था

250. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महेश नगर, बैंक कॉलोनी, जयपुर के आस-पास लगभग 42 आवासीय कॉलोनियां हैं जिनके निवासियों को पीने के पानी की परेशानी है?

(2) क्या सरकार उक्त कॉलोनियों के निवासियों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बोरिंग एवं पानी की टंकियों की किसी योजना का विचार रखती है? यदि हां, तो प्रस्तावित योजना कब तक शुरू कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्णित आवासीय कॉलोनियां कृषि भूमि पर बसी हुई हैं तथा यहां जल व्यवस्था स्थानीय समितियों द्वारा की जा रही है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में जल वितरण व्यवस्था निजी तौर पर वहां की समितियों द्वारा की जा रही है। वर्तमान में विभाग की कोई जल वितरण योजना नहीं है। राज्य सरकार की सहभागीता योजना के अन्तर्गत भूखण्ड मालिकों द्वारा निर्धारित राशि किसी कॉलोनी के 50 प्रतिशत भूखण्ड मालिकों द्वारा जमा कराने पर पेयजल योजना बनाई जा सकती है।

चंबल नदी से धौलपुर में पेयजल आपूर्ति

251. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह** (धौलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या धौलपुर की चंबल नदी से पानी लिफ्ट करके जिला भरतपुर/अलवर में पानी ले जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो किस प्रकार की?

(2) क्या उक्त योजना से जिला धौलपुर के व्यक्तियों को भी पानी उपलब्ध कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना से धौलपुर जिले की किन-किन तहसीलों में पानी पहुंचाया जावेगा?

उत्तर

(1) चंबल नदी से धौलपुर एवं भरतपुर जिले के कुल 999 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक वृहद् योजना के प्रथम चरण के प्रथम भाग में 212 ग्रामों को लाभान्वित करने की एक योजना स्वीकृत की गई है। अभी अलवर जिले के ग्रामों को चंबल से पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। जिला धौलपुर के 69 ग्रामों को योजना के प्रथम चरण में लाभान्वित

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

किया जाना प्रस्तावित है। योजना का विवरण प्रपत्र-"अ" पर संलग्न है।

(3) परियोजना के धौलपुर जिले की धौलपुर तथा सेपऊ तहसील के गांवों को पेयजल दिया जाना प्रस्तावित है।

(प्रपत्र विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

करौली शहर के खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत

252. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि करौली शहर में सरकार द्वारा हैण्ड पम्प लगाये हुये हैं? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां, कब से व कितनी लागत के?

(2) क्या यह भी सही है कि शहर की सब्जी मण्डी में एक हैण्डपम्प लगा हुआ है? यदि हां, तो वह कब से लगा हुआ है तथा क्या वह अभी चालू हालत में है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त खराब हैण्ड पम्प को ठीक कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कुल 118 हैण्ड पम्प स्थापित हैं। विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न हैं।

(2) जी हां। उक्त हैण्ड पम्प वर्ष 1987-88 में स्थापित किया गया था इसमें एसेम्बली फंस जाने के कारण चालू हालत में नहीं है तथा एसेम्बली निकलना तकनीकी कारणों से संभव नहीं है।

(3) जी नहीं। यह हैण्ड पम्प सुधारने योग्य नहीं है। इस हैण्ड पम्प से कुछ ही दूरी पर अन्य हैण्ड पंम्प चालू हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

तहसील आमेर के ग्रामों में चेजा पत्थर खानों पर विस्फोट

253. **श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़)** : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि तहसील आमेर के ग्राम-सुन्दरपुरा, बीलपुर, सिरोही, सुन्दर का बास, देवका बरवाड़ा, बूढा बरवाड़ा, चक मनोहरपुर, लखैर, अरणिया और पीलवा के पहाड़ों में चेजा पत्थर लीज दी गई हैं? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को और कहां पर कब से?

(2) क्या अब और भी चेजा पत्थर लीज के आवेदन पत्र विचाराधीन हैं? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति का कहां के लिए और कब से? उक्त ग्रामों, के पहाड़ों में अब तक की गई चेजा पत्थर लीज की प्लॉटिंग मय नक्शा, नम्बर एवं नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त चेजा पत्थर खदानों में बारूदी विस्फोट से पत्थर तोड़े जाते हैं? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को किन-किन शर्तों पर और किस श्रेणी का विस्फोट करने की स्वीकृति दी हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

(4) क्या जिन व्यक्तियों को स्वीकृति नहीं दी गई है और विस्फोटक सामग्री काम में ले रहे हैं उन लीजधारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां, तहसील आमेर के ग्राम सुन्दरपुरा, बीलपुर, सिरोही, अरणिया और पीलवा के पहाड़ों को छोड़कर शेष स्थानों के पहाड़ों पर चेजा पत्थर की लीज़ें स्वीकृत की गई है जिनका विवरण अनेक्सचर 1 पर अंकित है।

(2) जी हां, विचाराधीन आवेदन पत्रों का विवरण अनेक्सचर-2 पर अंकित है-। उक्त प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में अंकित ग्रामों को छोड़कर शेष ग्रामों के पहाड़ों में दी गई चेजा पत्थर की लीजों का मानचित्र मय एम एल नम्बर अनेक्सचर 3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। खानों में विस्फोट करने की स्वीकृति भारत सरकार के खान सुरक्षा विभाग द्वारा दी जाती है जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

(4) विस्फोटकों के अवैध उपयोग बाबत जिला प्रशासन जयपुर को निर्देश दे दिये गये हैं।

(विवरण/मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

पंचायत क्षेत्र शेरगढ़ (बारां) में अवैध खनन

254. **श्री मदन दिलावर (अटरू)** : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बारां की कनोटीया, कटावर, बडोरा व शेरगढ़ पंचायत क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा पत्थर निकालने हेतु कहां-कहां लीज पर दी हुई है? लीज होल्डर का नाम व पता और लीज किस को कब से दी हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त लीजधारी वहीं नियत स्थान पर खनन कर रहे हैं?

(3) उक्त क्षेत्र में कौन-कौन लोग अवैध खनन कर रहे हैं तथा अवैध खनन का क्या-क्या माप है? अवैध खननकर्त्ताओं के नाम व पते का विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बारां जिले के शेरगढ़ पंचायत क्षेत्र में केवल एक खननपट्टा विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है शेष पंचायत क्षेत्रों में कोई खननपट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है। शेरगढ़ क्षेत्र में एक खननपट्टा वास्ते खनिज सैण्डस्टोन निकट ग्राम शेरगढ़ में 7200 वर्गमीटर क्षेत्र पर दिनांक 10.8.1993 से 10 वर्ष की अवधि के लिये श्री महबूब अहमद आ. श्री इब्राहिम निवासी नयागांव नीमथूर को स्वीकृत है।

(2) जी हां। उक्त खननपट्टाधारी श्री महबूत अहमद आ. श्री इब्राहिम नियत स्थान पर कार्यरत हैं।

(3) शेरगढ़ पंचायत में परवन नदी में अवैध खनन की जांच करने पर पाया गया

(राज्य मंत्री, खनिज)

कि उक्त स्वीकृत खननपट्टा क्षेत्र के पश्चिम की ओर 4 अलग-अलग पीटों में अवैध खनन होना पाया गया है। मौके पर मिली जानकारी के अनुसार यह अवैध खनन श्री हनीफ पुत्र वहीद खां निवासी उम्मेदपुरा तहसील छीपा बड़ोद जिला बारां द्वारा करवाया जाना बताया गया है। मौके पर 4 पीटों के माप इस प्रकार हैं :—

1. 8×7×1.5 घनमीटर
2. 25×5×1. घनमीटर
3. 16×10.5×2 घनमीटर
4. 15×5×.03 घनमीटर

उपरोक्त अवैध खनन का मौका पंचनामा बनाया जाकर थाना मोटरपुर तह. अटरू में प्राथमिकी उक्त अवैध खननकर्ता के विरुद्ध दर्ज करवाई गई।

खदानों में विस्फोटों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्षति

255. **श्री कालूलाल खोईवाल** (गंगरार) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास के क्षेत्रों में बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री चन्देरिया द्वारा खदानों से पत्थर निकालने हेतु विस्फोटक सामग्री का प्रयोग किया जाता है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि विस्फोटक सामग्री के उपयोग से हो रही कम्पन से आस-पास के क्षेत्र में बने मकानों एवं चित्तौड़गढ़ दुर्ग और अनेक स्मारकों की दीवारों में दरारें आ गई हैं? क्या उक्त भवनों/स्मारकों को कम्पन से खतरा उत्पन्न हो गया है?

(3) क्या सरकार उक्त स्मारकों के बचाव हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक।

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, विस्फोटक सामग्री का प्रयोग सन् 1994 में खनन कार्य आरम्भ करने की तिथि से निरन्तर दिया जा रहा है।

(2) जी नहीं। उक्त क्षेत्र के भवनों/स्मारकों में कम्पन्न से कोई खतरा नहीं है।

(3) जी नहीं। जैसा कि ऊपर बताया गया है. कि जब विस्फोटों के उपयोग से किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है तो किसी प्रकार के बचाव कार्य का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला पाली में दर्ज प्रकरणों का निस्तारण

256. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में जिला पाली में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार से संबंधित कितने मुकदमें दर्ज हुये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री आत्माराम मेघवाल)

(2) उक्त में से कितने मुकदमों में चालान पेश किये गये और कितने मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट दी गई?

उत्तर

(1) पाली जिले में गत वर्षों (वर्ष 1995 से 29 फरवरी, 2000 तक) में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार संबंधी 1112 प्रकरण दर्ज हुए। जिनका वर्षवार व शीर्षकवार विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) दर्ज 1112 मुकदमों में से 575 अभियोगों में चालान पेश किये और 527 प्रकरणों में अन्तिम रिपोर्ट दी गई है। शेष अन्य 10 प्रकरण अभी अन्वेषणाधीन है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

फलौदी (जोधपुर) में दर्ज साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण

257. **श्री अमराराम (धोद)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 20 दिसम्बर, 1999 को फलौदी में सांप्रदायिक दंगों के दौरान जन-धन की हानि हुई? यदि हां, तो कितनी? अब तक कितने लोगों को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया तथा कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी?

(2) उक्त तिथि को सांप्रदायिक दंगों के दौरान कितने बैलों/बछड़ों को रेलगाड़ी से व्यापारियों के कब्जे से छुड़ाया गया?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 20.12.99 को फलौदी दंगों के दौरान जन हानि में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई एवं 26 व्यक्ति घायल हुए। जिला प्रशासन जोधपुर के सर्वेक्षण के अनुसार 6 लाख 32 हजार 500 रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई अब तक 88 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 8 को अभि. सं. 283/99 दिनांक 20.12.99 धारा 147 से 149, 436, 427, 379, 323 भा.द.स. थाना फलौदी में, 52 को अ.सं. 84/99 दि. 20.12.99 धारा 147 से 149, 332, 353, 307, 336, 436, 323, 324, भा.द.सं. व 3/7 आर्म्स एक्ट थाना फलौदी में, 18 को अ.सं. 152/99 दि. 21.12.99 धारा 379, 336, 435, 147, 148, 149 भा.द.सं. एवं 145, 147, 151 रेल्वे एक्ट थाना जी.आर.पी. जोधपुर एवं 10 व्यक्तियोंको अ.सं. 153/99 दि. 21.12.1999 धारा 147, 148, 149, 302 भा.द.सं. जी.आर.पी. जोधपुर में गिरफ्तार किया गया है। घटना के संबंध में उक्त अंकितानुसार 4 अभियोग दर्ज हुए हैं।

(2) माल गाड़ी के डिब्बों में कुल 1584 बछड़े भरे हुए थे, जिनको उपद्रवी भीड़ द्वारा निकाल दिया गया।

जिला पाली के थानों में दर्ज आपराधिक प्रकरण

258. **श्री केसाराम चौधरी (खारची)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली में कितने पुलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक,

(श्री केसाराम चौधरी)

हैड कान्सटेबिल, कान्सटेबिल के पद थानों में कब से रिक्त पड़े हैं? थानावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पदों पर पद स्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं हो, तो क्यों?

(3) उक्त जिले में कौन-कौन थानाधिकारी कब से कार्यरत है? नाम सहित थानावार सूची सदन क मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में लूट, डकैती, चोरी, गबन, कत्ल व बलात्कार के कितने मुकदमें वर्ष 1999-2000 में पंजीकृत हुये हैं। व कितने मुकदमों में चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है? गत तीन वर्षों का थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला पाली के पुलिस थानों में कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक रिक्त पदों का पदवार एवं थानावार विवरण परिशिष्ट-"क" में संलग्न है।

(2) वर्तमान में जिला पाली के थानों में पुलिस निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक के कोई पद रिक्त नहीं है। जिला पाली के थानों में पड़े मुख्य आरक्षी एवं सहायक उपनिरीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में जिला पाली में 75 आरक्षियों के पद रिक्त है। भर्ती एवं सेवानिवृति निरन्तर प्रक्रिया है। वर्तमान में प्रमोशन कार्डर कोर्स कराया जा रहा है, तथा भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है यथा संभव पदों की पूर्ति की जावेगी।

(3) पाली जिले के थानों में पदस्थापित थानाधिकारियों की सूची थानेवार परिशिष्ट-"ख" में संलग्न है।

(4) पाली जिले में वर्ष 97, 98, 99 व फरवरी, 2000 तक लूट, डकैती, चोरी, कत्ल, गबन व बलात्कार के दर्ज अभियोगों की थानेवार, शीर्षकवार एवं निस्तारण की सूची परिशिष्ट-"ग" में संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पुलिस थाना जैतारण (पाली) में दर्ज मुकदमा नं. 149/99

259. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या पुलिस थाना जैतारण (पाली) में मुस्तगीस श्री डूंगाराम जाट द्वारा मुकदमा नं. 149/99 धारा 307 भा.द.सं. में पंजीबद्ध करवाया गया था? यदि हां, तो प्रथम सूचना एवं मेडीकल रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मुकदमें के अनुसंधान अधिकारी द्वारा जांच के दौरान गंभीर चौटे पाई जाने तथा गवाहों के बयानों के बावजूद भी उक्त मुकदमे में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है? यदि हां, तो गवाहों के बयानों एवं अन्तिम रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मुकदमें में फरियादी श्री डूंगाराम जाट द्वारा जांच अन्य अधिकारी से करवाने की रिपोर्ट पर जांच बदलकर अन्य अधिकारी को दी गई? यदि हां, तो

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

उक्त मुकदमें में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चालान किस आधार पर किया गया? चालान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) पुलिस उप अधीक्षक जैतारण द्वारा उक्त मुकदमे में अन्तिम प्रतिवेदन किस आधार पर दिया गया तथा बाद में अन्य अधिकारी द्वारा चालान किये जाने में विरोधाभास क्यों आया?

उत्तर

(1) जी हां, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-"ख" एवं मेडिकल रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-"क" एवं "क-1" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त अभियोग के अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुस्तगीस डूंगाराम एवं अन्य मजरूब गोपाराम की चोटों का डाक्टरी मुआयना करवाने पर चोटें साधारण प्रकृति की पाई गई है यह सही नहीं है कि अभियोग में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है अपितु, अभियोग में मुलजिमानों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 447, 427, 323/34 भा.द.स. में दिनांक 2.7.99 को चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

(3) जी नहीं। न तो फरियादी डूंगा राम ने अनुसंधान बदलवाने हेतु कोई परिवाद पेश किया और न ही उच्च अधिकारियों को इस संबंध में कोई परिवाद प्राप्त हुआ। अभियोग का प्रारम्भिक अनुसंधान उप अधीक्षक पुलिस वृत्त जैतारण द्वारा किया जाकर पत्रावली पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में नतीजा एफ.आर. अदम वकु नाकाबिल दस्तांदाजी पुलिस 323 भादस में प्रस्तावित किया गया। पुलिस अधीक्षक, पाली द्वारा पत्रावली के अवलोकन करने पर प्रकरण में चालान योग्य साक्ष्य अवलोकित होने पर अनुसंधान सत्यापन करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला पाली को पत्रावली सुपर्द की गई, जिनके द्वारा अनुसंधान से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 306 भादस 3(1) (10) एससी/एसटी एक्ट का प्रमाणित नहीं पाया गया व धारा 447, 427, 323, -34 भा.द.सं. के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग में मुलजिमानों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया चालान की प्रति परिशिष्ट-"ग" पर संलग्न है।

(4) उपरोक्त अभियोग में प्रारम्भिक अनुसंधान उप अधीक्षक पुलिस वृत्त जैतारण के द्वारा किया गया जिनके द्वारा अपने विवेक से अनुसंधान के आधार पर धारा 307 भा.द.स. व 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट का अपराध प्रमाणित नहीं पाया गया बल्कि उन्होंने धारा 323 भादस नाकाबिल पुलिस दस्तनदाजी प्रमाणित माना एवं अंतिम प्रतिवेदन नाकाबिल दस्तनदाजी पुलिस की अनुशंसा की। अग्रिम अनुसंधानकर्ता अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने अनुसंधान के आधार पर धारा 447,427, 323,-34 भा.द.स. के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित माना एवं चालान की अनुशंसा की इन्होंने भी धारा 307 भा.द.स. एवं 3 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित नहीं माना। जिला पुलिस अधीक्षक पाली ने अनुसंधान पत्रावली पर संग्रहित साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात् धारा 447, 427, 323-34, भा.द.सं. में चालान के आदेश दिये।

(मेडिकल रिपोर्ट/चालान की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पुलिस मुख्यालय में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मी

260. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू) एवं डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नार्म्स के विपरीत पुलिस मुख्यालय में कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक व वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक के पदों पर पदोन्नत कई कर्मचारी 20-25 वर्षों से लगातार मुख्यालय की ही विभिन्न शाखाओं में पद स्थापित हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि फोर्स ब्रांच में तीन वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रखने के आदेशों के उपरान्त भी उक्त कर्मचारियों की दो-दो पदोन्नतियों के पश्चात् भी मुख्यालय के बाहर स्थानान्तरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त अनियमितता हेतु कौन जिम्मेदार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें तथा इनका अब कब तक मुख्यालय से दूसरी जगह पदस्थापन कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पुलिस मुख्यालय में ही प्रथम नियुक्ति से वर्ष 1980-85 से लगातार कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक/कार्यालय सहायक के पदों पर पदोन्नतियां प्राप्त करने के पश्चात् भी वहीं की विभिन्न शाखाओं में तथा पदस्थापित कर्मियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा ऐसे नोर्म्स नहीं बनाये गये हैं, जिसमें पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं में किसी व्यक्ति को 20-25 वर्ष से अधिक पदस्थापन पर प्रतिबन्ध हो। पुलिस मुख्यालय रेंज के क. लि. व व.लि. पद के कर्मचारी पुलिस मुख्यालय रेंज में ही पदस्थापित किया जाना अनिवार्य है क्योंकि यह क्लोज केडर है। कार्यालय सहायक व कार्यालय अधीक्षक पद के कर्मचारी का ओपन केडर होने के कारण अन्यत्र स्थानान्तरण किये जा सकते हैं।

(2) फोर्स ब्रांच में 3 वर्ष से अधिक पदस्थापन रखे जाने पर प्रतिबन्ध संबंधी कोई राज्यादेश नहीं है।

(3) पुलिस मुख्यालय में वर्ष 1980-85 से लगातार पदस्थापित कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक/कार्यालय सहायक के पदों पर पदोन्नति प्राप्त पदस्थापित कर्मियों की सूची परिशिष्ट-"क" पर मुताबिक प्रोफार्मा संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

पुलिस थाना पल्लू (हनुमानगढ़) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 64/99

261. **श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री भूराराम पुत्र कालूराम व बृजलाल पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन न्योलखी तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ के विरुद्ध सरकारी भूमि हड़पने बाबत जरिए इस्तगासा श्री देवकरण पुत्र श्री मनफूलराम, निवासी ग्राम न्योलखी द्वारा पुलिस थाना पल्लू (जिला हनुमानगढ़) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 64/99 दिनांक 9-9-99 को दर्ज की गई है? यदि हां, तो क्या?

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(2) उक्त प्रकरण में अब तक जांच की क्या प्रगति है?

(3) क्या उक्त प्रकरण की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करवाने के निर्देश संभागीय आयुक्त बीकानेर से प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

(4) उक्त प्रकरण में राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा क्या किसी प्रकार के निर्देश प्राप्त हुये हैं? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) श्री देवकरण पुत्र मनफूल राम द्वारा एक इस्तगासा धारा 156(3) भादस के अन्तर्गत श्री भूराराम पुत्र कालूराम व बृजलाल पुत्र भूराराम के विरुद्ध सरकारी भूमि हड़पने बाबत थाना पल्लू पर भिजवाया जिस पर अ.सं. 64/69 धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.सं. में दिनांक 9.9.99 को दर्ज किया गया। अभियोग के तथ्य इस प्रकार है कि "अभियुक्त भूराराम ने दिनांक 11.1.72 को भू-प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर केम्प झेदासर में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नं. 297 की 20 बीघा ख.नं. 298 की 5 बीघा व ख. नं. 303 की चालीस बीघा भूमि पर सम्वत् 2012 से लगातार उसकी कब्जा कास्त है, जिसकी ताईद में बृजलाल ने बयान दिये तथा संवत् 2012 की नकल गिरदावरी काश्त भूराराम की ख. नं. 297 की 10 बीघा को कांट-छांट कर 20 बीघा तथा ख. नं. 303 की 10 बीघा को कांट-छांट 40 बीघा करके प्रार्थना पत्र के साथ श्री बालकृष्ण तत्कालीन थानाधिकारी पल्लू को पेश की इस प्रकार 40 बीघा सरकारी भूमि हड़प करने की साजिश रची। इसी प्रकार जमाबन्दी 2016 की भी फर्जी नकल पेश की गई।"

(2) उक्त प्रकरण के संबंध में गवाहों के बयान लिए गये तथा रिकार्ड प्राप्त किया गया। अनुसंधान के आधार पर अभियुक्त भूराराम व बृजलाल के खिलाफ जुर्म धारा 420, 467, 468, 471 आई.पी.सी. प्रमाणित पाया गया। अनुसंधान के दौरान दि. 11.1.2000 को पत्रावली उप महानिरीक्षक पुलिस, रेंज बीकानेर द्वारा मंगवाकर अवलोकन किया गया तथा अभियुक्तणों को तुरन्त गिरफ्तार कर शीघ्र चालान पेश करने के आदेश देकर पत्रावली थानाधिकारी पल्लू को लौटा दी गई। दोनों अभियुक्तों की सेंशन कोर्ट व हाईकोर्ट जोधपुर से अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है। दि. 22.2.2000 को अभियुक्त भूराराम को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा बृजलाल की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

(3) उक्त प्रकरण की जांच किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करवाई जाकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश सम्भागीय आयुक्त बीकानेर ने उप महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर को दिये थे। जिस पर पुलिस उप महानिरीक्षक बीकानेर रेंज ने अभियोग पत्रावली मंगवाकर परीक्षण किया। अभियोग में अभियुक्त भूराराम एवं बृजलाल के विरुद्ध अपराध घठित होने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर पत्रावली पुलिस अधीक्षक जिला हनुमानगढ़ को लौटाकर दोनों अभियुक्तगणों को तुरन्त

(गृह मंत्री)

गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश करने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

(4) जी हां, राजस्व विभाग ने सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर को भू-प्रबन्ध विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की मदद से 123 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की है, उनके विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही की जाकर दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं।

दाता स्टोन क्रेसर चन्दवाजी (जयपुर) से वसूली

262. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि वन क्षेत्र के पहाड़ों से घर बनाने के लिये चेजा पत्थर लाने वाले ऊंट गाड़ी और ट्रेक्टर ट्रोलियों को विभाग के कर्मियों द्वारा पकड़ा गया और उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है? यदि हां, तो जुर्माना क्या लिया जाता है? इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा निश्चित किये गये मानदण्ड/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वन क्षेत्र के ग्राम सुन्दरपुरा, सुन्दर का बास बीलपुर और सीरोही (जयपुर) के पहाड़ों से चेजा पत्थर उठवाकर "दाता स्टोन" क्रेसर चन्दवाजी (आमेर) जयपुर द्वारा रोडी बेच दी गई है?

(3) क्या उक्त क्रेसर कम्पनी के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही वन विभाग द्वारा की गई है? क्या उक्त कम्पनी वालों से जुर्माना वसूल किया गया है? यदि हां, तो कितना और कब-कब वसूल किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और इसमें किस अधिकारी की लापरवाही रही? क्या सरकार उक्त प्रकरण में लापरवाही करने या शिथिलता बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार वन क्षेत्र से उठाये गये उक्त चेजा पत्थरों की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अधिकार धारकों जिनके अधिकार संबंधित वन क्षेत्र के लिए अनुज्ञेय/स्वीकार किये गये हैं उनके द्वारा चेजा पत्थर निकासी हेतु राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2000 में परिपत्र जारी किया गया है। (प्रति संलग्न है) जिसके अनुसार अधिकार धारको के घरेलू उपयोग हेतु चेजा पत्थर हाथों से उठाकर बैलगाड़ी अथवा ऊंटगाड़ी से निकासी की जा सकेगी परन्तु इसके लिए संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी/नाकेदार से आवेदन कर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे अनुमति प्राप्त प्रकरणों के अतिरिक्त वन क्षेत्रों से चेजा पत्थर की निकासी अवैध है। ऐसे प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही कर प्रकरणों दर्ज कर एवजाना वसूल किया जाता है। जिसका निर्धारण राज्य सरकार के आदेश

(राज्य मंत्री, वन)

क्रमांक एफ-2 (20) राजस्व / 8 / 79 दि. 26.10.1986 के अनुसार किया जाता है। (प्रति संलग्न है)।

(2) ग्राम सुन्दरपुरा, सुन्दर का बास, बीलपुर और सिरोही तह. आमेर के राजस्व क्षेत्रों में 21 विधिवत लीजधारक चेजा पत्थर की खाने है। जिनसे क्षेत्र में स्थित क्रेसर को पत्थर सप्लाई किया जाता है। लीज से पत्थर निकालने की आड में यदा कदा लीजधारकों एवं अन्य लोगों द्वारा निकटवर्ती वन क्षेत्रों से भी चोरी छूपे अवैध खनन कर चेजा पत्थर निकासी की घटनाएं घटित हुई है। इस अवैध निकासी पर विभाग द्वारा नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। वर्ष 97-98 से अब तक इस क्षेत्र में वन क्षेत्रों से अवैध खनन/निकासी के कुल 46 प्रकरण दर्ज कर 1,44,510.00 रुपये एवजाना वसूल किया गया है।

(3) दाता स्टोन क्रेसर चन्दवाजी वन क्षेत्र में नहीं आता है यह राजस्व भूमि पर लगा हुआ है। अतः इसके विरुद्ध वन विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती।

(4) अवैध चेजा पत्थर खनन/निकासी रोकथाम करने तथा अवैध-खनन करने वालों के विरुद्ध समय-समय पर प्रकरण दर्ज कर समुचित कार्यवाही की गई है। अतः ऐसी कोई जांच करवाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

रामगढ़ (बून्दी) वन्य जीव अभ्यारण्य सीमा में स्वीकृत खनन पट्टे

263. **श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य (बून्दी) की सीमा में तथा इसके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये खनन पट्टों की जानकारी विभाग को है? यदि हां, तो खनिज लीज संख्या सहित खनन पट्टाधारक के ग्रामवार नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खनन लीजों में से अभ्यारण सीमा में तथा अभ्यारण्य सीमा के बाहर कितने मीटर पर कौनसी खनन लीज है? सही नाप सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अभ्यारण एवं अभ्यारण्य के वन्य जीवों के स्वतंत्र विचरण को प्रभावित करने वाले खनन पट्टों की जानकारी विभाग को होने के उपरान्त भी उनको निरस्त करवाने के लिये कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों तथा खनन लीज स्वीकृत होने पर भी कार्यवाही नहीं करने के लिये कौन उत्तरदायी है?

(4) क्या सरकार राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रभाव में आने के उपरान्त स्वीकृत खनन पट्टों की निरस्ती बाबत कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घासीलाल मेघवाल)

(5) क्या स्वीकृत खनन लीज के लिये विभाग के अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो किस तारीख को? अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अभ्यारण्य की सीमा के अन्दर स्थित 6 खानों की सूची परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दी गई है। किन्तु ये 6 खानें अभ्यारण्य में स्थित वन क्षेत्र से बाहर है।

(2) उक्त खनन लीजों में से समस्त 6 खानें अभ्यारण्य सीमा में है एवं अभ्यारण्य की सीमा से बाहर कोई खनन लीज नहीं है। अभ्यारण्य की सीमा के अन्दर व वन सीमा से बाहर स्थित "6" खनन लीजों संबंधित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-2)

(3) उप वन संरक्षक, वन्य जीव, कोटा ने अपने पत्र दिनांक 2.4.91, 6.8.93 एवं 27.6.96 द्वारा खनिज लीजों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु खनिज अभियन्ता द्वितीय बूंदी को निवेदन कर दिया है।

(4) वन संरक्षण अधिनियम 1980 वन भूमि के लिये प्रभावी है। चूंकि खनन वन भूमि में नहीं है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(5) जी नहीं। वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा इन स्वीकृत लीजों के संबंध में कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

डेजर्ट नेशनल पार्क के वन्य जीव

264. **श्री अमीन ख़ान (शिव)** : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) डेजर्ट नेशनल पार्क में कितनी किस्म के जानवर व पक्षी हैं और उनकी सुरक्षा किस प्रकार की जा रही है?

(2) डेजर्ट नेशनल पार्क में हिरण, स्याल, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश की कितनी संख्या है?

(3) डेजर्ट नेशनल पार्क में मोर, गोडावण, तिलोर, तीतरों की कितनी संख्या है?

उत्तर

(1) डेजर्ट नेशनल पार्क में सौ से अधिक पक्षियों की प्रजाति है जिसमें गोडावण मुख्य है। तथा जानवरों में मुख्यतः चिंकारा, मरू, बिल्ली, भारतीय लोमडी, मरू लोमड़ी, खरगोश, झाउ चूहा, जरबिल आदि पाये जाते है तथा सरीसृप में मुख्यतः साण्डा, क्रेट, वाईपर आदि पाये जाते हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 104 वर्ग किमी. क्षेत्र में क्लोजर, टांके व गलजर बनाये गये हैं तथा पन्द्रह जगहों पर सुरक्षा चौकियां निर्मित कर 37 वनरक्षक, 3 सहायक वनपाल 8 वनपाल का स्टाफ तैनात किया हुआ है। विभागीय 10 ऊंटों की सहायता से क्षेत्र में गश्त की जाती है, इस क्षेत्र में अवैध शिकार चौकसी एवं रोकथाम हेतु जैसलमेर सुदासरी, फूलिया, म्याजलार, सम पर वायरलेस सेट लगाये हुए है एवं बंधडा मनिहारी, ढगारी, गश्ती दल व मुख्यालय पर कुल मिलाकर 6 हेण्डसेट स्थायी इस्तेमाल में लिये जा रहे हैं।

(राज्य मंत्री, वन)

(2) डेजर्ट नेशनल पार्क अभ्यारण में वन्य जीव गणना 1999 के अनुसार हिरण (चिंकारा)-2115, सियाल-शून्य, मरू बिल्ली-26, लोमड़ी-134, खरगोश-151 पाये गये हैं।

(3) डेजर्ट नेशनल पार्क में वन्य जीव गणना 1999 के अनुसार गणना किये गये क्षेत्र में मोर-382, गोडावर-94, तिलोर-49, तीतर-94 की संख्या में पाये गये हैं।

विधान सभा क्षेत्र खारची में नियंत्रित मूल्य की दुकानों को आवंटित कैरोसीन

265. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य सरकार द्वारा राज्य में नियंत्रित वस्तुओं की वितरण व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है? वितरण प्रणाली के विवरण सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र खारची में कैरोसीन वितरण हेतु कितने हौलसेल विक्रेता नियुक्त किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में कुल कितने लीटर कैरोसीन हौलसेल विक्रेताओं को आपूर्ति किया गया है? माहवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में नियंत्रित मूल्यों की वस्तुओं की वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को गेहूं, चीनी, चावल एवं कैरोसीन तेल निर्धारित मूल्यों पर वितरण कराया जाता है।

(2) खारची विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में समय-समय पर रोस्टर पद्धति से निम्न थोक विक्रेताओं ने कैरोसीन वितरण कार्य किया है : —

1. मारवाड ऑयल एजेन्सी
2. मोतीलाल मगनलाल, रानी
3. सुरेशकुमार घीसालाल, रानी
4. जयनारायण मोदी एण्ड सन्स, सोजत
5. विक्रय ऑयल स्टोर, जैतारण
6. के. गुमान सिंह एण्ड सन्स, पाली

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त विक्रेताओं को वर्ष 1998-99 एंव 1999-2000 हेतु निम्नांकित मात्रा में कैरोसीन तेल आवंटित किया गया : —

(मात्रा लीटर में)

नाम माह	1998-99	1999-2000
1	2	3
अप्रेल	186240	177560
मई	219630	189300
जून	176510	179645
जुलाई	251320	169420
अगस्त	154700	188635

(खाद्य मंत्री)

1	2	3
सितम्बर	178328	190380
अक्टूबर	178895	194830
नवम्बर	205840	191655
दिसम्बर	217330	194305
जनवरी	184720	191070
फरवरी	172660	190870
मार्च	190525	–

प्रबंध संचालक केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा किये स्थानान्तरण

266. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रबंध संचालक केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सचिवों के स्थानान्तरण/निलम्बन किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस के कहां से कहां व निलम्बन किस आदेश द्वारा?

(2) क्या उक्त सचिव बैंक के कर्मचारी हैं? यदि नहीं, तो प्रबंध संचालक किस नियम/कानून से ऐसा करने में सक्षम है? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? क्या सरकार उक्त स्थानान्तरण/निलंबन निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., अलवर द्वारा आदेश क्रमांक 14100-11 दिनांक 20.1.2000 के द्वारा श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, व्यवस्थापक, इसरोदा ग्राम सेवा सहकारी समिति का सोरखां कलां ग्राम सेवा सहकारी समिति में स्थानान्तरण किया गया है।

(2) जी नहीं। नियमानुसार प्रबन्ध संचालक, केन्द्रीय सहकारी बैंक इस प्रकार से आदेश जारी के लिए सक्षम नहीं हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) उक्त स्थानान्तरण किन परिस्थितियों में किये गये हैं, इस संबंध में पंजीयक, सहकारी समितियां के स्तर से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

जयपुर एवं जोधपुर में प्रस्तावित सहकारी दुकानें

267. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितनी सहकारी दुकानें है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) जयपुर शहर व जोधपुर शहर में कुल कितनी सहकारी दुकानें खोली गई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमराराम चौधरी)

(3) क्या यह सही है कि जयपुर में अधिकांश सहकारी दुकानें बन्द पड़ी हैं? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अगले वित्तीय वर्ष में जयपुर शहर व जोधपुर में और नई सहकारी दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक?

(5) सहकारी दुकानों पर मिलने वाले सामान अधिकांशतः सभी दुकानों पर नहीं मिलते? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. एवं सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों द्वारा कुल 374 सहकारी दुकानें खोली गई है।

(2) जयपुर शहर में 77 एवं जोधपुर शहर में 18 दुकानें खोली गई है।

(3) जी नहीं।

(4) भविष्य में आवश्यकतानुसार दुकानें खोली जा सकती हैं।

(5) जी नहीं।

भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा अकृषि ऋणों में अनियमितता

268. **श्री रामलाल जाट** (बनेड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 जनवरी, 1992 से 31 मार्च, 1993 तक भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ग्राम सेवाओं को सी. सी. लिमिट में, अकृषि ऋण में भारी अनियमितताओं की शिकायत विभिन्न जन प्रतिनिधियों व संगठनों, नाबार्ड एवं शीर्ष बैंक ने की है? यदि हां, तो किन-किन ने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक में दिनांक 30-06-1992 को कोटड़ी लसाडिया, माताजी खेड़ा, बोटड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति में सी. सी. लिमिट खाते चैक से नावें डालकर लोन खाते में जमा किया है? क्या उक्त कार्यवाही नियमानुसार की गई है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? उक्त जिले की ऐसी कितनी सहकारी समितियों में दिनांक 1-1-1992 से 31-3-1993 तक खाद बीज बिना खरीद कर सी.सी. लिमिट खाते को नावें लिखकर अनियमितताएं की गई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बिना खाद-बीज खरीद कर सी.सी. लिमिट की राशि अनियमितता/दुरुपयोग के कारण अन्य मदों में करवाने से ग्राम सेवा सहकारी समितियों को भारी ब्याज का नुकसान हुआ है? यदि हां, तो उक्त जिले में ग्राम सेवा सहकारी समिति अनुसार कितनी हानि हुई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसी भयंकर अनियमितता करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त शिकायतों की जांच करवाकर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन नियमों/कानूनों के

(श्री रामलाल जाट)

अन्तर्गत कब तक कार्यवाही करली जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निम्न जनप्रतिनिधियों, संगठनों, शीर्ष बैंक एवं नाबार्ड ने अपने वैधानिक निरीक्षण प्रतिवेदनों में अनियमिततायें उल्लेखित की है : —

1. अध्यक्ष, राजस्थान बैंक एम्पलाइज यूनियन, शाखा भीलवाड़ा।

2. श्री नानूराम कुमावत, अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. भीलवाड़ा।

3. श्री ओमप्रकाश, उपाध्यक्ष आल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज यूनियन, भीलवाड़ा।

4. अध्यक्ष, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज कांग्रेस।

5. मंत्री, कोऑपरेटिव ऑफिसर एसोसिएशन राजस्थान शाखा भीलवाड़ा।

6. नाबार्ड एवं शीर्ष राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के निरीक्षण प्रतिवेदन।

(2) जी हां। उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं है। जिले की 16 ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा उक्त अनियमितताएं की गई हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) 16 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को रुपये 22,591/- की ब्याज की हानि हुई है। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) पूर्व में की गई जांचों में शिकायतों को साक्ष्य के अभाव में सही नहीं पाया गया था। अब पुनः उक्त अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच आदेश जारी किये गये हैं। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं के चुनाव

269. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में राज्य स्तर की कौन-कौनसी सहकारी संस्था कब-कब से कार्यरत हैं और उनकी हिस्सा पूंजी कितनी-कितनी है?

(2) उक्त सहकारी संस्थाओं की लाभ-हानि की क्या-क्या स्थिति है? संस्थावार अन्तिम तीन वर्ष के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्थाओं के अध्यक्ष व प्रशसक कौन-कौन हैं जो कब से कार्यरत है?

(4) क्या उक्त संस्थाओं के चुनाव होने हैं? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों? गत चुनाव कब-कब हुआ? संस्थावार सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित विवरण परिशिष्ट-"अ" के कॉलम सं. 2 से 4 के अनुसार संलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट-"अ" के कॉलम सं. 5 से 6 के अनुसार संलग्न है।

(3) वांछित विवरण परिशिष्ट-"अ" के कॉलम सं. 7 से 8 के अनुसार संलग्न है।

(4) वांछित विवरण परिशिष्ट-"अ" के कॉलम सं. 9 से 10 के अनुसार संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

विधान सभा क्षेत्र चूरू में राहत कार्य

270 **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति चूरू के अन्तर्गत जनवरी, 1999 से 28 फरवरी, 2000 तक कितने चारा डिपो कहां-कहां खोले गये तथा उनमें कितनी राशि व्यय हुई? उक्त चारा डिपो से कितना चारा क्रय किया गया? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) भैरूका चेरीटेबिल ट्रस्ट द्वारा विधान सभा क्षेत्र चूरू में कितने चारा डिपो खोले गये तथा कितना-कितना चारा किस-किस भाव से क्रय किया गया और कितनी राशि की सब्सीडी प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र चूरू की पंचायत समिति चूरू व स्थानीय विधायक द्वारा कितने अकाल राहत कार्य खोले जाने के प्रस्ताव विगत 6 माह में जिला प्रशासन को प्राप्त हुए? उनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति कब-कब जारी की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला चूरू अकाल राहत परामर्शदात्री समिति में कौन-कौनसी स्वयं सेवी संस्थाओं के किन-किन प्रतिनिधियों को मनोनीत किया गया है? स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नामांकित व्यक्तियों के प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति चूरू के अन्तर्गत एक जनवरी, 99 से 28 फरवरी, 2000 तक 13 चारा डिपो स्वीकृत किये गये जिनमें से 5 चारा डिपो चालू किये गये। चारा परिवहन अनुदान के रूप में 1,43,229 का भुगतान किया गया है। 5 चालू चारा डिपो पर 7433.90 क्विंटल चारा क्रय कर 7405.30 क्विंटल चारा वितरण किया गया। खोले गये चारा डिपो की सूची ग्रामवार सदन की मेज़ पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-"क")

(2) विधान सभा क्षेत्र में भौरूका चेरिटेबिल ट्रस्ट को कुल 4 चारा डिपो स्वीकृत किये गये थे। (चूरू, दूधवारवारा, खींवासर, नाकरासा) इनमें से भौरूका चेरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा केवल चूरू एवं दूधवाखारा चारा डिपो ही चालू किया गया। इन चारा डिपो में रु. 110.00 प्रति क्विंटल की दर से कुल 6806.30 क्विंटल चारा क्रय किया गया। भौरूका चेरिटेबिल ट्रस्ट को चारा परिवहन अनुदान के रूप में रु. 1,43,229 का भुगतान किया गया है।

(सहायता मंत्री)

(3) विधानसभा क्षेत्र चूरू की पंचायत समिति चूरू व स्थानीय विधायक से विगत 6 माह में क्रमशः 165 तथा 62 राहत कार्यों के प्रस्ताव जिला प्रशासन को प्राप्त हुये जिनमें से 41 कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई। (परिशिष्ट-"ख")

(4) जिला चूरू अकाल राहत परामर्शदात्री समिति में निम्नांकित दो स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि का मनोनयन किया गया है : —

1. पारिस्थितिक विकास एवं शिक्षण संस्थान, सुजानगढ़।

2. भौरू का चेरिटेबिल ट्रस्ट, भौरूग्राम स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा अभी तक प्रतिनिधियों को नामांकित नहीं किया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

जिला भीलवाड़ा में औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषण

271. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भीलवाड़ा में कुल कितनी औद्योगिक इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर रखे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कुछ औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र लिए बिना कार्य कर रही हैं? यदि हां, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार को किसी इकाई के संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्यों तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से भीलवाड़ा जिले में 88 औद्योगिक इकाईयों ने प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र उद्योग संचालन हेतु सम्मति पत्र प्राप्त कर रखें हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्तमान में 36 औद्योगिक इकाईयों के पास राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी उद्योग संचालन हेतु सम्मति नहीं है। इनमें से 13 उद्योगों ने सम्मति प्राप्ति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में आवेदन कर दिया है। 7 उद्योग वर्तमान में बन्द हैं। शेष 16 उद्योगों के विरुद्ध राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से सम्मति प्राप्त नहीं करने के कारण जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। इन इकाइयों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) भीलवाड़ा की औद्योगिक इकाइयों से उत्पन्न प्रदूषण के बारे में प्राप्त शिकायतों एवं की जा रही कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

राज्य में अवैध वाहन संचालन का नियमन

272. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा गत दिनों पथ परिवहन निगम की बसों से होने वाले घाटे को कम करने के लिये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जिसमें निगम बस स्टेण्ड के आस-पास निजी बसों के पार्किंग स्थलों को नो-पार्किंग जोन घोषित किये जाने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो उक्त आदेशों का क्रियान्वयन कहां-कहां किया गया है।

(2) क्या सरकार राज्य में संचालित होने वाली विडियोकोच बसों का संचालन नियमानुसार मानती है? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो क्या इनको विधिवत् संचालन करने हेतु कोई नियमों में परिवर्तन का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार विभिन्न मार्गों पर चलने वाले अवैध वाहनों को किन्हीं नियमों के तहत वैध वाहनों के रूप में संचालित करने का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर्स को इस आशय के आदेश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसकी पालना में जिला कलेक्टर बीकानेर, श्री गंगानगर, अलवर, धौलपुर एवं बूंदी ने आदेश प्रसारित किये हैं।

(2) राज्य में विडियोकोच बसों के नाम से कोई अनुज्ञापत्र जारी नहीं किये जाते हैं सम्भवतः यहां विडियोकोच बसों से तात्पर्य ऑल इण्डिया व ऑल राजस्थान कान्ट्रेक्ट कैरीज परमिट के आधार पर चलने वाली बसों से है। इन बसों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 74 एवं 88 के अन्तर्गत कान्ट्रेक्ट कैरीज के परमिट लिये जाते हैं। इन वाहनों का कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर संचालन नियमानुसार है।

(3) जी नहीं, वर्तमान में इस तरह का प्रावधान किये जाने का कोई विचार नहीं है।

ब्यावर-पाटवा मार्ग पर बस सेवा

273. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर आगार द्वारा ब्यावर-पाटवा मार्ग पर निगम की बस पूर्व में संचालित की जाती थी? यदि हां, तो उक्त बस को किन कारणों से बंद किया गया था?

(2) क्या अब निगम द्वारा उक्त बस को पुनः संचालित करने हेतु आदेश प्रसारित किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त बस को अब तक चालू क्यों नहीं किया गया है?

(3) अब उक्त मार्ग पर बस को कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध नहीं होने से संचालन लागत से भी कम आय होने तथा मार्ग से अत्यधिक खराब

(यातायात मंत्री)

होने के कारण इस बस सेवा का संचालन बन्द किया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) वर्तमान में उक्त मार्ग पर पुनः बस सेवा के संचालन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जालौर से पावागढ़ बस संचालन

274. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर व सिरोही की जनता के आवागमन हेतु जालौर, सिरोही से अहमदाबाद, नडीयाद बडोदरा, सूरत सीधी बस सेवा उपलब्ध है?

(2) क्या यह भी सही है कि जालौर से रामसीन, सिरोही, अंबाजी, ईडर मोडासा, लुणावाडा, गोधरा, कालोल, हालोल, पावागढ़ (जिला बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहल) के लिये सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त रूट पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा जालौर से पावागढ़ शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला जालौर व सिरोही की जनता के आवागमन हेतु सीधी बस सेवा उपलब्ध है।

(2) जी हां। जालौर से पावागढ़ वाया, रामसीन, सिरोही, अम्बाजी, ईडर मोडासा, लूणावाडा, गोधरा, कालोल, हालोल होकर सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। यह अन्तरराज्यीय मार्ग है जिस पर गुजरात राज्य के साथ अन्तराज्यीय पारस्परिक करार के अभाव में बस सेवा का संचालन प्रारम्भ किया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

(3) जी हां। राजस्थान व गुजरात राज्यों के मध्य आगामी पारस्परिक परिवहन करार के प्रस्तावों में उक्त बस सेवा को सम्मिलित किया गया है। सहमति उपरान्त संचालन प्रारम्भ किया जा सकेगा।

लाडनूं-नागौर मार्ग पर निजी बस संचालन

275. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं-नागौर के बीच बस मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने बसें चलाने के परमिट ले रखे हैं? यदि हां, तो कितने तथा दोनों ओर से बसें रवाना होने का क्या-क्या समय है?

(2) क्या यह भी सही है कि जितने परमिट ले रखे हैं उतनी बसें नहीं चला रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि निजी बस मालिकों से सांठगांठ करके बसें कम चला रखी हैं जबकि निजी बसें बराबर चल रही है?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(4) उक्त मार्ग पर निजी बसें किस-किस समय दोनों ओर से प्रतिदिन प्रस्थान कर रही हैं?

उत्तर

(1) जी हां। नागौर-लाडनूं मार्ग पर वाहन संचालन के लिए निगम को पांच परमिट स्वीकृत है। दोनों ओर से बसें रवाना होने का समय निम्नानुसार है : —

नागौर-लाडनूं मार्ग		लाडनूं-नागौर मार्ग	
प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान	आगमन
0830	1130	0600	0900
1200	1500	0630	0930
1430	1730	0830	1130
1600	1900	1230	1530
1700	2000	1530	1830

(2) जी हां। इस मार्ग पर निजी वाहनों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक संचालन के कारण पर्याप्त मात्रा में यात्रीभार एवं आय उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान में केवल तीन परिचक्र ही संचालित किये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं। निजी बस मालिकों से सांठ-गांठ की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। निजी बसों के कम किराये तथा प्रतिस्पर्धात्मक संचालन के कारण निगम को पर्याप्त मात्रा में यात्रीभार उपलब्ध नहीं हो रहा है।

(4) इस मार्ग पर निजी बसों के प्रस्थान का समय निम्नानुसार है : —

नागौर से प्रस्थान का समय	लाडनूं से प्रस्थान का समय
6.30 ए.एम.	6.00 ए.एम.
7.15 ए.एम.	7.30 ए.एम.
7.45 ए.एम.	8.00 ए.एम.
9.00 ए.एम.	8.45 ए.एम.
10.45 ए.एम.	8.45 ए.एम.
11.00 ए.एम.	9.30 ए.एम.
11.30 ए.एम.	11.30 ए.एम.
12.30 पी.एम.	1.00 पी.एम.
1.30 पी.एम.	2.30 पी.एम.
2.05 पी.एम.	3.20 पी.एम.
3.00 पी.एम.	4.15 पी.एम.
4.30 पी.एम.	5.00 पी.एम.
4.45 पी.एम.	5.30 पी.एम.
5.45 पी.एम.	5.30 पी.एम.

गोपालपुरा क्रासिंग से बड़ी चौपड़ नगरीय बस सेवा संचालन

276. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या सरकार सवाईमाधोपुर रेल्वे लाइन के साथ वाली 100 फीट सड़क को चौड़ा कर गोपालपुरा क्रासिंग से बाईस गोदाम होते हुए अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट व बड़ी चौपड़ तक नगरीय बस चालू करने का विचार

(श्री उदयसिंह राठौड़)

रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

सवाईमाधोपुर रेलवे लाइन के साथ वाली सड़क को 100 फीड़ चौड़ा करने सम्बन्धी कार्यवाही जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से सम्बन्धित है; मार्ग को 100 फीट चौड़ा करने का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार विधिक प्रक्रिया द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जहां तक गोपालपुरा क्रासिंग से बाईस गोदाम होते हुए अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट व बड़ी चौपड़ तक नगरीय बस चलाने के लिए वर्तमान में ना तो उक्त मार्ग स्वीकृत है और ना ही अभी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही नियमानुसार मार्ग खोलकर सेवाएं चालू करने की कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

जिला पाली के खराब सरकारी वाहनों की मरम्मत

277. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला पाली के विभिन्न सरकारी विभागों में किस-किस श्रेणी के कितने वाहन हैं और उनमें कितने वाहन चालू हालत में एवं कितने कब से बंद हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में किस-किस वाहन की मरम्मत पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला पाली में उपलब्ध वाहनों की श्रेणी, वाहनों के चालू हालत एवं बंद होने के दिनांक संबंधी विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) गत दो वर्षों में वाहनों की मरम्मत पर व्यय की गई राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

भामाशाह कृषि उपज मण्डी कोटा में पदस्थापित सचिव

278. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

अप्रेल, 1999 में भामाशाह कृषि उपज मंडी कोटा में कितने सचिव कार्यरत थे? उक्त सचिवों के क्या-क्या कार्य हैं? इनमें से किस-किस सचिव को किस-किस आदेश से कब-कब क्यों हटाया और इस संबंधी आदेश किस-किस अधिकारी ने जारी किये?

उत्तर

माह अप्रेल, 1999 में एक सचिव श्री जगदीश चन्द्र अग्रवाल कार्यरत थे। श्री अग्रवाल की अवकाश अवधि दिनांक 6.4.99 से श्री हीरालाल तेली, सहायक निदेशक, कोटा को सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभलाया गया था। सचिव प्रभावी नियम 1963 के नियम 43 "ब" में निहित कार्य सम्पादित करते हैं। संभागीय आयुक्त की स्वीकृति से जिला कलेक्टर कोटा ने सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा तथा सहायक निदेशक को अपने आदेश दिनांक

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

4 मई, 1999 से प्रशासनिक आधार पर जयपुर के लिए कार्यमुक्त किया।

ग्राम बेरखंडी (सवाईमाधोपुर) की अपूर्ण सड़क

279. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी समिति ने पंचायत समिति बामनवास के ग्राम बेरखंडी को गोद ले रखा है? यदि हां, तो तब से अब तक इस गांव में कितने-कितने कार्य कराये गये?

(2) क्या यह भी सही है कि गोद लेने वाले गांव को मंडी प्राथमिकता से सड़क द्वारा जोड़ती है? यदि हां, तो क्या इस गांव की अपूर्ण सड़क को पूर्ण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1994-95 में कृषि उपज मण्डी समिति गंगापुरसिटी द्वारा ग्राम बेरखण्डी को गोद लिया गया है। इस गांव में विकास कार्य करवाने हेतु मण्डी समिति द्वारा वर्ष 94-95 एवम् 95-96 में 50,000/- रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से कुल एक लाख रुपये की राशि डी.आर.डी.ए. सवाईमाधोपुर को भिजवाई गई थी। डी.आर.डी.ए. द्वारा उक्त राशि पंचायत समिति बामनवास को वर्ष 98-99 में दी गई एवम् पंचायत समिति द्वारा दिनांक 31.12.99 तक राशि 1,99,973/- रुपये व्यय कर पुलिया का निर्माण कराया गया है।

(2) जी हां। गंगापुर भाड़ोती रोड से बैरखण्डी रोड के निर्माण पर न्यायालय का स्थगन प्रभावी होने से सड़क अपूर्ण है, स्थगन निरस्त होने पर सड़क का निर्माण पूरा किया जा सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र रूपवास की स्वीकृत सड़कें

280. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) कृषि उपज मण्डी को सरकार द्वारा कितनी-कितनी सड़कें किन-किन पंचायत समितियों में इस वर्ष में स्वीकृत की गई है? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में वर्ष 1999-2000 में कृषि उपज मण्डी के माध्यम से कौन-कौनसी सड़कें स्वीकृत की गई हैं? राशि व कृषि उपज मंडीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डियों के अन्तर्गत पंचायत समितिवार सड़कें स्वीकृत नहीं की जाती है। जिलेवार वर्ष 1999-2000 में माह फरवरी, 2000 तक मण्डी निधि से स्वीकृत सड़कों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रूपवास के अन्तर्गत मण्डी निधि से जाटोली सम्पर्क सड़क 10.74 लाख रुपये की स्वीकृत की गई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है : —

(1) श्री सांवर लाल एवं 7 अन्य सदस्यों की ओर से विकास अधिकारी भिनाय द्वारा 60 अध्यापकों की नियम विरुद्ध किये गये स्थानान्तरण के संबंध में।

(2) श्री हरीश कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नावां की सड़कों की दयनीय स्थिति के संबंध में।

(3) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से बूंदी, बारां एवं कोटा जिले में पीलिया रोग के फैलने की संभावना के संबंध में।

(4) डॉ. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से दैनिक भास्कर समाचार पत्र कार्यालय में पुलिस द्वारा धावा बोलकर धक्का-मुक्की किये जाने की कथित घटना के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, जानकारी प्राप्त की जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष : सुनिये आप। जानकारी आने दीजिए उसके बाद में...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मेरे पास है जानकारी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपके पास होने से नहीं। मेरे पास आनी चाहिये।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार को जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से अजमेर के बिरजानन्द स्कूल के दो बच्चों के अपहरण की कथित घटना के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है अतः उस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री सांवर लाल : (व्यवधान) मैं सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार के जवाब की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसमें किसी सदस्य को माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है—क्या उक्त स्थानान्तरण नियम व कानून संगत है ? जी, नहीं। यह मंत्रीजी का जवाब है। विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाकर कार्यवाही की जाएगी। 6 महीने पूरे हो गये, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगर यह सदन इसी प्रकार से आश्वासन दे माननीय मंत्री महोदय किसी सदस्य को और उसकी पालना नहीं हो तो वह बहुत ही चिन्ता की बात है।

(12.08 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह जवाब जो सदस्य को देना है, सरकार वह पहले दे चुकी है। उसके बावजूद अगर कोई एक्शन नहीं हो तो यह 200 विधायकों को यहां पर बुलाना और 200 विधायकों से कानून बनाना, उनको जवाब देना उनकी कोई सार्थकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री सांवर लाल)

मेरा यह जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसमें राज्य सरकार से कोई जानकारी लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने जानकारी मुझे भी अतारांकित सवाल के जवाब में दी है।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो भास्कर कार्यालय के बारे में मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसमें भास्कर कार्यालय से पूरा का पूरा समूह...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से जाकर मिला था। इसमें जवाब की आवश्यकता नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय ने कह दिया। आर्डर, आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : भास्कर का पूरा समूह गृह मंत्रीजी से जाकर रात के एक बजे मिला। गृह मंत्रीजी को बताया कि भारी तादाद में पुलिस बाहर से ताला... (व्यवधान) घुस गयी। बातचीत की ओर यह गृह मंत्रीजी को जानकारी थी। गृह मंत्रीजी ने यह कहा कि पुलिस इनको उठाकर ले गयी है, उनको आधे घण्टे में छोड़ दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। सरकार से जानकारी प्राप्त होने के बाद आप बोलें। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : गृह मंत्रीजी के आदेशों की पालना पुलिस ने नहीं की और जब भास्कर के सारे लोग गृह मंत्रीजी के घर पर जा रहे थे, तो उनको घेर कर रोका और पुलिस भीतर घुस गयी। वहां पर मारपीट की है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप कह चुके न, माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। अखबार पर सीधा आक्रमण पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। मुख्य मंत्रीजी को इस बात की जानकारी थी, उसके बावजूद भी इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बारे में मैं मांग करूंगा कि गृह मंत्रीजी को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए। इससे गम्भीर घटना और कोई नहीं हो सकती कि अखबार के दफ्तर में जाकर पुलिस घुसे और पुलिस उस पर हमला करे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह रंजिशपूर्ण कार्यवाही इसलिए की है कि 26 मार्च, 2000 को भास्कर में 55 लाख रुपये का घोटाला छपा था। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है, अखबार के कार्यालय में घुसकर मारपीट करें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। (व्यवधान) आप बैठिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए संवेदनशील और पारदर्शी सरकार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सरकार से जानकारी प्राप्त की निरस्त तो किया नहीं है। (व्यवधान) आने दो जानकारी, वैसे भी आ जायेगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लोकतंत्र के आधार स्तम्भ पर हमला है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अखबार वालों को दबाना मारपीट करना। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा षड़यंत्र है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते क्या हो? समझ नहीं रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बहुत गम्भीर मामला है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : समाचार पत्र जब तक इस सरकार की भूरी-भूरी प्रशंसा करे...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : इतनी दर्दनाक घटना हो गयी सरकार को अभी तक जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और जिस दिन समाचार पत्र सच्चाईयों को छापने लगे उस दिन...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, यह मूल अधिकारों पर हमला है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है, यह मूल अधिकारों पर हमला है। (व्यवधान) यह हमारे प्रचार स्वातंत्र्य पर हमला है। (व्यवधान) मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दें, इसकी जिम्मेदारी लें। यह मूल अधिकारों पर हमला है। प्रेस पर हमला नहीं है मूल अधिकारों पर हमला है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। यह हमारी मांग है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मूल अधिकारों पर हमला है। संविधान के तहत प्रेस की जो स्वातंत्र्य है उस स्वातंत्र्य पर हमला है, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इसके बारे में सरकार वक्तव्य दे। इसके बारे में सरकार जानकारी दे। माननीय सदस्य ने जो मामला रखा है यह बहुत गम्भीर मामला है। भास्कर कार्यालय हो या पत्रिका कार्यालय हो, मूल अधिकारों पर हमला सहन नहीं किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब दे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट बिराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरी घटना को देखते हुए क्या गृह मंत्रीजी वक्तव्य देना चाहेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय किरोड़ी लालजी, आपके स्थगन प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया, सरकार से जानकारी चाही है। सरकार से जानकारी आने के बाद वापस आपको यहां पर जानकारी दी जायेगी। उस समय चर्चा हो जायेगी।

डा. किरोड़ी लाल : सरकार को रात में ही पूर भास्कर ग्रूप ने जाकर, माननीय

(डा. किरोड़ी लाल)

गृह मंत्रीजी को रात को एक बजे जगाकर यह बता दिया था कि पुलिस भारी तादाद में हमारे दफ्तर में घुसी है।

श्री उपाध्यक्ष : आ जाने दो ना जानकारी।

डा. किरोड़ी लाल : जब हम आपके यहां आ रहे थे तो हम को रास्ते में रोका है। गृह मंत्रीजी के वहां एस. पी. मौजूद था। एस. पी. ने यह कहा था यह गुंडों का अड्डा है, मैं छापा डालूंगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या भास्कर कार्यालय गुंडों का अड्डा है? बताओ।

श्री उपाध्यक्ष : आ जाने दो ना जवाब। सरकार की जानकारी आ जाने दीजिये। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अखबार के बारे में इस प्रकार की बात कही कि भास्कर कार्यालय गुंडों का अड्डा है, यह असहनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बर्दास्त योग्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप से ज्यादा हम भी चिंतित हैं लेकिन जब एक बार प्रक्रिया बता दी गयी है, आप इन्तजार कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम जानना चाहते हैं कि क्या इस तरह के गम्भीर विषय पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ नहीं रहे बात को। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इससे आपको भास्कर में ज्यादा पक्ष नहीं मिलने वाला है।

श्री मदन दिलावर : गुंडों का अड्डा बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जो घटना है उसका न्याय होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप समझने की कोशिश कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह ज़रूरी नहीं है। आप बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जब व्यवस्था दे दी गयी है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए हम भी हामी हैं। आपको ज्यादा कहने से कोई ज्यादा वास्ता नहीं आती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी को खुद को यह कहना चाहिए, कोई वक्तव्य देंगे, गृह मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : मानीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं कि आप के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ? यह कौनसा तरीका है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : प्रेस पर एक तरह से हमला हुआ है, माननीय गृह मंत्रीजी को वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान) हम को प्रोटेक्शन चाहिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैंने जो कुछ कहा है उसको एक लाख बार और कहने की

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

हैसीयत रखता हूं। मैंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता के हामी आपसे ज्यादा हम हैं। आप तो प्रेस का गला घोटने की भी बात करते हैं लेकिन हम नहीं करते हैं।

डा. किरोड़ी लाल : आपसे व्यवस्था चाहिए थी। (व्यवधान) इसमें व्यवस्था क्या है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : काहे की व्यवस्था? किस नियम में व्यवस्था?

डा. किरोड़ी लाल : क्या व्यवस्था दी है आपने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप श्री मुख से फरमा दें।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, काहे की व्यवस्था? व्यवस्था दे दी न अध्यक्षजी ने।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इससे आपको अखबार में ज्यादा कवरेज नहीं मिलने वाला है। आप यह सोंचे कि भास्कर में ज्यादा कवरेज मिल जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार से आने के बाद आप बोलना न। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : 100-150 की तादाद में पुलिस दफ्तर में घुस गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जब भास्कर पर आप लोग हमला कर रहे थे किसी एक पत्र के पक्ष में होकर तब हम भास्कर के लिए भी उतना ही संतुलन रखते थे जितना कि आपने कभी भी नहीं रखा। क्या बात करेंगे भास्कर के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जोशीजी, बिराजिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है, इस पर आपको व्यवस्था देनी चाहिए। यह बताएं क्या भास्कर कार्यालय गुंडों का अड्डा है? यह किस अधिकारी ने कहा है? यह बहुत अपमानजनक है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कल तक आप राजस्थान पत्रिका की पैरवी करने वाले थे आज आप भास्कर की बात कर रहे हैं। जब एक बार कह दिया, व्यवस्था दे दी गयी है तो व्यवस्था का पालन कीजिये, सम्मान कीजिये। जवाब आयेगा तब होगा। व्यवस्था दे दी गयी है। आप सदन का समय बरबाद कर रहे हैं केवल इसलिए कि आपको प्रेस में कवरेज मिले। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सदन में कोई व्यवस्था तो हो, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाओ वे भी बैठ जायेंगे। व्यवस्था तो आप संभालो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह कवरेज के लिए बोल रहे हैं। यह कवरेज के लिए ज्यादा बोलना चाहते हैं। समय नष्ट करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन की अनुमति के बगैर बोले जा रहे हो फिर वो भी बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मालूम है क्या + + + है। यह आपका खुद का + + + है। कानूनी कार्यवाही की जा रही है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह जिस प्रकार का हमला है वह निंदनीय है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दी जा चुकी है। सरकार से जानकारी प्राप्त हो रही है। (व्यवधान) इसके बाद आपको सूचित किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रेस की स्वतंत्रता के यही पक्षधर हैं बाकी कोई नहीं है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह बहुत बड़ी गम्भीर घटना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस पर अध्यक्ष महोदय निर्णय लेकर (व्यवधान) वे दे देंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके कहने से तत्काल सरकार की ओर से तत्काल जवाब दे दिया जाय, कोई पूछताछ नहीं की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप इधर से बोलेंगे तो वो भी बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जब व्यवस्था दे दी गयी है तब पालना क्यों नहीं करते हैं? यह लोग हमारे सदन का समय नष्ट करते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनको तो बैठाओ न आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां तो आप बोलोगे तो वो भी बोलेंगे। आप संयम रखते हो तो वे भी रख लेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम लोग बाद में बोलते हैं यह सत्ता पक्ष के लोग कोई गरिमा रखें न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दोनों तरफ संयम रखना पड़ेगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं सही बोल रहा हूं और सही बोलता रहूंगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्र निवेदन यह है कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए निश्चित रूप से गृह मंत्रीजी को इसके बारे में जो भी वस्तु स्थिति है उसका कम से कम सदन में स्पष्टीकरण आये तो कम से कम विषय को समझने में सुविधा रहती है। अब इतनी बात है, मैं सोचता हूं कि गृह मंत्रीजी स्वयं उठकर कह दें कि आज, कल, जब भी अपनी पूरी जानकारी देना चाहें ताकि कम से कम सदन को यह लगे कि प्रेस की स्वतंत्रता पर यह हमला है या नहीं है। इसको समझने में सब को सुविधा रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : जब अध्यक्ष महोदय स्वयं कह चुके हैं कि सरकार से इस पर जानकारी प्राप्त कर के आपको सूचित किया जायेगा, कोई जरूरी नहीं है गृह मंत्रीजी आपके कहने से वक्तव्य दें। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कोई समय सीमा हो। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : वफादार हैं या नहीं है, यह साबित करना चाहते हैं आप कि भास्कर के लिए आप ही वफादार हैं। आपने राजस्थान पत्रिका की वफादारी कब छोड़ दी?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपकी बात मान रहा हूं, कोई समय सीमा बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमा तो अध्यक्ष महोदय बांध गये ना। अध्यक्ष महोदय कह गये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि यह इतना गम्भीर विषय है कि अगर आज भी चाहें तो गृह मंत्रीजी...

श्री उपाध्यक्ष : चाहे तो I am not stopping him.

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, नहीं। वे खड़े हुए थे, वे बोलना चाहते थे, वे अपनी बात कहना चाहते थे, हम भी उनकी बात सुनना चाहते थे।

श्री उपाध्यक्ष : चाहते थे तो मैं रोक रहा हूं क्या? उन्होंने तो कहा नहीं कि मैं बोलना चाहता हूं। मैं कहां रोक रहा हूं?

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बोल रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि उस व्यवस्था के आधार पर इस सारे तथ्यों की जानकारी में विधान सभा अध्यक्ष महोदय को जल्दी से जल्दी भेज दूंगा और जैसा भी निर्णय होगा उसके आधार पर मैं कार्यवाही करा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बात खतम हो गयी। वही बात है।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री आत्माराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देसूरी के गांवों में सार्वजनिक कुओं को गहरा करने एवं हैण्डपम्प खुदवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की कतिपय अधूरी पड़ी सड़कों पर डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से चूरू जिला मुख्यालय में गंदे पानी के निकास की योजना का कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

(4) डा. रतन लाल जाट, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के गांवों और ढाणियों में पेयजल की भारी किल्लत के सम्बन्ध में।

(6) श्री जीतमल खांट, सदस्य की ओर से जिला बांसवाड़ा में वर्ष, 1992 में हुई

(श्री उपाध्यक्ष)

भूमि आवंटन की जांच अभी तक पूरी नहीं होने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हेमन्त कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दीगोद की पंचायत समिति सांगोद व सुल्तानपुर में पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य की ओर से कोटा बैराज से निकाली गयी राइट मैन कैनाल के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की चार पंचायतों को तहसील बागोड़ा से हटाकर तहसील भीनमाल में शामिल करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में 33 के.वी. एवं 132 के.वी. विद्युत स्टेशनों की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री हीरालाल सहरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की तालाबी नहरों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती सुचित्रा आर्य, सदस्य, की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर के गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री आत्माराम मेघवाल।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट लूंगा।

अभी दो रोज पहले माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि सोने के सक्कों के बारे में जो पहले चर्चा आयी थी उस पर वे सदन को जानकारी दे देंगे जांच करने के बाद।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। जानकारी देंगे। मंत्रीजी देंगे जानकारी, बिराजो आप।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं इतना जानना चाहूंगा इसमें नहीं आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : वो देंगे, आन ए पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन देंगे अभी जानकारी।

श्री शिवनाथ सिंह : ठीक है।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे आसन से पूर्व में, बोलने के लिए व्यवस्था दी गयी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को मैंने 295 में दिया गया था।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरा 295 का नोटिस था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बारह 295 पढ़े जाते हैं। आपका इनसे ज्यादा में होगा इसलिए कल आ जाएगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, 295 में 28 तारीख को दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ तो? आ जायेगा। विधान सभा खतम थोड़े ही हो गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आखिर कब आ जायेगा साहब?

श्री उपाध्यक्ष : आ जायेगा। नम्बर से आ रहा है। जितने दिए हुए हैं उनमें से रोज 12 पढ़े जाते हैं। आपका नम्बर आ जायेगा जब आ जायेगा।

श्री जीतमल खांट : माननीय उपाध्यक्षजी, पूर्व में आसन से मुझे दो मिनट बोलने के लिए व्यवस्था दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समझ रहे हो कि रोज बारह 295 आ रहे हैं। आपका नम्बर आयेगा तब आ जायेगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनका तो बांसवाड़ा का है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बांसवाड़ा कहां पहुंच गये। आप यहीं रहो न।

श्री जीतमल खांट : मुझे टाइम दिया गया है। मुझे दो मिनट बोलने के लिए टाइम दिया गया है।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री उपाध्यक्ष : श्री आत्माराम-(अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

बड़ी सादड़ी की अधूरी सड़कों का डामरीकरण

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

यह कि विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में आज भी कई सड़कें अधूरी हैं जिन पर यदि समय पर डामर नहीं किया गया तो पूर्व में किये गये कार्य की राशि व्यर्थ हो जायेगी। अतः इन निम्नांकित सड़कों का डामर कार्य अति शीघ्र पूर्ण करना आवश्यक है :—

(1) बड़ी सादड़ी से प्रतापगढ़ वाया बोरखेड़ा-गुन्दल पुर-रतीचन्दजी का खेड़ा।

(2) बड़ी सादड़ी विनायका-बिलोट।

(3) खेरमालिया-विनोता-निम्बाहेड़ा।

(4) निकुम्ब-पुनावली-नोगांवा।

(5) डुंगला-फलासियां-फलोदड़ा व बिलोट-ढेलवास।

(6) चिकारड़ा-नोगांवा।

(7) बिलोदा-अनेड से सालेड़ा-भीण्डर।

(8) बड़ी सादड़ी, भूरकिया कलां भूरकिया खुर्द-बिलोट।

यदि इन सड़कों का कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो पूर्व में किया गया सभी कार्य टूट फूट जायेगा एवं इस पर लगी राशि व्यर्थ होने की स्थिति पैदा हो चुकी है।

अतः इस कार्य पर प्राथमिकता से स्वीकृति दे कार्य पूर्ण कराने की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

चूरू जिला मुख्यालय में गन्दे पानी की निकासी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान चूरू जिला मुख्यालय में स्वीकृत गन्दे पानी की निकास योजना पर बार-बार आग्रह करने के बावजूद कार्य प्रारम्भ नहीं होने की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

मैंने पिछले विधान सभा सत्र में तारांकित प्रश्न के माध्यम से ध्यान आकर्षण प्रस्तावों के जरिये व पत्र के माध्यम से स्वायत्त शासन व विभागीय अधिकारियों को आग्रह कर चुका हूं कि चूरू जिला मुख्यालय में गन्दे पानी के निकास हेतु हुड़को के सहयोग से 267 लाख की योजना 31.1.1996 में स्वीकृत हुई थी तथा हुडको ने योजना हेतु नगरपालिका चूरू को स्वीकृत ऋण 238 लाख में से प्रथम किश्त 31.3.96 को 25 लाख रुपये की भेज दी थी जो 13.4.98 को नगरपालिका, चूरू को प्राप्त हो गयी। जिला कलेक्टर, चूरू के निर्देशानुसार उक्त राशि ब्रिज कारपोरेशन, जयपुर को ड्रेनेज निर्माण हेतु 30.5.98 को हस्तान्तरित भी कर दी।

चूंकि ब्रिज कारपोरेशन, जयपुर का कोई भी अधिकारी चूरू में नहीं रहता है। अतः बार-बार आग्रह के पश्चात् भी ब्रिज कारपोरेशन ने ड्रेनेज व पम्प हाउस व नाली निर्माण का काम हाथ में नहीं लिया है।

स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने मुझे कई बार आश्वस्त भी किया कि स्वीकृत योजना पर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जा चुके हैं परन्तु खेद की बात है कि मंत्रीजी के निर्देशों की धज्जियां उड़ रही हैं। चूरू जिला मुख्यालय में गन्दे पानी की निकासी नहीं होने से लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। योजना स्वीकृत है, धनराशि उपलब्ध है। मात्र लालफीताशाही के कारण योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।

अतः मेरा आग्रह है कि इस महती योजना की समीक्षा मंत्रीजी स्वयं करें तथा नोडल अफसर नियुक्त कर निश्चित समयावधि में योजना पूर्ण हो जाए, यह सुनिश्चित करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल जाट।

सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की सड़कों की हालत जर्जर होने तथा अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कई सड़कों की स्थिति दयनीय तथा जर्जर है। इन सड़कों की स्थिति दयनीय हो गयी है कि लोगों का आना जाना भी दुश्वार हो गया है। बीच-बीच में काफी खड्डे हो गये हैं किन्तु इनकी सार संभाल

(डा. रतन लाल जाट)

करने वाला कोई नहीं है। सड़कें खराब होने से आवागमन पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। कई पंचायत मुख्यालयों को सड़क से नहीं जोड़ा गया है और यदि जोड़ भी दिया तो ऐसी सड़कें अपूर्ण हैं जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण सड़कों की सूची निम्नप्रकार है : —

पंचायत समिति सहाड़ा (भीलवाड़ा) की सड़कें:

(1) गाडरी खेड़ा-सिरोही खेड़ा-मछलियास रोड।

(2) सहाड़ा बाई पास कांगणी वाया खाती खेड़ा रोड।

(3) सातलीयास-खांखला रोड।

(4) सालेरा-विजयपुर रोड।

(5) डेलाना गांव से माताजी के मंदिर तक का रोड।

(6) पोटलां मुख्य सड़क से सांवरियाजी के मंदिर का रोड।

(7) सरावास चौराहे से उम्मेदपुरा (गाड़री खेड़ा) रोड।

(8) सरगांव से लक्ष्मीपुरा रोड।

(9) काली मगरी खेडा से गंगापुर रोड।

(10) हरिपुरा से टीपनाडी रोड।

(11) सूरजपुरा से शिवद्वती रोड।

(12) मेधरास से साकरिया रोड।

(13) सहाड़ा-सरगांव रोड।

पंचायत समिति रायपुर (भीलवाड़ा) की सड़कें:

(1) रायपुर से बागोर रोड।

(2) कोशोथल खेमाणा मोखन्दा रोड।

(3) कोशीथल देवरिया-झाडोल रोड।

(4) सम्पर्क सड़क नान्दशा।

(5) बोराणा से जगदीश माराज रोड।

(6) कोशीथल-रायपुर-करोड़ा रोड।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत करावें तथा जो अपूर्ण सड़कें हैं इनको भी शीघ्र पूर्ण करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

डेगाना विधान सभा के गांवों में पेयजल समस्या

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अनेकों गांवों एवं ढाणियों में पेयजल की किल्लत से उत्पन्न स्थिति के बारे में विशेष उल्लेख।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के अनेकों गांवों एवं ढाणियों में पेयजल की भयंकर किल्लत बनी हुई है जिससे ग्रामवासी एवं पशुधन बुरी तरह से ग्रस्त हैं। अब चूंकि गर्मी का

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

मौसम शुरू हो गया है। इस समस्या के विकराल रूप लेने की संभावना है। इस सम्बन्ध में जिले के विभिन्न संबंधित जलदाय विभाग के अधिकारियों को बार-बार लिखा जाकर स्वयं मिलकर इस समस्या के बारे में अवगत कराया जा चुका है परन्तु इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये जिससे इस समस्या का कोई स्थाई हल नहीं निकल सका। पेयजल की समस्या से ग्रस्त गांव एवं ढाणियां निम्न हैं : —

ग्राम रोजोद बामणा खुर्द, बामणा कलां, छरंगों की ढाणी (बूटाटी), चूडियांस, ढकियासर, गुन्दीसर, हिम्मत नगर, रामसरी, तामडौली, केरियारावां, तिलानेस चुंवा, मईयासर, खींवताना, बोफली, सनेडियां, कल्याणपुरा, राईकों की ढाणी (सूरजगढ़), ईदवा, गोल, थाहटा, मीरां दातार (ईदवा), आमली की ढाणी (ईदवा), सारसंडा, गुलाबपुरा, पंडवाला, मेहराना, राजलोता आदि।

अनेक गांव एवं ढाणियां ऐसी हैं जहां कई जगह तो पेयजल का कोई स्रोत नहीं हैं। पानी खारा एवं फ्लोराइड युक्त है तथा कहीं पर आपूर्ति अनियमित है तथा कहीं पर कर्मचारियों की लापरवाही से आपूर्ति प्रभावित रहती है जिससे ग्रामवासी एवं मवेशियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की तरफ से कुछ नये खुदे ट्यूबवैलों की डिमाण्ड नोट की रकम भरी जा चुकी है परन्तु विद्युत विभाग द्वारा अभी तक कनेक्शन जारी नहीं किये गये हैं जिससे इन गांवों को पेयजल की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस प्रकार के गांव हैं—चुंवा, राजलौता, खींवताना आदि। इन ट्यूबवैलों के शीघ्र कनेक्शन करवा कर इन्हें चालू किया जावे। अनेकों जगहों पर हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं जिससे जल वितरण की समस्या बनी हुई है। उन खराब पड़े हैण्ड पम्पों को शीघ्र ठीक करवाया जावे।

अतः मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान इस भयंकर समस्या की ओर आकर्षित कर पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि उपरोक्त गांवों एवं ढाणियों में पेयजल की समस्या का स्थाई समाधान कर आम जनता और मवेशियों को राहत दिलाने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल खांट।

बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1992 में हुई भूमि-आवंटन जांच

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत 8 वर्ष में भी पूरी नहीं हुई भू-आवंटन की जांच के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख।

महोदय, बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1992 में हुई भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में सरकार की ओर से अब तक कोई कारगर कार्यवाही नहीं हो पायी है। 8 वर्ष पुराने इस प्रकरण की प्रारम्भिक जांच के बाद संबंधित महिला उपखण्ड अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र भेजे जाने पर भी मामला अब तक अटका पड़ा हुआ है।

(श्री जीतमल खांट)

तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी के अपने कार्यकाल के दौरान बांसवाड़ा एवं गढ़ी तहसील में माही सिंचित क्षेत्र की कुल 243.25 हैक्टेयर सरकारी भूमि का आवंटन कर दिया। मामले की जांच के बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के लिए आरोप पत्र भेजे जाने पर नियमानुसार कार्यवाही से संबंधित कुछ दस्तावेज एवं रिकार्ड बांसवाड़ा से प्रशासनिक सुधार एवं कार्मिक विभाग को भेजे गये परन्तु कार्यवाही ठण्डे बस्ते में रह गयी।

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग द्वारा जिला कलेक्टर को प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग ने तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा रिकार्ड अवलोकन के लिए अभिलेख सहित स्पष्टीकरण पुनः भेज दिया।

बताया जाता है कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी ने स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान करने एवं मूल रिकार्ड देखने के बाद जवाब प्रस्तुत करने संबंधित पत्र जिला कलेक्टर को 15 अप्रेल, 1997 को प्रस्तुत भी किया गया। आश्चर्य की बात है कि जांच कार्य में जानबूझकर बरती जा रही ढिलाई तथा अधिकारी को बचाने की कोशिशों के दौर में उक्त उपखण्ड अधिकारी को पदोन्नति का लाभ भी मिल गया है।

बांसवाड़ा एवं गढ़ी तहसील क्षेत्र में माही सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सरकारी भूमि (कृषि) का अनियमित आवंटन तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा 15 फरवरी, 1992 से 13 नवम्बर, 1992 के बीच 9 माह के अपने कार्यकाल में किया गया।

कीमती जमीन के फर्जी आवंटन की यह कहानी ऐसी है जो समस्त प्रशासनिक एवं विधायी कार्यवाही को दर किनार कर इसमें मनमानी बरतते हुए अकेल भूमि आवंटन, अपात्र को आवंटन सरकार आबादी भूमि का आवंटन निर्धारित सीमा से अधिक आवंटन गैर कानूनी तरीके अपनाने, कार्यवाही दर्ज किये बिना भूमि आवंटन जैसी गंभीर अनियमितताओं से भरी पड़ी है।

राज्य सरकार को भेजे गये आरोप पत्र से साफ है कि इस मामले में सरकार को अंधेरे में रखा गया। नियम विपरीत सरकारी भूमि का आवंटन कर पूंजीपति लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है, जिसकी निष्पक्ष जांच हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमन्त कुमार।

दीगोद में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र दीगोद (कोटा) में पंचायत समिति सांगोद व सुल्तानपुर है। इन दोनों समितियों के पशु पेयजल हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। मनुष्य के लिए प्रत्येक गांव में सरकार ने हैण्ड पम्प लगा दिये हैं जिससे आम जन को पेयजल सुविधा उपलब्ध हो गयी है। हैण्ड पम्पों की संख्या गांवों में सीमित रहती है। गर्मी के मौसम में हैण्ड पम्पों द्वारा आमजन की आवश्यकता बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। पशुओं के पीने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(श्री हेमन्त कुमार)

परम्परागत साधन तालाब कुएं आदि आज की स्थिति में अपना अस्तित्व खो चुके हैं जिससे पशुओं को पानी पीने की सुविधा मुहैया होती थी। आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि जहां पशुओं के लिए पेयजल की आवश्यकता है वहां हैण्ड पम्प खुदवाकर सिंगल फेज की मोटर लगवा कर पशुओं को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था पंचायतों के माध्यम से शुरू करें।

गर्मी का मौसम प्रारम्भ हो गया है। अतः शीघ्र ही उपरोक्त व्यवस्था कर पशुओं को पानी उपलब्ध करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : रामगोपाल बैरवा (अनुपस्थित)।

श्री रतनाराम चौधरी (अनुपस्थित)। श्री मांगीलाल गरासिया।

गोगुन्दा में 33 के. वी. एवं 132 के. वी. विद्युत स्टेशन की स्थापना

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम, 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में 33 के. वी. एवं 132 के. वी. विद्युत स्टेशनों की स्थापना हेतु। महोदय, विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा जनजाति बहुत एवं पहाड़ी क्षेत्र है जहां की दूर-दूर बिखरी हुई आबादी है। विद्युत के क्षेत्र में गोगुन्दा तहसील पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हुआ है। जहां पर विद्युतीकृत क्षेत्र है वहां पर अधिक भार होने की वजह से बिजली पूरी तरह से मिल नहीं पाती है।

ऐसी स्थिति में मैं ऊर्जा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत कमोल (मादडी छापर) में 33 के. वी. एवं ओवरा कला (गोगुन्दा) में 132 के. वी. विद्युत स्टेशन की स्वीकृति हो चुकी है परन्तु अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। अतः कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ कराने का श्रम करावें ताकि स्थानीय लोगों को फायदा हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल सहरिया (अनुपस्थित)। श्रीमती सुचित्रा आर्य।

नोहर विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पेयजल समस्या

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत पेयजल समस्या बाबत जैसा कि विधान सभा क्षेत्र नोहर के 210 गांवों में से 197 गांव अति भंयकर अकाल की चपेट में हैं, वही तहसील के दर्जनों अभावग्रस्त गांवों सहित पल्लू क्षेत्र के 45 गांव हैं जिनमें पेयजल की गम्भीर समस्या है। गत वर्षों में पेयजल के अभाव में इस क्षेत्र में न जाने कितना पशुधन मौत के मुंह में चला गया है। अकाल के कारण इस वर्ष चारा पानी के अभाव में लोगों ने विशेष तौर से गायों के तिलक लगाकर छोड़ा गया है सो गर्मी के मौसम में इन गांवों में मानव जीवन का पशुधन का जीवन अति दुर्लभ हो जाता है। चूंकि इस क्षेत्र में पिछड़ापन के साथ-साथ रेगिस्तान भी है जिससे दूर दराज से पानी ला पाना बड़ा

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

मुश्किल है। विधान सभा क्षेत्र में जर्मन सहायता प्राप्त "आपणी योजना" के अन्तर्गत 113 गांव सम्मिलित हैं अगर इस योजना को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित किया जाता है तभी जाकर इस समस्या का स्थायी समाधान सम्भव है। पल्लू क्षेत्र के विसरासर, बिजासर, कलासर, धीरदेसर, दूदली, मायला, केलानिया, कुलचासर, लाडम, सिरासर, लाखेरा, मोटेर, उदासर, देवासर, बन्नासर, धणियासर आदि गांव मुख्य तौर से अति विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। इन गांवों के लगभग 10-15 किमी. दूरी तक कोई पेजयल उपलब्ध न होने के कारण जीवन दुर्लभ हो जाता है।

तहसील के कई गांवों में भूमिगत जल मीठा होने के उपरान्त भी वहां हैण्ड पम्प नहीं लगाये जा रहे हैं अगर हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं तो कई गांवों की समस्या का समाधान सम्भव है। राज्य सरकार ने आज तक नोहर तहसील को पाइप उपलब्ध न कराने के कारण कई गांव पेयजल से वंचित हैं जो सौतेला व्यवहार है सो तुरन्त पानी की पाइप उपलब्ध करायी जाए।

रावतसर तहसील में सेम समस्या होने से क्षेत्र के गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जावे ताकि अनेकों बीमारियों से बचा जा सके। पुनः अगर समय रहते राज्य सरकार इस पेयजल जैसी गम्भीर समस्या का समाधान नहीं करेगी तो अभावग्रस्त गांवों में त्राहि-त्राहि मच जाएगी सो अपनी सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि जनता को सबसे पहले पेयजल उपलब्ध कराया जाए। तो "आपणी योजना" स्कीम के जरिये ही स्थायी समाधान सम्भव है तो योजना को इसी सत्र में क्रियान्वित करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल खांट।

बांसवाड़ा जिले में बहुद्देशीय माही बजाज सागर परियोजना

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : उपाध्यक्ष जी, हमारे राजस्थान की सरकार के लोकप्रिय वित्त मंत्री महोदय द्वारा सन् 2000-2001 का जो बजट पत्र पढ़ा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : काहे पर बोल रहे हो? 295 नहीं है यह।

श्री जीतमल खांट : उसी पर, हमारे वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो बजट पढ़ा गया है इस बजट में राजस्थान की विभिन्न परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपया खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख है कि जहां कांग्रेस की सरकार पारदर्शी, जबावदेही और संवेदनशील सरकार होने का दावा पेश कर रही है, जहां स्वर्गीय हरिदेव जोशी के मरने के बाद 1984 के बाद...

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनके स्वर्गवास के पश्चात्, मरने के पश्चात् नहीं।

श्री जीतमल खांट : सॉरी... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आदिवासी आदमी है अपनी भाषा में बोल गया।

श्री जीतमल खांट : आप हमें कहने दीजिये। छोटी मोटी गलती हो तो हमें छोटा मानकर के आप क्षमा करें। हरिदेव जोशी जी के मरने के पश्चात् (व्यवधान) आप सुनिये, जोशी जी के मरने के पश्चात्...

श्री उपाध्यक्ष : आप आगे बढ़ जाओ। जोशी जी को भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ।

श्री जीतमल खांट : यह जो हरिदेव जोशी जी का नाम ले रहा हूं, सम्मानीय मंत्रीजी जो हमारे सामने विराज रहे हैं, आप बुरा न मानें। बांसवाड़ा जिले में बहुद्देशीय परियोजना माही बजाज सागर परियोजना जो हमारे बांसवाड़ा जिले के लिए एक विकास की भागीरथी के रूप में माना गया है, पिछले समय में हमने यह महसूस किया था कि हमारे वित्त मंत्री जी माही के विकास के लिए कुछ बजट हमें देंगे। हम आशा लगाकर के बैठे। हमें पिछली बार भी मात्र दस करोड़ का बजट दिया गया। इस बार जब हमारे वित्त मन्त्री जी ने बजट पेश किया तो सारा का सारा राजस्थान की और छोटी मोटी परियोजना के लिए तो पैसा दिया गया लेकिन बांसवाड़ा जिले की सबसे बड़ी परियोजना माही के ऊपर एक भी रुपया माननीय वित्त मन्त्री जी ने नहीं दिया। हमें आपका बजट पत्र पढ़कर बड़ा दुःख हुआ। पिछले समय में 27 मई, 99 को हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय मानगढ़ की पहाड़ी पर शहीद स्मारक का शिलान्यास करने के लिए पधारे थे। साथ में हमारे पंचायती राज मंत्री भी उस समय मौजूद थे। उन्होंने इस परियोजना को पूरा कराने के लिए पूरा-पूरा आश्वासन दिया था। मैं इस सदन में मांग करता हूं कि इस बहुद्देशीय परियोजना को पूरा कराने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए, हम लोगों को पर्याप्त बजट दिया जाए वर्ना यह अकाल की समस्या है, बार-बार आती रहेगी। और छोटे-मोटे अकाल के माध्यम से आप काम करते रहेंगे। पानी आयेगा तो छोटी-मोटी कच्ची सड़कें पानी में बह जायेंगी, और यही हालत हमारे उस इलाके की जनता के सामने बार-बार आती रहेगी। ऐसी हालत में इस माही की जो बहुत बड़ी योजना है, अगर यह योजना पूरी होती है तो मात्र बांसवाड़ा ही नहीं साथ-साथ में सागवाड़ा का जो काम अधूरा पड़ा हुआ है, वहां की जनता को भी इसका लाभ मिल सकता है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज पूरे बांसवाड़ा जिले में जितना भी दक्षिणी भाग का क्षेत्र है, चाहे कुशलगढ़ हो, चाहे दानपुर हो, चाहे गांगरतलाई का क्षेत्र हो, चाहे आनन्दपुरी का क्षेत्र हो, सारा का सारा, वहां के लोग पलायन करके गुजरात, सूरत और जूनागढ़ आदि स्थानों पर रोजी-रोटी कमाने के लिए निकल गये हैं। उनके बूढ़े मां-बाप रह गये हैं उनके घरों में। बाकी का सारा इलाका सूना पड़ा हुआ है। मैं इस मौके पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज उस इलाके की जनता अपने हाथ में हांडी, गूदड़ी, बांध करके, सारा का सारा ईलाका बड़ा सुनसान है। वहां के लोग अहमदाबाद, जूनागढ़ के ईलाके में खुले आसमान के नीचे अपना जीवन बसर कर रहे हैं। मैं आज इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप जितना भी अकाल के माध्यम से काम चला रहे हैं वह सारा का सारा इस माही पर बजट खर्च करावें, वरना जो अभी छोटी-मोटी अकाल राहत के माध्यम से स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं, सारी की सारी

(श्री जीतमल खांट)

कच्ची सड़कों का काम चलाये जाने का प्रावधान है। कच्ची सड़क पर अभी पानी आयेगा, थोड़े समय के बाद धुल जायेगा और हम ज्यों की त्यों उसी हालत में रहेंगे। मेरा निवेदन है कि अकाल राहत के लिये जितना भी आप बजट दें, जहां भी माही की नहरों का पानी और माही की नहरों के विस्तार होने की सम्भावना है, आप सारा का सारा बजट आई. आर. डी. पी. का छोड़ दीजिए, जीवनधारा के कुएं छोड़ दिये, बाकी छोटी-मोटी कच्ची सड़कों का काम छोड़ दीजिए सारा का सारा बजट माही के नाम पर अकाल के तहत काम करवाइये। आने वाले समय में उस माही का पानी मिलेगा, हमारे गरीब किसान के खेत में पानी आयेगा तो उस गरीब के घर में भी खुशहाली आयेगी।

मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि 6 सौ करोड़ की योजना, 6 सौ करोड़ रुपया अब तक खर्च हो चुका है। आनन्दपुरी, गांगरतलाई क्षेत्र को नहरों के विस्तार के लिये कम से कम साढ़े तीन सौ करोड़ की और जरूरत है। जितना भी सम्भव हो सके आप इस परियोजना को पूरा करने के लिए अपना समय दें अपना धन दें वरना हम 17 साल से इस परियोजना को पूरा कराने के लिए आपसे मांग करते रहे हैं। पूर्व की सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, हम आरोप-प्रत्यारोपों को आप तक नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 17 साल से उपेक्षित जनता का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करा रहे हैं। इस बहुदेशीय परियोजना को पूर्ण कराने का काम अगर आप अपने हाथ में लेते हैं तो, हमारे लिये आने वाला विकास, आने वाला जो गरीबी का नारा देते हैं, हमारे लिये हमेशा-हमेशा के लिए गरीबी का अभिशाप हमसे दूर हो सकता है। ऐसी स्थिति में, माननीय सी. पी. जोशी साहब ने मानगढ़ की पहाड़ी पर बहुत लोकप्रिय भाषण दिया था। मैं आपका भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा ताकि, आप मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी के पास में आप बायें बैठा करते हैं, कम से कम उस बागर इलाके से आप भलीभांति परिचित हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस माही प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमारी अधूरी पड़ी हुई परियोजना लम्बे समय से अन्तिम सांसे गिन रही है, उसको हम नया जीवन दान देने का काम करें और हमारे स्वर्गीय हरिदेव जोशी के सपने को पूरा करने का काम करें ताकि आपको भी आगे कामयाबी हासिल होगी और वहां की जनता आपको खूद याद करेगी। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

शोध कार्य पूर्ण के लिये धर्मान्तरण का दबाव

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में एक छात्रा जिसका नाम निधि शुक्ला है, पिछले ढाई वर्षों से दक्षिणी एशिया अध्ययन केन्द्र में आईल्यु पीकोक के पास शोधरत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ढाई वर्षों से लगातार उसके ऊपर एक दबाव डाला जा रहा है। पीकोक एक ईसाई महिला है जिनकी गाइडेंस में शोध का काम कर रही है। दबाव यह डाला जा रहा है कि आप ईसाई

(श्री मदन दिलावर)

बन जाओ तो तुम्हारा शोध जल्दी पूरा करवा दूंगी और आपको धन भी दूंगी। उसके मना करने के बाद उसको निरन्तर रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और प्रताड़ित इतना किया जा रहा है कि उसको मजबूरन पुलिस स्टेशन जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी। राजस्थान में इस प्रकार की घटना होना और ऐसी पढ़ी लिखी छात्रा के साथ जो शोध कर रही है और ईसाई मशीनरीज ...(व्यवधान) पढ़ना नहीं पड़ता। यह 295 नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जबरदस्त जहां इतने पढ़े-लिखे लोगों पर दबाव डाल करके, प्रलोभन देकर के धर्मान्तरण का काम चलाया जा रहा है और वह मानसिक रूप से इतनी परेशान हो गई है कि, उसके पिता नहीं, जिसके पास ठीक तरह से अपना परिवार चलाने के लिए पैसा नहीं और इस प्रकार का निरन्तर रूप से किया जा रहा है। मेरा इसमें निवेदन है कि इसकी तुरन्त जांच करवाई जाये और ऐसी दोषी प्राचार्या है या प्रोफेसर है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह कोई एक घटना नहीं, अनेक प्रकार की घटनाएं हैं। कोटा में वीर सावरकर कालोनी में सन् 1980 में गरीब लोगों के लिए प्लाट दिये थे। उन गरीब लोगों के प्लाट छीन कर ईसाई मिशनरीज ने अपना चर्च बना लिया और इन गरीब लोगों को कहा कि हम आपको मकान देंगे। उन्होंने कुछ लोगों को मकान के लिए कहा, कुछ को नकद पैसा देने के लिए कहा। उपाध्यक्ष महोदय, इनके कुछ मकान बना दिये गये। अब कहते हैं उनसे कि इनका पैसा दो नहीं तो यह मकान हमारा। और यदि आप मकान रखते हो और पैसा भी नहीं देते हो तो ईसाई बन जाओ। इसलिए कुछ लोगों को वहां गिरजाघर ले गये, चर्च में ले गये और उनको पानी में डुबो कर डुबकियां लगवाई और कहा कि आप ईसाई बन गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वीडियो कैसेट लाया हूं। इसमें किस प्रकार से उनको ईसाई बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जायेगा कि किस प्रकार का षड़यंत्र इस राजस्थान में ईसाई मिशनरीज के द्वारा किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : टेबल कर दो।

श्री मदन दिलावर : मैं आपके आदेश की पालना में मेरा खतम होते ही निश्चित रूप से टेबल कर दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजू नाम का व्यक्ति अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरे को इस प्रकार से प्रताड़ित करके ईसाई बनाने के लिए कहा गया और उसने कहा कि मैं इस प्रलोभन के आधार पर ईसाई बनने वाला नहीं हूं चाहे तो प्लाट भी ले जाइये, मकान भी ले जाइये, लेकिन जो पास में रहते हैं, गुण्डागर्दी के बल पर उसको मारने पर उतारू है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह बहुत बड़ी घटना है। 8-10 लोग हैं इसमें और लगभग 15 परिवारों को इस प्रकार धमकी देकर धर्म परिवर्तित करा चुके हैं। और यही घटना नहीं है, कुछ वर्ष पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इमान्युल स्कूल ने वन विभाग की बहुत बड़ी जमीन हड़पने के लिए कब्रिस्तान बनाया सौभाग्य से ईसाईयों

(श्री मदन दिलावर)

का कोई व्यक्ति नहीं मरा, मरना भी नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने उस कब्रिस्तान में कपड़े के पुतले बना कर जगह-जगह गाड़ दिये और कह दिया यह कब्रिस्तान हमारा हो गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार के रिकार्ड पर है। पुलिस को इसकी सूचना मिली। पुलिस वहां गई। पुलिस ने कब्रिस्तान को खोदा। कब्रिस्तान में कपड़े के पुतले निकले। इस प्रकार का ईसाई मिशनरीज के द्वारा यह षड़यन्त्र जो राजस्थान में किया जा रहा है और निरन्तर लोगों की गरीबी का फायदा उठा कर, उनको लोभ देकर के उनकी अशिक्षा का फायदा उठाकर इस प्रकार से यह षड़यन्त्र चल रहा है। जब से + + + तबसे निरन्तर रूप से राजस्थान में इस प्रकार का जबरदस्त हो गया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आब्जेक्शन करता हूं उपाध्यक्ष महादेय...(व्यवधान) एक्सपंच करिये इसको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : फालतू बात कर रहे हैं। इसको एक्सपंच करिये। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह शब्द वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष : + + + नाम एक्सपंच कर दिया जाये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से नाम लेकर जो इन्होंने लांछन लगाया है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : नाम लिया है इन्होंने। + + + का नाम लिया है...(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : ... (व्यवधान) यह आरोप सरासर गलत है...

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंच कर दिया ना।

श्री रामस्वरूप : यह बड़े + + + की बात है आप लोग नाम लेते हैं इस तरह। + + + का नाम कैसे लिया। अभी हमने कुछ कहा तो हंगामा मचा दिया और यह + + + का नाम लिया है। हम नहीं सुनेंगे इस तरह की बातें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, बिराजिये। प्लीज आप बैठिये। आपने सुना नहीं है। क्या कहा मैंने आपने सुना ही नहीं है। आप बैठिये। आप बैठिये। आपने सुना ही नहीं है। आप बैठिये।

डा. किरोड़ी लाल : यह + + + का नाम लेना ही पसंद नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर...(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : इस हाउस में...(व्यवधान) यह माननीय सदस्य बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज हमने एक्सपंच, माननीय सदस्य, आप बैठिये। आपने सुना ही नहीं है। आप बैठिये। आप बैठिये। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही से निकलवाओ इसको। कार्यवाही से निकलना चाहिये यह। पहले भी इन्होंने कार्यवाही से निकाले के लिये कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आपने सुना ही नहीं है। आप यूं ही बोले जा रहे हैं। आपने सुना ही नहीं है, फालतू बोल रहे हैं। प्लीज, आर्डर-आर्डर। गुलाब चन्दजी कटारिया। हर बात पर बोलना जरूरी नहीं होता। सुन करके कार्यवाही फिर बोलो आप।

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल शिक्षित बेरोजगारों की जो दशा हो रही है उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान बहुत विनम्रता के साथ आकर्षित करना चाहता हूं।

पिछले एक वर्ष से निरंतर आपकी इन घोषणाओं के कारण से और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से पाबंदिया लगाने का प्रयास किया उसी के परिणामस्वरूप पटवारी, जिनके रेवेन्यू बोर्ड ने 1 जनवरी, 1999 को अपनी विज्ञप्ति के द्वारा उनकी परीक्षाओं का आयोजन किया। परीक्षाएं हुई, अगस्त में परीक्षा परिणाम घोषित हुआ और उसके बाद उन बच्चों की ट्रेनिंग होकर, उनको कहीं पर तो रोजगार मिलना था। मैं सोचता हूं कि सरकार ने या तो वह परीक्षाएं आयोजित कीं तो क्यों कीं? अगर वह परीक्षाएं आयोजित नहीं होतीं तो न तो उन बच्चों का परीक्षा परिणाम निकल करके उनको नौकरी का रास्ता दिखता, उनको जिस प्रकार की भी स्थिति बनती, वह बन जाती। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमने सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया। उसके पश्चात् उस पर जो पाबंदी लगा दी, उसके कारण से कई बच्चे ओवर एज होंगे, उनकर समय सीमा निकल जाएगी। वह किसी भी प्रकार से नौकरी के लिये, आज की तारीख में वह पूर्णतः नौकरी के लिये चयनित हो चुके हैं। उनको ट्रेनिंग में 300 रुपये महीना मिलने वाला है। इस प्रकार की स्थिति बाकी सारे के सारे जॉब में जिस ढंग से सरकार करती चली जा रही है, मेरी बहुत विनम्रता से प्रार्थना है कि अगर यह स्थिति चली तो यह नौजवान खुदकशी करने के लिये मजबूर होंगे या फिर यह इस प्रकार से अपराध करेगा जो अपराध आप और हम सब साल, दो साल में देखेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति भूखे नहीं मरेंगे। भूखे मरने के लिये या तो भूखे मर कर, आत्महत्या करके स्वयं मर जाएगा या फिर लूट पाट के ऊपर आयेगा। इस सारी नौजवान पीढ़ी को आप कोई न कोई दिशा-निर्देश दें। यह सरकार अगर नौकरी नहीं देना चाहती तो न दे। कोई चिन्ता की बात नहीं है लेकिन उन्हें कोई न कोई अल्टरनेट रोजगार आपको देना पड़ेगा।

आज राजस्थान में लगभग 26,000 बी. एड., एस. टी. सी. किये हुए बच्चे हैं और उनके माता-पिता जिस ढंग से और जिस गरीबी में पल करके उस बच्चे को बी. एड. कराने के लिये अपना जो कुछ भी सामान होता है उसको गिरवी रखकर यह सोचता है कि 6-8 महीने की ट्रेनिंग है, उसके बाद इस बच्चे की नौकरी लग जाएगी। हम किसी भी तरह से पैसे उतार देंगे। और उसकी यह दशा बनी कि आज उसको 2-2, 3-3 साल हो जाने के बाद भी कहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी उनको कोई रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है। मैं निश्चित रूप से इस विषय के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं, सभी माननीय सदस्यों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि सरकारी नौकरी देना कोई गारंटी नहीं मानता हूं मैं, लेकिन कम से कम सरकार को इस बारे में बहुत चिन्तापूर्वक सोचना होगा। इस आने वाली पीढ़ी को कमा-खाने के लिये कौनसा रास्ता मिलेगा, उसे कहां जाना है, किस तरीके से उसे जीना पड़ेगा, तब तो चलेगा।

आपको और हमको कितनी शर्म आती है जब यह चयनित पटवारी पेट के बल पर रेंगते-रेंगते एक जुलूस निकाल कर मुख्य मंत्रीजी के घर पर जायें और देख करके आपको और हमको भी दया आती होगी। दो बच्चों ने यहां आमरण अनशन किया। 15 दिन में ले जाकर उनको हास्पिटल में भर्ती किया। फिर दूसरे बच्चे वहां बैठे। वह बच्चे आपके भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं। निश्चित रूप से जिस चयन प्रक्रिया को आपने प्रारम्भ किया उस चयन प्रक्रिया को इस आधार पर रोकना कि हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, मैं सोचता हूं यह न्याय नहीं है और अगर इस प्रकार से अन्याय पर उतर गया तो फिर तो उस नौजवान को या तो मरना है, या मारना है। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। आप मजबूर मत करिये, किसी नौजवान को हथियार उठाने के लिये तैयार मत करिये। स्थिति धीरे-धीरे यह बढ़ती संख्या जिस प्रकार सड़क पर आ रही है वह अगर इसी दिशा में चलती गयी तो वह दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हम अराजकता की स्थिति में पहुंच जायेंगे।

मैं यह नहीं कहता हूं कि आप इन सबको राज की नौकरी दे दो। लेकिन उन्हें कोई न कोई रोजगार का साधन तो आपको देना होगा जिसके कारण से वह अपने परिवार को पाल सके और अपने आये हुए संकट और विशेषकर के यह चयनित पटवारी हैं जिनके बारे में आप लगातार कह रहे हैं हम 2 दिन बाद करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, 7 महीने निकल गये, अभी तक इन बच्चों की ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई। सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उन चयनित बच्चों की ट्रेनिंग की व्यवस्था करे ताकि उन बच्चों को रोजगार मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, गुलाब चन्दजी ने यह जो चयनित पटवारियों का मामला उठाया है यह बड़ा गंभीर है और जहां एक टांग से तो चलकर आ नहीं सकते...

श्री उपाध्यक्ष : गंभीर है तभी उठाया है ना। गंभीर है तभी उठाया ना।

डा. किरोड़ी लाल : पेट के बल पर चलकर मुख्य मंत्रीजी के घर के बाहर गये इसलिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना ध्यान आकर्षित। ध्यान आकर्षित हो गया ना।

डा. किरोड़ी लाल मुझे बड़ी चिन्ता है। इतने सारे सदस्य चयनित हो गये तो उनको सरकार ट्रेनिंग तो देवे और इस बात के लिये भी मना कर रहे हैं कि हम 300 रुपये महीना नहीं लेंगे तो ट्रेनिंग में पैसा देते हैं।

श्री सांवर लाल : जिनका चयन करवा लिया गया रेवेन्यू बोर्ड से उनको रेवेन्यू बोर्ड से ट्रेनिंग मिलती है...(व्यवधान) प्रशासनिक सारी स्वीकृतियां होती हैं इसलिये हमारी भावना है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कहां से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं...

डा. किरोड़ी लाल : हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके विपक्ष के उप नेता ने भावना व्यक्त कर दी। अब आप क्या कहना चाहते हैं उसमें? What do you want to add to it? There is nothing to add to what he has said.

डा. किरोड़ी लाल : वह 300 रुपये महीना भी छोड़ने के लिये तैयार है लेकिन उनको ट्रेनिंग में भेजना होगा। जब उनका सलेक्शन हो गया...

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज...(व्यवधान) श्री रामस्वरूपजी।

टोडाभीम में पानी की समस्या

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की पानी की भयंकर समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मेरे क्षेत्र की नादोती तहसील जहां पर चार हजार सैनिक हैं जो देश सेवा में काम आते हैं। चार तो अभी शहीद हुए थे कारगिल के अन्दर। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम केमला और केमरी की ढाणियों में जहां पर सरकार ने 47 लाख की योजना वहां पर चालू की है लेकिन अभी तक वहां पानी नहीं मिला। आज 7 दिन से वह योजना बंद पड़ी हुई है। नादोती तहसील के अन्दर 7 दिन से ग्राम केमला और केमरी की ढाणियों की 47 लाख की हमारी योजना थी वह आज 7 दिन से बंद पड़ी हुई है। पानी की बूंद तक वहां लोगों को नहीं जा रही है। मैंने उस समय भा.ज.पा. के टाइम में भी कहा था कि वहां पर सहायक अभियंता का कार्यालय होना चाहिये ताकि वहां की योजनाओं पर कंट्रोल हो सके। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय भी मैंने कई बार इस प्रकार से धरने दिये थे। वहां पर तहसील नादोती के अन्दर यह धरने का कार्यक्रम उस समय भी हुआ था। तब इस सरकार ने कहा था आपके यहां सहायक अभियंता का कार्यालय खोल देंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा योजनाएं आपके नादोती के अंदर हैं और वहां मात्र योजना के द्वारा ही पानी मिलता है। उन्होंने इस बात की उस समय घोषणा कर दी थी लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं माननीय मंत्रीजी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं हमारे मंत्रीजी बहुत अच्छे हैं। वह हमारी हर बात को सुनते हैं। मैं जब भी जाता हूं तो मेरे से कहते हैं आपके यहां सहायक अभियंता का कार्यालय तो मैं खोल कर रहूंगा, आपकी नादोती की पानी की समस्या को जरूर हल

(श्री रामस्वरूप)

करके रहूंगा। लेकिन आज तक वह कार्यालय नहीं खुला। इन +++ के टाइम में तो मैंने धरने भी दिये, सब कुछ किये, यह तो निहाल करने वाले मुझे नहीं थे लेकिन आप तो इतने बढ़िया मंत्री अब हमारे बन गये। अब आपके टाइम में भी +++ क्या इसी प्रकार? आपसे मेरा विनम्र निवेदन है...(व्यवधान)।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपध्यक्ष महोदय, आप कंट्रोल करें। इन +++ इन +++ के समय में यह नहीं हुआ, क्या है यह? यह क्या आदत पड़ गयी। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह सदन ऐसे ही चलेगा इसी तरह से तो गरिमा तो संदन की रही नहीं। मर्जी जो बोलें, मर्जी जो बोलें, और आप एक बार भी मना नहीं कर रहे हो...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। क्या हो गया? क्या हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने कहा है इन +++ के समय में, यह क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, कृपया भाषा पर थोड़ा नियंत्रण करो। क्यों आप इस हाउस को उत्तेजित करना चाहते हो।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नादोती जो तहसील है, तहसील हैडक्वांटर है, पंचायत समिति हैडक्वांटर है। 4,000 सैनिक यहां मौजूद हैं वहां पानी 7-7 दिन तक लोगों को नहीं मिले। 47 लाख रुपये आपने खर्च कर दिया। अगर मेरे यहां एक सहायक अभियंता का कार्यालय होता तो एक आयी हुई योजना बंद नहीं पड़ी रहती। 7 दिन से मानी नहीं मिल रहा है नादोती के अंदर। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय मंत्रीजी क्या मेरे सहायक अभियंता कार्यालय के लिये कि अभी तो हमारी सरकार काम कर रही है और सैनिकों के लिये जो लोग वहां पर प्यासे मर रहे हैं उनके लिये कब समस्या का समाधान होगा इसलिये मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, पूर्व में मैंने उनसे निवेदन भी किया था। मुझे आशा है इन सैनिकों की ओर वह जरूर ध्यान देंगे और निश्चित रूप से कुछ तो आश्वासन देंगे। पानी का मामला है, प्यासे मर रहे हैं लोग-बाग और 7 दिन से योजना बिलकुल बंद पड़ी है। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवम्र निवेदन है कि मंत्रीजी...

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना निवेदन, सुन लिया ना मंत्रीजी ने।

श्री रामस्वरूप : पानी की समस्या बहुत आवश्यक है। पानी की समस्या तो जीवन का एक आवश्यक अंग है। अगर पानी लोगों को नहीं मिलगा तो लोग कैसे रहेंगे। मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर गौड़...(व्यवधान) कुछ नहीं कहना चाहते हैं वह। आप बिराजिये प्लीज।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे घर पहले भी मिला था। आपसे मैंने वहां भी निवेदन किया था कि मेरे यहां सहायक अभियंता कार्यालय, उन्होंने कहा था वित्त का अभाव है। वित्तीय व्यवस्था हो जाएगी तो कार्यालय खोल दिया जाएगा...

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, माननीय सदस्य आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : अब तो माननीय वित्त मंत्रीजी भी बदल गये। अब तो कुछ आशा है। अब तो वित्त की व्यवस्था भी ठीक हो गयी होगी। मुझे आशा है आप जरूर इस समस्या की ओर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंहजी गौड़।

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं यह लोग कहने नहीं देते हैं। यह लोग कहने नहीं देते हैं। माननीय मंत्रीजी कहना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं मैं आपसे ही निवेदन कर देता हूं, मेरी पानी की समस्या के लिए...(व्यवधान)

(13.00 बजे)

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्रीजी की इतनी तारीफ कर दी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : ठीक है, धन्यवाद... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब तो रुको ना माननीय सदस्य, दोनों ही बराबर हैं, झगड़ा यही है...(व्यवधान) रघुवीर सिंहजी...(व्यवधान) आर्डर, आर्डर, माहिर आजाद जी प्लीज। ...(व्यवधान)

अवैध रूप से भू-आवंटन

श्री रघुवीर सिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोटपूतली नगर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह पुराना कस्बा है यहां के बाजार सकरे हैं और यह बढ़ता हुआ कस्बा है। नेहरू बाजार से बानसूर रोड की तरफ एक मार्ग है वह कुछ चौड़ा है वहां पर किन्हीं एक व्यक्ति विशेष ने...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर वक्तव्य आ रहा है मंत्री जी का।

श्री रघुवीर सिंह : नहीं, मुझे थोड़ा-सा ही बोलना है। उस पर एक व्यक्ति विशेष ने अवैध रूप से भूमि आवंटन करवा ली। भूतपूर्व चेयरमैन ने उसको गलत तरीके से बिना नगरपालिका के प्रस्ताव पास किये हुए दे दी। उसका नतीजा यह निकला कि चेयरमैन साहब को तो निलंबित होना पड़ा, वह भू-खण्ड आवंटन निरस्त हो गया था। लेकिन आज विडम्बना यह है कि जबकि यह सरकार सब जगहों पर अतिक्रमण हटा रही है, कुछ दिन पूर्व ही सरकार के आदेशों से वही भू-खण्ड दुबारा से नियमन कर दिया गया है और नगरपालिका को आदेश दिये गये कि भू-खण्ड पर उन्हें इजाजत दी जावे। इस प्रकार पिछले पंचायत राज के चुनावों में रातों-रात वहां ढांचा बीच सड़क पर, 20 फीट अंदर तक अवैध रूप से बना लिया गया।

मेरी समझ में नहीं आता कि अब आपकी सरकार पूरे राज्य में अतिक्रमणों को हटा रही है और वहीं इस प्रकार से स्वयं सरकार

(श्री रघुवीर सिंह)

के आदेश से बीच सड़क पर जो कि एकमात्र चौड़ा रास्ता है, पर कंस्ट्रक्शन करवा रही है। कोटपूतली शहर में, बढ़ते हुए शहर में, और उसके देखा-देखी आसपास के लोग भी आगे बढ़ जायेंगे तो निश्चित रूप से वह इतना संकरा रास्ता हो जायेगा कि आवागमन में बहुत बाधा पड़ेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए गंभीरता से सोचा जाये। सरकार ने अभी जो आदेश अतिक्रमण हटाने के दिये हैं, पुराने अतिक्रमण तो हटा दिये जायेंगे, जैसे कि अजमेर रोड पर हटाये गये हैं लेकनि यह जो बीच में एक काला धब्बा बना हुआ है, भी हटाया जाना चाहिए। पूरे क्षेत्र में इसकी काफी चर्चा है। इस प्रकार से मंत्रीजी के आदेशों से रातों-रात जो यहां पर अतिक्रमण खड़े हुए हैं। (अतिक्रमण तो हटाये जाने चाहिये चाहे वह पुराने हों या नये हों) इसके लिए शीघ्र ही ऐसे आदेश जाने चाहिये कि वह निरस्त हों और वहां से उनको हटाया जाये।

इसके साथ ही नजदीक इंसी रोड पर भादरगाजी क्षेत्र कहलाता है। उसमें भी काफी लोगों ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। अगर यही रवैया रहा तो वह सड़क निश्चित रूप से बिलकुल संकरी हो जायेगी। मैं तो यही कहूंगा कि वहां का प्रशासन इतना सुस्त हो रहा है कि यह भूमि नगरपालिका की होते हुए भी इस भादरगाजी क्षेत्र का सही सीमांकन नहीं हुआ है। इसका अतिक्रमण हुआ है, यहां तक कि वक्फ बोर्ड का भी अतिक्रमण होने की संभावना है। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि इस बारे में गंभीरतापूर्वक सोचा जाये और इस प्रकार के अतिक्रमण रोके जायें तथा भादरगाजी का सीमांकन किया जाए। जयभारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लाल जी।

सिंचाई विभाग द्वारा 15 वर्षों की राशि की एक साथ वसूली

श्री सांवर लाल (भीनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस वर्ष भयंकर अकाल है। सिंचाई विभाग 15 सालों की पिलाई की वसूली कर रहा है। माननीय मंत्री महोदया यहां विराजमान हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जहां पर लगभग 15 वर्षों में 10 वर्ष अकाल पड़ा है और सिंचाई तालाबों से हुई नहीं है, पानी उनमें आया ही नहीं है। आज किसानों की हालत यह है कि उनको डराया-धमकाया जा रहा है। कुर्की की धमकी दी जा रही है। आज उनके पशुओं को पिलाने के लिए, बाल-बच्चों का संकट बहुत भयंकर है तो आज किसी भी हालत में वह पैसा देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन तहसील के और दूसरे अधिकारी जाते हैं और उनको कहते हैं आपकी कुर्की कर देंगे। इस प्रकार से बहुत भयभीत उन लोगों को कर रखा है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यही निवेदन करूंगा कि यह जो सिंचाई विभाग की 15-15 सालों की वसूली एक साथ किसानों से करना चाह रही है यह आज की हालत में मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा मंत्री महोदया कि आप भी किसान हैं, आप जानती हैं कि किसान कैसे आज एक-एक दिन निकाल रहा है और जहां अकाल है, अकाल की मार पड़ी है, पीने का पानी नहीं है, चारे की व्यवस्था नहीं है, रोजगार के

(श्री सांवर लाल)

लिये इधर-उधर भटकता फिर रहा है। ऐसे में उनके परिवार वालों को धमकाया जाता है, घर का मुखिया नहीं होता है, बच्चों को कहते हैं कि यह पैसा दे दो नहीं तो हम यह कर देंगे, वह कर देंगे। यह बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति है। जिस प्रकार से वसूली के लिये अधिकारी दबाव डाल रहे हैं, कहीं पर यह कहते हैं कि हम आपको मुर्गा बना देंगे, नहीं देंगे तो आपकी जमीन नीलाम कर देंगे। यह बहुत ही बुरी हालत है और आज की तारीख में दो-दो, चार-चर हजार रुपये एक किसान से ले रही हैं। किसान से 15 साल तक किसी ने वसूल नहीं किया और आज एक साथ ही यह सरकार कर रही है। मेरे ख्याल से मारवाड़ी में कहावत है कि "कागला मारने से काल नहीं निकलता"। आप किसान से 2-4 करोड़ रुपये वसूल करेंगे, इस प्रकार से ज्यादती करके यह राजस्थान का खजाना भरना चाहते हैं तो यह मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे छोटे-छोटे तालाब हैं जिसमें आपके विभाग का एक रुपया नहीं लगा है पर वह आपके डिपार्टमेंट के अंदर आ गया है, डिपार्टमेंट के प्रशासन में आने के कारण से आप उन किसानों को 10-15 वर्षों में पानी मिला कि नहीं मिला, यह आप उनसे वसूली कर रही हैं। यह कहीं भी न्यायसंगत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। किसानों से संबंधित विषय है। मंत्री महोदया आप भी किसान हैं। मैं अपनी बात यूं ही नहीं कह रहा हूं, आप विराजमान हैं इसलिए कह रहा हूं। आप नहीं होती तो कहता भी नहीं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वसूली को आप तत्काल प्रभाव से स्थगित करवायें और जिस प्रकार का गांवों में वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण से लोगों को मुक्ति दिलवायें, लोग भाग जाते हैं, पीछे उनकी बच्चियां और औरतें रहती हैं। उनसे भी आपके अफसर बदतमीजी करते हैं। मेरे ख्याल से आपकी सरकार, जो लोक कल्याणकारी सरकार कहलाने के लिए बार-बार आप यहां प्रचार करते हो और ऐसा व्यवहार किसानों के साथ हो रहा है जो कि आपत्तिजनक है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मंत्री महोदया कुछ कहें, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अकाल का टाइम है। आपने कॉपरेटिव की वसूली स्थगित की। एक छोटी सी रकम के लिए सरकार, दो-तीन महीने आगे आने वाले वर्ष में अगर जमाना हो जाये तो उसमें वसूल कर लें। इतना तो करवायें आप।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंहजी।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है। मंत्री महोदया, आपके एक-दो करोड़ रुपये से कुछ होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। क्या हुआ ?(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : किसानों से हजार-दो हजार...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री को...(व्यवधान) किसानों की बात है।

श्री सांवर लाल : इसलिए आपके माध्यम से निवेदन...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित ही नहीं हो रहा है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की हालत नहीं है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजे माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : तहसीलदार और नायब तहसीलदार वहां पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह जी...(व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 15-15 वर्ष से अपनी बकाया राशि नहीं चुका रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि वसूली में मदद करिये। ज्यादती कोई नहीं हो रही है, तकाजे किये जा रहे हैं, नोटिसेज दिये जा रहे हैं, जिस तरह का आप वर्णन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 15-15 वर्ष तक अगर बकाया नहीं देंगे तो इस सिस्टतम को मैनटेन काहे से करेंगे। इसमें हमारी आप मदद करें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आपके विभाग का एक रुपया भी जिन तालाबों में नहीं लगा। केवल आपके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं वहां पर भी किसानों पर मार पड़ रही है। जिस तालाबों में 15 वर्षों में 10 वर्ष अकाल पड़ा और पानी नहीं आया फिर उसमें वसूली किस प्रकार से कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पानी नहीं आया तो वसूली थोड़े ही करेंगे।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कर रहे हैं। वहां का पटवारी तो आंकड़े लेकर के बैठा हुआ है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह नहीं होता है...(व्यवधान) आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की बहुत जमीन है, उनसे वसूली हो रही है। मेरा निवेदन है कि इसी की जांच करवा लें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जिस साल की पिलाई हुई है उसकी ही वसूली कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। जब कोई फसलें नहीं होती हैं तो उसके बाबत में कोई वसूली नहीं की जाती है। आपको मालूम है फिर भी आप सदन में गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रघुवीर सिंह जी। (व्यवधान) बिराजें मानीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : फसलें होने का मतलब आपके तालाब से पानी पिलाना तो नहीं हो गया... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, पिलाई की भी इनके रिकार्ड में तो आ जायेगी, लेकिन किसान के फसल तो नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : यह नयी बात नहीं है। यह तो चला आ रहा है...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : आपकी लड़ाई है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, सिस्टम में कोई चेंज नहीं हुआ, सिस्टम वही चला आ रहा है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : एक साल स्थगित हो जाये तो क्या फर्क पड़ता है...(व्यवधान) अगले साल रख लें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इस साल स्थगित करवा दें। एक साल में क्या फर्क पड़ जायेगा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इस साल अकाल पड़ा है...(व्यवधान) अगली बार जमाना हो जाये तो अगली बार वसूल कर लें तो कौनसा विरोध कर रहे हैं। इस साल अकाल के टाइम तो स्थगित करवा दें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इतना तो करवा दें। एक साल तो स्थगित करवा दें...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, लोगों के पास पैसा नहीं है। लोग भीख मांग रहे हैं, आप वसूली करवा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : किसानों के पास आज पैसा नहीं है। हैण्ड टू माउथ हो रहे हैं। चारा नहीं ला रहे हैं, गहने गिरवी रख रहे हैं पशुओं को पिलाने के लिए...(व्यवधान) और मंत्री महोदया कह रही है, कुछ तो संवेदनशीलता दिखाओ। अगले साल वसूल कर लीजिये...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या हड्डी बेचेगा, क्या स्वयं बिक जायेगा, क्या बच्चों को बेचेगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य। आप बैठें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इस बार भगवान जमाना करेगा तो अगले साल कर लेना।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य। हो गयी ना बात। रघुवीर सिंह जी।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, वैसे मेरा सवाल था ऊर्जा मंत्रीजी से लेकिन वह उपस्थित नहीं हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी भावनाएं उन तक पहुंचेगी। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में दुर्भाग्य से अकाल है और विशेषकर उदयपुर संभाग में उसका असर ज्यादा हुआ है। मैं नहीं कहता कि कहीं कम होगा परंतु जहां तक हमारे क्षेत्र की बात है, मेरे विधान सभा क्षेत्र के काफी काश्तकार मेरे पास आए थे, उन्होंने यह निवेदन किया कि आप सरकार से निवेदन करें कि इस साल पीने के पानी की भयंकर समस्या हो रही है, कुएं सारे सूख चुके हैं,

(श्री रघुवीर सिंह)

सिंचाई हेतु कुओं के कनेक्शन, वहां के किसानों के हिसाब से पांच एच. पी. की मोटर के लिए मिनीमम चार्ज 650 रुपये और तीन एच. पी. की मोटर के लिए 425 रुपये है। वहां आज पीने के पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, घास की समस्या है, ऐसी स्थिति में यह मिनीमम चार्ज बिना पानी के वसूल करें तो उनकी स्थिति के अनुसार ज्यादा है इसलिए सरकार से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों को किसी तरह से रियायत दी जाए ताकि जब पानी आएगा उस समय जितना वसूल करेंगे, उतना जमा कराएंगे। अभी काश्तकार ए. ईएन. आफिस में वहां के अधिकारियों से मिलकर आए और उनसे निवेदन किया कि हमारे कनेक्शन काट दिए जाएं परंतु अधिकारियों के अनुसार उनका कनेक्शन अगर काट दिया जाएगा तो पुनः कनेक्शन लेना उनके लिए बड़ा कठिन होगा और समय पर मिल नहीं पाएगा इसलिए मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करके आप अकाल की स्थिति को देखते हुए इस मिनिमम चार्ज में रियायत प्रदान करें, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

पंचायती राज विभाग

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री सी. पी. जोशी, ग्रामीण विकास मंत्री।

श्री सी. पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायती राज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 28 ( ) आर.डी.पी. /एडी.एम/जी.एस/98/40701 (रूल) दिनांक 4.11.1999 एवं अधिसूचना संख्या एफ. 13(14-2) आर.डी.पी/एज्यू/अपोइन्ट/98/4722 (रूल) दिनांक 16.11.1999 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1966 में संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. (15) विधि/पी.आर/94/28, दिनांक 3.12.1999 एवं अधिसूचना संख्या एफ. (15) लॉ/रूल्स/2000 दिनांक 5.2.2000 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (चुनाव), नियम, 1994 में संशोधन किया गया है।

राजस्व विभाग

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला, राजस्व मंत्री।

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 10(6) रेव/6/98/3 दिनांक 28.3.2000 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखती हूं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1998-99

श्री उपाध्यक्ष : वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। डाक्टर चन्द्रभान।

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अंतर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेटमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1997-98

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरेन्द्र मिर्धा।

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1997-98 सदन की मेज पर रखती हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक।श्री सी. पी. जोशी प्रभारी मंत्री।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-7) को पुनःथापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान माध्यमक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-7) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-7) को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का अध्यादेश संख्या-4) को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह, प्रभारी मंत्री, आबकारी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-8) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-8) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-8) को पुरःस्थापित करत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का अध्यादेश संख्या-1) को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

शासकीय वक्तव्य

जयपुर शहर में हो रहे अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण की समस्या

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री द्वारा वक्तव्य। श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नई सरकार के गठन के पश्चात् लगातार यह महसूस किया जाता रहा कि पिछले कई वर्षों से सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हो रहे हैं और अवैध निर्माण के जरिये शहरों के स्वरूप को विकृत किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, करोड़ों की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर, फुटपाथों और सड़कों पर कब्जा कर, रास्तों को संकड़ा किया जा रहा है, कानून की पूरी अवहेलना करते हुए, निर्माण के जो विधि संगत प्रावधान हैं, उनको ताक पर रखा जा रहा है। इसी के साथ-साथ मनचाहे निर्माण कर इन शहरों का मूल स्वरूप ही बदला जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सितम्बर, 1999 में लोक सभा के चुनाव की घोषणा हुई और उसी के साथ-साथ चुनाव संहिता चालू हो गई। चुनाव संहिता लम्बी चली, कई काम इस दृष्टि से करने चाहिए थे, नहीं करवा सके। ठीक उसके बाद नगरपालिकाओं के चुनाव हो गए, फिर चुनाव संहिता लागू हो गई, फिर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, फिर चुनाव संहिता लागू हो गई, कर्मचारी हड़ताल हो गई, ये मौके ऐसे मिले कि अतिक्रमियों और अवैध निर्माण कर्ताओं ने अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों की बारिश-सी कर दी, हर शहर में अतिक्रमण करने वालों ने सरकारी जमीन को हड़पा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंहजी, बहुत इम्पोर्टेण्ट वक्तव्य आ रहा है, आप अपनी सीट पर बिराजें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : संकड़ी सड़कें और उपाध्यक्ष महोदय, शायद आपने भी पढ़ा होगा, राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों में यह समाचार छपा कि 20 हजार रुपये दो और एक दुकान बना लो, 50 हजार रुपये दो बड़ा शोरू बना लो, 40

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

हजार रुपये दो और एक मंजिल बना लो, दो मंजिल बनाना चाहते हैं तो एक लाख रुपये दो। इसी तरीके के जब समाचार छपे तो सरकार को चिंता हुई और वह पिछले कई वर्षों से अतिक्रमण देखती आ रही थी। नई सरकार को सोचना पड़ा कि आखिर हम क्या करें। इस सारी बीमारी से निजात पाने के लिए सरकार ने दृढ़ प्रतिज्ञा की, दृढ़ संकल्प करके यह आपरेशन पिंक इस शहर में चालू किया। सरकार ने यह प्रतिज्ञा की कि हम किसी भी सूरत में इस शहर का मूल स्वरूप नहीं बिगड़ने देंगे, कानून की पालना करवाएंगे, इस प्रकार की योजना बनाकर क्रियान्वित करवाएंगे जिससे अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति और अवैध निर्माण करने वाला व्यक्ति हतोत्साहित हो।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर विश्व के मानचित्र पर प्राचीन धरोहर का अनूठा गौरव प्राप्त किए हुए है, यूरोपीय नगर नियोजन को आधार लेकर सुनिश्चित तरीके से बसाया हुआ शहर है, नौ चौकड़ियों में अपने आप को समेटा हुआ वह शहर है, जिसकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में है और जहां तक वास्तु कला का सवाल है, यह अपने आप में अनूठा ही नहीं बल्कि अद्भुत उदाहरण है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी यह देखा होगा कि 1960 के आसपास महारानी एलिजाबेथ जयपुर शहर में आई, वह जयपुर किसी और काम से नहीं आई थी, जयपुर की वास्तु कला को देखने आई और वहीं नहीं आई, विश्व का कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति ऐसा नहीं रहा होगा जो कि जयपुर नहीं आया हो, यहां की वास्तु कला को देखने, यहां की शिल्प कला को देखने, यहां की धरोहर को देखने। अभी हाल ही में प्रेसीडेंट क्लिंटन कोई दूसरे काम से नहीं आए, सिर्फ इस जयपुर को देखने आए कि जयपुर की वह कौनसी वास्तुकला है जो विश्व में प्रसिद्ध है।

यह भी देखने को मिला उपाध्यक्ष महोदय, जो पर्यटक जयपुर आते उनकी संख्या में गिरावट आयी, किसी वर्ष यथा स्थिति बनी रही। यहां की हस्त-कला, यहां का व्यापार, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, होटल वाले, जो इन पर्यटकों के ऊपर जिंदा रहते हैं, अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं उनके व्यापार पर भी असर पड़ा। जब यहां का विकृत स्वरूप होता गया तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या में गिरावट आती रही। यह चिन्ता का विषय रहा। सरकार ने इस चिन्ता के विषय को, इस चिन्ता को दूर करने के लिए यह संकल्प किया कि हम यहां की शिल्प कला को बरकरार रखेंगे, हम यहां की धरोहर को रेस्टोरेशन करेंगे, हम यहां की हैरिटेज को कंजर्वेशन करेंगे, हम यहां के पुरातत्व महत्व के भवनों को बरकरार रखेंगे, उनको सुधारेंगे, उनका रेस्टोरेशन करके उनको उसी पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश करेंगे, यहां का यातायात सुधारेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया, उच्च न्यायालय ने तीन-तीन, चार-चार फैसले दिये। क्या यह सरकार का कर्त्तव्य नहीं था कि हम उनके आदेशों की पालना नहीं करते? जनभावनाएं इतनी प्रबल थीं कि हमें इस प्रजातांत्रिक युग में उनका

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

भी आदर करना था और उसी के अन्तर्गत यह सब कुछ कार्यवाही की गई। एक कार्य योजना बनायी गयी और उसे दृढ़ शक्ति से अमल में लाने की तैयारी की गई। किसी प्रकार का पक्षपात, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हुए उस योजना पर अमल शुरू किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी कोई हम काम करना शुरू करते हैं तो यह मानकर चलिये कि कहीं न कहीं छोटी-मोटी, कोई न कोई गलती किसी न किसी प्रकार की रह जाती है। महाजन जब अपना हिसाब तैयार करता है तो चाहे वह कितना ही पुराना, अनुभवी महाजन हो, लेकिन जब वह रोकड़-बहीखाते लिखता है तो पैसे-दो पैसे की गलती होना स्वाभाविक है। मैं यह नहीं कहता कि इस पूरे अभियान के तहत कहीं कोई गलती अगले के द्वारा नहीं हुई हो। लोगों को कठिनाइयां भी हुई होंगी, लोगों को आर्थिक हानि भी हुई होंगी, कई लोग बेरोजगार भी हुए होंगे, लेकिन यह सब जो कुछ था वह अस्थायी था, स्थायित्व इसमें कहीं नहीं था। हमारा इरादा न किसी को परेशान करना था, न किसी को कठिनाई में डालना था, न किसी को आर्थिक नुकसान पहुंचाना था और न किसी को बेरोजगार करने का था। जनता ने इस बात को अच्छी तरह से समझा और उन्होंने इस ऑपरेशन पिंक का जबर्दस्त समर्थन किया और न केवल समझा बल्कि समझने के बाद जनता ने जो सरकार की योजना थी उसमें इतना जबर्दस्त विश्वास व्यक्त किया और न केवल जनता ने बल्कि मीडिया ने भी इसका साथ दिया।

आपको कुछ पेपर्स की कटिंग बतलाना चाहूंगा। ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह जी का एक पत्र है, जिन्होंने इस ऑपरेशन पिंक को इतना सराहा है, वह पूरा पत्र मैं पढ़ नहीं सकता, लम्बा-चौड़ा पत्र है। "गुलाबी नगर का प्राचीन वैभव लौटता देख मुग्ध हैं राजमाता गायत्री देवी।" (व्यवधान) सुनिए आप। इंटरवीन मत करिए, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा और एक-एक का जवाब दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, लेकिन मुझे भी सुनने का कष्ट करें।

"आपरेशन पिंक की सीख से दिल्ली में भी कार्यवाही का निर्णय।" राजस्थान पत्रिका का यह सम्पादकीय, जिसमें लिखा है, "अभियान जिस दृढ़ता से शुरू किया गया वह निश्चय ही प्रशंसनीय कदम है। चारदीवारी के प्रमुख बाजारों में बरामदों पर व्यापारियों के कब्जे ग्राहकों के लिए घोर असुविधाजनक थे। आखिर सरकार कब तक व्यापारियों में सद्‌बुद्धि आने का इंतजार करती। अतिक्रमण ने सभी सीमाएं पार कर दीं और दुकानों के अंदर दो मंजिले और तीन मंजिले तहखाने बना डाले। इतने लम्बे समय तक कब्जों को न हटाकर तत्कालीन सरकारों ने बड़ी गलती की। आखिर उस भूल को कभी न कभी तो कोई ठीक करता। यह श्रेय गहलोत सरकार को मिलना था, वह उसे मिला।"

नवज्योति का यह सम्पादकीय, जिसमें लिखा है, "किसी ने तो हिम्मत दिखायी।" यह फिर एक समाचार-पत्र का सम्पादकीय,

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

"आपातकाल के 25 वर्ष बाद पहली बार गहलोत सरकार ने अहसास कराया कि राज्य में प्रशासन का अस्तित्व है। जनहित में कर्य करने की दृढ़ इच्छा का, जिसमें जयपुर को खोया हुआ उसका गौरव प्राप्त हुआ।" "ऑपरेशन पिंक की अमरीका में चर्चा।" "बरामदे खाली होने से प्रसन्न है पूरे राज्य की जनता।" फिर एक राष्ट्रीय दैनिक ने अपने सम्पादकीय में लिखा, "अमरबेल की तरह फैलता अतिक्रमण न केवल हमारे नगर-नियोजन का सबसे विदूष पक्ष है, बल्कि एक मायने में अभिशाप भी है। अतिक्रमण करने वाले का कोई विशेष वर्ग नहीं, दरअसल यह एक प्रवृत्ति है। लेकिन जब कानून बनाने वाले ही इस प्रक्रिया में लिप्त हो जाएं तो आम लोगों की विसात ही क्या है।"

डा. कोटिया, जिनके लिए जयपुर का हर व्यक्ति जानता है वो आर. एस. एस. से रिलेटेड हैं। उन्होंने राजस्थान पत्रिका में एक लेख लिखा। मैं कुछ लाइनें उनकी पढ़कर सुनाना चाहता हूं। "आठ वर्ष की कथनी और करनी में अंतर की वेदना झेलने के बाद जनता देख रही है किस ईमानदारी से घोषणाओं की क्रियान्विति हो रही है। किस दृढ़ता से उस समय राज्य कर्मचारियों की हड़ताल का सामना किया गया जब समाज के वर्ग तटस्थ थे। कृषि भूमि नियमन, कच्ची बस्तियों का नियमन, अतिक्रमण और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों के बढ़ते कदम उन भाजपा नेताओं के लिए अप्रत्याशित थे जो आठ वर्षों से अपने शासनकाल में घोर संवेदनशून्य रहे और आज अपने नेतृत्व को पुनर्स्थापित करने के लिए छटपटा रहे हैं। कल तक जो वरिष्ठ अधिकारी अधिकारियों को नियंत्रण में रखने की सीख दे रहे थे वे आज देख रहे हैं कि बिना भ्रष्टाचार को अनदेखा किये, बिना मंत्रियों और अधिकारियों के मतभेद को बढ़ावा दिये, बिना झूठ-सच का सहारा लिये किस सुचारू रूप से जनहित के कार्यों के निष्पादन से जनता को प्रभावित किया जा रहा है।"

उपाध्यक्ष महोदय, आज दुर्भाग्य से प्रतिपक्ष के नेता यहां पर विराजमान नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : कहीं एक्सीडेंट हो गया, वहां चले गये। पाली में एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी और प्रतिपक्ष के नेता, दोनों पधारे हैं, इसलिए नहीं आये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : खैर, वे जहां भी होंगे मेरी बात जरूर, आज नहीं तो कल उनको सुननी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : मोबाइल से पहुंचा दूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि सन् 1952 से इस भवन से, जो यह विधान सभा का भवन है। (व्यवधान) मुझे किन-किन बातों का अधिकार है, कृपया आप मुझे अकेले में बता दें तो ज्यादा अच्छा है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सन् 1952 से उनका इस भवन से भावनात्मक लगाव नहीं रहा? क्या यह सही है कि वे कभी नहीं चाहते थे कि विधान सभा इस

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

भवन के अतिरिक्त किसी दूसरे भवन में चलें? तो वे क्या कारण थे कि जिनकी वजह से उनको मजबूर होना पड़ा और अपने शासनकाल में उनको 100 करोड़ रुपया मंजूर करके विधान सभा का नया भवन बनाने की मंजूरी देनी पड़ी? इसका कारण यातायात था, यह जयपुर का विकृत स्वरूप था, यह जयपुर की उन समस्याओं का प्रदूषण था। आखिर इन सब बातों को सोचते हुए उन्होंने मजबूर होकर यह फैसला लिया कि विधान सभा दूसरी जगह बननी चाहिए। (व्यवधान) मैं आपकी पीड़ा समझता हूं और खासतौर से आपकी तो कम, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता की पीड़ा भी समझता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि उनके मन में जयपुर के प्रति कितना प्यार है। मैं यह भी जनता हूं कि जयपुर को सुन्दर बनाने के लिए उनके मन में कितना बड़ा सपना था लेकिन वह भी क्या करते। जब आप जैसे लोग उनके साथ लगे हुए थे तो वह किसी भी अच्छीं योजना को क्रियान्वित कर ही नहीं सकते थे। उपाध्यक्ष महोदय, एलेक्जेण्डर द ग्रेट पंजाब तक पहुंच चुका था।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इतिहास पढ़ा है क्या आपने?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ज्ञानदेव जी आहूजा, अपनी मूच्छों पर तेल लगाकर ही सब्र करो। मैं जानता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता की इतनी तीव्र अभिलाषा थी कि वह जयपुर को एक सुन्दर ही नहीं बल्कि विश्व का एक महत्वपूर्ण नगर बनाकर देखे लेकिन वह सपने साकार नहीं कर पाये क्योंकि उनके साथ जो लोग लगे हुए थे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। न वे इस काम को समझते थे, न काम करना जानते थे। उपाध्यक्ष महोदय, एलेक्जेण्डर द ग्रेट पंजाब तक पहुंच गया और उसकी तीव्र इच्छा थी कि मैं आगे बढ़ूं लेकिन उसकी सेना ने उसका साथ नहीं दिया। किसी ने थकावट का बहाना बनाया, किसी ने क्या बहाना बनाया, किसी ने क्या बहाना बनाया, और यह पिछली सरकार जयपुर के लिए कुछ नहीं कर पायी। प्रतिपक्ष के नेता इसी 17 मार्च को कोटा पधारे और यह माननीय मदन दिलावर जो अटरू से आते हैं, ये भी उस फंक्शन में मौजूद थे, मैं भी फंक्शन की अध्यक्षता कर रहा था। उनको महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करना था। अनावरण के वक्त उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि मुझे आज कोई संकोच नहीं है कि इस कार्य में धारीवाल, मैं आपकी तारीफ करता हूं, मैं आपकी इस सरकार की तारीफ करता हूं। मुझे उसी रोज प्रमाण पत्र मिल चुका था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विस्थापितों का पुनर्वास किया जायेगा, कानून की हरसंभव पालना की जावेगी। अभी तक जो भी इस अभियान के दौरान कमियां और खामियां रही हैं उनको भी दूर किया जायेगा और निश्चित तौर पर उनमें सुधार किया जायेगा। कठिनाइयां जरूर हुई हैं, निष्पक्षता से और संवेदनशीलतापूर्वक उनको देखा जायेगा मगर अतिक्रमण व अवैध निर्माणों को छोड़ा नहीं जायेगा। जहां-जहां

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

अभियान चलेगा और जहां अभियान चला है, वहां पर डवलपमेंट के काम किये जायेंगे और यह आपरेशन पिंक बदस्तूर जारी रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं।

We will see that there shall be no difference between the promise and performance.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट, वैसे 290 में यह प्रावधान नहीं है कि आप कुछ पूछें लेकिन क्योंकि सब माननीय सदस्यों की भावना जुड़ी हुई है, इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि दो-दो मिनट जो भी आप पूछना चाहें, पूछें। मंत्रीजी उसका उत्तर देंगे लेकिन आप भाषण नहीं देंगे मेहरबानी करके, पिन पाइंटेड बोलेंगे। मैंने सब के लिए कह दिया, आप बैठिये, दो घंटे तक बोलें। बोलेंगे तो एक-एक ही।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपरेशन पिंक के अन्तर्गत, मंत्रीजी, की गयी कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरण ओल्गा टेलिस बनाम सरकार, प्रकाशित ए.आई.आर. 1986, सुप्रीम कोर्ट, 180 में निर्धारित बंधकारी विधि व्यवस्था के अनुरूप है या नहीं?, एक क्वेश्चन। यदि हां, तो माननीय उच्चतम न्यायलय ने अन्य के साथ साथ उन समस्याओं के समाधान हेतु जो निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किये थे, क्या उनकी पालना की गयी? माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिद्धांत प्रतिपादित किये थे, वह थे, क्या राज्य सरकार ने अभियान के पूर्व कार्यवाही की कोई योजना बनायी थी? उपाध्यक्ष महोदय, एक, क्या प्रभावित व्यक्तियों को हटाने से पूर्व नोटिस दिया गया था? तीसरा, क्या विस्थापितों को पुनर्वासित करने की योजना बनायी गयी थी? चौथा, क्या बल प्रयोग उसी अवस्था, उसी मंशा से किया जितना उच्चतम न्यायालय की निर्णयानुरूप अपरिहार्य एवं आवश्यक था? पांचवां, क्या कार्यवाही के दौरान सम्बन्धित व्यक्तियों के सामान एवं सम्मान की रक्षा की गयी? उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका पैरा मैं दो मिनट में पढ़कर सुनाना चाहूंगा जिससे माननीय मंत्रीजी को उत्तर देने में आसानी हो। इस जजमेंट के पैरा 32 पर, उपाध्यक्ष महोदय, लिखा है।

"As we have stated while summing up the petitioners case, the main plank of their argument is that the right to life is guaranted by Article 21 includes the right to their livelihood, If they are evicted from their slums and pavment dwellings, their eviction is tantamount to deprivation of their life and is hence unconstitutional."

यह पैरा 32 है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैरा 38 पर है,

"It is hard to well settle to admit so arguments that the procedure prescribed in law for deprivation of right compression by

(डा. किरोड़ी लाल)

Article 21 must be fair just and with reasons."

इस जजमेंट के पैरा 45 पर है, उपाध्यक्ष महोदय,

"It must further be presumed that while vesting in the commissioner the power to act without notice, the legislature intended that the powers should be exercised sparingly and a case of urgency which book no delay in all other case, no departure from the.....means here the other side could be presumed to have been intended in section 314 is so designed as to exclude the principle of natural justice by way of exception and not as a general rule. There are situations which demand the exclusion of the rule of natural justice by reason of diverse factors at time and place...."

श्री उपाध्यक्ष : डा. क़िरोड़ी लालजी, आप इस पैरा से क्या मतलब निकालते हो?

डा. किरोड़ी लाल : सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप सुनिये तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया, आप इसका मतलब समझाइये न? इससे क्या प्रूव करना चाहते हो आप?

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है।

श्री उपाध्यक्ष : महोदय, हां, क्या है? आर्डर प्लीज।

श्री हेमन्त कुमार : इसको पढ़ा हुआ मान लीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : हां, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेंट से इसका क्या रेलीवेंसी है?

डा. किरोड़ी लाल : इसका मतलब यह है कि आप बिना नोटिस के किसी को हटा नहीं सकते, बाकायदा जो कार्यवाही है म्युनिसिपैलिटी एक्ट में, वह कार्यवाही करके नोटिस देकर हटा सकते हो।

श्री उपाध्यक्ष : किसको?

डा. किरोड़ी लाल : झुग्गी-झोपड़ी वालों को और जिसका 20 साल से मकान बना हुआ है उसको। जिसका 75-75 हजार रुपये का इन्होंने तोड़ दिया राजस्थान होम्योपैथिक दुकान के और वह उसमें बिखरते रहे और वह डायनोसोर चलता रहा, उनके लिए नोटिस देना जरूरी है, उनको बसाया जाना जरूरी है, बसाने से पहले योजना बनाना जरूरी है। इसका मतलब यह है। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इनको आप तोड़कर और चढ़कर जा नहीं सकते। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आप इसमें जल्दबाजी न करें, माननीय मंत्री महोदय से जवाब दिलाये कि इसमें जो मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-एक का जवाब दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक का जवाब देने से तो लम्बा हो जायेगा, दो तीन बोल लें फिर दे देना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय किरोड़ी लालजी ने जो बात उठायी है कि नोटिस देना आवश्यक है, किसी भी अतिक्रमण करने वाले को नोटिस देना आवश्यक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं—

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने देंगे न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कि इस उच्चतम न्यायालय के फैसले की जानकारी तो है क्या आपको?

श्री उपाध्यक्ष : I have called upon him. मैं यही आपको पढ़ाने की सोच रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं उसमें और वह जो कह रहे हैं उसमें क्या फर्क है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने गुलाबी नगर जयपुर में चलाये जा रहे आपरेशन पिंक के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दिया है। मैं उस अभियान के सम्बन्ध में ही माननीय मंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छे अन्दाज से बड़े लुभावने शब्दों में कहा कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, जो उस समय मुख्य मंत्री थे, उन्होंने यातायात, शहर की भीड़-भाड़, कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए नये विधान सभा भवन की मंजूरी की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो समझदारी दिखायी कि पहले दूसरा विधान सभा भवन बन रहा है और जब वह बन जाएगा तब यह विधान सभा वहां शिफ्ट हो जाएगी। काश आप भी इस अभियान के अन्दर जिन गरीब लोगों को जो फुटपाथ पर बैठकर 50 साल से जूती गाठता है, जो सब्जी बेचता है, जो अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करता है, आप उसको वहां से उजाड़ने से पहले उसको बसाने की व्यवस्था करते तब तो आपको यह बात कहने का हक था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। उनकी पुनर्वास की व्यवस्था आप कब करोगे? वह डेली पैसा कमाकर ले जाता था, अपने बच्चों के लिए दूध ले जाता था, अपने घर के लिए सब्जी ले जाता था, अपने बच्चों के लिए खाने के लिए अनाज और आटा ले जाता था, अब आप कब पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे जब तक उसका क्या होगा, क्या यह भी आपने सोचा? मैं आपके इस अभियान का तो समर्थन करता हूं कि जयपुर की सुन्दरता बरकरार होनी चाहिए लेकिन जो गरीब लोग हैं उनकी रोजी-रोटी का भी माकूल इन्तजाम होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि गाड़ी के दो पहिये होते हैं, तस्वीर के दो रूख होते

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हैं एक रूख नहीं होता। एक तरफ अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति है और दूसरी तरफ वे लोग हैं जिन्होंने उसको अतिक्रमण में सहारा दिया। बिना नगर निगम और जेडीए. के अधिकारियों के या बिना राजनेताओं के प्रोटेक्शन के अतिक्रमण नहीं हो सकता। चाहे सांगानेरी गेट पर कोई ठेला लगाये चाहे यूनिवर्सिटी के सामने फुटपाथ पर कोई कचोरी-पकौड़ी बनाये, उनसे पुलिस के अधिकारी, ट्रैफिक के अधिकारी, नगर निगम और आपके विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत होती है। वह रोज जो भी पैसा कमाता है उसका एक हिस्सा कितना भी हो, रोज देता है जब वे उसको वहां बैठे रहने देते हैं। मैं इस सदन के समक्ष मांग करता हूं कि आप अतिक्रमण को हटाइये, हम आपका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की शह से यह अतिक्रमण इतना चला उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही आप कर रहे हैं वह भी आपको यहां पर बताना चाहिए। उनके खिलाफ आप क्या कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं?

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा तीसरा सवाल माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से यह है कि क्या यह जो अतिक्रमण आपने हटाये हैं, इन अतिक्रमणों में प्रशासनिक अधिकारी या राजनेताओं के रिश्तेदार भी हैं, कोई राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोग भी हैं? कृपया उससे तो अवगत करावें कि ये अतिक्रमण किन लोगों ने किया? केवल गरीब लोगों को आप हटाकर बेघर कर दो तो उन प्रभावी लोगों का भी खाका इस सदन के सामने आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : सब को बुलवाऊंगा, तसल्ली रखो। थोड़ा सा पेशेंस रखो।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा चौथा और अंतिम सवाल आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से यह है कि केवल जयपुर की सुन्दरता नहीं बिगड़ रही है। केवल जयपुर में ही अतिक्रमण नहीं हो रहे हैं, गांवों में, शहर से ज्यादा खराब स्थिति है। एक गाड़ी सही तरीके से नहीं जा सकती, कोई मौत हो जाए तो उसका जनाजा नहीं निकल सकता। क्या आप इस अभियान को इस जयपुर शहर से आगे बढ़कर पूरे राजस्थान के दूसरे जिलों में और दूसरे कस्बों में भी पहुंचायेंगे? यह मैं आपसे इस सदन में जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह जी। आर्डर-आर्डर। (व्यवधान) आप बिराजें प्लीज। एक इधर से एक इधर से। आप कोई पूछ रहे हैं क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा तो जवाब ले लेने दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्री जी ने एक बात कही...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : देखिये, अगर आप सब एक साथ बोलेंगे तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा बैठे रहना। एक-एक का जवाब दे दूंगा।

पहला सवाल आपने पुनर्वास का उठाया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस अभियान में कई लोग बेरोजगार हुए। कुल मिलाकर के जो बेरोजगार हुए उनकी संख्या थी 2019.

श्री अब्दुल अजीज : कितनी ? जोर से बोलिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 2019. श्रीमान् हज करने के बाद में कम सुनने लग गये क्या ? हज करके आये हैं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों ही हज करके आये हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक तो आपने हज किया है और एक आपने किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों के बीच में हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 2019. अन्तरिम पुनर्वास 2006 का कर दिया गया है और अंतिम पुनर्वास 1352 का कर दिया गया है। मैंने अपने स्टेटमेंट में पहले ही यह स्वीकार कर लिया था कि कई लोगों को कठिनाइयां हुई हैं इसमें कोई दो राय नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : पुनर्वास पहले किया या बाद में ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माहिर साहब, मैंने अपने स्टेटमेंट में यह भी माना है कि कहीं न कहीं कोई न कोई गलती इसमें रही है जिसको कि आइंदा सुधारा जाएगा। मैं जो आगे वाली हमारी कार्य योजना है उसको भी बोलूंगा। दूसरा सवाल था कि मिली भगत से अतिक्रमण हुआ। इसमें कोई दोराय नहीं और मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि कर्मचारियों और अधिकारियों की मिली भगत के बगैर ये अतिक्रमण हो नहीं सकते। सरकार इस पर विशेष ध्यान देगी, जांच करवायेगी और जो कुछ पुराना हुआ, अगर कोई उसमें भी सबूत मिलेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।

तीसरी बात, आपने पूछी कि कोई नेता है तो नेता को तो सब दुनिया जानती है। राठौड़ साहब, यह जो जनता सेना बनाने वाले खाचरियावास साहब हैं न इन्हीं के छोटे भाई ने सिंधी कैंप के पास डेढ़ करोड़ रुपये की सम्पत्ति पर कब्जा कर रखा था जो छुड़वाया गया है। इसके अलावा भी कई नाम हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्री महोदय, सदन में कह रहे हैं। आपके पास क्या सबूत है कि वह जमीन उनकी थी ? आपके पास कोई सबूत है क्या ? (व्यवधान) आपके पास कोई उनका मालिकाना हक या दूसरा कोई कागज है क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अतिक्रमी का कोई सबूत होता है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बताये कि श्री खाचरियावास की यह... (व्यवधान) सम्पत्ति है।

एक माननीय सदस्य : सारी जनता चिल्ला रही है। उसके पड़ौसी जितने लोग रहते हैं वे सारे चिल्ला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ... सदन का सदस्य नहीं है। प्रक्रिया और नियमों में प्रावधान है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास आंदोलन कर रहा है इसलिए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब को बोलने का मौका दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसे बोलेंगे तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो कह रहा हूं न मैं। आप बिराजें तो सही। थोड़ा सा यह सेंसेटिव मामला है इसलिए उत्तेजित होने की चेष्टा न कीजिये। आप मेरी बात तो सुनिये। कृपा करके आप शांति रखिये। माननीय सदस्य, बाहर के किसी आदमी का रेफरेंस नहीं देकर के आप बोलियें और अपनी बात खतम कीजिये। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। बिराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : चौथा सवाल और है कि यह अभियान पूरे राजस्थान में होगा क्या?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, चौथा सवाल माहिर आजाद साहब ने यह पूछा था कि यह अभियान पूरे राजस्थान में चालू किया जाए। यह अभियान पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर किसी जगह 10 से शुरू हो रहा है तो किसी जगह 15 अप्रेल से शुरू हो रहा है और कई जगह शुरू हो चुका।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह जी। सब को बुलाऊंगा। हाथ जोड़ रहा हूं आप सबके क्यों आप इतने उत्तेजित हो रहे हो। आर्डर प्लीज। आप बैठिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ...नोटिस देने की आवश्यकता नहीं, मैं उसका हवाला बता रहा हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : मुझे तो बोलने दो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत स्वायत्त शासन मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सरकारी बरामदों पर 40 साल से अतिक्रमण किया हुआ था, क्या उनको + + + 30-40 साल तक अतिक्रमण करने की छूट सरकार देगी जिन्होंने कामर्शियल यूज किया? उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने जौहरी बाजार में, चौड़ा रास्ता में, त्रिपोलिया बाजार में, घाट गेट में, रामगंज बाजार में बरामदों का 30 साल तक, 40 साल तक कामर्शियल उपयोग किया, क्या सरकार उनसे कामर्शियल भुगतान लेने का विचार रखती है?

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, यह पूछना चाहूंगा कि हां तो कब तक और कितना? और नहीं तो क्या अतिक्रमण करने का बढ़ावा, प्रोत्साहन इससे सरकार नहीं देगी? जिस तरह से किसान किसी सिवाय चक जमीन पर अगर अतिक्रमण करता है तो आपने

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

देखा होगा कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत आप पैनल्टी वसूल करते हैं तो क्या जौहरी बाजार में जौहरी जो बैठे हैं, जिन्होंने रामगंज बाजार में, जौहरी बाजार में जमीन का + + + उपयोग किया है, क्या उनसे आप शास्ति लेने का विचार रखते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, अभी बार-बार एक बात उठ रही है कि उनका पुनर्वास क्यों नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी अतिक्रमण को बढ़ावा देने का एक रास्ता है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने कानून की परवाह नहीं की, जिन्होंने कानून तोड़कर अतिक्रमण किया उनको जिस दिन कानून तोड़ा उस दिन क्या यह भान नहीं था कि जो कानून को खुद तोड़ता है...

उसकी कानून मदद नहीं करता है। जिन्होंने कानून का मजाक उड़ाया, उसको कानून का संरक्षण क्यों? मेरा यह पूछना है कि क्या कानून का संरक्षण आप उनको देंगे और उपाध्यक्ष महोदय, अगर कानून का संरक्षण सरकार ने दिया तो अब चाहे कितना ही अतिक्रमण आप हटा लें, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि कानून तोड़ने वाले ने अगर अतिक्रमण किया तो फिर हमको मुआवजा मिलेगा यानी जिन्होंने कानून तोड़ा, इसका मतलब यह हुआ कि आप उसको इनाम दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों, जैसा माहिर आजाद ने कहा कि यह बिल्कुल सत्य है, जैसा मंत्री महोदय ने एडमिट भी किया है कि कब कौनसा निर्माण, आप एक सर्वे और कराइये कि कौनसे सन् में कौनसा अतिक्रमण हुआ, उसको आइडेंटिफाई करिये और नगर निगम के किस अधिकारी की सांठ-गांठ से हुआ और जे.डी.ए. के किस अधिकारी की सांठ-गांठ से हुआ? क्या सरकार इसकी पहचान करके उन अधिकारियों को दंडित करने का विचार कर रही है जिन्होंने यह अतिक्रमण कराया है? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा चौथा सवाल यह है, मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से यह भी जानकारी चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो अलवर जिले की नौ पंचायत समिति क्षेत्र हैं...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो सातवां हो गया, चौथा नहीं रहा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वहां कहां आपरेशन पिंक आ गया? आज तो आपरेशन पिंक की बाबत् बात हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आज तो सिर्फ आपरेशन पिंक की बात है, उस पर तो अलग बात कर लेंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं आपरेशन पिंक की नहीं कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, स्वायत शासन मंत्रीजी को इंटेलिजेंसी की अकड़ है, गहराई है, इनको इंटेलिजेंस नहीं है। इनको 154 का मद है। मैं अतिक्रमण हटाने की बात कर रहा हूं। मैंने सवाल जो

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

आपसे पूछा है, मैंने आपरेशन पिंक का नाम नहीं लिया है। राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र, जिसमें दिल्ली जैसी सुविधा अलवर जिले की नौ पंचायत सम्मितियों में होनी चाहिए, जहां ट्रेसपास हो गया, कहीं साइकिल-रिक्शा निकलने तक का रास्ता नहीं है। क्या आप वहां भी यह आपरेशन लागू करेंगे, जैसा आपने अपने बयान में कहा...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कह दिया ना मंत्रीजी ने। यह तो कह दिया ना, हर जिला हैड क्वार्टर पर करेंगे, फिर क्या सवाल है।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्या महोदय, जैसा आपने इस पिंक का जिक्र किया है, मंत्रीजी आपने यह भी कहा है कि 16 तारीख से या 10 तारीख से पूरे राजस्थान में चालू कर रहे हैं तो क्या यह पिंक आपरेशन होगा? अतिक्रमण हटाने का आपरेशन है। मैं चाहूंगा कि अलवर में मंजीत सिंह जैसी शख्सियत मैं देखना चाहता हूं जो अलवर में कम से कम एन.सी.आर. के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाये। आप एक और मंजीत सिंह भेजिये जहां दिल्ली में जैसे आवासीय हो या किरण बेदी को भेजिये या मंजीत सिंह को भेजिये। हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन जिनने कानून तोड़ा है, उनको पुरस्कृत नहीं करें, यह मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन गहलोत। आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं दो लाइन में जवाब दे दूं। एक तो माननीय जगमाल सिंह जी ने बरामदों का उपयोग 40 साल तक, 50 साल तक लोगों ने किया, इसकी बाबत् जिक्र किया है, आपकी बात में वजन काफी है, कृपया लिखकर दें। गरीब आदमियों के लिए आपने कहा कि जो लोग, गरीब लोग हैं, वे लोग बेरोजगार कर दिये गये, उनको किसी प्रकार का अब हक नहीं है। यह संवेदनशील सरकार है। यह बेरोजगार नहीं करना चाहती किसी भी गरीब को। अगर कोई केबिन लगाकर अपना रोजगार चलाता था, फर्क इतना ही था कि वह जिस जगह उसने लगा रखी है, वह यातायात में बाधक था। (व्यवधान) श्रीमान् कृपा रखें।

श्री सांवर लाल : जो सब्जी वाले हैं, जूते गांठने वाले हैं, आज आप उसकी हालत देखिये, उनकी क्या स्थिति हो रही है। केवल कागजों में पुनर्वास करने से पुनर्वास नहीं होता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बिराज जाएं, उसका जवाब दे दूंगा। आप सवाल पूछते जाएं, मैं जवाब देता रहूंगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ... अलवर में 11 एम.एल.ए. ने अतिक्रमण कराया है। अलवर जिले में जिन्होंने अतिक्रमण किया है, उसकी जांच कराई जाए। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह सरकार संवेदनशील सरकार है। यह नहीं चाहती कि किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार बनाया जाए और इसी योजना के तहत एक लाख कियोस्क बनाने का पूरे अगले चार साल में सरकार ने लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

की प्राप्ति के लिए हर साल 20-20,000 कियोस्क बनाई जा रही है मुख्य मंत्री रोजगार योजना के तहत। मरे ख्याल से अलवर में भी बनाई जा रही है। (व्यवधान) एक मिनट आप बिराजें, मैं आपके आखिरी सवाल का जवाब देता हूं। तीसरा सवाल आपका था कि अधिकारियों की मिली भगत थी। इसका मैं पहले से जवाब दे चुका हूं और जहां तक आपने एन.सी.आर. क्षेत्र में अतिक्रमण की बात कही है, आप कृपया मुझे जरूर लिखें, मैं उचित कार्यवाही जरूर करूंगा (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ... इनकी जांच हो। अलवर में जिन 11 एम.एल.ए. ने अतिक्रमण किया है, उन अतिक्रमणों की जांच कराई जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? माननीय जगमाल सिंह जी (व्यवधान),

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं क्षमा चाहूंगा धारीवाल साहब से...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी, नहीं नहीं, प्लीज सिट डाउन। नहीं, यह डिबेट नहीं है, आपकी बात हो गई। प्लीज सिट डाउन।

श्री जगमाल सिंह यादव : ... जिसकी जितनी भारी मूंछ, उसकी उतनी बुद्धि मोटी होती है। (व्यवधान) इन्होंने कुंभकर्ण दिया, अहिरावण दिया, उनके सबके बड़ी-बड़ी मूंछे थीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इतना सीरियस सवाल है, आप मजाक कर रहे हैं। इतना सीरियस डिस्कशन हो रहा है, आप मजाक कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह जगमाल सिंह यादव, लालटेन वाला, केवल अपने पैतृक गांव में लुहार के यहां रहता है। कहीं मकान नहीं है। अगर अतिक्रमण है तो बी.जे.पी. के लोगों का है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये। माननीय जगमाल सिंहजी।

श्री जगमाल सिंह यादव : ...और जो जौहरी बाजार में हुआ है, वह भी भाजपा का है और मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने जयपुर को सुन्दर भी बनाया और एक राजनैतिक खेल पहली बार खेला है। + + +

श्री उपाध्यक्ष : आप इश्यू को डाइल्यूट कर रहे है बोल-बोलकर। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इसका मतलब यह है उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आप इसकी गम्भीरता को ही नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि इसको डाइल्यूट कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : ...इसका अर्थ यह है कि हमारे सरकारी मुख्य सचेतक भी + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं क्षमा चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं, ज्ञानदेव जी आहूजा साहब, आपने मूंछों का अवमूल्यन करवा दिया इस सदन में इसलिए उतना ही बोला करिये जितना आवश्यक हो। मूंछों का पहली बार अवमूल्यन हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। (व्यवधान) जगमाल सिंह जी।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : उपाध्यक्ष महोदय, शांति धारीवाल जी, स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने आज सदन में तो स्टेटमेंट दिया है, मैं सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से राजस्थान की जनता और खास तौर से जयपुर की जनता राज्य सरकार को और शांति धारीवाल के मंत्रिमण्डल को सही मायने में आभार प्रकट करती है। मैं सोचता हूं कि राजस्थान के अन्दर...(व्यवधान) नहीं, कहीं, गलत बात है। आप तो चाहते यही हो। (व्यवधान) लेकिन जो जनता की भावना है, जो पिंक आपरेशन किया गया...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) आप बोले जब तो कोई बोला नहीं। ये प्रश्न कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : यह मंत्रिमण्डल किसका है, गहलोत साहब का है या धारीवाल साहब का है? (व्यवधान)

श्री जर्नादन गहलोत : आपने भी तो अपनी भूमिका बनाई, मैं भी तो अपनी भूमिका बना रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह मंत्रिमण्डल धारीवाल साहब का है या अशोक जी गहलोत का है? (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : मैं राजस्थान के मंत्रिमण्डल को बधाई देना चाहता हूं (व्यवधान) इसमें पूरी सरकार आती है। सही मायने में राजस्थान की जनता ने जो इसमें निर्णय किया, इस पिंक आपरेशन के अन्दर मैं सोचता हूं, 50,000 आदमियों की नाराजगी हो सकती है लेकिन जयपुर के 24 लाख आदमी आज इस बात की तारीफ कर रहे हैं और मैं सोचता हूं कि अगर भाजपा नगर निगम के चुनाव में भी आ जाए तो जमानत जब्त हो जाए जयपुर के अन्दर, यह हालत हो गई है आपकी।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये। आप प्रश्न पूछिये।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने छेड़ दिया इसलिए यह बात आ गई, नहीं तो मैं प्रश्न पर ही आ रहा था। खास तौर से धारीवाल साहब ने अपने स्टेटमेंट में एक बात कही कि हमारे अधिकारियों की भी कुछ लापरवाही के कारण, पहले 5,000, फिर 10,000, फिर, 20,000, फिर 50,000 लेते रहे, मुझे इस बात की चिंता है कि सरकार को जब यह बात मालूम है, क्योंकि हम भी जयपुर में देखते रहे हैं, हमारे पड़ौस में भी देखते रहे हैं, अगल-बगल में देखते रहे हैं। सही मायने में जे.डी.ए. के और नगर निगम के कर्मचारी, वहां का आदमी आता और पहले उनकी रेट फिक्स थी कि नींव भरने की रेट अलग, छत डालने की रेट अलग और उसके बाद पूरा मकान

(श्री जनार्दन गहलोत)

बनाने की रेट अलग। यह सारे लोगों को मालूम है। मैं सोचता हूं, इसके ऊपर खास तौर से स्वायत शासन मंत्रीजी को गम्भीर निर्णय लेने होंगे ताकि आगे से जो आपने यह काम किया है, वह आगे से दुबारा नहीं हो, इसके लिए आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए। और मैं सोचता हूं यह आपके विभाग के अधिकारियों को मालूम है, नीचे से इंसपेक्टर राज जिस प्रकार से चला, वह सारा काम-धंधा करते रहे। जयपुर में अतिक्रमण और उसका स्वरूप बिगाड़ने के अन्दर, ये दोनों एजेंसियां, नगर निगम और जे.डी.ए. ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस काम को करके जयपुर को खंडित करने की कोशिश की है, इसके लिए सुनिश्चित योजना आपको बनानी चाहिए। और ऐसे लोग जो जहां बैठे हैं, उनको अगर दंडित नहीं किया गया, उनको अगर निकाला नहीं गया, सस्पैंड नहीं किया गया तो मैं सोचता हूं कि यह घटना आज आप कर रहे हो, तीन-चार महीने बाद पुनः आप ऐसे ही इस व्यवस्था को देखेंगे

(14.00 बजे)

और फिर ऐसे ही अवैध निर्माण होंगे। उसके लिए सुनिश्चित योजना आप क्या बना रहे हैं, एक तो आप मुझे यह बताइये। खास तौर से आपने सब्जी वाले की, जूते गांठने वाले की, पान मसाला बेचने वाले की चाहे धोबी हो चाहे चाय वाला हो, खास तौर से अतिक्रमण में ये लोग ही बैठते हैं...आपने उन सब को हटा दिया। लेकिन जिस जगह आपका आपरेशन हुआ, आपरेशन का दो-तीन दिन तक डर रहा, वैसे ही दुकानें फिर आगे लगने लग गई, उसके लिए आप क्या दोबारा सुनिश्चित कर रहे हैं कि वह दोबारा खोमचे नहीं लगेंगे। यह भी बात आपको खास तौर से अपनी योजना में रखनी पड़ेगी। खास तौर से एक मेरा सुझाव आपको देना चाहता हूं, आप कियोस्क बना रहे हैं लेकिन जयपुर का स्वरूप, आज वह जयपुर नहीं रहा, जगह-जगह कालोनियां बढ़ गई हैं, चारों तरफ फैल गया है, लोगों को सब्जी लेने के लिए जाना ही पड़ता है। आपसे मेरा निवेदन है कि एक आइडेंटिफाइड एरिया हर कालोनीवाइज आपको करना चाहिए ताकि सड़कों पर वह न आयें और एक आइडेंटिफाइड एरिया हर मौहल्ले में, हर कालोनी में करें जिसमें वह पान वाला, जूते वाला, चाय वाला, धोबी, जूते गांठने वाला सब बैठें, उसके लिए आइडेंटिफाइड प्लेटफार्म वहां बना दें। मेरा एक सुझाव है, कियोस्क की बजाय भी आप उसके ऊपर पहियों वाला ही दें जैसे रेलवे प्लेटफार्म पर होता है, जहां रोजगार चल जाय उधर लगा लें, शाम को वापस ले जाय ताकि एनक्रोचमेंट न हो। नहीं तो वही थड़ियां एक की बजाय दो लग जायेगी, तीन लग जायेगी, चार लग जायेगी, वही हालत हो जायेगी। इसलिए आप इसको एक योजनाबद्ध तरीके से बनायें।

दूसरे, मैं जिक्र सुन रहा था उन दिनों कि भाई महेन्द्र मीणा जिसकी मृत्यु हुई, मुझे मालूम है, मेरे अजमेर रोड पर उसकी ठेले की दुकान लगी हुई थी, उसके भाई की

(श्री जनार्दन गहलोत)

दुकान सामने लगी हुई थी, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं, विरोधी दल के लोग उस दिन बोल रहे थे, उसकी हत्या करा दी गई, उसके टूटने से हो गई। मैं जानता हूं, मेरी कबड्डी का खिलाड़ी रहा है, युवक मण्डल, सोडाला से खेलता रहा वह लड़का, सही मायने में आदतन छह बजे से दारू पीना शुरू कर देता था और मुझे मालूम है, मैंने आंखों से देखा है, जब आपके सोडाला के ऊपर अतिक्रमण, मंजीत सिंहजी करा रहे थे, तोड़-फोड़ कर रहे थे वह अपना ठेला उठाकर पहले ही ले गया। मेरे ख्याल से आपके जे.डी.ए. के रिकार्ड में सर्वे की लिस्ट में उसका नाम भी नहीं है। मुझे आप से भी मालूम पड़ा, लेकिन मुझे मालूम है, उसके परिवार के लोग, उसके भाई वगैरह मुझे मिले थे। उसका लिस्ट में नाम नहीं है। पन्द्रह दिन बाद वह जहां मरा वह शराब पीकर गिर गया। उसका न पोस्टमार्टम हुआ। आपके रिकार्ड में कहीं पोस्टमार्टम हुआ है? तो ऐसी स्थिति में बी.जे.पी. के लोगों को तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। क्वेश्चन कीजिये आप, कोई स्टेटमेंट नहीं। यह इश्यू ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय उपाध्यक्षजी, जिस दिन यहां विरोधी दल के लोग बोल रहे थे उस दिन मतलब यह केवलमात्र अखबारों की कटिंग्स से इनको खुद को मालूम हुआ था...

श्री उपाध्यक्ष : यह इश्यू इनसे रिलेटेड नहीं है, इनसे रिलेटेड नहीं है।

श्री जनार्दन गहलोत : इनको भी यह मालूम नहीं था...(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : आप तय कर लो इस बात को। बिलकुल है। मैं आपको कह सकता हूं, अगर वह शराब पीता हो...

श्री जनार्दन गहलोत : पिंक आपरेशन में उसकी थड़ी थी ही नहीं, पिंक आपरेशन में उसकी थड़ी क्यों नहीं आयेगी...

श्री कन्हैया लाल : माननीय गहलोत साहब, मैं आपको कह सकता हूं, अगर वह शराबी हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप इस्तीफा दे देना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री कन्हैया लाल : इस बात पर, अगर वह शराब पीता हो तो। जबरदस्ती उसको शराबी बता रहे हो। जबरदस्ती उसको मार दिया और फिर यह कह रहे हो कि वह शराबी है।

श्री जनार्दन गहलोत : बैठ जाइये कन्हैया लालजी, मुझे मालूम है।

श्री कन्हैया लाल : आप जबरदस्ती यह कह रहे हो।

श्री जनार्दन गहलोत : सदन में कोई बात आये पिंक आपरेशन से संबंधित, उसकी बात...

श्री उपाध्यक्ष : इस इश्यू से नहीं है संबंधित। यह चर्चा में ही नहीं है, आप क्यों ला रहे हो। यह होम मिनिस्टर से...(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : अगर आपकी इस बात में वजन हो तो आप कह दो इस बात पर कि वह शराब पीता है। जबरदस्ती शराब पीता है, शराब पीता है, कर रहे हो।

श्री जनार्दन गहलोत : आपरेशन पिंक के अंदर चर्चा में थड़ी उठाने की बात तो है, थड़ी उठाने का ही तो टारगेट बनाया गया इसलिए मैंने अगर कोई बात कहीं है...

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अगर कोई जानकारी है तो वह हाउस को देनी ही चाहिए।

श्री कन्हैया लाल : +++ इस बात के लिए...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री कन्हैया लाल : पहली बात तो उस लड़के को मरने पर मजबूर कर दिया आपने, उसको आत्महत्या करनी पड़ी और आप कह रहे हैं कि शराब पीता है वह। आप तक उसने...

श्री उपाध्यक्ष : इनको बोलने देंगे, इनको अलाऊ करूंगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप कोई कवेश्चन करना चाहते हैं तो कर लीजिये।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में सवाल...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : या तो गहलोत साहब इस्तीफा दें या यह इस्तीफा देने वाले सदस्य हैं, या तो आप यह सिद्ध कीजिये कि वह शराब पीता था, या तो यह इस्तीफा दें या आप इस्तीफा दीजिये।

श्री जनार्दन गहलोत : अगर सर्वे रिकार्ड में उसका नाम निकल जाय और वह...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : वह अलग बात है।

श्री जनार्दन गहलोत : क्या बात कर रहे हैं। क्या तो आप चैलेंज कर रहे हैं मेरे को, आपको जयपुर की ए बी सी डी मालूम नहीं। भंवरलालजी कुछ कहते तो समझ में आता मुझे।

श्री कन्हैया लाल : किस को मालूम नहीं है ए बी सी डी।

श्री जनार्दन गहलोत : आपको जयपुर की ए बी सी डी का मालूम नहीं है। भंवर लालजी कुछ कहते तो मुझे समझ में आता।

श्री कन्हैया लाल : कब से बसा है, आप बता तो दो। जब सोडाला गांव पंचायत में था, मंगला पंचायत का गांव था यह, तब से वह व्यक्ति वहां बसा हुआ था। आपको पता है इस बात का। मेरे नवयुवक मंडल में था, शराब पीता था +++

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री जनार्दन गहलोत : चलिये। आपकी जाति का मामला है, बोल देना आपका सब्जेक्ट आये तब। चलिये। माननीय स्वायत्त

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जनार्दन गहलोत)

शासन मंत्रीजी से अंत में यह कहना चाहूंगा, अब आगे से अवैध निर्माण हो उसके लिए कोई जोनवाइज आपने व्यवस्था की है, या कोई ऐसी व्यवस्था की है कि जिससे अब यह अवैध निर्माण नहीं होंगे ताकि आपने इतनी जो कार्यवाही की है, आगे अवैध निर्माण नहीं हो उसके लिए कोई जोनवाइज आपने योजना बनाई है तो कृपया उसको बतायें और खास तौर से एक बात और पूछना चाहता हूं कि जो तहखाने, बरामदों के नीचे जो तहखाने बन गये हैं उनके लिए अब क्या कार्यवाही आप करने वाले हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, तहखाने जो बन चुके हैं, उन तहखानों को अब आप बंद कराने की कार्यवाही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसी घटना घट जाय कि कोई तहखाना नीचे से टूट जाय, ऐसी वारदात हो जाय। पटरियों पर से लोग चलेंगे बरामदों में से, नीचे तहखाने लगे हुए हैं, कोई ऐसी घटना नहीं हो जाय, उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं। अंत में एक बात और कहना चाहता हूं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से कि क्या डाक्टर मंजीत सिंहजी को सम्मानित करने जा रही है राज्य सरकार जिसने इस प्रकार का जिम्मेदारी का काम किया, उसको कोई सम्मानित करने की भी योजना है आपके पास। उसके लिए भी जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी।

श्री जनार्दन गहलोत : मेरी बात का जवाब तो आये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंजीत सिंह क्या करेंगे, सम्मानित करो तो शांति धारीवाल को करो।

मोहम्मद माहिर आज़ाद : हां, धारीवालजी को सम्मानित करो, मंजीत सिंहजी को क्या करेंगे।

श्री जनार्दन गहलोत : आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, उससे आप क्यों चिंतित हो रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कई प्रकार के सवाल उठेंगे और उससे बेहतर यह है कि जो कार्य योजना अब बनी है, जिस प्रकार से अभियान यह पूरे राजस्थान में चलाया जायेगा उसके कुछ बिंदुओं को निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पूरा सुन लीजिये, फिर आप यह बता देना, बार-बार उठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो जैसा आप फरमायेंगे, वैसा करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बार-बार उठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फाइनली आप बता देना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जैसा आपका आदेश होगा वैसा करूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से मैं अगर यह सब कोई बिंदु बोल दूंगा तो कई प्रकार से सवाल उठेंगे ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

मास्टर प्लान जो जयपुर का बनाया गया था यह आपके राज के टाइम का बनाया हुआ है, सितम्बर, 1998 में यह मास्टर प्लान लागू किया गया और मास्टर प्लान में ही कौनसी सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, यह दर्शाया गया है। मास्टर प्लान को लागू करने का कार्य कोई भी सरकार हो चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, वह लाजिमी है लेकिन उन सब बातों को भी एक तरफ रखते हुए मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में अब यह अभियान किस प्रकार से चलाया जायेगा। नम्बर एक। किसी भी मार्ग, सड़क पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम को समाचार पत्रों के माध्यम से तथा एलान कर चार-पांच दिन पूर्व अभियान की घोषणा की जायेगी। नम्बर दो। प्रमुख सड़कों के अलावा आंतरिक सड़कों पर भी अवैध तरीके से लगे हुए कियोस्क, बूथ को तभी हटाया जायेगा जबकि वह यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहा हो। नम्बर तीन। मास्टर प्लान योजना में स्वीकृत रोड बाउण्ड्री को मौके पर दर्शाने हेतु सबसे पहले रंग के निशान लगाये जायेंगे, रोड बाउण्ड्री सिर्फ दिखाने के लिए, इससे मौके की स्थिति का आकलन होने के अलावा क्षेत्रवासियों को सड़क की चौड़ाई अर्थात जो तय की गई है चौड़ाई, चौड़ाई की जनकारी हो सकेगी। बिल्डिंग लाइन जो निर्धारित है वह यदि आज की स्थिति में व्यावहारिक नहीं है तो कम से कम निर्माण ध्वस्त हो, को ध्यान में रखते हुए नई बिल्डिंग लाइन अभियान के तीन दिन पूर्व घोषित कर दी जायेगी। ठीक है साहब? आगे बढ़ाऊं?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : समय बढ़ाओ इसका।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : समय बढ़ाना मेरे वश में नहीं है। समय बढ़ाते-बढ़ाते आपने आठ साल गुजार दिये और नतीजे के नाम पर सिफर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : चालीस साल गुजार दिये या आठ साल गुजार दिये, वह भी मैं कहूंगा, अभी उस विषय पर मत जाइये। अभी तो जो चल रहा है उसको चलने दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं निवेदन करता हूं—

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह जो तीन दिन का समय दिया है, बिल्डिंग लाइन के पार के अतिक्रमणं हटाने का, यह कम रहेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं निवेदन कर रहा हूं आगे। जिस किसी सड़क से अतिक्रमण हटाया जायेगा उस पर तीन दिन पूर्व लाल निशान यानि कि ध्वस्त किये जाने वाले निर्माण पर लाल निशान लगा दिया जायेगा एवं विवरण तैयार किया जायेगा कि किस सम्पत्ति का कितना हिस्सा तोड़ा जाना है। नम्बर छह। निजी भूमि पर, डाक्टर साहब, जरा सुन लीजिये। निजी भूमि पर यदि कोई निर्माण अवैध तरीके से बनाया गया है तो उस मामले में नोटिस देकर कार्यवाही की जायेगी। आपका सवाल था

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कि अतिक्रमण के लिए नोटिस दिया जावे। अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण की परिभाषा समझते हैं आप, अतिक्रमण होता है सरकारी जमीन पर, और सरकारी जमीन पर अगर कोई कब्जा होता है तो उसको नोटिस देना कानूनी आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) नम्बर सात। फुटपाथ, सड़क या अन्य सरकारी जमीन पर यदि कोई छोटा-मोटा कारोबार कर रहा है व इसे हटाना, सुगम यातायात के लिए जरूरी है तो ऐसे छोटे व्यवसायी के लिए अतिक्रमण हटाने से पूर्व सूची तैयार कर ली जायेगी। नं. 8, अभियान के दिन जिन लघु व्यवसाइयों को हटाया जाएगा उनकी सूची वहीं जलसे आम में तैयार की जाएगी व ऐसे विपस्थिति को उसी दिन संबंधित अधिकारी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था कियोस्क आवंटन की पात्रता होने की एक पर्ची दे दी जाएगी। किसी भी क्षेत्र से विस्थापित व्यक्ति को 15 दिन के अन्दर-अन्दर यथासम्भव उसी क्षेत्र में पुनर्वासित कर दिया जाएगा। पुनर्वास में भूमि की कीमत के रूप मे कोई राशि नहीं ली जाएगी। केवल एक हजार रुपये प्रशासनिक व्यय के रूप में लिये जाएंगे। भूमि की कीमत नहीं ली जाएगी। भूमि बहुत कीमती है कई जगह बीस हजार रुपये स्क्वायर मीटर है कई जगह तीस हजार रुपये स्क्वायर मीटर है। नं. 11, मुख्य सड़कों की साइड रोड पर चलते फिरते ठेला व्यापारियों को अन्दर की सड़कों पर घूमते रहने की स्वतंत्रता होगी परन्तु यातायात में बाधा पहुंचाने की छूट नहीं होगी। नं. 12, भविष्य में हटाये जाने वाले अतिक्रमणों में पुनर्वास हेतु व्यापक पैमाने पर कियोस्क आदि का निर्माण हाथ में लेने हेतु निर्देशित किया गया है वही सब्जी व अन्य फुटकर धन्धों के लिए उपयुक्त स्थानों पर भूमि चिन्हित/आरक्षित करने हेतु भी निर्देश दिये गये हैं। जयपुर में 636 कियोस्क की उपलब्धता के साथ-साथ पांच सौ से अधिक स्थानों का चयन कर कियोस्क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। हाल ही में पचास लाख रुपये की विशेष स्वीकृति कियोस्क निर्माण हेतु प्रदान की गई है व यह प्रक्रिया सबके पुनर्वास तक जारी रहेगी। नं. 13, जिन सड़कों पर से अतिक्रमण हटाया है उस सड़क पर, आपका जवाब है यह। जिन सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया है उस सड़क पर 6 बाई चार का एक बोर्ड लगा दिया जाएगा जिस पर उस हलके के अधिकारी का नाम व दूरभाष नम्बर अंकित होंगे ताकि यदि कोई अतिक्रमण करे तो आम जनता अपनी शिकायत उसको दर्ज करवा सके। 48 घंटे में यदि कार्यवाही नहीं होने पर किस उच्चाधिकारी को बताया जावे उसका नाम व दूरभाष नम्बर भी बोर्ड पर लिख दिया जाएगा और इसी की क्रियान्वित में जयपुर में जिन-जिन सड़कों पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया वहां पर बोर्ड लगा दिया गया है जिसकी सूची मेरे पास है, अधिकारी के नाम भी हैं। आखिरी दो बिन्दु और हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण हटाई गई सड़कों पर विकास के कार्य भी साथ-साथ हाथ में लेने के लिए निर्देश दिया

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

जा चुका है। जयपुर शहर में अब तक की स्थिति के अनुसार 1800 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सब जगह काम चल रहा है। इस कार्यक्रम में जनता की भागीदारी को देखते हुए राज्य सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी साहब ने 1600 लाख रुपये के विशेष बजट का प्रावधान किया है। और आखिरी बिन्दु है कि चूंकि यह अभियान आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने हेतु हाथ में लिया गया है, अतः आम जनता की भावना व सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देने के साथ-लघु व्यवसाइयों के जीवन निर्वाह के साधनों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार उपरोक्त उल्लेखित दिशा-निर्देशों से यह अभियान और कार्यक्रम अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से सम्पादित हो सकेगा। मैं समझता हूं कि अब इसके बाद कोई प्रश्न बचा नहीं है और फिर भी अगर आप कोई प्रश्न करेंगे तो उसका जवाब दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पूछिये कटारिया साहब।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही पूछना चाहता हूं किये जो दिशा-निर्देश अभी आपने पढ़े हैं क्या वे इस ऑपरेशन पिंक के प्रारम्भ होने से पहले जारी कर दिये गये थे। मंत्री महोदय, मेरी बात को शायद सुना होगा मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो आपने गाइड लाइन्स बताई है क्या इन...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं सुन रहा हूं। बहुत गम्भीरता से सुन रहा हूं साहब। मैं आपकी बात ही नहीं आपको स्वयं को भी गम्भीरता से लेता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरे को तो लेना ही पड़ेगा। मेरे को अगर आप गम्भीरता से नहीं लेंगे तो बहुत कष्ट पाएंगे। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि जो गाइड लाइन्स आज आपने पढ़ी क्या इन गाइड लाइन्स की आपने आपरेशन पिंक के प्रारम्भ करने से पहले अधिकारियों और जनता को जानकारी दे दी थी और उन गाइड लाइन्स के आधार पर ही यह आपका आपरेशन पिंक चला था क्या? एक सवाल। दूसरा यह है कि क्या जिनको आपके जे.डी.ए. ने या नगर पालिका ने विधिवत कियोस्क लगाने की स्वीकृति देकर उनसे जो भी राशि है वह वसूल करते जा रहे थे ऐसे कितने लोगों को आपने सूचना देकर उनको तोड़ा गया अगर बिना सूचना के ही उनको तोड़ा गया और उसके कारण उनके जो सामान की हानि हुई अगर आप उनको मौका देते तो शायद वे अपना सामान उठा करके बचा लेते। वह बचाने का मौका भी आपने नहीं दिया। जिसको आपने विधिवत बैठाया था जिसका नियमित किराया आपका जे.डी.ए. वसूल करता था ऐसे कितने लोग थे और उनकी सम्पत्ति जो नष्ट की है क्या उनको नष्ट करने वाले व्यक्ति का भी कोई अपराध मानते हैं कि नहीं मानते हैं। उसने उस प्रक्रिया को पूरा किया कि नहीं जिस प्रक्रिया के आधार पर उसको इस काम को करना है? क्या यह भी सत्य है कि इसमें कुछ भवन ऐसे टूटे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हैं और कुछ ऐसे स्थान हैं जिन पर न्यायालय का स्थगन आदेश जारी था और स्थगन आदेश के जारी होते हुए भी आपने एक तरह से मनमानी करके कोर्ट की अवहेलना करके अपना जोश दिखाने की दृष्टि से कार्यवाही की तो आपके खिलाफ अवमानना के कितने केसेज कोर्ट में हुए हैं इस बारे में? उसके बारे में आपने कोई देखने की कोशिश की किसी आदमी के कागज? आप आगे तो बता रहे हो कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये सब बाद की बातें हैं। सवाल यह है कि यह आपको + + + अगर चढ़ा तो इन नियमों के तहत चढ़ता तो हम शांत हैं कि आप में कोई चीज करने की है। आप में + + + तो चढ़ गया और अब उसका इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हो। यह इजाजत जनता नहीं देती है। आप कार्यवाही करें किसी को कोई एतराज नहीं होगा लेकिन जो नियम हैं उनकी पालना करते हुए करें तो हर व्यक्ति आपकी सराहना और आपकी तारीफ करेगा लेकिन आपने मनमर्जी में कर लिया और अब उसको आवरण पहनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने नियमों में किया है। मैं सब एक-एक फाइल लेकर के आया हूं जिनमें आदेश आपके हैं और आपके आदेश पर उसने चीज बनाई उसको आपने तोड़ दी कि चालीस फिट की सड़क को चूंकि हम नयी योजना के अनुसार 80 फिट करेंगे। जब चालीस फिट थी उसने मकान बना लिया उसका क्या गुनाह? अगर आपको 80 फिट करना है तो जरूर करें लेकिन कम से कम उसका मुआवजा तो आप पहले दें। उसके आधार पर आप जाकर के उसका भवन गिरावें तो समझ में आ सकता है लेकिन अपनी मर्जी से तो दो सौ फिट की सड़क कर लेंगे कल व आने वाली पीढ़ी पांच सौ फिट की सड़क कर देगी और सबको बुल्डोजर से तोड़ देगी। बिना पूछे हम यह हटाते हैं यह क्या मनमर्जी नहीं है? यह कोई कानून की पालना करके हमने की है और जिन लोगों को आपने उजाड़ा है आप कह रहे हैं, क्या किसी गरीब की औकात है कि वह इस जौहरी बाजार में कहीं थड़ी लेकर के बैठ सकेगा? क्या वह अपना धन्धा कर सकेगा? कहने के लिए बहुत आसान है। आज एक छोटा सा टुकड़ा 4×4 का भी वहां 20 लाख में नहीं मिले। उस गरीब के घर में बीस केलूड़े भी नहीं है। वह किस तरह अपने बच्चों को पालने के लिए उस मोहल्ले में और उस जगह बैठेगा जहां उसको रोजगार मिलेगा और आपने रोजगार लगाने का नाटक किया केवल मात्र और नाटक करके आप बहुत प्रसन्न हो रहे हो। लेकिन यह बात ध्यान रखना उस गरीब की हाय अच्छे-अच्छों को लेकर डूबी है और आपको भी लेकर डूबेगी। इसका मैं आज वर्णन कर रहा हूं और अगली बार आपको बताऊंगा कि आपने पाई-पाई उस गरीब की पीड़ा की चुकायी है कि नहीं चुकाई? अब आपने क्या किया मैं केवल एक पान की थड़ियों को गिना रहा हूं मतलब आप किस तरह क्या करना चाह रहे हैं मैं

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कहता हूं समस्या का हल निश्चित रूप से होना चाहिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सवाल पूछ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाषण से।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं उन्हीं का। मैंने कौन-सा सवाल नहीं पूछा ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सवाल पूछिये। आप तो हाय आदि की बात कर रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने जो पूछा है वह सवाल ही पूछा है और कोई चीज नहीं पूछी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने जिनको वापस लगाया, आपने केवल 86 पान वालों को मैं सूची पढ़ रहा हूं कि आपने 18 पान की थड़ियां दुर्गापुरा स्टेशन के बाहर, 6 पान की थड़ियां इमलीवाला फाटक पर, 16 पान की थड़ियां लगायी मालवीय नगर में "डी" ब्लाक में, 8 पान की थड़ियां लगाई आपने मालवीय नगर में "डी" ब्लाक में, 6 पान की थड़ियां लगाई गोपालपुरा में, 14 पान की थड़ियां लगाई कामधेनु कॉम्प्लेक्स में और 18 पान की थड़ियां लगाई विद्याधर नगर में। क्या ये पान की थड़ी वाले एक जगह गुजारा कर सकते हैं? ये जितने भी आपके जो इस तरह के लोग खड़े होते हैं वे मजबूरी में खड़े होते हैं। किसी को कोई शौक नहीं है कि वह जबरन जाकर के वहां करेगा। वह इसलिए करता है कि उस एरिये में उसका सामान बिकता है उसको दो पैसे की आमदनी होती है। आस पास की बस्ती को उस चीज की आवश्यकता होती है और उनको दूर नहीं जाना पड़े इस कारण से वो उस जगह जाकर लगाता है। ऐसे किसी को + + + नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जवाब दे दूं फरमावें तो ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं मेरी बात तो समाप्त कर लूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं मैं इस बात को स्वीकार करता हूं जो आप कह रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं न इस बात का।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हां, तो मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं न। आपको इतना उतावलापन क्यों हो रहा है। ऐसा कौन सा तीर मार लिया जो आपने यह किया और रोज इस बात को कहना पिछली सरकार ने, ईमानदारी से आप इन बातों को ही पढ़ लें। ये जितने जो कब्जे थे ये कितने सालों से थे अगर आप इनको अतिक्रमण कहते हैं तो ये कब से हैं, अपने पूर्वजों के जमाने से भी है इसको भी स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। केवल किसी को गाली देकर के अपने आपको अपने कर्त्तव्य से इतिश्री करने का प्रयास मत करिये। गलती किसी से भी हुई है, गलती हुई है और उस गलती का सुधार होना चाहिए लेकिन बार-बार कह कर के

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

केवल उसको रंग देने का प्रयास मत करिये। मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि इन सवालों के बारे में मैं एक-एक केस को नहीं पढ़ना चाहता हूं। सांगानेर में आपने जो तोड़ा है यह आज का नहीं बना हुआ है, यह 60 साल से बना हुआ है। और स्वयं गहलोत साहब ने उसकी दरख्वास्त पर, जिस समय इसके बारे में एक नोटिस आया था तब आपने स्वयं ने पत्र के ऊपर रिकमन्डेशन लिख कर भेजी थी और यह कहा था कि यह बहुत पुराना नियमन है। यह 1977 में लिखा है आपके दस्तखत शुदा है। जो 50-60 साल से बना हुआ है उसको आप एक मिनट भी नहीं देते हो और धराशाही कर देते हो, यह कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है। इसी तरह से आपने देखा होगा यह जो कांतिचन्द रोड है इस पर जो कच्ची बस्ती के प्लाट है, प्लाट नंबर एस-1, एस-7, एस-8, एस-9 इनको जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित पत्र के द्वारा दिया गया। फिर इनकी क्या गलती है जिसके कारण इनको तोड़ा गया और आप बहुत तारीफ कर रहे हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने अतिक्रमण किया तो आप निश्चित रूप से हटाओ। उसमें न कोई आपको ना कहने वाला और ना कोई आलोचना करने वाला है। लेकिन इस अतिक्रमण के नाम पर आप मनचाहे करोगे, यह कभी भी स्वीकार नहीं होगा। आपके अधिकार पत्र के द्वारा जो लोग बैठे हैं उन लोगों को आपको निश्चित रूप से उसी ढंग से लेना पड़ेगा। स्टेशन रोड पर जो प्लाट नंबर 2-डी है, यह क्या नक्शा अनुमोदित नहीं था? अनुमोदित नक्शे के आधार पर उसे बनाया, उसको आपने गिरा दिया। गिरा दिया उसका तो वह जिसने यह अनुमोदन किया उस आदमी के खिलाफ आपने क्या किया? सवाल यह है कि हम केवल एक पक्ष को देख रहे हैं कि उसी की गलती थी। माननीय सदस्य की भावना से मैं भी मिलना चाहता हूं जिसने भी गलती की है...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्लाट नंबर क्या है उसका?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : प्लाट नंबर 2-डी है। अगर आप इसको निश्चित रूप से सही अंजाम देना चाहते हैं तो आप उन अधिकारियों को आइडेंटीफाई जरूर करो जिन्होंने पैसे खाकर यह स्वीकृतियां दी। अगर गलत स्वीकृति दी तो वह भी दण्डित होना चाहिये। केवल अकेले उस आदमी को दण्ड नहीं मिलना चाहिये क्योंकि उसके पास तो स्वीकृति आई है, चाहे वह पैसे देकर आई हो, चाहे कैसे भी आई हो और उसके आधार पर उसने बनाया है। उसको दोष होगा लेकिन उसके साथ उस आदमी का भी दोष है जिसने उसको विधिवत स्वीकृति दे दी। विधिवत कानून के तहत जिनका अधिकार था उन अधिकारों को आपने नजर अंदाज कर के उनको सुना नहीं, उनको मौका नहीं दिया और अब आप एक सूची पढ़ रहे हैं। यही सूची अगर आप दो महीने पहले जारी कर देते तो शायद किसी को बोलने का मौका नहीं रहता। लेकिन उस समय तो अपनी मनचाही चलाई और अब

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

फंस गये हैं तो नियम बनाने बैठ गये हैं। दोनों को मिलाइए मत, दोनों को अलग-अलग कर के चलिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, वह जवाब दे रहे है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कई सवाल एक साथ पूछ लिये और उसके साथ भाषण भी ऐसा दे दिया और भाषण में भी कई बातें आपने ऐसी कह दी कि साहब + + + है, यह है, वह है। खैर, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता मुझे अफ़सोस होगा आप जैसे स्तर के आदमी अगर यह भाषा बोले तो।

सवाल यह है कि आपने यह कहा कि जे.डी.ए. ने उन कियोस्क को भी हटा दिया जो कि उसके द्वारा स्वीकृत थीं। माननीय सदस्य महोदय, इस बात को ध्यान रखना चाहिये कि जे.डी.ए. अगर किसी बूथ की स्वीकृति देती है तो एक निश्चित स्थान के लिये देती है। उसको यह अधिकार नहीं देती कि उस आज्ञा पत्र के आड़ में मर्जी आये जहां उठाकर रख ले। उन्हीं कियोस्क को हटाया गया है जिन्होंने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। (व्यवधान) सुनिए प्लीज डाक्टर साहब, बाद में पूछ लेना, आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। लेकिन अगर इस प्रकार के केसेज भी हुए कि जिस स्थान के लिये उसको स्वीकृति दी गई और फिर भी जे.डी.ए. के द्वारा या निगम के किसी अधिकारी के द्वारा अभियान के दौरान हटा दिया गया तो उसकी जांच की जा रही है। दूसरा निवेदन यह है कि जितने भी लोग जिनका नाम सूची में आया है उनको पक्के कियोस्क देने का सरकार का इरादा है और इसीलिए यह कियोस्क बनाये जा रहे हैं।

तीसरी बात आपने यह निवेदन करी थी कि क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? उसका तो जवाब आ चुका है। पहले माहिर साहब ने भी पूछा था, यादव साहब ने भी पूछा था और गहलोत साहब ने भी पूछा था कि उन अधिकारियों के बाबत् जो कुछ भी शिकायत आई है उसकी जांच की जायेगी।

जो आपका पहला सवाल था उसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि अभियान की शुरूआत हुई 29 फरवरी से 21 फरवरी से ही लगातार समाचार पत्रों में इसके बाबत् सूचना दे दी गई। लगातार सूचना प्रकाशित कर दी गई कि इस सड़क पर अतिक्रमण विरोधी अभियान इतनी तारीख से चालू होगा। अभियान इस पाइंट से शुरू होगा और इस पाइंट पर खत्म होगा। अब सवाल यह रहता है कि मेरे स्टेटमेंट में मैं पहले ही आपसे निवेदन कर चुका हूं कि कहीं न कहीं कोई छोटी-मोटी गलती जरूर रही होगी जिसको दुरूस्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि चर्चा बहुत हो चुकी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन पाइंटेड सवाल हैं।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई पाइंट इसमें नहीं रहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे को तो आपने अनुमति दी है।

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति दी है लेकिन विपक्ष के आपके नेता ने विस्तार से सारी बात बता दी, उसके बाद कोई रहा नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने विस्तार से सारी बातें कह दीं इनके लिये कुछ छोड़ा ही नहीं, यह क्या करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस अभियान की चर्चा के बारे में मंत्री जी कह रहे हैं कि यह चर्चा देश और देश की सीमा के बाहर भी हो रही है। मंत्री महोदय, मैं पाइंटेड सवाल करना चाहता हूं कि इस "आपरेशन पिंक" को चला कौन रहा है, सरकार चला रही है या नगर निगम चला रहा है? अगर सरकार चला रही है तो नगर पालिका अधिनियम की कौनसी धारा के अन्तर्गत चला रही है? आपने अभी यह कहा कि 29 फरवरी से मनजीत सिंह जी और डाइनासोर ने शहर में तबाही मचाना चालू कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 20 फरवरी को जब अतिक्रमण हटाया, नगर पालिका अधिनियम की धारा 203 की उप धारा (3) में कहा गया है कि जो निर्वाचित बोर्ड है वह विधिवत रूप से प्रस्ताव लेगा और पाइंट आउट करेगा कि कौनसा अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिये अधिकृत है। मंत्री महोदय शायद आपने पूरा पढ़ा नहीं होगा, आप कहें तो मैं पढ़कर बता दूं। राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 1959 की धारा 203 की उपधारा (3) "The Board or any officer authorised by it in the behalf, shall have the power to remove any such obstruction on encroachment."

उपाध्यक्ष महोदय, बिना कोई कानून सम्मत आपने शहर में तबाही मचाना शुरू कर दी। जिनके बारे में कहा गया कि जे.डी.ए. से जिन लोगों को स्वीकृति मिली है 1995 में, अभी गहलोत साहब विराज नहीं रहे हैं, उन्होंने कोई नव युवक मण्डल बनाया होगा। नव युवक मण्डल में महेन्द्र मीणा सदस्य रहे होंगे। उनको श्रंद्धाजलि अच्छी दे कर गये हैं। मैं वो पत्र टेबल करना चाहता हूं जिसमें महेन्द्र मीणा को विधिवत रूप से जो दुकान तोड़ी गई उसका अलाटमेंट लेटर है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं मैं और मेरे साथ बामनवास, मुंडावर और बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य उस जगह पर गये हैं जहां से अतिक्रमण हटा है। हमने इस अलाटमेंट लेटर और उस जगह को मिलान किया है। मंत्री महोदय आप बार-बार जौहरी बाजार के बरामदे खाली कराने की बात, न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात को कह कर इस अतिक्रमण अभियान के नाम पर आपने जो कानून सम्मत निर्वाचित नगर निगम के अधिकारों पर अतिक्रमण किया है, उसको आप छुपा नहीं सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और पाइंटेड सवाल पूछना चाहता हूं कि जो हेरिटेज सिटी आप बनाना चाहते हैं इसकी सीमा कहां

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है ? जयपुर शहर, जयपुर शहर उप नगरों में भी बस गया, कहां तक इसकी सीमा है ? मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी जिनकी पुण्यतिथि से दो दिन पहले ही आपने उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर दिये, जब उनका बंगला तोड़ा तो वह किस कारण से तोड़ा ? क्या वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता था और अगर सड़क चौड़ी करने के लिये आपने तोड़ा तो आपने विधिवत रूप से उनको नोटिस कब दिया और उसके लिये क्या-क्या कार्यवाही की, कृपया मेरे पाइंटेड सवालों का जवाब दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जवाब आने दीजिए, आप भी सुन लीजिए। माननीय राठौड़ साहब ने पहली बात तो यह कही कि सरकार ने निगम के कामों पर अतिक्रमण कर रखा है। माननीय राठौड़ साहब...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 29 फरवरी से आपने अभियान चलाया और आपका परिपत्र मेरे पास है जो आपने जारी किया है। जिसमें आपने निर्वाचित नगर निगम के अधिकारों पर अतिक्रमण किया है। वह परिपत्र आपका 16 मार्च का है।

श्री उपाध्यक्ष : इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप विराज जायें। आपने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 203 को देखा।

इसके अन्तर्गत अतिक्रमण को रोकने की कार्यवाही का प्रावधान है, और इसी प्रकार धारा 170 (II) मे आपत्तिजनक अवैध निर्माणों को रोकने का प्रावधान है। यह शक्तियां निःसन्देह बोर्ड में निहित हैं। और आप एक बात बता दें कि क्या हर अतिक्रमण को तोड़ने के लिये बोर्ड की मीटिंग होगी ? बोर्ड से एक-एक अतिक्रमण को हटाये जाने के लिये स्वीकृति ली जाना क्या संभव हो सकेगा ? अब आगे आइये आप। इसी अधिनियम की धारा 68(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह पालिकाओं के आयुक्तों, अधिशासी अधिकारियों को इन धाराओं के कर्तव्य के निर्वाहन के लिये पाबंद कर सकती है। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : धारीवाल जी, यह केवल एडमिनिस्ट्रेटर के स्तर पर है, चुनी हुई नगरपालिकाओं के स्तर पर नहीं है। यह 1994 में जब लागू हुआ था, (व्यवधान) तब 22 साल तक नगरपालिका के चुनाव नहीं हुये थे तब यह अमेंडमेंट किया गया था। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बिराज जाएं वह अमेंडमेंट आज भी मौजूद है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मिसलीड कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अमेंडमेंट आज भी मौजूद है, उसको डिलीट नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्री महोदय, रिपील हो गया है वह (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं हुआ, आप बात मानिये। (व्यवधान) आप पूरी जानकारी पहले होमवर्क करके आया करिये, मेहरबानी करके (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : होमवर्क करके आये हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह होमवर्क नहीं था, जो आपने रात को किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिसमें आप मेरे साथ थे। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, मैं आपके साथ था। (व्यवधान) मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधिकार बोर्ड के पास थे वे आज भी हैं। लेकिन आयुक्तों को और अधिशासी अधिकारियों को जो अधिकार सरकार ने दिये हैं वे उनके बिल्कुल समकक्ष हैं। बोर्ड को बाईपास करने के कहीं कोई अधिकार नहीं हैं, लेकिन अगर बोर्ड काम नहीं करेगा तो आयुक्त करेगा, अधिशासी अधिकारी करेगा यह लिखा है, दूसरा सवाल आपका यह था। तीसरा और चौथा, यह कोई जवाब देने के काबिल नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हैरीटेज सिटी की सीमा तो बता दो, कहां तक है हैरीटेज सिटी। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर आप हैरीटेज सिटी के बाबत् ही पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय से मुझे समय दिलवा दीजिये, मैं पूरी हैरीटेज सिटी की योजना आप को बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कोई योजना तो बनाई होगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : लास्ट क्वेश्चन, श्री रामप्रताप। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अभी बता दूंगा, लेकिन इसमें मुझे वक्त मिलने दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया, बैठिए बैठिए। (व्यवधान) प्लीज सिट-डाउन। आप नीचे बैठिये। (व्यवधान) आपका सब्जैक्ट ही नहीं है, आप बैठिये, बैठिये। वे बोल रहे हैं, बोलने दीजिये उनको। (व्यवधान) बहुत हो गया।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत छोटा सा सवाल है, आपके माध्यम से, कि जयपुर शहर में पूर्व से कार्यरत एवं स्थापित लाइसेंसधारी, पान, बीड़ी होल्डर्स, मिल्क बूथ वाले एवं अन्य समकक्ष व्यक्तियों के लिये क्या कोई नीतिगत फैसला पूर्ववर्ती व राज्य सरकारों ने लिया है? जिसके अधीन उक्त वर्ग है या व्यवसायरत है। इसके साथ-साथ यदि हां, या अन्यथा आपके आपरेशन पिंक के तहत जब इन लोगों को उजाड़ा गया उससे पूर्व अगर ऐसा कोई फैसला लिया गया था तो क्या शासन स्तर पर उस फैसले में कोई परिवर्तन किया गया? यह एक पाइंटेड सवाल है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, माननीय मंत्री जी, आपने फोलो नहीं किया क्या? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बूथ के बारे में पूछ रहे थे ना आप। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : दूबारा बता देता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दुबारा बता दीजिये।

श्री रामप्रताप : जयपुर शहर में पूर्व में कार्यरत एवं स्थापित लाइसेंसधारी पान, थड़ी होल्डर्स, मिल्क बूथ वाले, जैसे महेन्द्र मीणा जैसे लोग थे, इस किस्म के लोगों की बात कर रहा हूं। या अन्य समकक्ष व्यक्तियों के लिये नीतिगत निर्णय क्या पूर्ववर्ती राज्य सरकारों ने लिया, जिसके अधीन इस किस्म के लोग अपना व्यवसाय करते हैं। अगर हां, या अन्यथा भी आपरेशन पिंक, जिसके तहत इन लोगों को उजाड़ा गया, शुरू करने से पूर्व अगर ऐसा कोई फैसला लिया गया था पूर्ववर्ती सरकार द्वारा, तो क्या शासन स्तर पर इसमें आपने कोई परिवर्तन किया है? सीधा सा सवाल है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : निश्चित तौर पर इसमें परिवर्तन किया गया था। जिन लोगों ने अपने स्थान बदल दिये थे, उनको हटाने की कार्यवाही की गई थी। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : मैं यह नहीं पूछ रहा, मैं तो यह पूछ रहा हूं कि कोई नीतिगत निर्णय पूर्ववर्ती सरकार ने लिया था क्या? मैं यह नहीं पूछ रहा कि इन्हें हटाया गया या नहीं हटाया गया। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नीतिगत निर्णय सिर्फ यह है कि उसने स्थान परिवर्तन कर लिया तो उसको हटाया जाएगा। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल दूसरा है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन्हीं सवालों का आप कितनी बार जवाब लेना चाहते हैं। यह सवाल तो कोई नया सवाल नहीं है आपका। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : माननीय मंत्री महोदय। अगर था तो आपने उसमें परिवर्तन किया या नहीं किया। मैं यह नहीं कह रहा कि किसी को स्थापित किया या नहीं किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलाल जी शर्मा। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बिल्कुल पाइंटेड सवाल है। मैं कहां पूछ रहा हूं कि आपने स्थापित किया या नहीं। (व्यवधान) इतना छोटा सा सवाल है, आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। अगर आपका कोई नीतिगत निर्णय पूर्व में लिया हुआ था तो इच्छी बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वे जानकारी प्राप्त करके दे देंगे। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : अगर आपने परिवर्तन किया (व्यवधान) मैं तो इतनी सी बात पूछ रहा हूं, इससे आगे कोई बात ही नहीं पूछ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप समझने की कोशिश कीजिये। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : मंत्री महोदय, आपने बहुत लम्बे सवालों के जवाब दिये, बहुत लम्बे सवालों के बड़े धैर्यपूर्ण, बहुत ही जोरदार जवाब दिये। मेरा एक पाइंटेड सवाल है कि क्या ऐसा कोई नीतिगत निर्णय था? अगर था तो आपरेशन पिंक से पूर्व आपने इसमें कोई परिवर्तन किया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप मंत्रीजी की भावना को समझकर बात को समझिए। माननीय भंवरलाल जी शर्मा। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : जवाब तो आने दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं कि नहीं? तो बोलो। (व्यवधान) बैठिये-बैठिये, आपका जवाब नहीं आयेगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि मैं बोलूगा, मैं आपके आदेश की पालना में चुपचाप बैठा हूं, आप इनके बाद क्यों नहीं देंगे मुझको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलाल जी शर्मा। (व्यवधान) उसके बाद सोचेंगे।

श्री मदन दिलावर : यह बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये, आपसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण वो व्यक्ति है। He knows more about it than you. आपसे ज्यादा जानकारी उनके पास है बैठिये-बैठिये मैं अलाऊ नहीं करूंगा। एक्सपन्ज कर दीजिये।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड ही नहीं हो रहा है, आप बोले जा रहे हैं। आपसे ज्यादा जानकारी है उनको, आप उनको बोलने दीजिये। उनके पास डिपार्टमेंट रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोटा शहर के बारे में है, जयपुर के बारे में नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : कृपया आप कुर्ते की सुरक्षा करना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपसे सीनियर मेम्बर बोल रहे हैं। डिपार्टमेंट इनके पास रहा है तो इनको बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो विषय चल रहा है बड़ा महत्त्वपूर्ण है। अतिक्रमण हटे इसमें किसी को कोई विरोध नहीं है, लेकिन किस ढंग से हटे, कितना हटे, इस पर सदन की और पूरे प्रदेश की चिंता है। अभी जो आपने भविष्य की नीतियां बताई है उसमें काफी सहूलियत मिलेगी। जैसा माननीय गुलाब जी ने कहा यही कार्य आप यदि शुरू में कर लेते तो मैं समझता हूं कि अधिक तकलीफ नहीं होती। देर आयद दुरूस्त आयद समझ कभी भी आये, पर इसमें भी कुछ सुधार की आवश्यकता है।

उसमें सुधार करना चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो। आपने कहा नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आपने इसको मेनटेन किया है कि

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अतिक्रमण होगा तो नोटिस नहीं दिया जाएगा। अतिक्रमण ऐसे भी हैं जो 20-30 साल से है जैसे माननीय हरिदेव जोशी जी का उदाहरण आपके सामने है। उसे भी तोड़ दिया। वास्तव में सबको बड़ी पीड़ा है इससे। हरिदेव जोशी जी के आपने कमरे तोड़ दिये। आप भी वहां पचासों बार गये होंगे। वह कोई आज का निर्माण नहीं था। उसमें भी आपने यह किया बाहर की बाउण्ड्री है वह तो छोड़ दी, यदि अतिक्रमण में आयेगी तो पहले बाउण्ड्री आयेगी, बाद में मकान आयेगा जो अन्दर है। वो बाउण्ड्री तो आपने छोड़ दी, अंदर घुसकर दो कमरे तोड़े। ऐसी स्थिति में क्या आप समझते हैं कि नोटिस नहीं देना चाहिये? आप जो यह बार-बार मेनटेन करते हैं कि अतिक्रमण कितना भी पुराना हो, कैसा भी हो हम उसको नोटिस नहीं देंगे, तोड़ ही देंगे। इस मनोवृत्ति में सुधार करिये। डा. किरोड़ी लाल जी ने जो रूलिंग दी है वह यही है। अपने अजमेर में भी रेवेन्यू बोर्ड ने यही निर्णय किया है कि इसमें, कानून में नोटिस देने की व्यवस्था हो चाहे नहीं हो तब भी ऐसे लोगों को सुनवाई का मौका देकर हटाना चाहिये और पूर्व में ही उनकी पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिये। इस बात को आपको जनहित में मानना चाहिये, सुनवाई का मौका दिये बिना हटाना ठीक नहीं।

अब आपने कहा कि हम अखबार में एक सूचना देंगे और उसके बाद अतिक्रमण हटाएंगे। मैं विधिवत बैठा हूं, आपकी परमीशन से बैठा हूं, मैं समझता हूं कि मैं सेफ हूं और आप मुझे अतिक्रमी मानते हैं। आपने अखबार में खबर दे दी। मुझे क्यों आपके पास आना चाहिए। जब मेरे पास आपकी परमीशन है, विधिवत बैठा हूं तो मैं थोड़े ही आऊंगा आपके पास। उस स्थिति में आप मेरे को भी डिस्पजेज करेंगे तो न्याय नहीं होगा। इसलिये आप जिसको हटाना चाहते हैं उसको हटाइये। जैसे आपने एक बात कही है कि हम निशान लगा देंगे। निशान की चर्चा आपने कई बार की है। और जब कभी यह बात आयी तो आपने कह दिया कि यह निशान कोई और लगा देता है, बी. जे. पी. वाले लगा देते हैं। हम नहीं लगाते हैं। ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात करके जनता को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आप स्पष्ट करिये कि आप विशेष प्रकार का अधिकृत निशान ही लगाएंगे जिससे यह माना जाए कि आप का ही लगाया हुआ निशान है। यह हो सकता है, कई शरारती तत्व ऐसे रहते हैं, जो इस तरह की बदमाशी कर सकते हैं और जनता को परेशानी में डाल सकते हैं। आप इसकी सावधानी बरतिये कि आपका कोई विशेष प्रकार का निशान हो जो कोई और नहीं लगा सके। तब इसका पूरा अर्थ निकलेगा। वरना फिर कठिनाई खड़ी हो जाएगी। अभी आपने कहा यह अतिक्रमण 8 साल में हुए। मैं बड़ा प्रभावित हूं आपसे कि आपको इतनी सी भी जानकारी नहीं है। ये बरामदे 8 साल से ही कब्जे में थे क्या लोगों के? इसमें इमरजेंसी भी आ गयी थी किसी जमाने में, और प्रद्युम्नसिंह जी भी स्वायत्त शासन मंत्रीजी थे एक बार, कमलाजी भी थीं,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

खेतसिंहजी थे, गुलाब सिंहजी भी थे, श्रीमान् बिराज रहे हैं, ये सभी थे।

श्री सी. पी. जोशी : आप भी थे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, मैं भी था, मैं कब मना करता हूं। पर आप 40 साल को भूल क्यों रहे हैं? ये सारे मंत्री थे इस डिपार्टमेंट के, तब आपकी इच्छा शक्ति कहां गयी थी... (व्यवधान) न्यायालय का फैसला पहले हो चुका था।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसका श्रेय अशोक महान को मिलना था। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, वह दूरदृष्टि आपमें नहीं थी। हमसे तो यह कह दिया कि माननीय भैरोंसिंह जी तो करना चाहते थे लेकिन टीम नहीं कर रही थी। फिर इस फौज को क्या हो रहा था। जो नाम मैंने लिये, इतने सारे ये बैठे हैं, ये सब दिग्गज आज भी यहां बैठे हुए हैं। कोई एक-आध छूट गया हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। जबकि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री ये भी थे मा. शिवचरणजी, जो बड़े स्ट्रांग माने जाते हैं। इनके कार्यकाल में भी कब्जे बने हुए थे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हाइ-कोर्ट का फैसला बाद में हुआ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किसने कह दिया आपको? किस तारीख को हुये थे, बताऐंगे क्या आप मेरे को। तारीख याद है कब हुआ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जितना आपको याद है उतना तो मुझे याद नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं है ना, तो ठीक है। ये बहुत पहले के फैसले हैं।

लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। अतिक्रमण है, वह हटना चाहिए। आपने हटाया तो आपने हटा दिया। इसलिये आप हमको बदनाम करो कि आपने नहीं हटाया तो पहले अपने पूर्वजों को उस लिस्ट में जोड़ दो, फिर हमारे लिये कहना।

श्री सी. पी. जोशी : पहले पूर्वजों को बदनाम करेंगे फिर इसमें सम्मिलित होंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हम नहीं हटा पाये, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। परन्तु आपने नहीं हटाया तो उसका तो जवाब दे दो। इमरजेंसी में जब कोई किसी की नहीं सुनने वाला था तब भी नहीं हटाये थे। तब भी ये वहां मौजूद थे।

खैर, छोड़िये इस बात को। अब सवाल यह है कि आपने अभी जिन लोगों को हटाया, उनको फिर विस्थापित करने की बात कही कि हमने उनको बसा दिया है। जिन लोगों को आपने, नगर पालिका ने या जे.डी.ए. ने गुमटियां दी थीं, उनको आपने इसलिये हटाया कि उन्होंने जगह बदल दी थी उसकी। मंत्री महोदय, आपका यह स्टेटमेंट सही नहीं है। यदि किसी ने आपको यह बात बताई है आप वेरीफाई करिये क्योंकि यह सही नहीं है। यह कोई एक-आध नहीं हैं। ये कुल थड़ियां 106 और 13 हैं। इन सबको

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हटाया है आपने। सबने ही जगह बदल दी क्या? इस प्रकार के जो अलाटमेंट हैं, जे.डी.ए. और नगर निगम के द्वारा 106 और 13 हैं, ये 119 हो गये। अब 119 के 119 लोगों ने ही अपनी जगह बदल दी क्या? इसलिये हटा दिया आपने। अब चूंकि गलती से हटा दिया तो जवाब क्या देंगे आप।

There is no justification. अब आप, हिम्मत से कह दें कि यह हमारी गलती है, 106 को हटाने में अब 1-2 थड़ी तो मैं बताता हूं। यह है मनोहर नाम के व्यक्ति की। यह सिन्धी केम्प बस स्टेण्ड, पीपल के पेड़ के नीचे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह कैसे याद रह गया आपको?

श्री भवंरलाल शर्मा (हवामहल) : यह मेरे पास लिस्ट है और याद रखने में क्या कमजोरी है, क्यों नहीं याद रहेगा मेरे को। (व्यवधान) अच्छा, यह 12वें नम्बर पर है, इसलिये याद है मुझे। (व्यवधान) 13वें नम्बर पर दूसरा है।

यह पीपल के नीचे हैं, मतलब यह है कि कोई प्याऊ के पास है, कोई पेड़ के नीचे लगी हुई है। उनका तो स्थान नहीं बदला है। लेकिन क्योंकि आपको अभियान चालू करना था 29 फरवरी से। कोई लिस्ट आपके पास थी नहीं। तो आपने पकड़ा इनको कि जिनको थड़ी आवंटित थी। हटना 29 तारीख से था। तो जो लिस्ट आपके पास आ गयी उनको हटा दिया आपने। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी जांच करिये। ये 106 और 13, कुल 119 थड़ियां क्यों हटाई गयीं जबकि वे विधिवत थीं। किराये के पैसे दिये जा रहे थे। लाइसेंस लेकर बैठे थे, कियोस्क स्वयं ने बनाया था। तो जो माननीय डाक्टर साहब रामप्रताप जी ने बताया कि जब यह प्रश्न पूर्व सरकार के सामने आया कि पान की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है तो जयपुर शहर में व्यवस्था ढंग से बनाओ। तो एक पॉलिसी बनी तथा एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने पूरे शहर में घूमकर स्थान तय किये कि यहां पान की थड़ी ठीक है, यहां बूथ ठीक है और थड़ी का एकसा आकार बनाया गया एवं हाउसिंग बोर्ड से अप्रूव कराया कि यह नमूना ठीक है। चाहे बोर्ड बनाये, चाहे खुद बनाये, जिससे जयपुर की सुन्दरता बनी रहे। उस हिसाब से उनको फिक्स किया गया। उनको भी आपने हटा दिया। अब गरीब कुछ कर नहीं सकता है। अब आपने कहा उन्हें बसा दिया। जैसे अभी माननीय गुलाबजी कह रहे थे कि 18 पान वाले तो, प्रद्युम्न सिंहजी, जैसे मैंने आपसे कहा था, मानसरोवर में 18 पान वाले एक ही जगह लगा दिये। अच्छा हुआ, आपने नाइयों को एक जगह नहीं लगाया, सब दाढ़ी बनवाने वहां जाते। यह कौनसी योजना थी आपकी, How do you approve it ? अब क्योंकि यह हो गयीं गलती, इसलिये स्वीकार कीजिए इसको और ठीक करिये। आपके आवंटन करने के बाद वे बैठ गये क्या वहां पर? आपने अलाट कर दिया और वे बैठ भी जाएंगे माननीय प्रद्युम्न सिंहजी पान खाते हैं रामू के यहां से। अब रामू चला गया इमली फाटक। आप वहां जाएंगे कि वह आएगा पान लेकर आपके पास।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब तक मंत्री हैं तब तक वह आएगा, बाद में ये जाएंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसलिये, यह व्यावहारिक नहीं है और इसलिये भी व्यावहारिक नहीं है कि ये कियोस्क जो आपने बनाये हैं, वे इनके लिये नहीं बनाये थे। क्या इनके लिये बनाये थे आपने? ये किसी के लिये भी बनाये हों पर जब कियोस्क आपने बनाये तो आप इनको हटाएंगे, थड़ी वालों को वहां लगाएंगे, इसके लिये नहीं बनाये थे। ये आपने इसलिये बनाये थे कि शिक्षित युवक जो बेरोजगार हैं, वह मुख्य मंत्री बेरोजगार योजना में बनाये थे। अब वे तो जो बेरोजगार थे वह तो रह गये और जिनको आपने बेरोजगार किया, अब उनको भेज रहे हैं आप वहां। वहां भी वे बेरोजगार रहेंगे। इसलिये इसके व्यावहारिक पक्ष को दुबारा देखें। और इसमें क्या ठीक हो सकता है, करें। इसमें कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। भूल हो सकती है, हुई भी है इसमें और वह इसलिये हुई है कि 29 फरवरी को श्री गणेश करना था, और सामने कोई था नहीं, जो मिल गया उसको मार दिया आपने। इसलिये इसको ठीक कराएं आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : महूर्त सही था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सही-गलत अब भी आप मानते हैं, बहुत खुशी की बात है। यदि अभी भी आप सही मान रहे हैं तो कुछ नहीं कहना है मुझे।

अब एक बात और पूछना चाहता हूं आपसे कि आपने निगम के आयुक्त हैं, इनको अधिकार पहली बार कब दिया। इनको अधिकृत किया आपने, जो कानून आप पढ़ रहे हो वह तो गलत पढ़ दिया आपने। वह लागू नहीं होता है। लेकिन गलत भी दिया तो आपने पहली बार कब दिया और इसमें अमेंडमेंट कब किया और क्यों किया। क्या कमी रह गयी थी उसमें, आप यह बता दीजिए।

इसलिये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि पूर्व में नोटिस नहीं देने की बात, यह न्यायसंगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रुलिंग कहती है। जो फुटपाथ पर बैठकर काम करती हैं, ये मजबूरी में बैठते हैं। वहां लोगों की भी आवश्यकताएं हैं। कोई व्यक्ति वहां धन्धा करता है, काम करता है, मजदूरी करता है तो समाज को भी उनकी आवश्यकता है। वे उसी क्षेत्र में रहते हैं इसलिये वहीं बैठकर धंधा करते हैं। विषम परिस्थिति में उनकी मजबूरी है। उनको रोजी-रोटी देना सरकार का दायित्व है, सरकार को देखना चाहिए। संविधान में प्रत्येक नागरिक का अधिकार है राइट टू लिव और राइट टू लिवलीहुड। राइट टू लिवलीहुड आपने यूजर्व कर लिया, उसकी रोजी-रोटी की व्यवसाय की व्यवस्था नहीं की तो राइट टू लिव का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। भूखा मरते मर जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। इसलिये यह तथा कथित संवेदनशील सरकार का दायित्व है। उसको ऐसी जगह बिठा दीजिए, ऐसे बसाइये जो अपना गुजारा कर सके।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

एक बात और है कि आपने एक इंस्ट्रक्शन दी है जेडीए. को कि पक्की दुकानें जिन्होंने बना दी, और जिनको आपने तोड़ दिया उनको कोई रिलीफ नहीं दी जाएगी। यह आदेश आपने दिया है। इसके पीछे क्या लोजिक है। जिन्होंने पक्के निर्माण कर लिये और आपने तोड़ दिया उनको। तो उनको कोई रिलीफ नहीं दी जाएगी। इसका क्या औचित्य है? दूसरा, आप मुझे यह बताइये कि आपके भय से जो फुटपाथ पर बैठकर धन्धा करता था, उसे यह बताया कि आपका दस्ता आ रहा है। वह पहले ही उठकर चला गया। इसलिये उसका नाम तो कहीं लिखा नहीं गया, उसका पुनर्वास कैसे होगा? उसका नाम रिकार्ड कैसे करोगे उसके लिये क्या व्यवस्था करोगे? आपने इनको हटाने से पहले लिस्ट बनायी होगी कि किन किन लोगों को हटाना है, वह लिस्ट कहां है, आपके पास? कोई योजना तो पहले आपने बनायी होगी। हटाओ लेकिन उनको हटाने की कोई योजना होगी, योजना को कहीं पर डिस्कस किया होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : योजना तो मैं बता चुका हूं। कोई योजना भवन बताऊं क्या कि कहां योजना है। योजना तो मैं पहले ही बता चुका हूं। पहले स्टेटमेंट दे चुका हूं। कितनी बार योजना बताऊं?

श्री भवंरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने योजना नहीं बतायी है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब आपकी बात का जवाब दे दूं। मेरा ख्याल है खतम हो गया होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड। मैं पूरा ही कर रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वक्त बहुत होता जा रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वक्त तो हो जाएगा। अब तीन साल और बचें हैं। चिन्ता क्यों करते हो? तीन साल निकालने हैं वे निकालने ही पड़ेंगे आपको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अभी तो पौने चार साल है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अच्छा, पौने चार साल है तो होने दीजिए। आपने अभियान की बड़ी प्रशंसा की। कहा कि बहुत अच्छा हुआ। बड़ा धन्यवाद मिला। हुआ भी होगा लेकिन जयपुर शहर के आपके जो एम.एल.एज. हैं, किसी एक से तो कहलवा दो आप कि अच्छा काम किया है आपने। आपकी ही पार्टी के एम.एल.एज. से कहलवा दें।

श्री रामस्वरूप : सारे कह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इनके शहर के। आपका क्या लेना-देना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके अलावा एक का भी नाम ले लो, उनसे कहलवा दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप चाहे जिससे कहलवा देना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप फरमाओ, सबसे कहलवा दूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) अभी तो कोई बोला नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी, आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? इसमें कुछ कहना चाहते हैं?

श्री मोहन लाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। मैं भी एक मिनट का समय चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड। इसलिए मेरा यह निवेदन है, यहां चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एम.एल.एज. हैं। नगर-निगम बना हुआ है। आप उनसे सलाह करना पसन्द नहीं करते हैं। आप उन्हें विश्वास में नहीं लेते हैं कि कैसा करना चाहिए। आप विश्वास में नहीं लें तो ऐसा क्या है इसमें? आप जन-प्रतिनिधियों को विश्वास में लीजिए। उनको योजना बताइये कि हम यह करना चाहते हैं। मेरा यह विश्वास है कि इस काम के अन्दर कोई जन-प्रतिनिधि आपको सहयोग नहीं करेगा बल्कि मदद ही करेंगे। आप उनसे इतना डरते क्यों हो स्कीम लाने से? सलाह करिये स्कीम किस तरह की हो अब तो खैर, आपके समझ में आ गयी होगी। आप एक बार बैठकर डिस्कस कर लीजिए, निगम को बुला लीजिए। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : इसीलिए आपको रस पिलाना पड़ा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपकी इच्छा क्या थी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सुझाव यह है आपसे इसके बारे में आप डिस्कस करिये। जो यहां चुने हुए नगर निगम हैं, यहां चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठकर डिस्कस कर लीजिए, इसमें कोई कमी है तो उसको पूरा करिये, इस योजना को पूरा करने में हमारा कोई विरोध नहीं है, आप करिये और हम इसमें सहयोग करेंगे लेकिन आप मनमानी करेंगे, आप नियम-कानूनों को ताक पर रखकर आप कार्य करोगे, ठीक नहीं है। वह आपको भी नहीं करना चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया, उसके लिए जो कर दिया वह भोगेगा लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं हो। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है। इसलिए मैं आपसे फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभियान में किसी का कोई विरोध नहीं है लेकिन यह सिस्टेमेटिक ढंग से हो। जिसको हटाया जाना चाहिए उसको कायदे से हटाया जाए, मैं यह कहना चाहता हूं। एक जो सवाल मैंने किया कि आपने यह अधिकार आयुक्तों को पहली बार कब दिये और दुबारा अमेंडमेंट कब किया, यह और बता दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो माननीय कटारियाजी साहब ने कही वही बात माननीय भंवरलालजी शर्मा साहब ने कही कि एक ही जगह पर 12-12, 13-13 पान वालों को जगह दे दी गयी, यह बहुत पुरानी बात है, इसको बदल दिया गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कितनी पुरानी है? कितने साल पहले? पुरानी कब

(श्री भंवरलाल शर्मा)

की है, यह बताओ न कि पुरानी कब की है। कब आयी?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह पुरानी बात है, यह शुरू-शुरू में... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उससे पहले की बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उनको हटाने से पहले की है या हटाने के बाद की है? हटाने के बाद की है या पहले की है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी अर्ज तो सुन लीजिए। मुझे बोलने दीजिए। 29 फरवरी को जब यह अभियान चालू हुआ तो उनके एक दो रोज में इस तरह के फैसले हो गये थे कि एक ही स्थान पर जैसे दुर्गापुरा स्टेशन पर सात पान वालों को वाकई, यह आरोप आपका बिलकुल सही है लेकिन जब यह मेरी जानकारी में आया और मेरे विभाग के आला अफसरों की जानकारी में आया तो इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह बात तो वहां खतम हो गयी।

दूसरी बात जो आपने कही कि कैसे अधिकार दे दिये गये तो यह अधिकार कोई इसी सरकार ने दिये हो, ऐसा नहीं है। यह 1992 में सरकार आपकी थी, यह 1992 में सरकार आपकी थी... (व्यवधान)...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपकी सरकार ने कब दिया, मैं यह पूछ रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और यह जो आदेश पत्र है, यह 22.1.1992 को आपकी ही सरकार के द्वारा लिखा गया है कि आयुक्तों को इस प्रकार के अधिकार होंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने कब दिये? मैं तो यह पूछता हूं कि आपने कब दिये?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं बता रहा हूं आपको। तीसरी बात आपने यह कही कि कांफीडेंस में आपको ले लेना चाहिए, निर्वाचित बोर्डों को। निर्वाचित बोर्ड को, मेयर को, डिप्टी मेयर को, सबको कांफीडेंस में लिया गया है लेकिन किसी की नीयत अतिक्रमण के मामले में सहयोग देने की नहीं थी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : No, I don't agree.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी बात सुन लीजिए। अगर आज आपको एक वाकया और बता देता हूं मैं। कम से कम पांच निगम के पार्षदों ने बाकायदा अतिक्रमण के विरोध में जब मुहिम चलायी जा रही थी तो उन्होंने राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाई, उनको स्पष्टीकरण देने का नोटिस दिया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नो-नो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और आज सुबह 11 बजे की घटना है, जिसमें पांच पार्षद, जिनका नाम है: संजय जैन, सोहनलाल शर्मा, सुश्री है या श्रीमती है, लेकिन प्रेम देवी, किशन शर्मा, रामावतार सोनी यह बी, डी, जोन के कमिश्नर केजी. गोयल के दफ्तर

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

में पहुंचे, उनको मारने पहुंचे। जब वे नहीं मिले तो आर.ओ. के कार्यालय पहुंचे। और वहां श्री राजेन्द्र व्यास जो कच्ची बस्ती के म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं और श्री ताराचन्द विजय जो आर.ओ. हैं उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की जिसकी एफ.आई.आर. आज दर्ज करायी गयी है। यह आज की घटना है। आप जिन लोगों के लिए कहते हैं कि आप इनसे सहयोग लो, उनके यह कारनामे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड, सुनिये आप। कमिश्नर कौन है, किसका नाम बताया आपने?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : के. जी. गोयल है।

श्री मदन दिलावर : के. जी. गोयल के कारनामे देखें। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किसके लिए गये? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : के. जी. गोयल। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह वहीं है, जिन्होंने महापौर के साथ गाली-गलौच किया था?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह वही है जिनको आपने लगाया था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : है तो उसने क्या किया?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह वही है जो आपके वक्त का लगा आ रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, लगा हुआ है तो क्या हो गया हमारे समय होगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह आपके ही वक्त का लगाया हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हमारे समय में होगा पर हमारे नियंत्रण में था वह। हमारे समय में था, हमारे नियंत्रण में था। आपके नियंत्रण में नहीं है। वह महापौर को गाली निकालता है और आप उसकी बात यहां पर कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। श्री परसादी लालजी मीणा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपसे यह उम्मीद नहीं करता था मैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज, विराजिये।

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : पहले जवाब तो आ जाए मेरा, फिर आप... (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मोहन लाल मोदी : जब उनकी सरकार थी इन्होंने नीमकाथाना में 193 थड़ी होल्डर्स को हटाया जो रेगुलर म्युनिसिपैलिटी का किराया चुकाया करते थे।

श्री उपाध्यक्ष आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने पावर कब दिये, आपने पावर कर दिये। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : मैं तो इसलिए कहना चाहता हूं कि उनका पुनर्वास नहीं कराया गया। मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर महापौर के साथ कोई अभद्र व्यवहार के. जी. गोयल ने किया हो तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन कम से कम महापौर आकर शिकायत तो करें। अब तक शिकायत-पत्र तक नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपको शिकायत कर दी थी उसी दिन। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप तो अखबार पढ़ रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सवाल। आपने इनको अधिकार कब दिया? माननीय मंत्री महोदय, आपने अधिकार कब दिया इनको?

श्री परसादी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं... (व्यवधान)...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठहर जाओ, थोड़ी देर। थोड़ी देर, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं कह रहा हूं कि आप बैठ जाओ। मेरा निवेदन है कि आप बैठ जाओ। (व्यवधान) आपने कब अधिकार दिये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार ने अतिक्रमण हटाने के लिए इनको अधिकार कब दिया? 29 मार्च से अभियान चलाते हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप यह बता दो कि कब किया? इतना बताने में क्या दिक्कत है? लास्ट क्वेश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष : परसादी लालजी, एक मिनट।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इन्होंने जो अधिकारी हैं, उनको अतिक्रमण हटाने के अधिकार पहली-पहली बार कब दिये और दुबारा कब दिये?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 1992 में आपने ही दे दिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने नहीं दिये न?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 1992 में आपने ही दिये, सन् 1968 में आपने ही दे दिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने नहीं दिये न? आप अब कहो कि नहीं दिये फिर (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दुबारा जवाब दिलवाना चाहते हैं अब?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, अब आप कहो कि आपने नहीं दिये। नहीं, ऐसा है तो आप कहो कि नहीं दिये। मना कर दो नहीं दिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह कहना चाहते हैं... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, आप कहो ना, कहो नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इनको अच्छा लगे वह तो जवाब दे दें और जो अच्छा नहीं लगे वह बाकी तथ्य छुपा लें, हाउस को मिसलीड कर दो, यह कोई बात नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या जवाब? विराजिये आप। नहीं दे तो नहीं दें। You cannot force him. माननीय सदस्य, आप जवाब समझिये। आप जवाब को समझिये। आपने पूछा कि कब अधिकार दिये, उन्होंने कहा कि आपके समय दिये। अब आप पूछ रहे हैं कि आपने नहीं दिये। नेचुरली नहीं दिये। अधिकार तो आपके समय में लग गये, उन्होंने चेंज नहीं किये, क्या पूछना है उनको?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हमारे समय में तो हमने दिये लेकिन उन्होंने कब दिये।

श्री उपाध्यक्ष : उल्लेख कर दिया न आपका। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपने विद्-ड्रा कब किये?

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आ गया न आपका।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या आ गया?

श्री जुगल काबरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रदत्त अधिकार थे, उनका रिन्युवल करना कोई आवश्यक नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : बात को समझिये। आप बैठ जाइये, एक मिनट।

श्री जुगल काबरा : जो अधिकार पूर्व में दिये जा चुके हैं उन अधिकारों को वापस दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप शायद कन्फ्यूज हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह अधिकार उनके पास पहले से थे। जो आपके द्वारा दिये गये थे। मेरी अर्ज सुन लीजिए अब आप। जब यह अभियान चलाया गया 29 फरवरी से तो नाराजगी में बोर्ड, बोर्ड में

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

चूंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था और वे लोग नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का आपरेशन पिंक चलाया जाए। उन्होंने बोर्ड की एक बैठक की और बैठक करके एक प्रस्ताव पास कर लिया। प्रस्ताव पास यह कर लिया कि इन आयुक्तों के पास कोई अधिकार नहीं रहे। उसकी एवज में सरकार ने 16 मार्च को दुबारा से यह आदेश निकाला कि उनके पास पहले अधिकार थे और अब भी है। यह कहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप ताली मत बजाओ। बात तो सुनो।

श्री उपाध्यक्ष : बस चर्चा समाप्त। आग्यूमेंट से कोई एण्ड नहीं है इसका। माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि टू नाइंटी में इतनी लम्बी बहस होती नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। हां, बंद कर रहा हूं। माननीय श्री परसादी लालजी।

(15.00)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह आपका जो स्टेटमेंट है न, वह सही नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मुझसे बड़े हैं, मुझे दुरूस्त कर सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई प्रस्ताव पास नहीं किया निगम ने। इनके अधिकार छीनने का कोई प्रस्ताव पास नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। माननीय परसादी लालजी।

श्री मदन दिलावर : असत्य की भी हद होती है। (व्यवधान)

अल्प बचत योजना में शासन द्वारा जारी सोने के सिक्कों की शुद्धता

श्री परसादी लाल (राज्य मंत्री अल्प बचत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अल्प बचत विभाग द्वारा निवेशकों को सोने के सिक्कों के वितरण के संबंध में जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्प बचत योजना में निवेश को आकर्षित करने हेतु समय-समय पर विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जाती हैं। 1 जनवरी, 2000 से 31 मार्च, 2000 तक की अवधि के दौरान मिलेनियम कंचन उत्सव योजना संचालित की गयी। इस योजना के अन्तर्गत किसी भी निवेशक द्वारा किसी भी निर्धारित राष्ट्रीय अल्प बचत योजना में 50,000 रुपये अथवा इसके गुणकों में एकमुश्त राशि का विनियोजन करने पर प्रत्येक 50,000 रुपये के निवेश पर एक सोने का सिक्का मुफ्त दिये जाने का प्रावधान रखा गया। अभिकर्ताओं एवं अतिरिक्त विभागीय डाककर्मियों द्वारा निवेश करवायी गयी राशि के संबंध में उन्हें भी सोने के सिक्के प्रदान किये जाने का प्रावधान रखा गया है। अल्प बचत विभाग द्वारा

(श्री परसादी लाल)

सोने की आपूर्ति भारत सरकार के उपक्रमों एम.एम.टी.सी लिमिटेड अथवा एफ.टी.एल. लिमिटेड एवं भारतीय स्टेट बैंक से की गयी है। इन संस्थाओं द्वारा सोना मुम्बई स्थित भारत सरकार की टकसाल को सीधे सौंप दिया जाता है जिसकी शुद्धता की टकसाल द्वारा गहन जांच की जाकर सोने के सिक्कों की ढलाई की जाती है। भारत सरकार टकसाल मुम्बई से प्राप्त सोने के सिक्कों की शुद्धता 99.05 प्रतिशत है तथा एक सोने के सिक्के का वजन 2 ग्राम है। सोने के सिक्के पर उसका वजन, शुद्धता तथा भारत सरकार टकसाल, मुम्बई अंकित किया जाता है। भारत सरकार की टकसाल मुम्बई द्वारा किया गया कार्य पूर्णतया विश्वसनीय है तथा उस पर किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता है और इन सिक्कों को अल्प बचत के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुम्बई से निदेशालय लाया जाता है। इन सिक्कों को कोषालय में रखा जाता है। जिलों की मांग के अनुसार जिले में अधिकृत कर्मियों के माध्यम से सिक्के जिलों को भिजवाए जाते हैं। जिलों में जिला अल्प बचत कार्यालय तथा जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अन्य कार्यालयों द्वारा इन सिक्कों का वितरण निवेशकों एवं अभिकर्ताओं को किया जाता है। सिक्कों का भारत सरकार टकसाल मुम्बई से लेकर जिलों में पहुंचाने तक का बीमा भी करवाया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 1999 के समय-समय पर संचालित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत निवेशकों एवं अभिकर्ताओं को सोने के सिक्के जारी किये गये हैं। एवं अभी तक सोने के सिक्कों की शुद्धता एवं वजन के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जैसाकि मैंने सदन को आश्वस्त किया था कि झुन्झुनूं जिले में सिक्कों की शिकायत की निष्पक्ष रूप से जांच करवाकर जांच के सही तथ्यों से सदन को अवगत कराऊंगा। इस क्रम में एक आई.ए.एस. अधिकारी श्री ताराचन्द, निदेशक, भूमि एवं भवन कर द्वारा 31.3.2000 को झुन्झुनूं जाकर इस मामले की जांच की गयी है एवं दिनांक 1.4.2000 को रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की गयी। जांच करने पर यह पाया गया कि जिला अल्प बचत कार्यालय झुन्झुनूं द्वारा अल्प बचत निदेशालय, जयपुर से दिनांक 22.3.2000 को 300 सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे। इन सिक्कों में से दिनांक 29.3.2000 को अल्प बचत अभिकर्ता श्री ज्योति प्रकाश सोनी निवासी बग्गड़ जिला झुन्झुनूं को उनके जमाकर्ताओं को प्रदान करने हेतु 6 सिक्के जारी किये गये। श्री ज्योति प्रकाश सोनी वर्ष 1984 से अल्प बचत अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री सोनी स्वयं संवाददाता है एवं फोटोग्राफर का कार्य भी करते हैं। दिनांक 30.3.2000 को श्री ज्योति प्रकाश सोनी द्वारा जिला अल्प बचत कार्यालय झुन्झुनूं से इन 6 सिक्कों के रगड़ने पर सफेद दिखाई

(श्री परसादी लाल)

देने के संबंध में सम्पर्क स्थापित किया गया। सहायक निदेशक, अल्प बचत कार्यालय, झुन्झुनूं द्वारा श्री ज्योति प्रकाश सोनी को आश्वस्त किया गया कि यह सिक्के राजकीय टकसाल में ढलते हैं तथा इनकी शुद्धता के बारे में कोई संशय सम्भव नहीं है। उन्हें यह भी आश्वस्त किया गया कि इस मामले की पूर्ण जांच की जाएगी तथा उन्हें पूर्णतया सन्तुष्ट कर दिया जाएगा।

सहायक निदेशक, अल्प बचत, झुन्झुनूं द्वारा श्री ज्योति प्रकाश सोनी को सन्तुष्ट करने के बावजूद भी उन्होंने सिक्कों से संबंधित फोटो बनवायी और दिनांक 31.3.2000 को फोटो सहित समाचार प्रकाशित करवाया। इस मामले की जांच के दौरान जिला प्रशासन द्वारा श्री ज्योति प्रकाश सोनी को इन 6 संदेहास्पद सोने के सिक्कों सहित झुन्झुनूं बुलवाया गया। इन 6 सिक्कों में से 4 सिक्कों की शुद्धता के विषय में जिला प्रशासन द्वारा जांच करवायी गयी एवं पूर्णतः सोने के पाये गये। शेष 2 सिक्के रासायनिक जांच एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु अपरिवर्तित रूप से रखे गये हैं। जांच में यह भी पाया गया कि इन संदेहास्पद सिक्कों पर किसी रसायन का प्रयोग किया गया है। इसी कारण 6 में से 4 संदेहास्पद सिक्कों को गर्म करने पर रसायन का असर समाप्त हो गया। उनका रंग पुनः स्वर्ण हो गया तथा वे पूर्णतः सोने के साबित हुए। शेष 2 सिक्कों को अग्रिम कार्यवाही हेतु यथास्थिति में रखा गया। इसमें से एक सिक्का भारत सरकार टकसाल मुम्बई को रासायनिक जांच के लिये भेजा गया है। इन सिक्कों पर किसी रसायन का प्रयोग हुआ है। यह तथ्य जांच के बाद चल पायेगा।

जिला प्रशासन द्वारा भी इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिये श्री भंवर सिंह, अपर जिला कलक्टर, झुन्झुनूं को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में यह बताया कि श्री सोनी ने दिनांक 29.3.2000 को निवेशकों को उनके द्वारा किये गये निवेश के बदले उपहारस्वरूप दिये जाने वाले 6 सोने के सिक्के जिला अल्प बचत कार्यालय, झुन्झुनूं से प्राप्त किये। उन्होंने अगले दिन दिनांक 30.3.2000 को 6 सिक्कों में से 2 सिक्के अल्प बचत निवेशक श्री शुभकरण माखरिया निवासी बगड़ को दिये। श्री माखरिया ने दोनों सिक्के अपने थैले में रख लिये और अपने घर चले गये। उन्होंने अपने घर जाकर यह सिक्के अपनी धर्मपत्नी को देने के लिये थैले से निकाले। उन्होंने देखा कि यह सिक्के सफेद हो गये। उनकी धर्मपत्नी दोनों सिक्कों को लेकर श्री ज्योतिप्रकाश सोनी के पास गयी और उन्होंने वह सिक्के दिये। श्री ज्योति प्रकाश ने हाथ में लेकर दोनों सिक्के देखे तथा अपने पास

(श्री परसादी लाल)

रख लिये। 4 सिक्कों को हाथ में लेकर देखा तो उनका भी रंग बदलने लगा।श्री ज्योति प्रकाश सोनी 6 सिक्कों को लेकर जिला अल्प बचत कार्यालय, झुन्झुनूं पहुंचे। सहायक निदेशक, अल्प बचत, झुन्झुनूं ने उक्त 6 सिक्कों को हाथ में लेकर देखा तथा अपने कार्यालय में रखे सिक्कों में से एक सिक्का मंगवाया और उसे हाथ में लेकर देखने लगे तो वह भी सफेद होने लग गया। सहायक निदेशक, अल्प बचत ने श्री सोनी को आश्वस्त किया कि इन सिक्कों की पूरी जांच-पड़ताल करवाकर उनको बाद में सूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद श्री सोनी उक्त 6 सिक्के लेकर वापस बगड़ चले गये। दिनांक 31.3.2000 को समाचार प्रकाशन के बाद श्री सोनी को 6 सिक्के लेकर झुन्झुनूं बुलवाया तथा इनमें 3 सिक्कों को सुनार ने ताव लगाया तो तीनों सफेद सिक्के वापस स्वर्ण में आ गये। उक्त तीनों सिक्के शुद्ध सोने के पाये गये तथा उनका वजन भी सही पाया गया। अपर जिला कलक्टर, झुन्झुनूं को जांच के दौरान श्री शुभकरण माखरिया ने यह बताया कि जिस थैले में यह सिक्के रखे गये थे उस थैले में एक थर्मामीटर था जो टूट गया था। श्री माखरिया ने थैले को जांच अधिकारी के सामने पेश किया और बताया कि उन्होंने इसको धो दिया है। श्री माखरिया के इस थैले को जांच अधिकारी ने अपने कब्जे में ले लिया और अपने स्वयं की सोने की अंगूठी उक्त थैले में डाल दी। 10-15 मिनट बाद देखा तो सोने की अंगूठी भी सफेद हो गयी। इस प्रकार सिक्कों के रंगने की घटना सम्भवतया पारा या अन्य कोई रसायन लगाने के कारण ही घटित हुई प्रतीत होती है जिसकी पुष्टि रासायनिक जांच के बाद हो सकेगी।

अपर जिला मजिस्ट्रेट झुन्झुनूं, जांच अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि श्री ज्योति प्रकाश सोनी ने अपने अभिकतर्ता होने का कर्तव्य पालन नहीं कर बिना तथ्यों के प्रमाणित सिक्कों को रांगे के होने या सफेद होने का मिथ्या समाचार प्रकाशित करवाकर अपराध कृत्य किया है जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.3.2000 को निर्धारित वर्ष का अन्तिम दिन होने के कारण अल्प बचत निवेशकों में भ्रम फैलने से राष्ट्रीय अल्प बचत योजना में विनियोजन पर प्रतिकूल असर पड़ा जिसके लिये श्री ज्योति प्रकाश सोनी अल्प बचत अभिकर्ता पूर्ण रूप से दोषी हैं। श्री ज्योति प्रकाश सोनी अल्प बचत अभिकर्ता को इस प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उनकी अल्प बचत एजेन्सी के अधिकार पत्र को जिला कलक्टर झुन्झुनूं द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उनके विरुद्ध दिनांक 1.4.2000 को झुन्झुनूं जिले के कोतवाली थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182, 420, 426, 500 एवं 505 के अन्तर्गत प्राथमिकी नम्बर 72/2000 दर्ज की गयी है।

(श्री परसादी लाल)

श्री सोनी को दिनांक 2.4.2000 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिनांक 31.3.2000 को प्रकाशित समाचार के पश्चात् बतौर एहतियात राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में सोने के सिक्कों के वितरण पर रोक लगा दी गयी तथा सभी जिला कलक्टर्स से उनके पास उपलब्ध सोने के सिक्कों की नमूना जांच के आदेश दिये गये। किसी भी जिले से सोने के सिक्कों में किसी प्रकार अशुद्धता अथवा वजन में कमी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सदन के सम्मुख प्रस्तुत इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा निवेशकों एवं अभिकर्ताओं के लिए अल्प बचत की विशेष प्रोत्साहन योजनाओं में प्रदान किये गये सोने के सिक्के भारत सरकार टकसाल, मुम्बई से बनवाये गये हैं, वे 99.5 परसेंट शुद्धता के हैं तथा इनकी शुद्धता एवं वजन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगी कि आपने ज्योति प्रकाश सोनी, जो अभिकर्ता था, उसको तो पकड़ लिया और उसके खिलाफ सारी धाराएं लगा दीं लेकिन आपके सहायक अल्प बचत अधिकारी यदि 29 तारीख को उन सिक्कों को वहीं पर परीक्षण करा लेते तो यह नौबत नहीं आती। न अखबार में खबर आती ना आपके कंचन मिलेनियम पुरस्कार है, इससे निवेशकों को धक्का लगता और ना कोई बात आगे बढ़ती। उन्होंने दो दिन क्यों किये, उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही नहीं होगी?

यह तो जैसा कि मान रहे हैं कि थर्मामीटर टूट गया, उसमें पारा चला गया और थैले में पारा होने की वजह से सफेद हो गये। अब सफेद हो गये, यदि इसमें ज्योति प्रकाश सोनी की कोई बदनियति होती तो वह लेकर सोने के सिक्के नहीं फर्जी सिक्के देता आपको। जब सोने के सिक्के थे और उन पर पारा चढ़ गया तो इसमें उसका दोष कहां हुआ? और यदि सफेद हो गये तो शिकायत तो करेगा ही करेगा। क्यों नहीं करेगा शिकायत? लेकिन आपका जो सहायक अल्प बचत अधिकारी है, झुन्झुनूं का जो प्रशासन है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि 29 तारीख को ही वे उसकी जांच करवा लेते तो ना अखबार में आती ना आपके निवेशक को धक्का पहुंचता। उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही नहीं।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने सवाल किया, मैंने अपने जवाब में सारी चीजें स्पष्ट कर दीं और ज्योति प्रकाश सोनी—

एक मिनट। आप मेरी बात सुन लो फिर आप दोबारा बोल लेना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं आपसे पूछ रही हूं कि 29 तारीख को यदि वो जांच करवा लेते।

श्री परसादी लाल : मैं कह तो रहा हूं। पहले मेरा जवाब तो सुनो आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपका तो स्टेटमैंट आ गया लम्बा-चौड़ा।

श्री परसादी लाल : 29 तारीख को, ज्योति प्रकाश सोनी भी स्वयं सोनी है एक तरह से।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो क्या हुआ? सोनी होना अपराध हो गया?

श्री परसादी लाल : जब उसने सोने के सिक्के लिये, असली सिक्के उसको ट्रेजरी से दिये, हमारे सहायक अल्प बचत अधिकारी ने जब सोने के सिक्के उसको दिये तो वह सोनी था तो उसको खुद भी यह परख करनी चाहिए थी कि यह असली हैं या नकली हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब उसने पीले सिक्के लिये और यही उसने दिये, वह दोषी कहां हो गया, यह बताइये।

श्री परसादी लाल : आप पूरी बात सुनोगे नहीं। आप पूरी बात तो सुन लो।

जब उसको हमारे सहायक अल्प बचत अधिकारी ने यह कह दिया कि इनकी 99.5 परसेन्ट गारंटी है, आपको पूर्णतया संतुष्ट करेंगे पर उसने जानबूझकर के बिना जांच के अखबारों में जो खबर छपवायी, उसके कारण राज्य सरकार को नुकसान हुआ निवेश का उसका वह सरासर आपराधिक मामला है कि उसने किसी प्राइवेट सैक्टर की निवेशक कम्पनी से मिल कर के इस तरह का षड्यंत्र किया है। यह सारा जांच का विषय है। हम पूरी जांच करा रहे हैं। कानून अपना काम करेगा। जो भी दोषी होगा, मान लो हमारा अल्पबचत अधिकारी दोषी होगा, यह पूरा इन्वेस्टिगेशन हमने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जो भी जांच के परिणाम आयेंगे, कानून अपना काम करेगा। ना तो किसी को सरकार की बचाने की नीयत है और ना किसी को फसाने की नीयत है।

श्री उपाध्यक्ष : आय-व्ययक पर चर्चा। श्री राजेन्द्र जी राठौड़। चर्चा समाप्त हुई।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दो दिन तक जांच क्यों नहीं करायी? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरे पास महत्वपूर्ण तथ्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन रहने दो इनको आप। उनको दे देना। श्री राजेन्द्र सिंहजी राठौड़।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, ज्योति प्रकाश ने समाचार पत्रों में नहीं दिया, यह पी.आर.ओ. की रिपोर्ट है। मेरा यह करबद्ध निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको दे देना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पी.आर.ओ. ने भेजी है खबर।

श्री मदन दिलावर : अल्प बचत अधिकारी, सहायक निदेशक ने अपने आफिस में पी.आर.ओ. को बुलाया और यह समाचार लिखवाया। उसने, ज्योति प्रकाश ने समचार दिया ही नहीं। वह समाचार मैं पढ़ कर सुनाता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, जरूरत नहीं है सुनाने की। बस हो गया ना। आपने रैफर कर दिया, पर्याप्त है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यों आप किसी आदमी को, निर्दोष को दोषी मान लोगे?

श्री मदन दिलावर : मिलेनियम कंचन उत्सव उपहार योजना अन्तर्गत निवेशकों को दिये जाने वाले सोने के सिक्कों के बारे में शिकायत मिलते ही अल्प बचत सहायक निदेशक ने तत्काल कार्यवाही शुरू कर दी है। सहायक निदेशक, हरीश चंद्र रोहिल्ला ने बताया है कि बगड़ के अल्प बचत अभिकर्ता, ज्योति प्रकाश को निवेशकों के लिए उनको दिये गये सिक्कों में 6 सिक्कों का रंग फीका पड़ गया। यह जानकारी मिलते ही अल्प बचत अधिकारी ने सिक्कों का वितरण रोक दिया है। जिन सिक्कों का रंग कथित रूप से, यह समाचार, जो मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने अखबारों में समाचार दिया है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री मदन दिलावर : यह समाचार पी.आर.ओ. द्वारा अखबारों में प्रेस विज्ञप्ति दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने मंत्रीजी का जवाब नहीं सुना क्या? इंक्वायरी इंस्टिट्यूट हुई है। इंक्वायरी में जो भी दोषी होगा, दोषी पाया जायेगा...।

श्री मदन दिलावर : अभिकर्ता ने समाचार लिकेज नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि फिर किस आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ने साफ कह दिया न। आर्डर, आर्डर। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री मदन दिलावर : यह समाचार तो जो खुद अल्प बचत सहायक निदेशक हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, केवल बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए और छोटे अभिकर्ता को + + +

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना नहीं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी इंस्टिट्यूट कर रखी है, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। लैट द इंक्वायरी कम।

श्री मदन दिलावर : उसके खिलाफ, सहायक निदेशक के खिलाफ क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज हुई, उपाध्यक्ष महोदय। एक तरफा कार्यवाही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन ही नहीं रहे हो, आप तो अपनी बोले जा रहे हो। उन्होंने यह कहा है कि इंक्वायरी इंस्टिट्यूट की है, इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी रिपोर्ट आयेगी, जो भी दोषी होगा उसको सजा देंगे। फिर और क्या चाहिए?

श्री मदन दिलावर : वह अभिकर्ता गरीब है इसलिए उसको फसाने का षड्यंत्र किया है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने यह थोड़ी कहा कि इंक्वायरी समाप्त हो गयी है। किसी को दोष मुक्त कर दिया।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, ज्योति प्रकाश तो दोषी नजर नहीं आ रहा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आ रहा तो नहीं होगा, उसको सजा नहीं मिलेगी।

श्री हीरासिंह चौहान : जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया है, वह दोषी नजर नहीं आ रहा है। ज्योति प्रकाश सारी चीजें सामने लाया है। He is not quilty at all. जिस प्रकार का आपने घटनाक्रम बताया है he is not quilty at all.

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी राठौड़। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उसका तो दायित्व बनता था कि वह जाकर वहां सूचित करता।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप विराजिये प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अब समाप्त कीजिये इसको। आप इस बात को समझो। जब उन्होंने साफ कह दिया इंक्वायरी हो रही। इंक्वायरी इंस्टीट्यूट हुई है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं यही कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां किसी को दोषी और निर्दोष करने की पैरवी नहीं कर सकते। हमें नहीं करना चाहिए। अब मामला पुलिस में चला गया है। वहां इंवेस्टिगेशन तय होगा, कौन दोषी है। वह दोषी है या नहीं, इस प्रकार की चर्चा यहां पर होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : पता पड़ जायेगा। ठीक है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं उस चर्चा को ठीक नहीं मानता। यह सदन की परम्पराओं के खिलाफ है।

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : आय-व्ययक पर चर्चा। माननीय राजेन्द्र जी।

(15.17 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, 16 माह पुरानी सरकार का जो दूसरा बजट वित्त मंत्री महोदय लेकर आये हैं, यह बजट प्रस्ताव जो हैं अगर इनको गौर से पढ़ें तो मैं समझता हूं कि अब तक इस पवित्र सदन में जितने प्रस्ताव आये हैं उन सब से ज्यादा घोर निराशावादी, दिशाहीन यह बजट है।

सभापति महोदय, बजट तो वो दर्पण है जिसके माध्यम से सरकार अपनी इच्छा-शक्ति, अपनी रीति-नीति, कार्यक्रम और दर्शन जनता के सम्मुख प्रस्तुत करती है। परन्तु इस बजट के अन्दर सरकार की एक इच्छा-शक्ति तो बिलकुल सामने आयी कि जिस तरह की चर्चा पिछले बजट के पश्चात् आम आवाम में चली कांग्रेस सरकार और विकास, कांग्रेस सरकार और गांव और किसान, इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सारी चीजें तो इस बजट के अन्दर उजागर हो गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, पिछला बजट हम देखें और इस बार बजट प्रस्ताव हैं, इनको हम देखें तो कोई लम्बा-चौड़ा परिवर्तन नजर नहीं आता। एक परिवर्तन जरूर नजर आया जो बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय कह रहे थे कि पहले बजट के अन्दर सत्ता पक्ष के लोग माननीय मुख्य मंत्रीजी को मारवाड़ का गांधी बता रहे थे और इस बार मारवाड़ के गांधी चक्रवर्ती सम्राट अशोक हो गये। एक दूसरा परिवर्तन और आया, सभापति महोदय, सादगी और मितव्ययता की बात कहने वाली यह सरकार, आप किसी दिन सुबह अखबार का पन्ना पलटें, आपको मुख्य मंत्रीजी की अलग-अलग भाव-भंगिमा में तस्वीर नजर आयेगी। एक करोड़ से ज्यादा की राशि पिछले वित्तीय वर्ष के अन्दर मुख्य मंत्री महोदय की तस्वीर छापने के अन्दर राजस्थान सरकार की खर्च हुई है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय कह रहे थे कि हमने अपना चुनाव घोषणा पत्र मुख्य सचिव को भेज दिया। चुनाव घोषणा पत्र मुख्य सचिव को भेज दिया, सभापति महोदय, तो ना जाने कौनसा तीर मार लिया? मुख्य सचिव को क्यों आप तो यू.एन.ओ. में भेज दो, और कहीं भेज दो, अगर चुनाव घोषणा पत्र के भेजने से ही कुछ होता है। हर विज्ञापन के अन्दर पारदर्शिता और जवाबदेही की बात। सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इन्हीं मुख्य मंत्रीजी के साथ जो ये सदस्य विराजमान हैं, इनमें से कई लोग एक बार सचिवालय पर प्रदर्शन करते करते सचिवालय की दीवार फांद गये और दीवार फांदकर यह कह रहे थे कि तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी, उस समय जो मुख्य मंत्री थे, वह इस्तीफा आज ही सौंप दें और इस्तीफा इसलिए सौंप दें कि राजस्थान के अन्दर बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। नकबजनी बढ़ रही है, लूट बढ़ रही हैं। राजस्थान की धरती पर जे.सी. बोस बलात्कार काण्ड, नीलू राणा हत्याकाण्ड और शिवानी जड़ेजा हत्याकाण्ड, इसलिए तत्काल ही इस सरकार को शासन में रहने का कोई हक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से ये सारी बातें उस वक्त कहने वाले और सभापति महोदय, इस घोषणा-पत्र के अन्दर भी इन्होंने पेज नम्बर नौ पर लिखा है कि चौपट कानून व्यवस्था। उन सारी चीजों का उल्लेख किया है और विशेष उल्लेख इस बात का किया है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हत्याएं बढ़ रही हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं। मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रतिवेदन बांटा गया है। वार्षिक प्रतिवेदन 1999 राजस्थान पुलिस का। इस प्रतिवेदन में आपने जिक्र किया है कि पिछले एक वर्ष में राजस्थान की कानून व्यवस्था किस तरह की रही, मैं थोड़ी-सी बानगी प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपका यह वार्षिक प्रतिवेदन कहता है कि पिछले वर्ष में राजस्थान के अन्दर एक लाख 68 हजार एक सौ उन्यासी घटनाएं घटी थीं और इनमें से...

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : और इससे पहले का?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इससे पहले का भी बताऊंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : इससे पहले कम था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, मुझे इस बात की पीड़ा है कि जब सचिवालय पर प्रदर्शन हो रहा था तब आपसे दीवार फांदी नहीं गयी, आप उस वक्त दीवार फांद नहीं सके।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, नहीं फांद सका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इस एक वर्ष के अन्दर इस राजस्थान की धरती कलंकित हुई है। एक दो बार नहीं, 1198 बलात्कार हुए हैं, 1520 हत्याएं हुई हैं, 1209 लूट हुई हैं, 109 डकैतियां हुई हैं, 8971 नकबजनी हुई हैं।, 16598 बलवा हुआ है और 5425 भेद उत्पीड़न के मामले हुए हैं। आप अनुसूचित जाति के बड़े हिमायती बनते हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं की इज्जत 136 बार लूटी गयी है। मुख्य सचेतकजी, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की 39 बार इज्जत लूटी गयी है। अब राजस्थान की धरती पर अगर इन सारे आंकड़ों को हम प्रतिदिन में देखें तो एक दिन में 460 घटनाएं वे घटी हैं जिनमें पुलिस के अन्दर एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है। बहुत-सी ऐसी बातें होंगी जो नेपथ्य में चली जाती हैं और प्रतिदिन राजस्थान में कहीं न कहीं पांच अबलाएं बलात्कार का शिकार हुई, छः महिलाओं का सिन्दूर उजड़ा और आप कहते हैं कि हम राजस्थान में पारदर्शी और संवेदनशील जवाबदेही शासन देंगे। हर बलात्कार पर...

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : ऐसा है कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो भाषण तैयार किया था, वह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो मैंने किया है वह आपे पूछकर नहीं किया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बात यहां तक ही नहीं रही, राजस्थान के अन्दर पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसियों ने जिस तरह का जाल फैलाया, देश की अस्मितता के साथ इस तरह का सौदा इस राजस्थान की धरती पर होने लगा और उसमें कौन थे? अलवर के अन्दर जो लोग पकड़े गये वे लोग आपकी पार्टी से संबंधित थे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप 1998-99 में मंत्री थे। मैं इंटरेप्ट करने के लिए क्षमा चाहता हूं। आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि 1998 के इन सात विषयों के आंकड़े और दे दीजिए।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कई बार चिन्ता व्यक्त की और एक दो बार नहीं, सैंतालीस वक्तव्य इन्होंने ऐसे दिये हैं जिसमें कि मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी ने एक ही राग अलापा है कि विरासत में इस प्रकार का राजस्थान मिला है कि राजस्थान कंगाल हो गया, यहां की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गयी, हम वेतन भत्तों का भुगतान भी नहीं कर सकते और ये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सारी बातें इसलिए कीं कि इनको पिछले बजट के अन्दर राजस्थान की जनता पर 1100 करोड़ रुपये का टैक्स लगाना था, इनको बिजली के शुल्क को बढ़ाना था और इनको सिंचाई शुल्क दुगुना करना था। सभापति महोदय, इसके बाद ये भूल गये कि सारी बातें जब उन राजस्थान में निवेश करने के इच्छुक उद्योगपतियों के पास जाती हैं तब इसकी चर्चाएं राजस्थान और राजस्थान की सीमा के बाहर जाती हैं। तब उनके मन में एक ही बात आती है कि जहां इस तरह जर्जर हालात हों, जहां सरकार बार-बार कहे कि एक करोड़ रुपया बिजली पर प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं, ऐसे राजस्थान में हम निवेश करेंगे, रोज नये कर बढ़ेंगे। यही एक कारण है। सभापति महोदय, चाहे कितना ही पीठ थपथपा लें, इन्वैस्टमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कहते हुए, एक भी बड़ा उद्योग इस राजस्थान में नहीं आया। मैं निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात जिसका उल्लेख माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में किया कि राजस्थान के अन्दर 1989-90 के अन्दर कर्जा जो राजस्थान पर था वह 6127 करोड़ था। 1998-99 में यह बढ़कर 23532 करोड़ हो गया।

सभापति महोदय, 1952 से 1990 का काल खण्ड इसमें अगर ढाई वर्ष हम निकाल दें तो इस काल खण्ड के अन्दर शासन की बागडोर कांग्रेस के पास रही और काल खण्ड में सात पंचवर्षीय योजनाएं बनीं और सात पंचवर्षीय योजनाओं में जो योजनागत व्यय हुआ वह है 7198 करोड़ और इन सात पंचवर्षीय योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए सरकार ने जो ऋण लिया वह 6127 करोड़ था। यानी योजनागत व्यय का उस वक्त सिर्फ जब ढाई वर्ष हमारे पास शासन आया, बाकी शासन आपके पास रहा, 82.2 प्रतिशत कर्जा उस वक्त लिया गया था। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना आती है 11500 करोड़ रुपये की। नवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावित होती है 27650 करोड़ रुपये। अब आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं कि 23532 करोड़ रुपये का ऋण। जब हमने शासन सौंपा उस वक्त था और जिस तरह पहले आपको कहा था उसमें से 6127 करोड़ का ऋण, जब आपने हमें शासन सौंपा तब था। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो ऋण और दायित्व था जो ऋण था वह था 17504 करोड़ और इस पूरे कार्यकाल के अन्दर जो वार्षिक योजना बनीं उनमें योजनागत व्यय हुआ है 22467 करोड़। यानी 22467 करोड़ रुपये की योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए 17504 करोड़ रुपये ऋण लिया। यानी योजनागत विनियोजन का ऋण था लगभग 72 पाइन्ट कुछ प्रतिशत। अब आप बतायें कि आप ऋण लें और ऋण लेकर योजना पोषित करें और उसमें 82 प्रतिशत योजना को पोषित करने के लिए ऋण ले लें वह अर्थव्यवस्था तो ठीक और हम योजना का आकार बढ़ायें और उसको पोषित करने के लिए 72 पाइन्ट कुछ प्रतिशत ऋण लें तो वह बात बिलकुल गलत। इस पर जरा आप विचार करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा कि हमने कर्जा बहुत लिया। वित्त मंत्रीजी ने एक पुस्तक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में जाते हैं, कोई माननीय सदस्य खड़ा होकर कह दे मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में, मेरे ग्रामीण इलाके में अमुक अमुक काम हुए हैं। यह सपने बेचने का काम वित्त मंत्रीजी लम्बे समय तक चलता नहीं है। सपना टूटता है उसके बाद कष्ट बहुत होता है। सपनों के सौदागर मत बनो।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान को कौनसी दिशा आप दे रहे हैं? राजस्थान को दिशा दी थी हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने। नवीं पंचवर्षीय योजना बनायी, प्रणव मुखर्जी जैसे आपके नेता ने कहा था राजस्थान में नवीं पंचवर्षीय योजना 27 हजार 650 करोड़ की बनाकर विकास की दृष्टि से राजस्थान ने छलांग लगायी है। चर्चा चली थी कि राजस्थान के माथे से पिछड़ापन का कलंक हटेगा, राजस्थान की गणना जो बीमारू प्रदेशों में थी, यह बीमारू प्रदेश का जो कलंक राजस्थान के साथ चला है, ऐतिहासिक राजस्थान के माथे से वह हटेगा और कुछ सपने संजोये गये थे हर खेत को पानी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, प्रत्येक पंचातय समिति, ग्राम पंचायत सड़क से जुड़ेगी, हर गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी, हर गांव विद्युतीकृत होगा, हर गांव में चिकित्सा, आयुर्वेद की कोई न कोई इकाई स्थापित होगी, बाल मृत्यु दर कम होगी, शिशु मृत्यु दर कम होगी, मातृ मृत्यु दर कम होगी, जन्म दर कम होगी, अशिक्षा का अन्धेरा मिटेगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर यह पंचवर्षीय योजना बनी थी।

श्री सी.पी. जोशी : दो साल में केवल मात्र आपकी सरकार ने पहले साल में 3200 करोड़ रुपये और दूसरे साल में 3400 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। पच्चीस हजार करोड़ का सपना बेचने वाले दो साल में एन्युअल प्लान का खर्चा कितना रहा यह क्यों नहीं बताते? आप पहले यह बात जो कह रहे हो यह फिगर भी करैक्ट कर लें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जोशी साहब, एक अवधारणा है...

श्री सी. पी. जोशी : जो पच्चीस हजार करोड़ की पांच साल की योजना बनायी थी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं बताऊंगा।

श्री सी. पी. जोशी : उसमें प्रथम वर्ष में आपकी सरकार ने केवल मात्र 3200 करोड़ रुपये खर्च किये और दूसरे साल में 3400 करोड़ रुपये खर्च किये। यह 25 हजार करोड़ रुपये का प्लान बनाया तो पांच साल में कितना खर्च होना चाहिए। दो साल में पहले वह फिगर करैक्ट कर लें अपने आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं उन दोनों सालों की फिगर भी आपको बताऊंगा परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अर्थशास्त्र की अवधारणा है कि अगर आपको विकास का काम करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो चाहे कर्जा लेकर करें परन्तु विकास का काम करें। यह निवेदन करना चाहता हूं। आपने जो चर्चा की हमने इन पंचवर्षीय योजना में हमारे कार्यकाल के अन्दर कितना विनियोजन किया...

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह किस इकोनोमिस्ट की राय है? यह और बता दीजिये।

श्री सी. पी. जोशी : यह राजेन्द्र राठौड़ की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह भी बता दूंगा मैं। मैं वह भी बता दूंगा कि किस इकोनोमिस्ट की राय है वह भी बता दूंगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप तो खुद ही अर्थशास्त्री हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा था माननीय जोशी साहब आप पूछ रहे थे कि आपके समय में विनियोजन...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह तो भैरोसिंह जी ने सिखाई होगी आपको यह अर्थशास्त्र।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कई चीजें सिखाने की होती है।

श्री सभापति : यह तो अपनी अक्ल से भी बहुत सीखते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसलिये तो आप कह दो ना किसने सिखाई, शर्माते क्यों हो।

श्री सभापति : अपना अध्ययन, अपनी अक्ल, उससे सारा ही सीख जाते हैं। कंटीन्यू कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय जोशी साहब नवीं पंचवर्षीय योजना में जो 1997-98 की योजना बनी और उसमें जो विनियोजन हुआ वह है 3987 करोड़।

श्री सी. पी. जोशी : करैक्ट कर लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं करैक्ट नहीं...

श्री सी. पी. जोशी : अभी करैक्ट कर लें पिछली सरकार ने 5200 करोड़ रुपये की योजना बनायी उसमें से 1200 करोड़ रुपये कम करने पड़े। इस साल की योजना केवल 4176 करोड़ रुपये की है जो प्रथम दो साल की योजना है माननीय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ साहब जो पच्चीस हजार करोड़ का स्वप्न बेच रहे थे, उसमें इतना पैसा नहीं है। करैक्ट कर लें अपने आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देखिये जोशी जी यह मेरे पास...

श्री सभापति : यह सवाल-जवाब का तो कोई टाइम है नहीं। वित्त मंत्रीजी जवाब देंगे। प्लीज कन्टीन्यू योवर स्पीच।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नाथूराम? जी, जो राजस्थान के अच्छे अर्थशास्त्रियों में से हैं उन्होंने जो...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : I don't want a reference of Nathu Ramji. आप खुद मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे हैं। आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। I don't want a reference of a paper where you are mentioning the name of Nathu Ramji. प्रथम दो वर्षों में राजस्थान में जिस 25 हजार करोड़ रुपये की पांच साल की योजना बनाई उसका एनुअल एक्सपैंडीचर बता रहा हूं मैं आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं उसी का एनुअल एक्सपैन्डीचर आपको बता रहा हूं। उसी पुस्तक से जो मैंने आंकड़ा लिया है वही

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं। और आप कह रहे हैं कि मेरे आंकड़े गलत है तो मैं समझता हूं आप कोई इस तरह का सोच बता दें जिससे आप निश्चित कर दें कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सदन में वह गलत है मैं क्षमा मांग लूंगा। मैं कोई अर्थशास्त्री तो हूं नहीं। मैं आपकी तरह इकोनोमिक्स का स्टूडेंट भी नहीं रहा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था सभापति महोदय 1997-98 में जो नवीं पंचवर्षीय योजना का पहला साल था उस समय 3 हजार 9 सौ 87 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 1998-99 में 4 हजार 78 करोड़ रुपये खर्च हुए। यानी पहले दो वर्षों में 8 हजार 65 करोड़ का खर्चा हुआ।

श्री सी. पी. जोशी : यह आपके प्रोजेक्शन से आपका जो प्लान था वह शायद, एक्चुअल एक्सपैंडीचर यह नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह राजस्थान का दुर्भाग्य कहूं या सी. पी. जोशी साहब का सौभाग्य कहूं कि तीसरे वर्ष में आपका पदार्पण हो गया। नवीं पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष में कांग्रेस का शासन आया और बड़े जोर-शोर से पिछली बार कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था के हालात ठीक नहीं है परन्तु राजस्थान के विकास की गति को आगे रखेंगे और हम राजस्थान को आगे ले जायेंगे और 5 हजार 22 करोड़ रुपये की योजनाएं बनाई व 5 हजार 22 करोड़ की योजना बनाकर यह पहली बार हुआ। सभापति महोदय, चालू वर्ष के अन्दर वार्षिक योजना में कटौति करके 12 सौ करोड़ के लगभग की योजना कम कर दी। इस बार जो योजना बनाई है वह 4 हजार 1 सौ 46 करोड़ की है। पिछली बार इन्होंने, जिस तरह योजना का आकार घटा दें लेकिन इनको इसकी तो चिंता नहीं है गांवों में काम हो, विकास का काम हो या नहीं हो, गरीब की पीड़ा दूर हो, अकाल के काम हो इसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि इनके समझ में आ गया कि डायनासोर बुलडोजर लेकर तोड़-फोड़ करो जनता का ध्यान बंटाने के लिए कुछ इस तरह के इश्यू खड़े कर दो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 4 हजार 1 सौ 46 करोड़ की योजना इसमें कितना विनियोजन होगा यह तो भविष्य बतायेगा परन्तु यह 27 हजार 6 सौ 50 करोड़ की योजना, जोशी साहब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं यह योजना इस हालात के अन्दर जिस तरह के विनियोजन इस योजना में वर्तमान सरकार कर रही है कभी पूरी नहीं होगी।

सभापति महोदय, इसलिए सरकार को यह कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि 27 हजार 6 सौ 50 करोड़ की नवीं पंचवर्षीय योजना इसके अन्दर जो लक्ष्य निर्धारित किये थे वह लक्ष्य हम पूरे नहीं कर पायेंगे और यह योजना इसको हम कम करके 20 हजार करोड़ की करेंगे। यह कहने में वित्त मंत्रीजी आपको हिचक नहीं होनी चाहिए क्योंकि वस्तुस्थिति में आज नहीं, कल होना ही यही है वरना आपकी आगामी वार्षिक योजना है वह 12 सौ करोड़ के आंकड़े को पार कर जायें तब तो यह सम्भव है कि आप उस 27 हजार 6 सौ 50 करोड़ के आंकड़े के इर्द-गिर्द पहुंच जाये और वह सम्भव नहीं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। इसलिए आपको यह बात छुपानी नहीं चाहिए। आज नहीं कल बात सामने आयेगी। राजस्थान के लोग इसको याद रखेंगे कि पंचवर्षीय योजना के अन्दर इतनी बड़ी कटौती हुई है। मैं समझता हूं कि जब आप उत्तर देंगे तब निश्चित तौर पर इसके बारे में भी कहेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 27 हजार 6 सौ का प्राइवेट प्लान बना लिया। आपका पहला साल कितने का था। जैसा जोशीजी ने कहा दूसरा साल आपका कितने का था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जवाब का मौका मिलेगा तब फरमाइयेगा। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सॉरी, माफ कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मैं, वह भी मेरी बात पूरी करूंगा। उससे पहले मैं वह भी बता दूंगा कि हमारा पहले वर्ष में कितना था और हमारे योजना में दूसरे वर्ष में कितना था और कितना हमने व्यय किया। मैं वित्त मंत्री जी एक निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में जब से शासन आपके पास आया है आपने अर्थव्यवस्था की नई अवधारणा को जन्म दे दिया। पिछले बार तो हमारे चूरू के लौह पुरुष चन्दनमलजी बैद, लौह पुरुष इसलिए कह रहा हूं आप कितने ही षड्यन्त्र कर लो, कोशिश कर लो परन्तु चन्दनमलजी बैद और उनके आदर्श और कथनी और करनी में अंतर नहीं हो ऐसे आदमी को आप झुका नहीं पाओगे और जो षड़यन्त्र उनके खिलाफ रचा गया उससे वित्त मंत्रीजी आप भी कभी अछूते नहीं रहोगे। मैं निवेदन कर रहा था (व्यवधान) कि पिछली बार के बजट में 1201 करोड़ के खर्चे और घाटे को अपूरित छोड़ दिया, यूं ही छोड़ दिया और यह कहा कि हम केन्द्रीय सरकार की सहायता से, कठोर वित्तीय अनुशासन व मितव्ययता से, बेहतर राजस्व वसूली से इस घाटे को पाट देंगे।

अब किस तरह आपने इस घाटे को पाटा यह तो दूसरी बात है परन्तु यह जरूर हुआ कि आपका बजटीय घाटा 786.96 करोड़ हो गया और अगर पिछली बार का टोटल बजटीय घाटे को देखें तो 12 सौ करोड़ तो वह जिसका आपने जिक्र नहीं किया और 786 करोड़ यह जिसका जिक्र आपने अपने बजट भाषण में किया। यानी कुल मिलाकर 1903 करोड़ रुपये का बजटीय घाटा। अब आप अगर-उसके अन्दर आपकी योजना पूरी हो और 12 सौ करोड़ की योजना जो 5 हजार 22 करोड़ की योजना में आप कटौती नहीं करते और 12 सौ करोड़ अगर और मिला देते तो 786.96 तो बजटीय घाटा तो आपने खुद आकलन किया। 1201 करोड़ की वह राशि जिसको अपूरित आपने छोड़ दी। 1200 करोड़ के लगभग प्लान साइज कम कर दिया। घाटा आपका हो जाता है 3 हजार 1 सौ 3 करोड़ आपकी ओरीजनल योजना थी 5 हजार 22 करोड़। घाटा आपका 3 हजार 3 करोड़ यानी 60 परसेन्ट बजटीय घाटा यह पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। अब अगर आप देखें आपने इस योजना का आकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कम करने के बाद भी अगर 1903 करोड़ का घाटा वर्तमान में जो योजना आपने बनाई थी उसको देखें तो 38 सौ कुछ करोड़ की योजना बचती है और इसको देखें तो 50 परसेन्ट का घाटा मतलब घाटे का बजट देने के अन्दर आपने राजस्थान के अन्दर एक इतिहास रच दिया और अगर वित्त मंत्रीजी बजट के सामान्य सिद्धान्त देखें तो पिछले वर्ष का घाटा प्लस इस वर्ष का घाटा मिला कर समग्र घाटा निकालने की बात है। पिछले वर्ष के घाटे में नियमित घाटे को जोड़ दो अब आपकी योजना है 4 हजार 1 सौ 46 करोड़ की और आपकी खुद की पुस्तकों में इस बात को माना है कि पिछले वर्ष का घाटा 1903 करोड़ और इस वर्ष में आपने घाटे का बजट प्रस्तुत किया है वह 112 करोड़ यानी कुल घाटा हो जाता है 2 हजार 15 करोड़। 4 हजार 1 सौ 46 करोड़ की योजना में घाटा आपका है आज की तारीख में 2 हजार 15 करोड़, यानी 50 परसेन्ट घाटे का बजट तो आप प्रस्तुत कर रहे हैं फिर आप क्यों आंकड़ों की हेराफेरी कर रहे हैं। आप क्यों नहीं यह कह देते कि हमारी यह वार्षिक योजना, इसमें इतना घाटा है कि यह 2 हजार से कम है क्योंकि राजस्थान में विकास की बात पर रुचि नहीं है। अब आप उसमें भी जब रिवाइज्ड एस्टीमेट में जायेंगे तब क्या होगा यह तो ईश्वर ही जाने।

एक मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बात की बड़ी चर्चा आपके श्वेत-पत्र में थी, पांच वर्ष तक हमारे चन्दनमल जी बैद तो इस बात को कहते रहे कि रेवेन्यू अकाउण्ट के घाटे को केपिटल अकाउण्ट के घाटे के आधिक्य के प्लस से इसको कम नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो आंकड़ों की हेराफेरी। अब पिछले वर्ष जो आपने किया रेवेन्यू अकाउण्ट को केपिटल अकाउण्ट के सरप्लस से मैनीपुलेट करने का काम वह इस साल भी आप कर रहे हैं। आपका राजस्व घाटा वित्त मंत्री जी जिसको आपने अपने बजट में कहा कि तीन साल के अन्दर हम शून्य पर ले जायेंगे। आप पहले और इस बार के दो बजटों को देख लो कितना राजस्व बढ़ गया 3346 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा आपकी इन पुस्तकों के अनुसार है और आपका केपिटल रिसीप्ट वह है 7 हजार 1 सौ 5 । कैपिटल रिसीप्ट तो कैसे बढ़ती है आपको मालूम है। ऋण है, मोइंग है यह सारी मिला करके कैपिटल रिसीप्ट कम कर लो कैपिटल एक्सपैंडीचर में तो आपको विश्वास ही नहीं। केपिटल एक्सपैंडीचर से तो राजस्थान का विकास होता है। राजस्थान के अन्दर असेट्स बनते हैं। असेट्स बनाने में आपकी रूची नहीं है। कैपिटल एक्सपैंडीचर आपने कर दिया 3 हजार 8 सौ 71 करोड़ का आंकलन आपने कर दिया अब इस तरह आपने राजस्व घाटे को कम करने का प्रयास किया है मैं समझता हूं यह बिल्कुल गलत अवधारणा है और यह वही बातें हैं जिन बातों के बारे में आप और आपकी पार्टी के लोग लगातार विरोध करते रहते थे अब आप भी उसी रास्ते पर चल निकले। मैं समझता हूं जिस राजस्व घाटे को आप शून्य तक ले जाने की बात कर रहे हैं अगर यही रफ्तार रही...तो यह राजस्व घाटा आपका

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

शून्य नहीं होगा। क्योंकि 1999-2000 में जो बजट आपने प्रस्तुत किया है वित्त मंत्रीजी, उसमें राजस्व घाटा था आपका 2933 करोड़ और 2000-2001 के अन्दर आपका राजस्व घाटा बढ़कर हो गया 3346 करोड़। यानि आपका लगभग 413 करोड़ का राजस्व घाटा बढ़ रहा है। अगर यही रफ्तार रही तो आप राजस्थान के राजस्व घाटे को तीन वर्ष में शून्य की तरफ कैसे ले जायेंगे यह बात मेरी समझ के बाहर की है और माननीय सदस्य भी शायद नहीं समझ पायेंगे कि जिस रास्ते पर आप चल निकले हो आपने कोशिश तो बहुत की रेवेन्यू अकाउंट को कैपिटल अकाउंट से मैनीपुलेट करने की। यह राजस्व घाटा कैसे कम होगा, इस राजस्व घाटे को कैसे शून्य की तरफ ले जायेंगे कम से कम इस पर तो आपको विचार करना चाहिये। बजट बनाने से पहले यथार्थ से आंखें चुराना ठीक नहीं है वित्त मंत्रीजी।

अब आपने पिछली बार भी कहा था 764 करोड़ के अतिरिक्त संसाधन जुटायेंगे। एडिशनल रिसोंसेज मोबिलाइज करेंगे। आपने किये क्या? आपने 1100 करोड़ का टैक्स तो लगा दिया। आपने 200 करोड़ रुपये की इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बेशकीमती जमीन को बेचने का तय किया था आप उस लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर सके। बड़े जोर से यहां शांति धारीवालजी कह रहे थे कृषि भूमि पर बनी हुई कालोनीज को हम नियमित कर देंगे और लम्बा-चौड़ा स्टेटमेंट पढ़ रहे थे हमने यह दर निर्धारित कर दी। यह दर निर्धारित कर दी और 100 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था। मैं पूछना चाहता हूं कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया।

पिछले वर्ष जो घोषणाएं आपकी थीं बिना आधार के थोथी घोषणाएं करना और फिर अपनी ही बातों को मुकर जाना यही सरकार की नीति बन गयी है। इसीलिये तो आपने जिस घोषणा-पत्र में कच्ची बस्ती के नियमन की बात कही और आज जब राजस्थान की विधान सभा के अन्दर माननीय रतन लालजी जाट सवाल पूछ रहे थे तब उसको पोस्टपोन करा दिया। मतलब थोड़े-बहुत कुछ तो हमारे सिद्धान्त होंगे। कुछ तो हमारी प्रतिबद्धताएं होंगी। मैं समझता हूं इस सारी चीज को तो आप भूल गये हैं।

अब आपने 106 करोड़ के नये कर लगाये हैं। पिछले करों में आपने रियायत तो 1 करोड़ कुछ की दी है परन्तु अब आपने व्यवसाय कर, टर्न ओवर टैक्स और विद्युत शुल्क, अब आपने तो कहा कि पिछली बार तो 10 पैसे बढ़ाया और इस बार कहा कि हमने 5 पैसे बढ़ाया है। 50 यूनिट से कम ऐसा कौनसा व्यक्ति होगा गरीब के झोपड़े में भी चले जाओ वह भी अगर दो बल्ब जलायेगा तो 50 यूनिट से ज्यादा उसके खर्चा आयेगा और अगर उसको देखें तो जब यह बिल लोगों के पास जाएगा तब लोगों को पता लगेगा कि राजस्थान की सरकार किस तरह से गरीब के साथ अन्याय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर रही है और वित्त मंत्रीजी, अब यह जो कर लगाने की बात है, सैचुरेटेड किसे कहते हैं...(व्यवधान) मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अभी आप पूछ रहे थे कि खर्चा कितना हुआ 1997-98 में। आपने कहा कि प्रावधान कितने का रखा और खर्चा कितने का रखा। यह पंचवर्षीय योजना, यह बजट स्टेडी पेज नं. 44, 1997-98 में 4259 करोड़, 1998-99 में 4054 करोड़, 1999-2000 में 3855 करोड़। यह आप जो मुझे कह रहे थे, माननीय पंचायत मंत्रीजी कह रहे थे, बोलते-बोलते मुझे पुस्तक नहीं मिल रही थी। इसमें आपने खुद ने उल्लेख किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब टैक्सिग का जो स्ट्रक्चर है कर लगाने का अब सैचुरेटेड पोजीशन पर आ गया है वित्त मंत्रीजी। अब जनता पर और आप कर लादो मैं कहता हूं कि अब अगर यही स्थिति रही तो अब कर वंचना से कैसे बचें इसके लिये लोग षड़यंत्र रचने लग जायेंगे। टैक्स लगाने की भी कोई लिमिट होती है।

वित्त मंत्रीजी, राजकोषीय घाटे की मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। आपको मालूम है कि राजकोषीय घाटा, हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर, वित्तीय स्थिति पर कितना दबाव है इसका सबसे महत्त्वपूर्ण संवेदनशील सूचकांक है। अब 1997-98 में जो राजकोषीय घाटा 6627 करोड़ था वह 1999-2000 में 1361 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटे में तो आपको मालूम है बजटीय घाटा कर लो, ऋण और दायित्व कितने हैं। अब 766 करोड़ का तो आपने बजटीय घाटा प्रस्तुत ही किया और इसके अन्दर जो आपने ऋण और दायित्व है यह भी आपकी पुस्तक में है 12294 करोड़, उनको जोड़ेंगे 13061 करोड़। मतलब राजकोषीय घाटा आपका लगातार बढ़ता जा रहा है और धीरे-धीरे राजस्थान हाई फिस्कल स्ट्रेप में आने वाली स्टेट में हो जायेगा। इसलिये खतरे की घंटी बज चुकी है। आप यह सारी बातें वित्त मंत्रीजी जरूर देखें।

एक आपने पुस्तक दी है आर्थिक समीक्षा। इस आर्थिक समीक्षा में राजस्थान की आर्थिक हालत किस तरह की है इसके बारे में थोड़ा जिक्र किया है। आपका जी.डी.पी., सकल घरेलू उत्पाद 1998-99 में था 10.98 जो 99-2000 में कम होकर हो गया 3.31। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों में 1998-99 में थी 11045 और 99-20000 में घटकर हो गयी 11030। स्थिर मूल्यों पर, 93-94 के स्थिर मूल्यों पर अगर हम देखें तो यह 98-99 में थी 7694 और 99-2000 में होगी 7141। इसके अलावा वित्त मंत्रीजी, खाद्यान्न उत्पादन जो 98-99 में 129.24 लाख मैट्रिक टन था आपके इस साल आते-आते घटकर रह गया 89 लाख मैट्रिक टन। यानि 30 परसेंट। दलहन का उत्पादन 26 परसेंट था। अब आप बतायें राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं। खुशहाल राजस्थान की बात आप करते हैं। आपका सकल घरेलू उत्पाद कम हो गया। प्रति व्यक्ति आय कम हो गयी। खाद्यान्न का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उत्पादन और वह खाद्यान्न का उत्पादन जिस पर राजस्थान की जनता 75 परसेंट लोग आज कृषि पर निर्भर हैं और उसके पश्चात् भी जब आपसे हम मांग करते हैं कि अकाल राहत काम खोलो तो एक इशारा कर देते हो केन्द्र से सहायता मिलेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं। अब कल, परसों मुख्यमंत्रीजी ने एक बयान दिया था और हमारी तरफ इंगित करके कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब हम केन्द्र से सहायता की बात करते हैं तब उसमें रोड़ा अटकाते हैं। वित्त मंत्रीजी, इस सदन में जो भी व्यक्ति चुनकर आया है जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। राजस्थान के अन्दर इस सदन में कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जो समग्र राजस्थान के विकास का चिन्तन नहीं करता हो। मुख्य मंत्रीजी जैसा व्यक्ति यह बात कह दे, मैं समझता हूं इससे छोटी बात कोई हो नहीं सकती। अब आपने कहा कि अकाल के अन्दर केन्द्र सरकार सहायता नहीं देती है। आपको मालूम है टैंथ फाइनेंस कमिशन के अन्दर एक व्यवस्था थी। टैंथ फाइनेंस कमिशन में तय हुआ था कि सी.आर.एफ. प्राकृतिक आपदा कोष और एन.सी.आर.एफ. राष्ट्रीय आपदा कोष, यह दो कोष बने थे। अब प्राकृतिक आपदा कोष के अन्दर जो दसवें वित्त आयोग ने और गाडगिल फार्मूले के आधार पर जो हिस्सा तय किया था जिसके अन्दर 75 परसेंट हिस्सा केन्द्रीय सरकार देगी और 25 परसेंट राज्य सरकार का, उसके अनुसार आपको रुपया मिलना था 700 करोड़, जो 31 मार्च, 2000 तक आपके पास पूरा का पूरा पहुंच गया है और उसके अलावा यह तो केन्द्रीय सरकार ने 21 करोड़ कुछ रुपया तो आपको एक बार अलग से एन.सी.आर.एफ. में से दे दिया और 103 करोड़ रुपये अब आपको स्वीकृत कर दिये। परन्तु 242 करोड़ का आपका हिस्सा, राज्य सरकार का हिस्सा जो इसमें होना चाहिए था, यह दीगर बात है कि आपने उस हिस्से को इसमें शामिल नहीं किया।

अब आप नवम्बर, 99 में जो राज्य सरकार को ज्ञापन देकर आये थे। उसमें आपने कहा था कि नवम्बर से मार्च, 2000 तक इन 18 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आपने वायदा किया है कि हम 18 लाख लोगों को रोजगार देंगे। नवम्बर, दिसम्बर में 50 लाख मानव दिवस का सृजन करेंगे और जनवरी, फरवरी में 1 करोड़ कर देंगे और मार्च में तो आप उससे भी ज्यादा चले जाओगे सवा करोड़ मानव दिवसों के सृजन करने का काम आप करोगे। अब आपसे कोई पूछे नवम्बर चला गया, दिसम्बर चला गया, जनवरी चली गयी, फरवरी चली गयी। 16 फरवरी को तो आप ऐलान करते हो कि हम अकाल राहत काम खोलेंगे और वस्तुस्थिति में वित्त मंत्रीजी, यह राजस्थान विधान सभा का सत्र आहूत नहीं होता ना तो आप अकाल राहत काम खोलते भी नहीं और आज की तारीख में भी मैं आरोप लगा रहा हूं कि अकाल राहत के नाम पर एक-एक पंचायत समिति में 8-8, 10-10 से ज्यादा काम आपने खोले नहीं है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब राजस्थान में जिस तरह के हालात, आपने जो रिपोर्ट केन्द्र सरकार को दी है उसमें आपने कहा है कि सपोर्टिंग प्राइस के अनुसार 2155 करोड़ रुपये की फसलों का नुकसान राजस्थान के अन्दर हो गया है।

(16.00 बजे)

आज ऐसी हालत में जब 3 करोड़ 45 लाख पशु प्रभावित हैं, 2 करोड़ 61 लाख जनसंख्या प्रभावित हो और आप अपने कर्तव्य से विमुख हो जायें तो राजस्थान की गरीब जनता कहां जायेगी। यह अलग बात है। मुख्य मंत्री जी तो + + + कुछ भी बयान दे सकते हैं परन्तु...।

श्री महेश जोशी : सभापति महोदय, मुख्य मंत्री कोई भी पार्टी के हों, या कहना सरासर गैर परंपरागत है कि मुख्य मंत्री बड़े + + + कुछ भी कह सकते हैं। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने शब्दों को वापस लें।

श्री सभापति : शायद गैर संसदीय भाषा नहीं है यह।

श्री महेश जोशी : मैंने गैर संसदीय नहीं कहा, लेकिन हम किसी भी...(व्यवधान) बात नहीं कहते हैं कि वह...(व्यवधान)

श्री सभापति : लाइटली लेना + + + का मतलब लाइटली लेना।

श्री महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं होता।

श्री सभापति : I think it is not unconstitutional language.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अकाल जैसे संवेदनशील विषय पर हम सब लोगों को चिन्ता है। मुख्य मंत्री जी यह कहें कि हम सहायता लेते हैं केन्द्र सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के नेता रोड़े अटकाते हैं और यह कहते हैं कि पैसा दे दिया तो राजीव गांधी पाठशालाओं में खर्च हो जायेगा। इस तरह के बयान से क्या हमें पीड़ा नहीं होगी। मैं तो इस मान्यता का हूं कि आज पक्ष में बैठे लोग चाहे कितने ही बहुमत में आये होंगे परन्तु इस तरह के कुछ विषय हैं, कुछ इस तरह की बातें है जिन पर समग्र चिंतन करके मैं तो चाहता हूं कि सदन में प्रस्ताव आये कि राजस्थान के अंदर अकाल की विभीषिका इतनी है, राजस्थान में अकाल की मार और पैनी हो गयी है, राजस्थान में जन-जीवन के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो रहा है, इसलिए पूरा सदन एकमत होकर प्रस्ताव पारित करे कि हम केन्द्र सरकार के पास जाकर कहें कि हमें और ज्यादा वित्तीय सहायता दे। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। माननीय जोशी जी, आप जयपुर शहर से चुनकर आते हैं। मेरे साथ चलना,

---

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के अदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपको दिखाऊंगा कि आज हालात क्या हैं गांव के अंदर? लोग जिन पशुओं को अपने बेटे और बेटियों की तरह पालते थे। आज तिलक लगाकर के पीछे से डंडा लगाते हैं, गांव के बाहर छोड़कर आ रहे हैं, आप क्या समझो किसान की पीड़ा को...(व्यवधान)

श्री गोवर्धन कल्ला : मुख्य मंत्री जी ने पूरे हाउस की तरफ से कहा है, ऐसी क्या बात करते हैं आप...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अट्टालिकाओं में रहने वाले लोगों को क्या पता कि किसान क्या है।

श्री गोवर्धन कल्ला : राठौड़ साहब, मुख्य मंत्री जी ने अपील की पूरे हाउस को अकाल के बारे में, आप ऐसी क्यों बात करते हैं। विशेषकर आपको निवेदन किया है कि आप केन्द्र सरकार से कहें...(व्यवधान)

श्री सभापति : कल्ला साहब, यह भी ठीक कह रहे हैं, सहायता वाली बात ही कह रहे हैं।

श्री गोवर्धन कल्ला : मुख्य मंत्री जी ने पूरे हाउस की तरफ से कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत कामों में सरकार ने बार-बार घोषणा तो की कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है परन्तु कथनी और करनी में इस सरकार के अंदर किसी बात पर विश्वास करने लायक विश्वसनीयता नहीं है। विश्वसनीयता तो ऐसी बन गयी है कि राजस्थान का आम अवाम तो कहता है कि आज शान्ति धारीवाल साहब ने वह स्टेटमेंट दे दिया, अंदर कुछ और है। आज वित्त मंत्री जी ने वह बयान जारी कर दिया, विश्वास नहीं है। यह इस तरह की एक क्रेडिट बनती जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी चीजों से कम से कम आपको बचना चाहिये।

आज मैं वित्त मंत्री जी निवेदन करूं कुछ इस तरह के सेन्ट्रल स्पोंसर्ड कार्यक्रम हैं...।

श्री महेश जोशी : आप शान्ति धारीवाल जी का पांच मिनट में तीन बार नाम ले चुके हैं। आपको यह विशेष प्रेम क्यों है इनके साथ, यह बतायें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम होमवर्क साथ-साथ करते हैं, आपको मालूम नहीं है।

श्री महेश जोशी : क्या करते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम होमवर्क साथ-साथ करते हैं, जिनका आपको मालूम नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं, यह वह योजनाएं हैं जिनका सीधा-साधा संबंध रोजगार सृजन से है। जिनका सीधा-साधा संबंध ग्रामीण क्षेत्र के विकास से है। जिनका सीधा-साधा संबंध परिसम्पत्तियों के अर्जन से है और यह जो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं हैं इसके अंदर दसवें वित्त आयोग ने जिस तरह की व्यवस्था की थी, कुछ इस तरह की योजनाएं थी जिन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर पूरा पैसा केन्द्र सरकार देती है, मात्र राज्य सरकार को तो उस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना होता है। कुछ इस तरह के भी है जिसके अंदर 90 परसेन्ट पैसा केन्द्र सरकार का और 10 परसेन्ट राज्य सरकार का होता है। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनमें 75 परसेन्ट राशि केन्द्र सरकार की और 25 परसेन्ट राशि राज्य सरकार की होती है, मैचिंग ग्रान्ट, यह मैं आपको Progress of programme of Ministry of Rural Development, prepared on 16 March, 2000. Rupees in lacks.

सभापति महोदय, अब मैं सारी योजनाएं तो क्या बताऊं, इसके अंदर जो योजनाएं हैं मुख्य रूप से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ई.एस. योजना, स्वर्ण जयन्ति रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना है। यह सारी की सारी वह योजनाएं हैं जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन होता है। इन योजनाओं में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा रिलीज किया है 267 करोड़ 45 लाख रुपये जो ओपनिंग बैलेंस पूर्व में सरकार के पास था वह 84 करोड़ 27 लाख है और इसके अंदर जो स्टेट का पार्ट होना चाहिये, इसमें ज्यादातर योजनाओं में तो 00 कर रखा है, स्टेट ने कितना हिस्सा दिया और कुल मिलाकर जो 16.3.2000 को फंड अवलेबल था वह 351 करोड़ 72 लाख रुपये है और जो 16 मार्च तक खर्च किये हैं वह है 144 करोड़, यानि 41 परसेन्ट पैसा सेन्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम का राजस्थान की हुकूमत उस वक्त खर्च कर रही है जब राजस्थान में गांवों में अकाल की विभीषिका है। गांव का आदमी आज काम का इंतजार कर रहा है। उसकी प्यास बुझाने के लिए उसको काम देने के लिए सरकार के पास उन योजनाओं में पैसा है परन्तु सरकार ने ना जाने क्यों, संवेदनशीलता तो समाप्त हो गयी है और मेरा आरोप है कि सरकार के पास केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में पैसा होते हुए भी इन्होंने काम चालू नहीं किये।

सभापति महोदय, बजट भाषण के अंदर वित्त मंत्री जी ने एक बात कही है वह यह कि राजस्थान की 75 प्रतिशत जनता कृषि से जीवन-यापन करती है इसलिए इस बजट के अंदर 129.10 करोड़ का प्रावधान कृषि से संबंधित कार्यक्रम में है। सभापति महोदय, 4146 करोड़ की योजना और 129 करोड़ रुपये उस सेक्टर पर खर्च कर रहे हैं जिसमें वे मानते हैं कि दो तिहाई लोग कृषि पर जीवन-यापन करते हैं। किसान की बातें इस घोषणा-पत्र में कहना कि किसान की हालत बहुत खराब हो गयी है और हमें अगर शासन मिला तो हम बिजली सस्ती करेंगे, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, यह कहना आसान है परन्तु किसान के प्रति आपकी हमदर्दी क्या है? आप पूरी योजना का 3.1 प्रतिशत पैसा इस कृषि पर खर्च कर रहे हैं।

श्री सभापति : एक घंटा पूरा होने जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बस दो मिनट और। श्री सभापति जी, मुख्य मंत्रीजी, बात कहते हुए खुद की पीठ थपथपा रहे थे।

श्री सभापति : अच्छा तो बोल रहे हैं लेकिन वक्ता का भी ध्यान रखना पड़ता है कोई थक भी जाता है इसलिये उसको यह भी कहना पड़ता है कि ओवर कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कुछ इस तरह के फैसले कर दिये कि राजस्थान की सारी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर दिये। अब उनको पूछें कि कौन-कौनसे फैसले कर दिये।

वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हम राजस्थान स्वर्ण जयन्ति समारोह का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ा रहे हैं। वित्त मंत्री जी यह कार्यकाल किसके दबाव में बढ़ा रहे हो। इससे राजस्थान की गरीब जनता को क्या लाभ हो जायेगा, परन्तु आपको नवल किशोर जी को खुश करना है। आपने महिला आयोग का गठन कर दिया, पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया, अल्पसंख्यक आयोग बना दिया, मानवाधिकार आयोग बना दिया, राज्य वित्त आयोग बना दिया, राजस्थान पिछड़ा जाति विकास वित्त निगम बना दिया, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त निगम बना दिया। यह सारे आपने फैसले कर लिये थे। अभी महिला आयोग की चर्चा चल रही थी, विधान सभा में सवाल भी आया था। आज महिला आयोग अपना कार्य इसलिए प्रारम्भ नहीं कर सका कि उसको जिस तरह की वित्तीय सहायता की जरूरत थी, बजट में जो प्रोविजन था, उसके अनुसार बजट नहीं दिया। आज हम बातें चाहे कितनी ही कर लें परन्तु चाहे हम महिला नीति बनाने की बात कर लें, सूचना और प्रौद्योगिकी नीति, राजीव गांधी परंपरागत जल स्रोत संधारण कार्यक्रम, यह तो आप सोनिया जी को खुश करने के लिए किसी तरह कर लें, बोर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोमोशन, आप यह तो तय कर दें कि हमने एक खिड़की कार्यक्रम तय कर दिया है। इतने करोड़ तक के प्रस्ताव को इस स्तर पर निष्पादन होगा, इतने करोड़ के प्रस्ताव यहां आयेंगे। लेकिन आयेगा कौन? राजस्थान के अन्दर जिस तरह की तस्वीर आपने प्रस्तुत की है, आपके पास आयेगा कौन? सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे दो-तीन बातें और कहनी हैं।

यहां बड़ी चर्चा हुई थी कि पक्ष के सभी लोग कह रहे थे कि इस बार शिक्षा के सार्वजनिकीकरण में राजीव गांधी पाठशाला खोलकर हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। यह कैसा न्याय है कि गांव में हमारे बच्चों को पढ़ायेगा वह व्यक्ति जो खुद दसवीं तक पढ़ा हुआ है और उसको 1200 रुपये मानदेय मिलेगा और मिनिमम वेजेज से भी कम मानदेय मिलेगा। आज शहर के अन्दर, उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 1999-2000 में लक्ष्य रखा था 16 हजार राजीव गांधी पाठशाला खोलने का और आपने 12 हजार खोले।

सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि आज भी 5 हजार से ज्यादा राजीव गांधी पाठशाला बिना भवन के चल रही हैं। कहां पढाया होगा बच्चे को? कहां शिक्षक गया होगा। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इनका भवन निर्माण में पैसा कौनसा खर्चा हुआ। बजट के अन्दर दसवें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वित्त आयोग ने राजस्थान की ग्राम पंचायतों को जो पैसा दिया था वह सारा का सारा पैसा इसमें खर्च कर दिया और 23 अप्रेल को एक परिपत्र और जारी हुआ कि राजीव गांधी पाठशालाओं में दरीपट्टी, बक्सा, स्टूल खरीदने के लिए आठ हजार रुपये स्वीकृत किए जाते हैं। परन्तु 13 मई को कुछ दिनों बाद ही यह कह दिया कि 4550 रुपए ही एक पाठशाला को देंगे। सभापति महोदय, आप तो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, आपको मालूम है कि 4550 रुपए में कोई यह समझे कि वह उस पाठशाला में ब्लैक बोर्ड से लेकर स्टूल, दरीपट्टी आदि सबकी व्यवस्था करके पठन-पाठन का कार्यक्रम प्रारम्भ कर देगा। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार वाह-वाही लेने के लिए इस तरह की बात तो कर लेती है परन्तु वस्तुस्थिति दूसरी है।

वित्त मंत्रीजी, आपने बहुत बड़ी बातें कही थी, चुनाव घोषणा-पत्र में बेरोजगारी मिटाने की और बड़ी वाह-वाही ली थी कि हमने सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 58 कर दी, परन्तु जिस दिन आप केन्द्र सरकार से एम.ओ.यू. साइन करने गए थे, वेज एण्ड मींस के लिए ऋण लेने के लिए गए थे 1010 करोड़ का, उस समय एम.ओ.यू. में क्या दस्तखत करके आए? आप दस्तखत करके यह आए कि 31 मार्च, 2000 तक जितने पद रिक्त होंगे उन सारे पदों को हम समाप्त कर देंगे और उसके साथ ही आप यह भी कहकर आए थे कि आज जितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनमें तीन प्रतिशत के हिसाब से लगातार कम करते चले जाएंगे, आप यह कहकर आए थे कि हम बिजली का शुल्क बढ़ा देंगे, सिंचाई के शुल्क को दुगुना कर देंगे। कर्जा लेने के लिए राजस्थान के लोगों को, बेरोजगारों को जो सपना आपने दिखाया था, वह सपना पूरा करना तो दूर, आपने उन सारे रास्तों को बंद कर दिया और आप यह कहकर आए कि सिंचाई शुल्क दुगुना कर देंगे, विद्युत शुल्क भी बढ़ा देंगे। यहां राज्यपाल के अभिभाषण के उत्तर में मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि 31 हजार लोगों को नौकरी दे दी। सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि या तो वित्त मंत्रीजी अपने बजट भाषण का उत्तर देते हुए बता दें कि 31 हजार लोगों को किस-किस विभाग में, कब-कब सरकारी नौकरी दी, किस-किस ग्रेड में दी, वरना ये थोथी बातें, अभी मुख्य सचेतकजी नाराज हो जाएंगे, कुछ कहूंगा तो, मुख्य मंत्रीजी इस तरह की बात कहे जिसका कोई आधार ही नहीं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातें और कहूंगा। यहां बहुत बड़ी चर्चा हुई थी, आज भी चर्चा चली थी, आपरेशन पिंक की भी चर्चा चली थी, इसी सरकार ने यह कहा था कि हम 15 अगस्त, 1998 तक की 2113 कच्ची बस्तियों और उनमें रहने वाले 2,37,475 परिवारों, व्यक्ति नहीं परिवारों को हम पट्टे देंगे, घोषणा कर दी और फिर बीच में उन्होंने बयान जारी किया कि वीडियोग्राफी करवाएंगे, यह करवाएंगे, वह करवाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि एक वर्ष का समय व्यतीत हो गया, यह मैं ही नहीं पूछूंगा, हर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कच्ची बस्ती में रहने वाला मजदूर पूछेगा, यह ज्यादा दिन अनुत्रित रहने वाला सवाल नहीं है। सभापति महोदय, वादा किया, वादा करने के बाद कच्ची बस्ती में रहने वाले कितने लोगों को इन्होंने पट्टे बांट दिए। एक दिन चले गए स्वायत्त शासन मंत्रीजी और जाकर फोटो खिंचवा लिया और उसके बाद काम बंद कर दिया। लोगों के साथ यह धोखा कितने दिन तक चलता रहेगा?

यहां बड़ी चर्चा चली थी बी.पी.एल. कार्ड, बिलो पावर्टी लाइन वालों को हमने उनके हाथ में एक कार्ड दे दिया जिससे उनको दवाइयां मिलेगी। मैं यहां जिनकी प्रशंसा करता हूं, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, इस सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हीं से सवाल करना चाहता हूं कि 22 लाख लोगों को कार्ड वाली बात तो आपने बड़े जोरों से कही, खैर, आप करोगे, आपको तो जिस तरह कह दिया जाता है, उसी तरह आप कह देते हैं, पर इसके अंदर दवाई के बजट के लिए कहां से अतिरिक्त प्रावधान है। मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी जो हमारे शासन में चली थी, उसके अंदर प्रावधान कर दिया कि इसकी 25 प्रतिशत राशि बी.पी.एल. कार्ड वालों को देंगे। अब आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं यादव साहब, आपके पिछले वर्ष, मैं एस.एम.एस. की बात कर रहा हूं, साढ़े चार करोड़ रुपए प्लान और नॉन प्लान का दवाइयों का बजट था और एक कलम से उसको कम करे साढ़े चार करोड़ को कर दिया ढाई करोड़ और ढाई करोड़ के हिसाब से लगभग 21-22 लाख रुपए प्रतिमाह दवाइयों पर एस.एम.एस. में खर्च होता है और आप आंकड़े मंगवाकर देख लेना। मैं इसमें पूरे तथ्यों के साथ कह रहा हूं। एक महीने का जो एवरेज आ रहा है, जब से आपने योजना चालू की है, वह आ रहा है, 60 हजार बी.पी.एल. कार्ड वालों को आप दवाई देते हैं, मतलब 21-22 लाख की दवाई एस.एम.एस. में सरकारी धन से बंटती है, एक महीने के अंदर और बी.पी.एल. कार्ड वालों को देते हैं 60-70 और बाइस लाख परिवारों को दे दिया, मतलब यह कि थोथी बातें, बिना आधार की बातें, इनका असर क्या रहेगा?

सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं निजी क्षेत्र के बारे में, वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमने निजी क्षेत्र के अंदर 10 मेडिकल कॉलेज और 17 डेंटल कॉलेज को हमने एन.ओ.सी. दे दी। सभापति महोदय, एक नया काम चालू किया है राजस्थान की सरकार ने। मैं समझता हूं कि जिस दिन एम.सी.आई. और डेंटल कौंसिल ऑफ इण्डिया से स्वीकृतियां लेने जाएंगे, मान्यताएं लेने जाएंगे तब सामने आएगा। यह स्पष्ट लिखा है यादव साहब कि नए मेडिकल कॉलेज में 25 एकड़ जमीन होनी चाहिए, 500 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। जयपुर में एक आ रहा है डॉक्टर स्वर्णकार का, उसका हम स्वागत करते हैं, परन्तु आपने क्या किया?

श्री सभापति : आप कम से कम वित्त मंत्रीजी को तो सम्बोधित करो, यादव साहब तो इसमें कहीं आते ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक्सपर्ट हैं।

श्री सभापति : एक्सपर्ट तो हैं लेकिन he is not in the ministry.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एम.सी.आई. और डेंटल कौंसिल ऑफ इण्डिया के जो प्रावधान हैं कि 25 एकड़ जमीन और 500 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। आपको अपने लोगों को ऑब्लाइज करना है, खैर, करो, आपकी इच्छा है, परन्तु आप कर क्या रहे हैं? सरकारी चिकित्सालयों को अटैच कर रहे हैं। सीकर के अंदर डेंटल हॉस्पिटल आ रहा है, कल्याण अस्पताल सीकर से उसको अटैच कर दिया, जहां एक डेंटल चेयर है और कह दिया कि लड़के वहां प्रैक्टिकल कर सकेंगें। मैं समझता हूं कि कम से कम सेवा से, मानव जीवन से, जुड़ी हुई इन चीजों पर तो रहम करो और बहुत सी चीजें हैं, जहां आप किसी अपने आदमी को ऑब्लाइज करना चाहते हैं तो करो, परन्तु इस तरह से बने हुए चिकित्सक लोगों के जीवन के साथ किस तरह का खिलवाड़ खेलेंगे ?

वित्त मंत्रीजी, आपने इस बजट में एक नया उप केन्द्र, एक नया प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, एक नया रैफरल अस्पताल, एक नया पशु चिकित्सालय नहीं दिया है, क्योंकि न जाने क्या आपको विश्वास ही नहीं है क्या।

इस बजट भाषण में पर्यटन, पर्यटक और जिस वैभवशाली जयपुर और हमारी संस्कृति, सभ्यता और वास्तु कला की चर्चा हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी कर रहे हैं, वह सारी बेमानी है। आज ट्यूरिज्म इण्डस्ट्री हमारी बहुत बड़ी इण्डस्ट्री है और आपने बजट में प्रोविजन किया है एक करोड़ चालीस लाख। वित्त मंत्रीजी, माननीय भाटी साहब विराज रहे हैं, आपसे इनकी दोस्ती होगी, आपने वही सारी चीजें, ओसिया का मंदिर, वही महा मन्दिर, मेरे पास उसकी सारी जानकारी है, वही सारी की सारी चीजें वापस लाए हैं, पिछली बार आपने बजट में घोषणा की थी।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आपने ओसिया का मंदिर देखा क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, आपने देखा है?

श्री हरिसिंह (महुवा) : हां मैंने देखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है, हमने भी देखा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उसमें स्पेसीज को देखिए आप, वह यूनिक चीज है।

श्री सभापति : अब आप ओवर कीजिए, एक घण्टे से अधिक हो गया है, काफी बोल चुके हैं आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं। यहां एशियन डवलपमेंट बैंक की बहुत बड़ी चर्चा चली, हैरिटेज सिटी बनाने में बैंक द्वारा पैसा दिया जाएगा 5029 करोड़ रुपए और वित्त मंत्रीजी, अगर सारे फोरेन एडेड प्रोजेक्ट्स को आप लेकर आ रहे हैं, उनको सारों का आप देखें तो शायद आप इतना कर्जा ले रहे हैं, खैर, मुझे उसमें एतराज नहीं है कि विकास के नाम पर आप कर्जा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ले रहे हैं परन्तु आप कम से कम यह तो देखें कि 22 प्रतिशत राशि एशियन डवलपमेंट बैंक को कंसलटेंसी में जा रही है, मतलब 1528 करोड़, 71 लाख रुपए ऋण ले रहे हैं उसमें 1056 रुपए तो ऋण है, और 1056 में से विकास के ऊपर सिर्फ 907 करोड़ रुपए खर्च होगा, 620 करोड़ रुपए ब्याज में चले जाएंगे, कम से कम यह सारी चीजें राजस्थान के लिए आप यहां कर रहे हैं।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सोनियाजी मेहरबान तो अशोकजी महान् तब तक ही चलेगा, यह मामला लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है। अब तो इस बजट के बारे में क्या कहूं, इसमें तो यह हालत है,

"हाल क्या पूछते हो मेरे कारोबार का, अंधो के शहर में आइना बेचता हूं"

मैं समझता हूं ऐसा रद्दी बजट इस राजस्थान के पवित्र सदन में आज तक नहीं रखा गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सत्ता पक्ष के लोगों से कि अपनी अंतरात्मा में देखें, जिन लोगों ने चुनकर भेजा है, वह व्यक्ति, वह आदमी, वह निवासी, वह मतदाता, आपसे सवाल करेगा कि आपने राजस्थान की विधान सभा में क्या किया? आज डेढ़ वर्ष होने चला है, चाहे रतनगढ़ का मामला हो, चाहे और कहीं का मामला हो, कहेंगे डेढ़ वर्ष की एक उपलब्धि बता दें, आपके पास शून्य के अलावा कोई उत्तर नहीं रहेगा और शून्य ही आप कहेंगे तो उसके बाद दुबारा जब मौका आएगा, उसी मतदाता के पास परीक्षा के लिए जाएंगे तो वही शून्य देकर घर बैठा देगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी विकास की योजनाओं ने ही तो आपको 30 पर लाकर बिठा दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसीलिए आप विकास के पक्षधर नहीं है।

श्री सभापति : विराजिए, विराजिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं तो अपनी बात कह चुका था, परन्तु वित्त मंत्री जी ने बड़ी अदब से, अदा से खड़े होकर कहा...

श्री सभापति : अब ओवर कर दिया आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कहा कि आपने विकास किया तो आपको 30 पर ला दिया, इसलिए आप विकास के पक्षधर नहीं हो।

श्री सभापति : माननीय हरचंद सिंह सिद्धू।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मालूम पड़ेगा आपको।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, मानव समाज का यह सोच रहता है कि हम किस तरीके से इस समाज को वो दिशा दें जिससे विकास हो, प्रगति हो और उसमें सबसे पहला काम यह होता है कि आदमी का सोच सही हो और उस सोच को सुचारू करने के लिए उस देश, प्रदेश के अंदर हर नागरिक को शिक्षा उपलब्ध हो, उसके विचार विकसित हों, उसकी सोच

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

सही हो। इस बजट के अंदर इस सिद्धान्त को बड़ी बखूबी और मजबूती से आधार दिया गया है, क्योंकि राजस्थान जब प्रति व्यक्ति शिक्षा दर को देखा जाता है तो उसमें काफी नीचे था और यह बड़े शर्म की बात थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय को और खासतौर से हमारे पंचायती राज मंत्री महोदय को जिन्होंने दूरदराज के गांव व ढाणियों के लोगों को, जो शिक्षा के क्षेत्र में इतने पिछड़े हुए थे, उनको शिक्षा नसीब नहीं हो रही थी, उनके बच्चों को कोई साधन नहीं मिल रहा था, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस ओर मजबूती से कदम बढ़ाकर राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं का जो प्रावधान किया और अभी बार-बार इसकी आलोचना हो रही थी, एक रिवाज बन गया है विरोध करने का, लेकिन अपनी आत्मा के अंदर आप झांककर देखिए, जो कुछ आप नहीं कर पाये थे वो सरकार मजबूती से कर रही है, आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने गरीब, ढाणियों और दूरदराज में बैठे हुए लोगों को मौका

(16.24 बजे)

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत, सभापति पदासीन)

दिया है, उनके बच्चे आसानी से स्कूल जाएं और उनको अक्षर ज्ञान हो और शिक्षा जगत के अंदर वो भी अपना कोई स्थान बना पाएं, यह उनको पहला मौका मिला है। आज मैं तो यह कहूंगा कि शिक्षा क्षेत्र के अंदर रिवोल्युशनरी स्टेप है, जो बजट प्रोविजन किया गया है हम सबको वास्तविकता की ओर झांककर इस सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए। महज एक आधार नहीं बना लेना चाहिए कि हम विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं इसलिए हमको इस बजट का विरोध करना है। विरोध आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, यह मकड़ी का जाला गूंथकर विरोध करें उसका कोई आधार नहीं। वास्तविकता में झांकिए। हकीकत है हम एक ऐसी सामाजिक कमजोरी से लड़ने का मन बनाकर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। उसके सार्थक परिणाम आयेंगे और इस मजबूत कदम की तारीफ करनी चाहिए थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी कुछ समझ आएगी और आइंदा उस कदम की तारीफ करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आदमी शिक्षित होकर रोजगार की ओर कदम बढ़ाता है। वो सोचता है कि मैं मेरा जीवन-यापन कैसे बढ़िया बना पाऊंगा, क्योंकि राजस्थान एक मरू प्रदेश था, जैसा आज हम इस प्रदेश को देख रहे हैं आज से 50 साल पहले इसकी यह तस्वीर नहीं थी। प्राकृतिक क्रूरताएं ऐसी थी कि गर्मियों के मौसम में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, रास्तों के अन्दर बहुत से यात्री अपनी प्यास के कारण जीवन की यात्रा ही समाप्त कर बैठते थे। एक विकास चक्र है कि आज हम उस स्थिति में पहुंचे हैं कि उन गांवों में जहां हम अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि यहां पेयजल योजनाएं होंगी वहां योजनाएं हैं और उनके लिए इस प्रदेश की भगीरथी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उस इंदिरा गांधी नहर परियोजना

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

के सार्थक होने का करीब-करीब समय आ चुका है, यह उसका अंतिम चरण है। आज राजस्थान प्रदेश उस स्थिति में पहुंच गया है कि अन्न उत्पादन में यह आत्मनिर्भर है। इसमें मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। परिस्थितियां कुछ भी हों जब तक हम उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगे इस प्रदेश से गरीबी नहीं जाएगी और उत्पादन बढ़ाने का आधार इंदिरा गांधी नहर, गंग कैनाल, भाखड़ा कैनाल के अंदर लाखों एकड़ भूमि पड़ी हुई है जिसमें फ्लों से इर्रिगेशन होकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बहुत सी तकनीकी पेचीदगियों के कारण उन जमीनों को, जो सोना उगल सकती हैं उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। कुछ प्रशासनिक गलतियों के कारण इस राजस्थान प्रदेश की जुलोजिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि उनका बिना ध्यान रखे हुए कई योजनाएं बनायी गयीं। उन योजनाओं के कारण गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सात हजार किसान परिवार बर्बाद हो चुके हैं, बहुत बड़े भू-भाग के अंदर वाटर लोगिंग हो गई। जहां वह जमीन सोना उगला करती थी आज उन लोगों के सामने रोजी-रोटी का सवाल पैदा हो गया। यह जो मिस-मैनेजमेंट है इस मिस-मैनेजमेंट की ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए और ऐसी गलती हम न करें जिससे हमारा उत्पादन सरकारी नीतियों की गलतियों के कारण गिर जाय जो कि बढ़ना चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा सूरतगढ़ ब्रांच की घमण्डिया माइनर में करीब ढाई तीन हजार मुरब्बा जमीन बैरन पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है जो बहुत बढ़िया उर्वरक जमीन है, उत्पादन बहुत बढ़ सकता है लेकिन उसको फ्लो से पानी लग भी सकता है, पानी नहीं दिया जा रहा है, उसी घमण्डिया माइनर में आर.डी. 196 का एक स्केप बनाया है उन इंजिनियर्स ने, वही जाने मुझे मालूम नहीं है। वहां उस झील के अन्दर लगातार पानी छोड़ा जा रहा है जो हजारों क्यूसिक पानी वहां काश्तकारों की बरबादी का कारण बना हुआ है। इन्दिरा गांधी नहर की आर.डी. 1132 पर एक झील इसी तरह की बनी हुई है जिसके अन्दर लाखों क्यूसिक पानी इकट्ठा हो गया, इलाके के अन्दर वाटर लोगिंग पैदा हो रही है, किसान बरबाद हो रहे हैं और वह पानी एक बरबादी का कारण बन गया जो पानी एक उत्पादन का एक साधन होना चाहिए था। ऐसे मिस-मैनेजमेंट को रोककर, उस पानी की एक-एक बूंद का सही इस्तेमाल करके उस प्यासी धरती की प्यास को बुझाकर उत्पादन को बढ़ाया जाय ताकि हमारा प्रदेश खुशहाल बने और सारे लोगों की विकास यात्रा बहुत तेजी से आगे बढ़े। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें सभापति महोदय, किसान पानी के लिए तड़प रहा है। वह खुद अपने लिए तो पैदा करेगा ही करेगा लेकिन वह नेशनल आउटपुट को भी अपने खून-पसीने से और बढ़ाना चाहता है, उनको पानी न मिले जबकि पानी है और मैंने उसके बारे में निवेदन किया है कि पानी इस तरीके से बरबादी का कारण भी बना है। This is some sort of mismanagement of water. इस मिस-मैनेजमेंट आफ वाटर को

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

रोका जाय और अच्छे तरीके से उसका मैनेजमेंट करके और किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाय ताकि उत्पादन बढ़े, देश खुशहाल हो, प्रदेश खुशहाल हो।

सभापति महोदय, हर मामले में हम अपने-अपने नजरिये से चीज को देखते हैं, बिना पैसे के कोई भी योजना बन नहीं सकती, कोई विकास काम हो नहीं सकता। उसमें जनता की भागीदारी जनता टैक्स देकर अदा करती है लेकिन उसकी एक सीमा होती है। गत वर्ष के बजट में मैंने निवेदन किया था कि जनता पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़े और हमारे पास ऐसे साधन है जिनसे हम रोज कोष में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। माननीय सभापति जी, सिंचित क्षेत्र के अन्दर नहरों के किनारे, तीनों नहरी सिस्टमों में जो पेड़ लगाये गये थे उनकी आयु अब पक चुकी है उनके दोहन के लिए मैंने निवेदन किया था। लेकिन मुझे अफसोस है कि उन पेड़ों का दोहन तो हो रहा है लेकिन हमारे वन विभाग के अधिकारियों की बेईमानी के कारण आज उसमें करोड़ों-करोड़ों रुपये की छीजत भी हो रही है और उसमें मैं भागीदार हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती इस बात को कहने में। बाहर के प्रदेश के खास तौर से हरियाणा और पंजाब के लोग रातों के अन्दर ट्रैक्टरों पर आरामशीन ले लेकर आते हैं और पेड़ों की कटाई करके रातों रात निकल जाते हैं इससे इस राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसी छीजत को रोका जाय। सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के दोनों चरणों में एक लाख 25 हजार चक, प्रत्येक चक के अन्दर दो मुरब्बे जमीन नर्सरी विकास के नाम पर छोड़ी गयी, मैं निवेदन करना चाहूंगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक भी इंच भूमि के ऊपर वन विभाग ने नर्सरी नहीं लगायी है और उस ढाई लाख मुरब्बे में भू-माफिया लोग पैदा होकर लाभ उठा रहे हैं जो कि सम्पत्ति राजकोष में जानी चाहिए। आज वह ढाई लाख मुरब्बा जमीन अगर आवंटन के जरिये सही मायने में काश्तकारों को दी जाती तो इस प्रदेश का अन्न उत्पादन बढ़ता, इस प्रदेश की मय्यस बढ़ती लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हजारों एकड़ जमीन मुण्डा फोरेस्ट डिपार्टमेंट को दे रखी है जिसमें इस राजस्थान प्रदेश की जनता की खून पसीने की कमाई करोड़ों रुपया खर्च किया गया उसको मेन्टेन करने के लिए। माननीय सभापति महोदय, इसी सदन की क्वेश्चन एण्ड रेफरेंस कमेटी गत वर्ष हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर गयी, उस कमेटी के अध्यक्ष महोदय भी यहां विराजमान हैं, मैं उनको मौके पर ले गया था। उन हजारों एकड़ जमीन के ऊपर पेड़ नाम की कोई चीज नहीं थी। और अगर कोई चीज पैदा की गयी है वन विभाग ने, तो वह एक जूली-फ्लोरा है और उस जूली-फ्लोरा ने हमारे लोगों का जीवन कठिनाई में डाल रखा है। खेती को बरबाद करने के लिए कीड़े पैदा होते हैं, रास्ते रुक गये। सभापति महोदय, सूरतगढ़ कस्बे में जहां ए.डी.एम. महोदय, बिराजते हैं, एस.डी.एम. महोदय बिराजते हैं, वहां जूली-फ्लोरा महोदय भी घुस गये हैं, पूरा प्रांगण जूली-फ्लोरा से ढका

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

हुआ है और यह वन विभाग के अधिकारी बैठे-बैठे उसकी गणना करके और जो सरवाइवल रेट है।

श्री जगत सिंह दायमा : नाम तो अच्छा है, कुछ भी हो चाहे।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : जूली-फ्लोरा क्या चीज है, मैं निवेदन कर रहा हूं। जूली-फ्लोरा का कांटा, वह बबूल नहीं है, पहाड़ी है, विदेशी बबूल कहते हैं उसको। कांटा उसका ऐसा है कि बीस साल पानी में रह जाय तो भी नहीं गलेगा और चुभने की जो पीड़ा है उसकी रेट बढ़ जायेगी। यह तो भगराज जी साहब बता सकते हैं या उनके पहले के फोरेस्ट मिनिस्टर बता सकते हैं, मैं तो बता नहीं सकता। इस तरीके की जो बीमारियों हैं, वन विभाग के लिए जो इस तरीके के बजट प्रावधान किये गये हैं उनके लिए मेरा निवेदन है कि हमको सावचेत होना चाहिए। इस प्रदेश की जनता का पैसा, उसका सही ढंग से समायोजन होना चाहिए, वह विकास के काम आये, ऐसा मेरा सरकार से निवेदन है।

संसाधन दोहन की जहां तक बात है, उनके बारे में नॉन टैक्स रेवेन्यू, यह अच्छा सोर्स है। बहुत अच्छे-अच्छे मिनरल्स हमारे यहां पर हैं लेकिन उनके लिए पावर बहुत जरूरी है। कोई भी विकास बिना ऊर्जा के सम्भव नहीं हो सकता। मैं बधाई देना चाहूंगा सरकार को कि उन्होंने इस आवश्यकता को समझा, महसूस किया और जिस तेजी से सूरतगढ़ ताप बिजली घर की दूसरी यूनिट में विद्युत उत्पादन शुरू करवाया है, हकीकत है कि यह सरकार के सही सोच की एक दिशा है। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि 8-9 महीने के अन्दर उस दूसरी ढ़ाई सौ मेगावाट की यूनिट के अन्दर कोई कामर्शियल उत्पादन हो सकता है लेकिन यह अशोक गहलोत सरकार ही है जिसने यह सम्भव करके दिखाया है और वह धन्यवाद की पात्र है। उसके लिए कितना भी पैसे का प्रावधान यदि बजट में किया जाए तो मैं कहता हूं कि वह कम है क्योंकि वह हमारी लाइफ लाइन है। जब तक हमारे पास ऊर्जा का स्रोत नहीं होगा तब तक किसी भी प्रदेश में विकास सम्भव नहीं होगा। इसलिए सभापति महोदय, जो अच्छे काम किये हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए और सार्थक आलोचना हो तो उसका हम स्वागत करेंगे लेकिन एक रिवाज के तौर पर आप करें तो यह अच्छा नहीं लगता।

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय यहां नहीं विराज रहे हैं पर ऑपरेशन पिंक की जो बात हो रही थी, हकीकत यह है कि अगर हमारे में जमीर है और हम लोग इस पवित्र सदन में आये हैं, आने से पहले हमने अनेकों बार भारतीय संविधान की कसमें खायी हैं कि हम इस भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेंगे और इसको अक्षुण्ण रखेंगे। लेकिन उस संविधान के अन्दर यह गारंटी दी हुई है—the state would protect the person and property of each citizen of the country. लेकिन वह राज जिस राज की सम्पत्ति के ऊपर भू-माफिया कब्जे कर रहे हों, गरीब से गरीब

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

आदमी जो चाहे वहां जाकर के कब्जा कर लें, जो राज अपनी सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर सकता वह संवैधानिक गारंटी का वहन कैसे करेगा ? पहला मौका है, सरकार बधाई की पात्र है जिसने अपनी कांस्टीट्यूशनल गारंटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, यहां बार-बार जयपुर का सवाल आता है कि यहां थड़ियां हटा दीं, यह कर दिया, वह कर दिया। यह प्रवृत्ति पैदा क्यों हुई इसको हमको देखना होगा। प्रवृत्ति इसलिए पैदा हुई कि इसी सदन में बैठे हुए लोग जिन्होंने इस राजस्थान प्रदेश की महान जनता की जो सम्पत्ति थी। उसको हड़पने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दीं और अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया था कि मोमेवाला गांव के अन्दर 300 बीघा नहरी जमीन हड़प की गयी, बीकानेर के अन्दर बसंत बिहार जो चार क़रोड़ रुपये की राजस्थान प्रदेश की जनता की सम्पत्ति थी, उसको हड़पने के लिए न मालूम क्या-क्या कबाड़े किये गये। जब ऐसे कांड हुए, जयपुर ही नहीं सारे राजस्थान में यही हालात हैं। उनको देखा-देखी हरेक ने अपने आपको कह दिया कि यह राज की सम्पत्ति लूट का साधन है। उस लूट को रोकने के लिए मैं इस सरकार का धन्यवाद करता हूं जिसने पहल की।

(16.45 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि पीलीबंगा, जहां से मैं चुनकर आया हूं, 100 बीघा जमीन पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा था। जो मण्डी प्लान की जमीन थी उस जमीन के अन्दर अनाधिकृत ट्यूबवैल खोदकर और मैन फीडर से सीधी कुलियां डालकर बिजली लेकर उत्पादन कर रहे थे और वे लोग कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन गये थे, ऐसा पहला मौका है जब उनको वहां से खदेड़ा गया और आज राजस्थान प्रदेश की वह सम्पत्ति इस प्रदेश की जनता की सम्पत्ति है। ऐसे अच्छे काम जिस सरकार ने किये हैं, जो सरकार ने कदम उठाये हैं उनकी निश्चित तौर पर तारीफ की जानी चाहिए और इस राजस्थान की सम्पत्ति जो इस तरह से हड़प करते हैं उसको मुक्त कराने के लिए चाहे बजट में कितना भी प्रावधान करना पड़े, वित्त मंत्री महोदय, आप निःसंकोच होकर करिये और इस सम्पत्ति को मुक्त कराइये तभी आप इस राजस्थान प्रदेश की जनता को टैक्सों से मुक्त कर पाओगे। माननीय राजेन्द्र जी जो बार-बार विरोध कर रहे थे और यह कह रहे थे कि यह बड़ा निराशावादी बजट प्रस्ताव हैं और मैं इनका विरोध करता हूं। तो इनकी तो मैं क्या बताऊं। हकीकत यह है कि कोई अच्छा, बहुत बड़ा विशाल भवन बना हो और उसकी शिल्पकारी और उनके आर्किटेक्चर को कोई देखे नहीं और जाकर के उसके अन्दर गंदी नाली में नाक डाले और वहां जाकर गंदगी को देखे तो उसका कोई इलाज नहीं है। यह दोष उनकी आंखों का है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हुआ निवेदन करूंगा और मुबारकवाद

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

दूंगा कि आप ऐसे बार-बार बजट पेश करते रहे और हम उनका समर्थन करते रहेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खान।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 20 मिनट और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय 20 मिनट और बढ़ाने की अनुमति है। कम रहा तो और बढ़ा देंगे।

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000-2001 का बजट 30 तारीख को माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस सदन में जो पेश किया वह प्रदेश की हालत के अनुसार बहुत अच्छे ढंग से और ज्यादा नुकसान किसी वर्ग को, किसी सैक्टर को नहीं पहुंचे और प्रदेश का विकास भी चलता रहे, उस हालत में पेश किया, वह काबिले तारीफ है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके साथ मैं वित्त मंत्रीजी से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि सरकार की और अपन सबकी नीयत एक है कि जो पिछड़ा है, उसको सबसे आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाना चाहिए और आज तक यह रीति-रिवाज पड़ा है कि समान विभाजन का निर्णय होता है। मिसाल के तौर पर राजस्थान में 200 एम.एल.ए. हैं। कोई भी विकास की इकाई हो, वह 200 में आप विभाजन करने का जो फैसला करते हैं, वह गरीब आदमी के साथ न्याय नहीं है। राजस्थान सबसे ज्यादा शिक्षा में पिछड़ा हुआ प्रांत है और राजस्थान में सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ जिला बाड़मेर है। अब जब प्राइमरी स्कूलें आप खोलते हैं और मिडल स्कूलें आप खोलते हैं, सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल आप खोलते हैं और उस वक्त हमें यह कहा जाता है कि आपके हिस्से में इतनी स्कूल आती है, यह प्रस्ताव दे दो। इसको जनकल्याण कोई भी सरकार उस जमाने में, इंसाफ के तकाजे से यह नीति खिलाफ है इसको हम कहते हैं कि नहीं चलने देना चाहिए। जहां कहीं भी शिक्षा का स्तर 90 प्रतिशत हो चुका है, कहीं 70 प्रतिशत हो चुका है, उसी जगह भी शिक्षा के क्षेत्र में उतना ही पैसा खर्च करो और जहां शिक्षा के क्षेत्र में 20-22 प्रतिशत ही शिक्षित लोग हैं, उस जगह पर भी आप इस तरह से ध्यान देते रहोगे तो शिक्षा का स्तर उससे भी नीचे चला जाएगा, बढ़ नहीं सकता इसलिए मेरा वित्त मंत्रीजी से निवेदन है कि जो पिछड़ों को आगे का सिद्धान्त है, उसमें जोर देना चाहिए। इसी के मुतालिक जलदाय विभाग के लिए आपने बजट में पैसे रखे हैं, मेरे ख्याल से उसमें पिछड़ों के साथ अन्याय किया गया है। शहरी क्षेत्र में आबादी लगभग 30 प्रतिशत है, उसमें आपने बजट में पैसा ज्यादा रखे हैं और 70 प्रतिशत जो ग्रामीण आबादी है, उसका पैसा जलदाय योजनाओं में कम रखे हैं तो वित्त मंत्रीजी से मैं गुजारिश करना

(श्री अमीन खान)

चाहूंगा कि कम से कम शहर में पढ़े-लिखे लोग, काबिल लोग, चार बार तीन बार कपड़े धोना, स्नान करने के काम ले सकते हैं लेकिन उनको भी एक बार पीने का पानी, कपड़े धोने का मौके के लिए भी कम से कम इस बजट में बराबर तो हर हाल में करना चाहिए, बल्कि एक-आध परसेंट ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो ग्रामीण लोगों के साथ यह व्यवहार न्यायसंगत नहीं है।

इसी प्रकार अकाल का मामला है, अकाल में जिले तो 26 प्रभावित हो गये। इन 26 जिलों में भी कई जिलों के गांव ऐसे हैं जहां आधा रकबा सिंचाई का क्षेत्र नहीं आता है। कहीं-कहीं उद्योग भी है और कहीं-कहीं नहरी इलाका भी आता है और कहीं-कहीं अंडरग्राउंड वाटर की वजह से लोगों को चारे के लिए, अनाज पैदा करने के लिए, कामर्शियल फसल पैदा करने के लिए कुछ न कुछ गुंजाइश है। हमारा जिला बाड़मेर ऐसा है जहां सिंचाई की सुविधा नहीं के बराबर है और पूरा रेगिस्तानी इलाका है। सिंचाई और घास पैदा करना, अनाज पैदा करना तो दूर रहा, 1800 गांवों के लोग वहां पीने का पानी में भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहां पर भी मजदूरी सीलिंग बराबर, अगर आंकी जाएगी तो हमारे साथ यह अन्याय होगा। मैं राहत मंत्रीजी से और वित्त मंत्रीजी से चाहूंगा कि मेहरबानी करके न्याय यह है कि आपको किसी जिले को या किसी तहसील को या किसी एम.एल.ए. को ओब्लाइज नहीं करना चाहिए। जहां सबसे ज्यादा इंसान दुःखी है, सबसे ज्यादा इंसान को मुसीबतों का, बिना साधन के कारण सामना करना पड़ रहा है। पानी का पैसा चाहे अकाल राहत कार्य का पैसा उसमें ज्यादा लगाना चाहिए और लोगों का बचाव करना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहूंगा, जो सीमावर्ती इलाका है, इस इलाके की समस्या राजस्थान के दूसरे जिलों से कई मायने में जुदा है। कई गांव ऐसे हैं जहां सीमावर्ती तारबंदी के अन्दर उन किसानों की जमीन आ गई और उन जमीनों का लोगों को न तो एक बीघा जमीन का मुआवजा मिला और न कोई टके पैसे की कीमत का जमीन का मुआवजा मिला और कई बार आग्रह करने के बाद में भी राजस्थान सरकार कहती है कि यह भारत सरकार देगी और भारत सरकार कहती है कि हमने राजस्थान को दे दिया है, यह उनकी जिम्मेदारी है तो इसमें हमारे बाड़मेर जिले के हजारों आदमियों की जमीन इफेक्ट हुई है। उन किसानों को इस जमीन का मुआवजा देना चाहिए और उस जमीन की बराबरी में उनको हक मिलना चाहिए। हमारे जिले में 8-10 बस्तियां और गांव ऐसे आये जिनको अपनी आबादी खाली करनी पड़ी और आबादी इसलिए खाली करनी पड़ी कि राष्ट्रीय सुरक्षा पाइंट के लिहाज से उन बस्तियों को हटाना पड़ा और वह आदेशानुसार हट गई और दूसरी जगह जाकर के जिस तरह से जोगी या (गड़िया) लुहार बैठते हैं, इस तरह से बैठते हैं। अब उनकी आज तक न तो पानी की योजना अमल में लाई गई, न उनको झोंपड़े बनाने के लिए कुछ पैसा दिया गया और न उनकी जमीन एक जगह से छूटी हुई जमीन दूसरी जगह दी गई। ऐसे गांवों का मेहरबानी करके उनको जिस

(श्री अमीन खान)

ढंग से मानवता के दृष्टिकोण को आधार में रखते हुए करना चाहिए, उसमें सरकार को मुस्तैदी करनी चाहिए।

इन्दिरा गांधी नहरी क्षेत्र में इस साल जिला बाड़मेर के लोगों को बरबादी का सामना करना पड़ रहा है। पानी चाहे तो हनुमानगढ़ में रोका गया, चाहे तो हरियाणा पंजाब में रोका गया, इतने में तो हमारा तजुर्बा इस बात से हुआ कि बाड़मेर जिले के लोग विशेष आवंटन के रूप में वहां खेती करते हैं और उस खेती से इस साल 10 प्रतिशत भी फसल लोगों को नहीं मिली और फसल नहीं मिली, किसानों की कोई गलती नहीं। उनको समय पर पानी नहीं मिला और पानी नहीं मिलने से विशेष आवंटी जो किसान हैं वे समय पर किश्त जमा करने से महरूम रह गये। सरकार ने आदेश दिया कि ऐसे किसानों का आवंटन खारिज कर दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पहले भी ऐसे कभी भी इस प्रकार से किसी आवंटी को खारिज नहीं किया है। अगर कोई देरी होती है तो उसका ब्याज वसूल किया जाये लेकिन आवंटी का आवंटन खारिज करना अन्याय है बशर्ते उसमें आपको अपने सी.ए.डी. विभाग से जांच करनी चाहिए कि वास्तव में जिन चकों में पानी नहीं मिला है और फसल नहीं हुई है तो कम से कम ऐसे चकों के आवंटियों को अलाटमेंट खारिज नहीं करना चाहिए और उनको ब्याज वसूल करने के लिए समय देना चाहिए।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में जितने भी असिस्टेंट कमिशनर कालोनाइजेशन के दफ्तर हैं, उनमें कुछ समय पहले आवंटन की दरख्वास्त और आवंटन की मीटिंग के दिन भारी तादाद में भीड़ होती है और आजकल वहां आवंटन की दरख्वास्तें आना भी बंद हो गई हैं और चहल-पहल की जमीन खरीदने में लोगों की दिलचस्पी नहीं है। यह सरकार आमदनी के रिकार्ड के अनुसार देखे तो भी मेरी बात सही होगी क्योंकि वहां पर पानी इस साल नहीं मिलने से किसानों को डर हो गया है कि इतनी भारी कीमत देकर के पानी नहीं मिलेगा तो यह जमीन खरीदना बेकार है इसलिए लोग जमीन नहीं खरीद पाते हैं। और विक्रय जमीन का जो सिस्टम है, वह यह बनना चाहिए लेकिन यह कमजोर हो रहा है। दूसरा कारण है, इस सिस्टम के कमजोर होने का, आप बगैर सोचे-समझे हर साल जमीन की कीमत 15 प्रतिशत बढ़ा

(17.00 बजे)

रहे हैं। अब इन्दिरा गांधी नहर के इलाके की जो जमीन पड़त है, उस पड़त जमीन के आज की तारीख में करीब पांच लाख रुपये एक मुरब्बा कीमत है...और अगले साल जाकर साढ़े पांच लाख हो जायेगी और किश्त आपकी वह की वह। तीन किश्तों में पैसा जमा करो, तो इसके लिए तो फिर आपको जमीन जब्त करनी पड़ेगी। देश के, स्टेट के बड़े-बड़े अमीर, करोड़पति, सब भावी किसान की कोई जब्त नहीं उनके लिए यह

(श्री अमीन खान)

जमीन खुली रखनी पड़ेगी, और वही जमीन खरीद सकते हैं और गरीब किसान उस जमीन को कैसे खरीद पायेगा। दो चीजों में रियायत देनी पड़ेगी। या तो उस जमीन की कीमत को रोको, अगर कीमत रोकना अनुचित हो तो किसान को उस विशेष की कीमत के लिए कम से कम दस किश्तें तो देनी चाहिए ताकि किसान को कम से कम इतना मौका मिले कि चाहे वह दूसरी अपनी बारानी की जमीन पर गुजर करे, लेकिन इस जमीन में जितना उत्पादन पैदा हो, उससे किसान किश्त जमा करा सके, यह तो कम से कम हिसाब होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वहां के काश्तकारों के साथ अन्याय होता है और यह अन्याय होता है नहर विभाग के इंजीनियर्स की लापरवाही से जहां बड़े-बड़े आदमियों के पीछे जमीन आपकी है उनके स्वार्थ के कारण से इनको पानी के महरूम रखा जाता है। इस पर सरकार को मुस्तैदी से सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का डवलपमेंट रुके नहीं और किसान इस तरक्की को, इस भूमि को विकसित करने के लिए उत्साहित रहे, मायूस नहीं रहे। यह मेरा निवेदन है।

चौथी बात, मेरा यह निवेदन है कि इंदिरा गांधी नहर की सागरमल गोपा शिव ब्रांच, जो गडरा रोड, जिला बाड़मेर में जा रही है, इसके लिए सरकार को चाहिए कि, यह बाड़मेर सीमावर्ती जिला है और बाड़मेर जिले में पीने के पानी की भयंकर संकट है। तो इस संकट को दूर करने के लिए पानी के सोर्स के लिए सरकार भी मजबूर है, वहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो गडरा रोड ब्रांच को समय से पूर्व पहुंचाने के लिए आपको बजट में ज्यादा प्रावधान करना चाहिए जिससे कि वहां पीने के पानी में लोगों को राहत मिले। कुछ लोगों को वहां सिंचाई की सुविधा मिलेगी जिससे बाड़मेर जिला जो जीरो एग्रीकल्चर के हिसाब से आता है, तो वहां कुछ सिंचाई की भी सुविधा मिल सके और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के प्वाइंट को देखते हुए भी इस नहर को विशेष प्रयास के जरिये जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए, यह मेरी मांग है सरकार से।

पांचवीं बात, मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जो विकास है, सड़कों के मामले में भी पक्षपात और न्यायसंगत निर्णय नहीं देते हैं। पिछले एक साल में कृषि उपज मंडी के क्षेत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो फुट भी सड़क नहीं बनी और मेरे पड़ौस में दूसरे क्षेत्रों में जगह-जगह सड़क बनाई गई। मैं कई बार मंत्रीजी से भी मिला। वह कहते हैं कि पंचायत हैड क्वार्टर हो, ऐसा हो। वह समझते हैं कि यह गंवार है, समझता नहीं। तो मैंने उनको सूची दी कि यह-यह पंचायत हैड क्वार्टर ऐसे हैं जिनमें कि सड़कें आप बना सकते हैं। तो कहते हैं कि आपके बाड़मेर-जैसलमेर जिले में लम्बी दूरी है इसलिए इतना हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैंने एक सड़क डेढ़ किलोमीटर लम्बाई की इनको बताई, वह भी नहीं की। यह सड़कों का पैसा भी अपनी जेब का पैसा समझते हैं, न्याय नहीं दिलाते

(श्री अमीन खान)

हैं और यह बराबर पैसा भी नहीं देते हैं। इनको भी ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए। यह मेरी आपसे गुजारिश है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं कहकर इतनी ही बात कहता हूं कि मेडिकल डिपार्टमेंट में सब सेंटर में चाहे नर्स हो चाहे कम्पाउण्डर की पोस्ट हो, सब जगह की आप लिस्ट देख लो, बाड़मेर जिले के खाली पड़े हैं। चाहे हाई स्कूल, चाहे मिडल स्कूल देखों, मास्टरों के सब पद बाड़मेर में खाली है। आयुर्वेद और यूनानी औषधालय देखो तो बाड़मेर जिले के पद सब खाली, अस्सी प्रतिशत और यह होता क्यों है। यह होता है, हमारे यहां कोई ऐसा पावरफुल आदमी, ताकतवर कभी सरकार में रहा नहीं है, इस कारण से हमारी कमजोरी देख कर हमारे साथ अन्याय होता है। इस अन्याय को बंद करना चाहिए और अन्याय इसलिए होता है कि बाहर के लोग, हमारे जिले से बाहर के लोग, बिहार से और अन्य जगहों से फर्जी डिग्रियां लेकर आते हैं और फर्जी टीचर्स के पास 85 प्रतिशत से ज्यादा नम्बर होते हैं और हमारे यहां एक तो शिक्षा का स्तर कमजोर है इस कारण से बड़ी मेहनत करके 60 प्रतिशत तक आते हैं और बोनस के लोकल डिस्ट्रिक्ट के नम्बर और ग्रामीण के नम्बर मिलाकर मुश्किल से वह 70-72 तक पहुंचते हैं। तो इसलिए वहां के जो बेरोजगार लोग हैं, वह तो वहीं रह जाते हैं और यह फर्जी डिग्रियों वाले हमारे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। पहला जुल्म तो करते हैं हमारे बच्चों को यह बेरोजगार करते हैं। दूसरा जुल्म करते हैं, फिर दो साल रहकर के अपने एम.एल.ए. और मिनिस्टर से एप्रोच लगाकर तबादला कराके कोई भरतपुर चले जाते हैं, कोई अलवर चले जाते हैं, कोई सवाई माधोपुर चले जाते हैं, कोई जयपुर चले जाते हैं, हमारी स्थिति वह की वह है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि हमें अगर बराबर हक दूसरे लोगों के समान रूप में मिले तो बाड़मेर-जैसलमेर पिछड़े हुए इलाके के लिए यह विशेष नम्बर डालना चाहिए और यह अन्याय किया है बी.जे.पी. की सरकार ने। इनके शहरी लोगों के सब बच्चे वहां भर्ती करने के लिए राजस्थान का समान अपाइंटमेंट रूल बना दिया। उससे पहले ऐसा था कि जिला प्रमुख या जिला परिषद सचिव या कलेक्टर, उनकी कमेटी थी या बी.डी.ओ. या प्रधान था, यह अपाइंटमेंट अथोरिटी थी और वह अपाइंटमेंट लोकल आदमियों की करते थे। अब अपाइंमेंट में आती है, उपाध्यक्ष महोदय, मेरिट। और मेरिट में यह फर्जी लोग गरीबों को तबाह करते हैं। वह इलाके को अशिक्षित रखते हैं। मैं तो एक ऐसा आदमी हूं, कोई पार्टी के नाते भी इतना प्रिज्युडिस नहीं हूं। जैसे कटारिया साहब ने एक निर्णय लिया था, मैं उस निर्णय के तो पक्ष में हूं। मिडल स्कूल का जहां जीरो रिजल्ट रहा, उन बेइमानों को इन्होंने बाहर बदला, यह जनहित का आदेश था। हम उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन इस मामले में क्योंकि पढ़े-लिखे लोग सब इनके नजदीक ज्यादा हैं शहरों में, उनकी भर्ती करने के लिए बहुत ज्यादा जुल्म किया। एक तो बेरोजगार लोग, कटारिया सहाब, आप पहले जो कर रहे थे चिंता कि यह बेरोजगार

(श्री अमीन खान)

लोग आत्महत्या कर लेंगे या सरकार के लिए सड़क पर एक मुसीबत हो जायेंगे, तो यह जो मेरिट के आधार पर फर्जी डिग्री वालों की भर्ती रोकने का एलान नहीं हुआ तो वहां के लोगों के साथ वह जुल्म होगा जो सुबह आप कह रहे थे। इन लोगों के लिए वहां बेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का बोनस नम्बर बढ़ाया जाय ताकि वहां की स्कूलें, वहां के सब सेंटर, वहां के औषधालय, उनके ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों की ज्यादा भर्ती की जाय ताकि यह जगह खाली नहीं रह सके।

लास्ट में, मेरा इतना ही कहना है, उर्दू के ट्रेनिंग सेंटर में जैसलमेर जिले की तो दस पोस्ट रखी है लेकिन अल्पसंख्यकों की आबादी जैसलमेर से भी बाड़मेर जिले में ज्यादा है। कम से कम पन्द्रह पोस्ट उर्दू की बाड़मेर जिले के लोगों की भी एस.टी.सी. करने में रखनी चाहिए और उर्दू के जितने पद खाली पड़े हैं, उन पदों को आवश्यक रूप से भरा जाना चाहिए। यह मेरी गुजारिश है, नहीं तो कोई अल्पसंख्यक आयोग बना कर, एक आदमी को गाड़ी और बंगला देने से अल्पसंख्यकों का हम कोई सुधार नहीं मानेंगे, यह सुधार किया जाय तो हम बहुत बड़ी उपलब्धि मानेंगे। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल हादी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : टाइम तो नहीं बढ़ा साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बढ़ा दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कितना बढ़ाया।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बोलने तक बढ़ाया है।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट 2000 को फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पेश किया, कुल मिलाकर के हालात के हिसाब से बजट काफी तसल्लीबख्श था इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा बाड़मेर जिला काफी अरसे से हमेशा अकाल की चपेट में रहता है, इस साल भी जबरदस्त अकाल है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वह जमाना याद है, महाराजा जोधपुर के जमाने की मैं बात कर रहा हूं, उस जमाने में एक छिनवां अकाल पड़ा था। उसके बाद पूरा वक्त निकला हमारे यहां कभी अकाल नहीं पड़ा। हमारे इलाके में मुसलमान चाहे हिन्दु, खासकर हम जो सिन्धी मुसलमान हैं हमारा तो गुजारा मवेशी पर है और हम लोग तो अपने मवेशी के लिए जान दे देते हैं। आप समझिये कि आज इतनी महंगाई है। मैं एम.एल.ए. हूं फिर भी मेरे पास अभी 30 गायें हैं। मेरा जी जानता है कि मैं उनको कैसे पालता हूं। गुजरात से चारा मंगाते हैं चोरी करते हैं, अभी तक वे जिन्दा हैं। मतलब हमें मवेशी से इतनी मोहब्बत है खास करके हम जो सिन्धी मुसलमान हैं हम घुमक्कड़ कौम हैं अपने मवेशी लिये इधर-उधर घूमते रहते हैं। पढ़ाई बगैरह तो हमारे में है नहीं। मेरा अर्थ कहने का यह था कि हमारे यहां जो अकाल है वह छिनवें के बाद उस जमाने में कभी अकाल पड़ा है। खुदा की कुदरत तेबिसा अकाल पड़ा और उसके बाद पच्चीसवा

(श्री अब्दुल हादी)

और छब्बीस जबरदस्त अकाल पड़े। मैं उस वक्त भी एम.एल.ए. था। पच्चीसवें में सुखाड़िया जी ने बहुत बड़े पैमाने पर फेमिन का काम खोला उसके बाद छब्बीस फिर अकाल पड़ गया तो मैंने सुखाड़िया जी से कहा पूरी जमीन में इधर-उधर आपने सड़कें बना दी। हमारे यहां दिन को सड़क बनती है रात को आंधी आती है तो सड़क खतम हो जाती है तो इसलिए आप इनको सहायता दो। उन्होंने कहा कि सहायता क्या? मैंने कहा कि इनको घर बैठा दो। करोड़ो रुपये आप खर्च करते हैं उसमें बीच के लोग पैसा खा जाते हैं। गरीबों को तो पैसा मिलता नहीं है इसलिए मैंने उनको सुझाव दिया। और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा सुझाव माना और उन्होंने 12 1/2 रुपये हर आदमी को दिये घर बैठे। आधा कर्ज और आधा सरकार ने मुफ्त में दिया। मेरे कहने का मकसद यह है कि हम बातें बहुत करते हैं कि हम रिश्वत को खतम कर देंगे। रिश्वत खतम करना बहुत मुश्किल है। वह मैंने इसलिए कहा कि कम से कम इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। सवाल यह है कि आज आप लाखों रुपये खर्च करते हैं, करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, मुझे पता है। अब उसमें हमें पता है कि जायज पैसा कितना खर्च करते हैं। अब जैसे मवेशी मर रहे हैं हम देख रहे हैं। हमारा जी जलता है। अब ठीक है कि आप लोग चारा मंगाते हैं। जो चारा आता है उसमें लोग धूल टिका देते हैं, उसमें लोग पानी टिका देते हैं। कौन मवेशी की खिदमत करता है बल्कि जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं बिलकुल फर्जीवाड़ा है वे तो पैसा कमाते हैं। तो मैंने सुझाव दिया था कि हमारे गुलाब चन्द जी साहब, हैं कि चले गये, मैंने इनसे कहा था कि आपको मवेशी बचाने हैं तो लोगों को पैसा दो जिनके मवेशी हैं उनके दाम बढ़ाओ। आप जो भी देना चाहते हो तो मालिक जो अपने मवेशी की करेगा वह सरकार वाले चारे से मवेशी बचाना मुश्किल है।

खैर जो कुछ भी हो हमारे यहां भी चारा आ रहा है सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। मवेशी हैं और पानी है। इस संबंध में सरकार काम कर रही है पैसा खर्च हो रहा है। पर पैसे में जब गड़बड़ी होती है तब तकलीफ होती है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारे यहां अकाल पड़ते रहते हैं। अब अकाल तो खुदा की आफत है। मेरे खुद के समझ में नहीं आ रहा है कि हमने इतना क्या गुनाह किया कि लगातार अकाल चला आ रहा है। पहले का मुझे जमाना याद है जब अकाल पड़ते नहीं थे। तो यह तो कोई खुदा की आफत है इसको तो खुदा ही दूर करेगा। बहरहाल सरकार का फर्ज है कि जितना हो सके मदद करे। तो मेरा यह सुझाव था कि जैसे हमारे इलाके चौहटन और गुढ़ामालानी में जो पहले अकाल पड़ा तो मैं कई दिनों से यह माथाफोड़ी कर रहा हूं। मैं हमेशा असेम्बली में बहुत कम बोलता हूं और जरूरत की बात बोलता हूं। तो मैंने सुझाव दिया था कि हमारे यहां पानी खूब है। बाड़मेर लम्बा-चौड़ा इलाका है सब जगह इलाका एक जैसा नहीं है। हमारा इलाका जो खास चौहटन का, उसमें तो पानी अथाह है। 24 घंटे आप मशीन चलावें पानी मीठा है।

(श्री अब्दुल हादी)

हमारे तो खुद के एक दो बोरिंग हैं उस पर हम जिन्दा हैं नहीं तो मर जाते कभी, मवेशी मर जाते। मेरे खुद के गांव में एक हजार कनेक्शन हैं। एक हजार कनेक्शन से ये दो-तीन साल पहले लगे हैं लोगों की माली हालत सुधर गई लोगों ने अपने मवेशी बचा लिये। तो यह चाहता हूं कि आप लोग यह करोड़ों रुपयों पर पानी फेर देते हो। फिजूल खर्च होता है। तो यह पैसा बिजली पर खर्च करें। मैं तो कहता हूं कि आज भी हमारे कोटे में जो पैसा है, आप बिजली पर दीजिये बोरिंग पर दीजिये। पहले एक दफा हरिदेवजी जोशी के जमाने में बात की थी उन्होंने मेरी बात मानी। वहां पर, बोरिंग पर उन्होंने पैसा दिया। फेमिन पर, उन्होंने कृषि बोरिंग पर, आज वे लोग खुशहाल हो गये उनको कनेक्शन मिल गये। उनकी माली हालत सुधर गयी। तो मेरा मकसद यह है कि जहां भी पानी है, जैसे धोरीमन्ना इलाका है, यों तो बाड़मेर लम्बा-चौड़ा है। बाड़मेर में हमारे दो तहसीलें है बाकी जगह तो पानी है। जैसे अमीन साहब के इलाके में पानी नहीं है इधर वायतु साइड में पानी नहीं है। तो कुछ ऐसा इलाका है जहां पानी नहीं है तो वहां पर टांके के लिए आप पैसा दें। मैं कहता हूं कि जो भी फेमिन का पैसा आये उस पैसे को आप ऐसे हिसाब से खर्च करें कि वह पैसा जायज खर्च हो हमेशा के लिए परमानेंट काम हो। उन्होंने कहना माना मैं तो कहता हूं हमारे तो लोग निहाल हो गये। बेरे खुदवा दिये, बिजली आ गई। अब मेरे खुद के गावं में तो बेरे हैं। हमारे यहां तो कोई फेमिन में कहीं नहीं गया। एक-एक बेरे पर चार-चार, पांच-पांच फेमिली का गुजारा होता है। मवेशियों के लिये चारा हो जाता है तो मैं यह चाहता हूं कि हमको जो भी आप दो बिजली के लिए दो बेरों के लिये दो। अभी मैंने फेमिन मिनिस्टर साहब से निवेदन किया था तो उन्होंने कहा कि हमने आपके बेरों के लिए आदेश कर दिये हैं तो कुल मिलाकर अर्ज यह थी कि पैसा जो फेमिन का है उसको आप इस तरीके से खर्च करें ताकि वह पैसा हमेशा के लिए काम आये और हमेशा जो हमारी मोहताजी है, वह दूर हो जाए। फेमिन मिनिस्टर साहब नहीं है क्या? तो मेरी गुजारिश यह थी कि जहां तक पानी का सवाल है हमारे इलाके में कुछ इलाका ऐसा है कि जहां पर खारा पानी है। तो उस इलाके को राजस्थान कैनाल का, जो अमीन साहब कह रहे हैं गडरा तक जो आएगी नहर, उससे उसको मिला दिया जाए, तो उससे पानी की समस्या हमेशा के लिए हल हो सकती है। अब लम्बा नहीं कह करके मुझे इतना ही कहना है कि हमको तो पानी के लिए पैसा दें और बिजली और वहां फेमिन के लिए हमारे यहां बेरे खुदवाने के लिए पैसा दिया जाए जिससे कि हमेशा के लिए लोगों की शिकायत दूर हो सकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 4 अप्रेल, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 17.17 बजे मंगलवार दिनांक 4 अप्रेल, 2000 को 11.00 तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-183 की सूची)

सदस्य राजस्थान विधान सभा के प्रश्न के भाग 2 की सूची : तहसील भादरा

1. शेराटाडा
2. जिगासरी छोटी
3. ए. एम. एस.
4. 5 ए. एम. एस.
5. 2 ए. एम. एस.
6. 1 ए. एम. एस.
7. 3 ए. एम. एस.
8. 1 बी. एच. डी.
9. 2 बी. एच. डी.
10. 1 एम. एस. आर.
11. 2 एम. एस. आर.
12. 3 बी. एच. डी.
13. 4 बी. एच. डी.
14. टांका
15. गदरा
16. 6 डी. पी. एन.
17. 7 डी. पी. एन.
18. 8 डी. पी. एन.
19. 1 जी. जी. एम.
20. 3 जी. जी. एम.
21. ढाणी स्वामियान
22. गंगासिंह पुरा
23. मेलिया
24. राखि
25. मालकस
26. 5 बारानी
27. 4 बारानी
28. 3 बारानी
29. 9 एस. बी. आर.
30. 10 एस. डी. आर.
31. 6 एस. डी. आर.
32. 1 सी. एच. एल.
33. 3 सी. एच. एल.
34. 6 जी. जी. डब्ल्यू.
35. 8 ए. एम. एस.
36. 2 जे. जी. डब्ल्यू.
37. मौजाना
38. रतनपुरा
39. 11 बी. एच. डी.
40. 12 बी. एच. डी.

41. पचारवाली
42. मोतीपुरा
43. बरानी
44. 5 एस. डी. आर.
45. 6 एस. डी. आर.
46. 19 ए. एम. एल.
47. 3 एस. डी. आर.
48. 2 एस. डी. आर.
49. 7 एस. डी. आर.
50. भूडर
51. श्योदानपुरा
52. 6 जे. एस. एल.
53. 4 जे. एस. एल.
54. सी. एच. एन.
55. 3 जे. एस. एल.
56. 8 जे. एस. एल.
57. 2 जे. एस. एल.
58. 4 सी. एच. एन.
59. 2 सी. एच. एन.
60. 5 जे. एस. एल.
61. हुणतपुरा
62. किराडा छोटा
63. रामबास चौबारा
64. 7 डी. पी. एन.
65. 5 बी. पी. एन.
66. 4 डी. पी. एन.
67. 2 बारानी
68. 1 डी. पी. एन.
69. 2 डी. पी. एन.
70. बीड भादरा
71. 4 एम. एस. आर.
72. 8 एम. एस. आर.
73. 5 बी. एच. डी.
74. 1 के. आर. पी.
75. 2 बी. एच. डी.
76. 3 के. आर. पी.
77. सिकरोडी बारानी
78. 2 के. आर. पी.
79. 6 बी. एच. डी.
80. 7 बी. एच. डी.
81. हाथीपुरा
82. घोटेड़ा खालसा
83. फिकराली
84. घोटेडा मुडरेना

85. घोटेडा पट्टा
86. रामपुरा
87. नुआँ
88. 4 एम. एल. एन.
89. 7 एम. आर. एन.
90. 9 एम. आर. एन.
91. 6 एम. आर. एन.
92. 5 एम. आर. एन.
93. 4 एस. डी. आर.
94. 1 एस. डी. आर.
95. 15 ए. एम. एस.
96. 11 एम. एस. आर.
97. 5 जी. जी. एम.
98. 6 जी. जी. एम.
99. 12 एम. एस. आर.
100. मोमनवास
101. चनाण
102. डूंगरसिंह पुरा
103. जिगासरी बड़ी
104. रामसरा
105. मुन्द्रडिया छोटा
106. 4 बी. आर. डब्ल्यू.
107. 5 बी. आर. डब्ल्यू.
108. 3 बी. आर. डब्ल्यू.
109. 1 बी. आर. डब्ल्यू.
110. 2 बी. आर. डब्ल्यू.
111. 1 एन. टी. आर.
112. 6 एन. टी. आर.
113. 7 एन. टी. आर.
114. 8 एन. टी. आर.
115. 9 एन. टी. आर.
116. 5 एन. टी. आर.
117. 4 एन. टी. आर.
118. 2 एन. टी. आर.
119. 5 जे. जी. डब्ल्यू.
120. 6 जे. जी. डब्ल्यू.
121. 7 जे. जी. डब्ल्यू.
122. 8 जे. जी. डब्ल्यू.
123. 10 ए. एम. एस.
124. 11 ए. एम. एस.
125. 9 जे. जी. डब्ल्यू.
126. 14 ए. एम. एस.
127. 16 ए. एम. एस.
128. 17 ए. एम. एस.

129. 7 बारानी

130. 12 जे. जी. डब्ल्यू.

131. 16 जे. जी. डब्ल्यू.

132. पटवा बारानी

133. 9 बारानी

134. 10 बारानी

135. 9 बी. एच. डी.

136. ढाणी खोखरान

137. गुंजा सरी

138. 10 बी. एच. डी.

139. धोलपालिया

140. सरदारपुरा बास भादरा

141. 8 बी. एच. डी. बारानी

142. 5 एम. एस. आर.

143. 7 एम. एस. आर.

144. 9 एम. एस. आर.

145. आसंन

146. 8 जे. एस. एल.

147. 10 जे. एस. एल.

148. सरदारपुरा बास मोला

149. 9 जे. एस. एल.

150. 9 ए. एम. एस.

151. 2 बी. वी. एम.

152. 1 बी. बी. एम.

153. बिबीपुर

154. मेहरिया

155. 2 एम. आर. एन.

156. 1 एम. आर. एन.

157. 1 जे. जी. डब्ल्यू.

158. 14 जे. जी. डब्ल्यू.

159. 13 जे. जी. डब्ल्यू.

(तारांकित प्रश्न संख्या-186 की सूची)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, सीकर (राज.)

तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं में स्वीकृत खननपट्टों की सूची

प्रधान खनिज

क्र.सं.	नाम पट्टाधारी	खनिज	क्षेत्रफल (है.)	निकट ग्राम	अवधि	फरवरी 00 के अन्त में बकाया
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	पावरले	32.37	गिरावटी	16.6.77 से 20 वर्ष	—
2.	सर्व श्री चौधरी रिपेक्टीज	"	34.10	"	27.4.85 से 20 वर्ष	—
3.	"	"	40.00	मकराना	16.8.82 से 20 वर्ष	—
4.	सर्वश्री मोदी मिनरल प्रा. मिल्स प्रा. लि.	सोपस्टोन	58.97	खोह-I	16.3.72 से 20 वर्ष	—
5.	"	"	33.42	खोह-II	18.5.72 से 20 वर्ष	—
6.	"	"	39.92	खोह-III	8.9.76 से 20 वर्ष	—
7.	श्री फतेहचन्द अग्रवाल	पापरोफ्लाइट/ पावर क्ले	33.00	उदयपुरवाटी	1.2.80 से 20 वर्ष	

1	2	3	4	5	6	7
8.	श्री फतेहचन्द अग्रवाल	रेड ऑकर/कापर क्ले बैराप्टीज	12.00	उदयपुरवाटी	29.4.79 से 20 वर्ष	30,060 (कोर्ट स्टे)
9.	श्री रतनलाल मेगालिया	सोपस्टोन	266.822	गुढा	20.5.86 से 20 वर्ष	3,48,475 (कोर्ट स्टे)
10.	श्री हरीशकुमार जोशी	क्वार्टज	120.00	परताला की ढाणी	26.4.84 से 20 वर्ष	20,630/-
अप्रधान खनिज						
1.	श्री गिरधर सिंह	मार्बल	1.00	ठापोली गांव	17.10.95 से 20 वर्ष	17,256/-
2.	श्री रोहितास सिंह	मार्बल	1.00	नाहरवाडी	29.11.84 से 20 वर्ष	32,292/-
3.	श्रीमति प्रेमलता चौधरी	मार्बल	1.00	छापोली	18.7.87 से 20 वर्ष	—
4.	श्री पोखरमल जाट	मार्बल	0.8600	नाहरवाडी	26.10.94 से 20 वर्ष	30.000/-
5.	भारत ग्रेनाइट	ग्रेनाइट	1.00	हुकमपुरा	3.3.94 से 10 वर्ष	8.500/-
6.	श्री पहेज कुलहरी	ग्रेनाइट	1.98	हुक्मपुरा	23.9.96 से 20 वर्ष (खण्डित अति विचाराधीन)	—
7.	श्री सुधीर कुमार गडिया	ग्रेनाइट/चे.प.	2413.90 मी.	गुढा	20.9.89 से 10 वर्ष	—
8.	श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल	फाइलाईट	1.00	नेवरी	23.7.90 से 10 वर्ष	1.260/-
9.	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	क्वाट्	1.00	गिरावडी	20.5.99 से 20 वर्ष	—
10.	श्री मूलचन्द जाट	वे. पी.	55.00 व. मी.	टोडी (आधावली)	16.8.93 से 10 वर्ष	1,750/-

1	2	3	4	5	6	7
11.	श्री किशोरीलाल अग्रवाल	वे. वी.	1.00	टोडी (आधावली)	9.2.95 से 20 वर्ष	3,437/-
12.	श्री महिपाल सिंह	"	1.00	टोडी	3.12.90 से 10 वर्ष	1,313/-
13.	श्री महावीर प्रसाद वैश्व	"	125×50 मी.	टोडी	20.4.93 से 10 वर्ष	—
14.	श्री महावीर प्रसाद वैश्य	"	25×50 मी.	टोडी	26.2.93 से 10 वर्ष	—
15.	श्री रामदेव जाट	"	130×50 मी.	टोडी	18.11.95 से 20 वर्ष	—
16.	श्री रामदेव जाट	"	148×50 मी.	टोडी	18.11.95 से 20 वर्ष	—
17.	श्री गणपतराम जाट	"	8×50 मी.	टोडी	28.4.93 से 10 वर्ष	—
18.	श्री फुलचन्द जाट	"	75×50 मी.	टोडी	14.12.99 से 20 वर्ष	—
19.	श्री बलवीर सिंह	के.स.	1.00	नेसरी	1.5.95 से 20 वर्ष	2,813/-
20.	श्री मंगल सिंह	वे.प.	1200×400 मी. 1200×400 मी.	नांगल	7.4.88 से 10 वर्ष	—

नोट—1. प्रधान खनिज के क्र.सं. 1, 4 से 8 तथा अप्रधान खनिज के क्र.सं. 7 एवं 20 से नवीनीकरण आवेदन पत्र प्राप्त हो गये हैं। जिन पर कर्यवाही जारी है।

खनि. अभियन्ता, सीकर

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-188 की सूची)

वर्ष 1999 की गणना के अनुसार जिला अजमेर में पाये गये जंगली जानवरों की क्षेत्रवार सूची

क्र. सं.	नाम रेन्ज	सांभर	चिंकारा	सेही	भालू	भेडिया	जंगली सूअर	रोजड़ा	लंगूर	बघेरा	मोर	गोडावण	सियार	जंगली मुर्गे	जरख	लोमड़ी	जंगली बिल्ली	योग
1.	किशनगढ़	–	–	–	–	13	–	6315	–	–	3012	–	175	–	–	45	21	9581
2.	ब्यावर	–	–	–	–	92	–	5107	–	–	650	–	185	–	–	57	12	6103
3.	पुष्कर पीसांगन	25	–	–	–	–	–	1860	1300	–	70	–	85	–	–	–	–	3340
4.	नसीराबाद	–	–	–	–	9	–	4107	68	–	3015	40	26	–	–	–	15	7280
5.	अजमेर	–	–	–	–	–	–	1560	108	–	3455	–	225	–	–	156	185	5689
6.	सरवाड	–	–	–	–	6	–	3150	32	–	–	–	4	–	–	2	4	3198
7.	रावली टाटगढ़	7	–	15	8	–	73	121	393	11	25	–	44	30	15	10	–	752
	योग	32		15	8	120	73	22220	1901	11	10227	40	744	30	15	270	237	35943

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

लाडनूं से जयपुर संचालित कांट्रेक्ट केरिज बसें

189. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कांट्रेक्ट केरिज का परमिट लेकर निजी बस मालिक बसें चला रहें हैं ? यदि हां, तो कितनी बसें कहां से कहां तक कब-कब? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कांट्रेक्ट केरिज के परमिट देने के लिये नियमों में क्या व्यवस्था है और परमिटधारी को किन-किन शर्तों को पालन करना पड़ता है? नियमों/शर्तों तथा एक परमिट की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त परमिटधारी जयपुर से लाडनूं व लाडनूं से जयपुर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर भी बसें चला रहे हैं? यदि हां, तो लाडनूं से और जयपुर से रवाना होने का समय क्या है?

(4) क्या उक्त लाडनूं-जयपुर मार्ग पर नियमित रूप से बस स्टेण्ड पर बसें लगाकर बसें चलाना कानूनन सही है? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो विभाग कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राज्य में कांट्रेक्ट केरिज का परमिट लेकर निजी बस मालिक बसें चला रहे हैं। कांट्रेक्ट केरिज के परमिट दो प्रकार के होते हैं : —

1. ऑल राजस्थान कान्ट्रेक्ट परमिट

2. पर्यटक परमिट (समस्त भारत पर्यटक परमिट)

1. ऑल राजस्थान कान्ट्रेक्ट परमिट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-74 के तहत् जारी किये जाते हैं। इन परमिटों पर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर नहीं चलने की शर्त अंकित की जाती है। ये परमिटधारी व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम की धारा-88(8) के तहत् विशेष अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर अपने वाहन का संचालन राष्ट्रीयकृत मार्ग पर भी कर सकते हैं।

2. पर्यटक वाहनधारी वाहन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर कान्ट्रेक्ट कैरिज परमिट के रूप में संचालित किये जा सकते हैं तथा ये परमिट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-88(5) के तहत् जारी किये जाते हैं।

(2) समस्त राजस्थान के कान्ट्रेक्ट कैरिज के अनुज्ञा-पत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-74 एवं समस्त भारत पर्यटक वाहन के अनुज्ञा-पत्र मोटर वाहन अधिनियम की धारा-88 की उपधारा (9) के अन्तर्गत ज़ारी किये जाते हैं। कान्ट्रेक्ट कैरिज के अनुज्ञा-पत्रधारी को मोटर वाहन अधिनियम की धारा-74 एवं 84 के अन्तर्गत निहित शर्तों की पालना करनी पड़ती है ये शर्तें परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध हैं। मोटर वाहन

(यातायात मंत्री)

अधिनियम की धारा 74 एवं 88 (9) की प्रति परिशिष्ट-"ख" पर उपलब्ध है। परमिट जारी किये जाने वाले प्रपत्र की प्रति परिशिष्ट-"ग" पर उपलब्ध है।

(3) उक्त परमिटधारियों द्वारा नियमित रूप से कोई बसें नहीं चलाई जा रही है। राज्य के किन्हीं भी दो बिन्दुओं के बीच ऐसा परमिटधारी व्यक्ति के वाहन को कोई भी व्यक्ति शादी/पिकनिक/ग्रपु बुकिंग इत्यादि के लिए बुक कर ले जा सकता है। जिसके लिए उक्त परमिटधारी व्यक्ति अगर उसके परमिट पर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर नहीं चलने की शर्त अंकित है तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-88 की उपधारा-8 के तहत विशेष अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर अपने वाहन को विशेष अनुज्ञापत्र की अवधि तक संचालित कर सकता है।

(4) जी नहीं। कान्ट्रेक्ट कैरिज के रूप में बस स्टेण्ड पर बसें लगाकर नियमित रूप से स्टेज कैरिज के रूप में परमिट शर्तों के उल्लंघन में वाहन चलाना कानून विरुद्ध है। इस तरह का मामला ध्यान में आने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(प्रति/प्रपत्र विस्तृत होने क कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

पूर्व प्रबन्ध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक भीलवाड़ा के विरुद्ध जांच

190. **श्री रामलाल जाट (बनेड़ा)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1991 से 31 मार्च, 1993 तक केन्द्रीय सहकारी बैंक, भीलवाड़ा द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कितने सदस्यों को कितना ऋण/अनुदान वितरित किया गया? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा ऋण से उत्पन्न संसाधन बिना क्रय करवाए ही मात्र ऋण/अनुदान को खुर्द-बुर्द करने की मंशा से फर्जी ऋण/अनुदान वितरण क्रय के पत्रादि तैयार किये? क्या ऐसी बिना पंजीकृत फर्मों से माल क्रय किया जाना बताया जिनका अस्तित्व ही नहीं था? क्या तत्कालीन अध्यक्ष बैंक द्वारा नवम्बर, 1992 को विस्तृत शिकायत तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक की उपरोक्त कार्यों में लिप्तता सम्बन्धी की गई थी? यदि हां, तो क्या-क्या? क्या उनकी जांच की गई? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि नाबार्ड/शीर्ष बैंक ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में की गई अनियमितताओं की रिपोर्ट बैंक/सहकारी विभाग को दी है? यदि हां, तो तत्कालीन प्रबंध निदेशक के विरुद्ध ऋण/अनुदान के दुरुपयोग बाबत फौजदारी एवं दीवानी कार्यवाही नहीं की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामलाल जाट)

(4) क्या यह सही है कि तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा की गई अनियमितताओं को रफा-दफा करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1 अप्रेल, 1991 से 31 मार्च, 1993 तक केन्द्रीय सहकारी बैंक भीलवाड़ा द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत वितरित ऋण अनुदान निम्न प्रकार है : —

(राशि लाखों में)

वर्ष	कुल ग्राम सेवा सह. समि.	कुल सदस्य	ऋण राशि	अनुदान राशि
1991-92	95	1183	34.86	24.89
1992-93	66	523	26.64	16.41

(2) जी नहीं। अकृषि ऋण उद्देश्यों हेतु कतिपय मामलों में ऐसी अपंजीकृत फर्मों से माल की आपूर्ति कराई गई जो बिल के अनुसार उपलब्ध कराये गये संसाधनों से भिन्न व्यवसाय करती थी एवं कतिपय मामलों में कच्चे बिलों के आधार पर व्यक्तियों से संसाधन क्रय कराये गये हैं, जिनका अस्तित्व संदिग्ध है।

जी हां, प्रबन्ध निदेशक बैंक के विरुद्ध बैंक अध्यक्ष द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है : —

1. एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में वितरित ऋणों में अनुदान का दुरुपयोग।

2. खरीफ, 91 में घोषित अकालग्रस्त क्षेत्र के विपरीत खरीफ, 92 में समस्त जिले में अल्पकालीन ऋणों का मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन।

3. समितियों को स्वीकृत हाइपोथिकेशन सीमा तक राशि का अल्पकालीन ऋण मांग के प्रति हस्तान्तरण।

4. बैंक के ब्याज की वसूली नहीं होने दी जाकर बैंक को हानि पहुंचाना।

5. कैश रिकार्ड व डे बुक का दैनिक संधारण नहीं कर 10-15 दिवस तक खुला रख समायोजन प्रविष्ठियों के द्वारा रिकार्ड में हेरा-फेरी।

जी हां, प्राप्त शिकायतों की जांच संयुक्त पंजीयक, अजमेर से वर्ष 1994 में व अतिरिक्त पंजीयक (प्रथम) से वर्ष 1997 में कराई गई थी। जांच में साक्ष्यों के अभाव में शिकायतें सही नहीं पाई गई।

(3) जी हां। तत्कालीन प्रबन्ध संचालक के विरुद्ध ऋण अनुदान के दुरुपयोग के संबंध में कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि संयुक्त पंजीयक, अजमेर व अति. पंजीयक (प्रथम) द्वारा की गई जांच में प्राप्त शिकायतों को सही नहीं पाया गया, किन्तु उल्लेखित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच के आदेश जारी किये गये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) जी नहीं। राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत

(सहकारिता मंत्री)

दिनांक 28 मार्च, 2000 को जांच आदेश जारीकर दिये गये हैं। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी।

जिला बाड़मेर के ग्रामों में जलापूर्ति

191. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला बाड़मेर के ग्राम खारीया राठौड़ान, सालारीभाकलारीया-चाडारमदरुफ-रोडीनाडी रामदेव मन्दिर पाबूदान सिंह की ढाणी सेतराउ सैलाउ-हिफीआ शेरे का तला-रावत का तला हेतु पेयजल के लिए कौन-कौनसी योजनाएं सरकार के विचाराधीन है?

(2) उक्त ग्रामों की योजना कब तक क्रियान्वित कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर के 10 गांवों, ग्राम खारिया राठौडान की जल योजना 7.35 लाख की जुलाई 99 को, गांव सालारिया कलारीया की 5.76 लाख की 2 मार्च, 2000 में स्वीकृत की जा चुकी है। गांव चाडारमदरूफपूर्व में लाभान्वित है। पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। रोडीनाडी गांव गडालिया तला की चयनित बस्ती नहीं है। अतः इसमें कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। गांव रामदेव मंदिर पाबूदान सिंह की ढाणी को पुनर्गठित योजना गिराब-खडीन में स्वीकृति हेतु सम्मिलित कर लिया है। सेतराऊ में 7.97 लाख की ट्यूबवैल बनाने की योजना 18 मार्च, 2000 में स्वीकृत की जा चुकी है।

ग्राम सैलाऊहिण्डिया, शेरे का तला रावत का तला को संवर्द्धन योजना करीम का वर-वांडासर में सम्मिलित किया है, जिसकी 199.87 लाख की योजना 24 मार्च, 2000 की वित्त समिति की बैठक में स्वीकृत की जा चुकी है।

(2) जिन ग्रामों हेतु योजनाएं स्वीकृत है उन्हें इस वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के बड़े कस्बों हेतु गैस कनेक्शन

192. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि भारत गैस एजेन्सी बांदीकुई में कार्यरत है ?

(2) क्या सरकार इससे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में आने वाले बड़े कस्बे बसवा, गुढाकटला, बडियाल कलां को गैस कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बांदीकुई में कार्यरत उपरोक्त गैस एजेन्सी द्वारा बसवा, गुडाकटला व बड़ियाल कलां कस्बों में भारत गैस द्वारा कैश व कैरी योजना के तहत रसोई गैस की आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त वर्णित क्षेत्रों में से बसवा कस्बे में नई गैस एजेन्सी खोलने हेतु सर्वे हो चुका है, जिसके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा डीलर चयन बोर्ड नियुक्त होने पर आगामी नियमानुसार कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

लाडनूं से जयपुर संचालित कांट्रेक्ट केरिज बसें

189. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कांट्रेक्ट केरिज का परमिट लेकर निजी बस मालिक बसें चला रहें हैं ? यदि हां, तो कितनी बसें कहां से कहां तक कब-कब? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कांट्रेक्ट केरिज के परमिट देने के लिये नियमों में क्या व्यवस्था है और परमिटधारी को किन-किन शर्तों को पालन करना पड़ता है? नियमों/शर्तों तथा एक परमिट की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त परमिटधारी जयपुर से लाडनूं व लाडनूं से जयपुर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर भी बसें चला रहें हैं? यदि हां, तो लाडनूं से और जयपुर से रवाना होने का समय क्या है?

(4) क्या उक्त लाडनूं-जयपुर मार्ग पर नियमित रूप से बस स्टेण्ड पर बसें लगाकर बसें चलाना कानूनन सही है? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो विभाग कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राज्य में कांट्रेक्ट कैरिज का परमिट लेकर निजी बस मालिक बसें चला रहे हैं। कांट्रेक्ट कैरिज के परमिट दो प्रकार के होते हैं :—

1. ऑल राजस्थान कान्ट्रेक्ट परमिट

2. पर्यटक परमिट (समस्त भारत पर्यटक परमिट)

1. ऑल राजस्थान कान्ट्रेक्ट परमिट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-74 के तहत् जारी किये जाते हैं। इन परमिटों पर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर नहीं चलने की शर्त अंकित की जाती है। ये परमिटधारी व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम की धारा-88(8) के तहत् विशेष अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर अपने वाहन का संचालन राष्ट्रीयकृत मार्ग पर भी कर सकते हैं।

2. पर्यटक वाहनधारी वाहन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर कान्ट्रेक्ट कैरिज परमिट के रूप में संचालित किये जा सकते हैं तथा ये परमिट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-88(5) के तहत् जारी किये जाते हैं।

(2) समस्त राजस्थान के कांन्ट्रेक्ट कैरिज के अनुज्ञा-पत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-74 एवं समस्त भारत पर्यटक वाहन के अनुज्ञा-पत्र मोटर वाहन अधिनियम की धारा-88 की उपधारा (9) के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं। कान्ट्रेक्ट कैरिज के अनुज्ञा-पत्रधारी को मोटर वाहन अधिनियम की धारा-74 एवं 84 के अन्तर्गत निहित शर्तों की पालना करनी पड़ती है ये शर्ते परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध हैं। मोटर वाहन

(यातायात मंत्री)

अधिनियम की धारा 74 एवं 88 (9) की प्रति परिशिष्ट-"ख" पर उपलब्ध है। परमिट जारी किये जाने वाले प्रपत्र की प्रति परिशिष्ट-"ग" पर उपलब्ध है।

(3) उक्त परमिटधारियों द्वारा नियमित रूप से कोई बसें नहीं चलाई जा रही है। राज्य के किन्हीं भी दो बिन्दुओं के बीच ऐसा परमिटधारी व्यक्ति के वाहन को कोई भी व्यक्ति शादी/पिकनिक/ग्रुप बुकिंग इत्यादि के लिए बुक कर ले जा सकता है। जिसके लिए उक्त परमिटधारी व्यक्ति अगर उसके परमिट पर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर नहीं चलने की शर्त अंकित है तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-88 की उपधारा-8 के तहत विशेष अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर अपने वाहन को विशेष अनुज्ञापत्र की अवधि तक संचालित कर सकता है।

(4) जी नहीं। कान्ट्रेक्ट कैरिज के रूप में बस स्टेण्ड पर बसें लगाकर नियमित रूप से स्टेज कैरिज के रूप में परमिट शर्तों के उल्लंघन में वाहन चलाना कानून विरुद्ध है। इस तरह का मामला ध्यान में आने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(प्रति/प्रपत्र विस्तृत होने क कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

पूर्व प्रबन्ध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक भीलवाड़ा के विरुद्ध जांच

190. **श्री रामलाल जाट (बनेड़ा)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1991 से 31 मार्च, 1993 तक केन्द्रीय सहकारी बैंक, भीलवाड़ा द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कितने सदस्यों को कितना ऋण/अनुदान वितरित किया गया? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा ऋण से उत्पन्न संसाधन बिना क्रय करवाए ही मात्र ऋण/अनुदान को खुर्द-बुर्द करने की मंशा से फर्जी ऋण/अनुदान वितरण क्रय के पत्रादि तैयार किये? क्या ऐसी बिना पंजीकृत फर्मों से माल क्रय किया जाना बताया जिनका अस्तित्व ही नहीं था? क्या तत्कालीन अध्यक्ष बैंक द्वारा नवम्बर, 1992 को विस्तृत शिकायत तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक की उपरोक्त कार्यों में लिप्तता सम्बन्धी की गई थी? यदि हां, तो क्या-क्या? क्या उनकी जांच की गई? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि नाबार्ड/शीर्ष बैंक ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में की गई अनियमितताओं की रिपोर्ट बैंक/सहकारी विभाग को दी है? यदि हां, तो तत्कालीन प्रबंध निदेशक के विरुद्ध ऋण/अनुदान के दुरुपयोग बाबत फौजदारी एवं दीवानी कार्यवाही नहीं की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामलाल जाट)

(4) क्या यह सही है कि तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा की गई अनियमितताओं को रफा-दफा करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1 अप्रेल, 1991 से 31 मार्च, 1993 तक केन्द्रीय सहकारी बैंक भीलवाड़ा द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत वितरित ऋण अनुदान निम्न प्रकार है : —

(राशि लाखों में)

वर्ष	कुल ग्राम सेवा सह. समि.	कुल सदस्य	ऋण राशि	अनुदान राशि
1991-92	95	1183	34.86	24.89
1992-93	66	523	26.64	16.41

(2) जी नहीं। अकृषि ऋण उद्देश्यों हेतु कतिपय मामलों में ऐसी अपंजीकृत फर्मों से माल की आपूर्ति कराई गई जो बिल के अनुसार उपलब्ध कराये गये संसाधनों से भिन्न व्यवसाय करती थी एवं कतिपय मामलों में कच्चे बिलों के आधार पर व्यक्तियों से संसाधन क्रय कराये गये हैं, जिनका अस्तित्व संदिग्ध है।

जी हां, प्रबन्ध निदेशक बैंक के विरुद्ध बैंक अध्यक्ष द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है : —

1. एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में वितरित ऋणों में अनुदान का दुरुपयोग।

2. खरीफ, 91 में घोषित अकालग्रस्त क्षेत्र के विपरीत खरीफ, 92 में समस्त जिले में अल्पकालीन ऋणों का मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन।

3. समितियों को स्वीकृत हाइपोथिकेशन सीमा तक राशि का अल्पकालीन ऋण मांग के प्रति हस्तान्तरण।

4. बैंक के ब्याज की वसूली नहीं होने दी जाकर बैंक को हानि पहुंचाना।

5. कैश रिकार्ड व डे बुक का दैनिक संधारण नहीं कर 10-15 दिवस तक खुला रख समायोजन प्रविष्ठियों के द्वारा रिकार्ड में हेरा-फेरी।

जी हां, प्राप्त शिकायतों की जांच संयुक्त पंजीयक, अजमेर से वर्ष 1994 में व अतिरिक्त पंजीयक (प्रथम) से वर्ष 1997 में कराई गई थी। जांच में साक्ष्यों के अभाव में शिकायतें सही नहीं पाई गई।

(3) जी हां। तत्कालीन प्रबन्ध संचालक के विरुद्ध ऋण अनुदान के दुरुपयोग के संबंध में कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि संयुक्त पंजीयक, अजमेर व अति. पंजीयक (प्रथम) द्वारा की गई जांच में प्राप्त शिकायतों को सही नहीं पाया गया, किन्तु उल्लेखित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच के आदेश जारी किये गये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) जी नहीं। राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत

(सहकारिता मंत्री)

दिनांक 28 मार्च, 2000 को जांच आदेश जारीकर दिये गये हैं। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

जिला बाड़मेर के ग्रामों में जलापूर्ति

191. **श्री अमीन ख़ान** (शिव) : क्या ज़न स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला बाड़मेर के ग्राम खारीया राठौड़ान, सालारीभाकलारीया-चाडारमदरुफ-रोडीनाडी रामदेव मन्दिर पाबूदान सिंह की ढाणी सेतराउ सैलाउ-हिफीआ शेरे का तला-रावत का तला हेतु पेयजल के लिए कौन-कौनसी योजनाएं सरकार के विचाराधीन है?

(2) उक्त ग्रामों की योजना कब तक क्रियान्वित कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर के 10 गांवों, ग्राम खारिया राठौडान की जल योजना 7.35 लाख की जुलाई 99 को, गांव सालारिया कलांरीया की 5.76 लाख की 2 मार्च, 2000 में स्वीकृत की जा चुकी है। गांव चाडारमदरूफपूर्व में लाभान्वित है। पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। रोडीनाडी गांव गडालिया तला की चयनित बस्ती नहीं है। अतः इसमें कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। गांव रामदेव मंदिर पाबूदान सिंह की ढाणी को पुनर्गठित योजना गिराब-खडीन में स्वीकृति हेतु सम्मिलित कर लिया है। सेतराऊ में 7.97 लाख की ट्यूबवैल बनाने की योजना 18 मार्च, 2000 में स्वीकृत की जा चुकी है।

ग्राम सैलाऊहिण्डिया, शेरे का तला रावत का तला को संवर्द्धन योजना करीम का वर-वांडासर में सम्मिलित किया है, जिसकी 199.87 लाख की योजना 24 मार्च, 2000 की वित्त समिति की बैठक में स्वीकृत की जा चुकी है।

(2) जिन ग्रामों हेतु योजनाएं स्वीकृत है उन्हें इस वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के बड़े कस्बों हेतु गैस कनेक्शन

192. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि भारत गैस एजेन्सी बांदीकुई में कार्यरत है ?

(2) क्या सरकार इससे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में आने वाले बड़े कस्बे बसवा, गुढाकटला, बडियाल कलां को गैस कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बांदीकुई में कार्यरत उपरोक्त गैस एजेन्सी द्वारा बसवा, गुडाकटला व बड़ियाल कलां कस्बों में भारत गैस द्वारा कैश व कैरी योजना के तहत रसोई गैस की आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त वर्णित क्षेत्रों में से बसवा कस्बे में नई गैस एजेन्सी खोलने हेतु सर्वे हो चुका है, जिसके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा डीलर चयन बोर्ड नियुक्त होने पर आगामी नियमानुसार कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

कृषि उपज मण्डी पाली की प्रस्तावित सड़कें

193. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1999 में कृषि उपज मंडी पाली ने किन-किन गांवों को डामर सड़क से जोड़ने हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं?

(2) उक्त में से किस-किस सड़क पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जानी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा अब तक उक्त प्रस्तावों पर स्वीकृति नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं?

(4) अब कब तक स्वीकृति दे दी जावेगी?

उत्तर

(1) विविरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट "अ" के कॉलम संख्या 3 पर है।

(3) प्रस्ताविद सड़कों में से 3 सड़कों की मन्जूरी दी जा चुकी है। शेष के लिये मण्डी समिति के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण स्वीकृत नहीं की जा सकी है।

(4) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर स्वीकृति की कार्यवाही सम्भव होगी।

परिशिष्ट-"अ"

कृषि उपज मण्डी समिति पाली द्वारा वर्ष 1999 में गांवों को सड़क से जोड़े जाने हेतु प्रस्तावित सम्पर्क सड़कों का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	नाम सम्पर्क सड़क	प्रस्तावित अनुमानित लागत	स्वीकृति दिनांक
1.	सम्पर्क सड़क जोधपुर पाली रोड़ कि.मी. 39 से लालकी	21.00	28.01.2000
2.	डरी से गोदावास	22.37	28.02.2000
3.	लाम्बड़ा से पचपदरिया	41.00	28.01.2000
4.	पाली सरदार समन्द रोड़ कि.मी. 13 से काला पीपल की ढाणी	43:50	—
5.	कलाली सावलता कला रोड़ से सावलता खुर्द	11.50	—
6.	वायद चेण्डा रोड़ से सीराणा	25.70	—
7.	रोहट गडवाड़ा रोड़ से डूंगरपुर वाया वाया सोनाई ढाणी	32.62	—

ग्राम पामाखेड़ी (कोटा) का बलात्कार प्रकरण

194. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सुकेत (कोटा) थानान्तर्गत पामाखेडी गांव में एक विकलांग लड़की के साथ कुकर्म करने का मामला दर्ज हुआ था? यदि हां, तो कब और मुल्जिम कौन हैं?

(2) क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? फरियादी के द्वारा कराई गई प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मे क्या आरोप लगाये गये हैं? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखे।

(3) उक्त महिला के साथ कब से कुकर्म किया जा रहा था?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि थाना सुकेत पर ग्राम पामाखेड़ी में एक विकलांग लड़की कंकुबाई पुत्री हीरालाल मीणा निवासी पामाखेड़ी के साथ कुकर्म करने का मामला दिनांक 11.6.99 को अभियोग संख्या 136/99 की धारा 376 आईपीसी का दर्ज हुआ है। अभियुक्त का नाम राकेश कुमार पुत्र नन्दलाल मीणा निवासी पामाखेड़ी है।

(2) जी हां। आरोपी को दिनांक 22.10.99 को गिरफ्तार किया गया है। फरियादी द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी ने अपनी छोटी बहिन की उम्र 14-15 साल होना एवं दोनों हाथ व दोनों पांवा से पोलियोग्रस्त होना अंकित किया है। प्रार्थी ने घटना के समय स्वयं का व उसकी मां का मजदूरी पर जाना व पीछे से उसकी बहिन का घर पर अकेले रहना बताया है। पड़ौस में राकेश पुत्र नंदलाल मीणा के रहने व रोज दीवार फांद कर स्वयं के घर आने व स्वयं की बहिन के साथ बलात्कार करना अंकित किया है। साथ ही प्रार्थी की बहिन द्वारा प्रतिरोध करने पर जान से मारने की धमकी देना बताया है। प्रार्थी ने स्वयं की बहिन का 4-5 माह से गर्भवती होना भी बताया है आदि। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(3) उक्त लड़की के साथ बलात्कार माह फरवरी, 99 से किया जा रहा था।

परिशिष्ट-"क"

प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा नं. 136/99 दिनांक 11.6.99 धारा 376 ता. हि. थाना सुकत :

सेवा में सुपरीडेन्ट ऑफ पुलिस कोटा सरल मिस्टर वी. आर. ग्वाला

श्रीमान् थानाधिकारी महोदय थाना रामगंजमण्डी महोदय प्रार्थी ग्राम पामाखेडी में निवास कर रहा है। मेरे केवल एक मां, एक छोटी बहिन है मैं और मेरी मां मजदूरी करके भरण-पोषण कर रहे हैं। मेरी छोटी बहिन की उम्र 14-15 साल करीब है जो दोनों हाथों एवं दोनों पाव से पोलिया ग्रस्त है। वह खड़ी होकर चल भी नहीं सकती। मैं और मेरी मां मजदूरी करने जाने के बाद मेरी छोटी बहिन घर पर अकेली रहती है। और भी लाचार हालत में हैं। पड़ौस में राकेश कुमार पुत्र नंदलाल जाति मीणा रहता है। यह दीवार फांदकर रोज हमार घर आता है और मेरी लाचार बहिन से बलात्कार करता है। उसकी उम्र भी 15-16 वर्ष है बलात्कार का प्रतिरोध करने पर चाकू, छुरी से मारने की धमकी देता है। ये लाचार होने से भाग भी नहीं सकती और रोज मेरी बहिन के साथ बलात्कार करता है। आज मेरी बहिन गर्भवती हो गई है जिसे 4-5 महीने हो गये है और आज भी चाकू की नोंक पर बलात्कार करता रहा है उसे तुरन्त गिरफ्तार कर मुझ गरीब को अत्याचार से मुक्त करावें। राकेश कुमार के पिता नंदलाल प्रभावशाली आदमी है। जो मुझे डरा धमका रहा है। कलावती बाई व नवल बाई भी उसको धमकी देती है व डराती है। अतः इसे भी पाबन्द करावें। मेरी रिपोर्ट दर्ज कर आज ही कार्यवाही फरमावें। कंकूबाई पुत्री हीरालाल जाति मीणा निवासी पामाखेड़ी प्रार्थी जयें मांगीलाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी पामाखेड़ी।

थाना सुकेत
समय 5.15 पी. एम.
11.6.99

प्रमाणित किया जाता है कि जयें डाक कार्यालय श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण से परिवाद द्वारा कंकूबाई पुत्री हीरालाल जाति मीणा निवास पामाखेडी का पत्र क्रमांक प-6 अ.शा/परिवाद/99/1375 दिनांक 9.6.99. हस्व दफा 154(3) जा. फो. में प्राप्त हुआ परिवाद के मजमून से मामला अपराध धारा 276 ता. हि. का बकू में आना पाया जाता है। अतः मुक़दमा नं. 136/99 जुर्म उपरोक्त में कायम कर अनुसंधान श्री रामगोपाल स.उ.नि. के सुपुर्द किया गया। प्रतियां एफ.आइ.आर. नियमानुसार जारी की गई

हस्ताक्षर
थानाधिकारी
थाना सुकेत जिला कोटा (ग्रा.)

सोजत सिटी (पाली) में खान आवंटन हेतु विचाराधीन आवेदन-पत्र

195. **श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)** : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सहायक अभियंता खनिज विभाग सोजत सिटी (पाली) के अधीन क्षेत्र रूपनगर, जगमालपुरा, फतेहगढ़ के समीप क्वार्टज, फैल्सपार, वोलेस्टोनाइट व कैल्साइट इत्यादि की खानें स्वीकृति हेतु विभाग में कुल कितने आवेदन-पत्र किस-किस नाम से किस-किस तारीख से विचाराधीन हैं? विवरण मय नक्शा एवं आवेदनकर्ताओं के नाम सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदनकर्ताओं के प्रार्थना-पत्र किस स्तर पर विचाराधीन हैं? इन्हें अब तक पी. एल. स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं?

(3) अब इनकी स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) सहायक खनि अभियन्ता सोजतसिटी (पाली) एवं खनि अभियंता, अजमेर के अधीन रूपनगर, जगमालपुरा व फतेहगढ़ के समीप 10 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। सूची संलग्न है।

(2) संलग्न सूची के अनुसार 5 आवेदन पत्र निदेशालय एवं 5 आवेदन पत्र अतिरिक्त निदेशक (खान) जोधपुर स्तर पर आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं। प्राथमिकता निर्धारित की जा रही है, और उसके उपरान्त स्वीकृति नियमानुसार जारी की जावेगी।

(3) प्राथमिकता निर्धारण के पश्चात् अन्य नियमानुसार औपचारिकताओं की पूर्ति होने पर स्वीकृति जारी की जायेगी।

सहायक खनि अभियन्ता सोजत सिटी पाली के अधीन क्षेत्र रूपनगर जगमालपुरा, फतहगढ़ के समीप क्वार्ट्ज, फेल्सपार, वोलेस्टोनाइट एवं कैलसाइट
स्वीकृति हेतु विचाराधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र/खननपट्टे हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण

क्र.सं.	आवेदक का नाम	पीएल/एमएल	आवेदन तिथी	आवंटित खनिज	लोकेशन	क्षेत्रफल	विचाराधीन स्तर	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री थानाराम चौधरी	पी.एल 98/97	1-9-97	वोलेस्टोनाईट	रूपनगर, जगमालपुरा फतहगढ आदि	795 है.	निदेशालय	एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने से नियमानुसार प्राथमिकता निर्धारण कर स्वीकृति बाबत् कार्यवाही की जा रही है।
2.	सर्व श्री विनायक टेडर्स	एम.एल 36/97	1-9-97	—एजन—	रूपनगर भगवानपुरा करणपुरा त. ब्यावर	450 है.	—एजन—	—एजन—
3.	श्री विश्वजीत चौधरी	एम.एल 40/97	1-9-97	—एजन—	रूपनगर त. ब्यावर	250 है.	—एजन—	—एजन—
4.	श्री विश्वजीत चौधरी	एम.एल 41/97	1-9-97	—एजन—	—एजन—	250 है.	—एजन—	—एजन—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	श्री आशीष अग्रवाल नि. अजमेर	एम.एल 18/97	1-9-97	—एजन—	रूपनगर करणपुरा त. ब्यावर	195 है.	—एजन—	—एजन—
6.	श्री अशोक सिंह पुत्र श्री रोशनलाल नि. आदर्श नगर अजमेर।	पी. एल 40/97	11-9-97	क्वार्टज, फैल्सपार केलसाईट	जगमालपुरा त. रायपुर	525 है.	अतिरिक्त निदेशक (खान)	आवेदक द्वारा पत्र क्रमांक 2135 दि. 16-8-99 की कमियों की पूर्ति नहीं करने के कारण अस्वीकृत हेतु प्रस्ताव सहायक खनि अभियन्ता सोजत द्वारा अ. नि. (खान) जोधपुर को भिजवाया गया
7.	श्री शकरू भाई नि. रूपनगर ब्यावर	पी.एल 20/98	24-4-98	क्वार्टज फैल्सपार	जगमालपुरा त. रायपुर जि. पाली	85 है.	अनि. (खान) जोधपुर	क्षेत्र रिक्त नहीं होने से अस्वीकृत हेतु प्रस्ताव अ. नि. खान, जोधपुर को पत्र दि. 16-1-99 से भिजवाया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	श्री सुप्रभा आर्य	पीएल 23/98	25-4-98	क्वार्टज फैल्सपार	—एजन—	150 है.	—एजन—	क्षेत्र रिक्त नहीं होने से आवेदन पत्र अस्वीकृति हेतु प्रस्ताव पत्र दिनांक 9.2.99 से अ. नि. (खान) जोधपुर को भिजवाया गया।
9.	मै. युनाईटेड मिनरल ब्यावर	पीएल 21/98	23-4-98	क्वार्टज, फैल्सपार केलसाईट	—एजन—	250 है.	अनि. (खान) जोधपुर	क्षेत्र रिक्त नहीं होने से आवेदन पत्र अस्वीकृति हेतु प्रस्ताव पत्र दि. 6-10-99 से अनि. (खान) जोधपुर को भिजवाया गया।
10.	श्री भवर मेरात नि. जगमालपुरा जिला पाली	पीएल 39/98	29-6-98	क्वार्टज ए. फैल्सपार	—एजन—	322.5 है.	अनि. (खान) जोधपुर	यह क्षेत्र रिक्त नहीं होने से आवेदन पत्र अस्वीकृति हेतु प्रस्ताव पत्र दिनांक 25-6-99 से अनि. (खान) जोधपुर को भिजवाया गया।

अधिक्षण ख़नि अभियन्ता (तृतीय)

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की आरक्षित भूमि

196. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आता है एवं उसका मास्टर प्लान एन. सी. आर. एवं राज्य सरकार के मुख्य नगर नियोजक ने फाइनल कर प्रकाशित कर दिया है? यदि हां, तो मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) अरावली फोरजिंग तदुपरान्त पंकज फोरजिंग तदुपरान्त गणपति प्लाजा स्थित 20 हजार वर्ग मीटर भूमि एन.सी.आर. व राज्य सरकार की प्लान के मुताबिक किस उपयोग के लिए आरक्षित थी ? क्या मास्टर प्लान के तहत ही इस भूमि का उपयोग हो रहा है? यदि नहीं, तो क्या राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र के चीफ टाऊन प्लानर से भूमि का उपयोग बदलने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है? यदि नहीं, तो क्या यह राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र बोर्ड अधिनियम का उल्लघंन नहीं है? क्या इस बाबत कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भूमि से संबंधित खरीद-फरोख्त के समस्त दस्तावेजात जो रीको एवं गणपति प्लाजा (मिस्टी मिडोज) के बीच हुए की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। भिवाड़ी मास्टर प्लान अनुमोदित कर प्रकाशित किया जा चुका है। मास्टर प्लान की दो प्रति संलग्न है।

(2) अरावली फोरजिंग तदुपरान्त पंकज फोरजिंग तदुपरान्त गणपति प्लाजा की भूमि रीको औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में सोहना रोड़ पर स्थित है। भिवाड़ी मास्टर प्लान के भू-उपयोग मानचित्र 2011 के अनुसार उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 4.11.91 के तहत औद्योगिक क्षेत्र के सभी आवश्यक कल्याणकारी एवं सहायक सुविधाऐं जैसे पोस्ट आफिस, लेबर कालोनी, शिक्षण संस्थाऐं, आर.एस.ई.बी. पावर स्टेशन, जल एवं सीवरेज, डिस्पेन्सरी या अस्पताल, पुलिस, फायर सर्विस बैंक, वेब्रिज, दुकानें एवं बाजार, सिनेमा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट तथा पेट्र को सहायक सुविधाओं में सम्मिलित किया गया है। उपरोक्तानुसार ही इस भूमि का उपयोग हो रहा है।

औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर औद्योगिक, व्यावसायिक एवं अन्य सामाजिक आधारभूत सुविधा के लिए आयोजना एवं रूपान्तरण आदि करने का अधिकार रीको भू-निपटान नियम- 1979 के नियम संख्या 20 (ए) के द्वारा रीको के प्रबन्ध निदेशक में निहित है। इस नियम के तहत रीको द्वारा इस भू-खण्ड को व्यावसायिक उपयोग के लिए परिवर्तित किया गया है। अतः मास्टर प्लान अथवा राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र बोर्ड अधिनियम का उल्लंघन नहीं है। इस विभाग में सरकार के स्तर पर कोई शिकायत विचाराधीन नहीं है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) रीको एवं गणपति प्लाजा (मिस्टी मिडोज) के बीच हुये समस्त दस्तावेज जो पंकज फोरजिंग लिमिटेड के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्लाट नम्बर ए-109, 110 से सम्बन्धित हैं की छाया प्रतियां संलग्न हैं।

(मास्टर प्लान एवं छाया प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला आयोजना समिति कोटा द्वारा वृक्षारोपण की जांच

197. **गुलाबचन्द कटारिया** : (बड़ी सादड़ी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिला आयोजना समिति द्वारा वन विभाग द्वारा किये जा रहे वृक्षारोपण की जांच हेतु जांच टोली का गठन किया है? यदि हां, तो जांच टोली के जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वन विभाग कोटा द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत कितने वृक्षारोपण किये गये तथा इस पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वन विभाग द्वारा किये गये इस सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए किसी व्यक्ति या अधिकारी/कर्मचारी को दोषी ठहराया गया है? यदि हां, तो अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा जिला आयोजना समिति ने वन विभाग द्वारा किये जा रहे वृक्षारोपण की जांच हेतु जांच टोली का गठन किया था। तत्कालीन जिला आयोजना समिति के जांच दल द्वारा दिनांक 12.11.99 को सुल्तानपुरा इटावा क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन कर लिया था। जांच दल द्वारा जांच प्रतिवेदन जिला आयोजना समिति को प्रस्तुत करना है।

(2) जिला कोटा में विभाग द्वारा गत दो वर्षों में करवाये गये वृक्षारोपण कार्यों तथा उन पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) गठित जांच दल के द्वारा तत्कालीन जिला आयोजना समिति के भंग हो जाने के कारण जांच प्रतिवेदन समिति को प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

वन विभाग कोटा द्वारा वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में विभिन्न कार्यों के अन्तर्गत किये गये वृक्षारोपण तथा उन पर हुये व्यय का विवरण

क्र.सं.	कार्य विवरण	वृक्षारोपण पर व्यय राशि (लाखों में)			
		क्षेत्रफल है. में 1998-99	व्यय राशि	क्षेत्रफल है. में 1999-2000	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
1.	वृक्षविहिन पहाड़ियों पर वृक्षारोपण	335	49.602	150	15.587
2.	परिभ्राषित वनों का पुनारोपण (माडल प्रथम)	1200	113.182	1200	113.109
3.	परिभ्राषित वनों का पुनारोपण (माडल द्वितीय)	550	18.282	200	10.349
4.	सिल्वीपेस्ट्रोल वृक्षारोपण	250	24.497	200	10.09
5.	ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण	120	24.306	140.	11.506
6.	डी.पी.ए.पी. योजना के कार्य		32.50		20.28
7.	ई.ए.एस. योजना के कार्य		72.092	724	87.244
	योग : –	**2455**	**331.461**	**2614**	**268.165**

पथ परिवहन निगम के आगारों में विचाराधीन चोरी प्रकरण

198. **श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995 से फरवरी, 2000 तक कितने डीजल चोरी एवं मिलावट के मामलें राज्य पथ परिवहन निगम में हुये हैं? उनके बारे में अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

(2) क्या निगम के किसी आगार में पुर्जों की चोरी का मामला विचाराधीन है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त चोरी के मामलों में क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) चोरी के मामलों को रोकने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) वर्ष 1995 से फरवरी, 2000 की अवधि में डीजल में मिलावट का एक प्रकरण निगम के सीकर आगार में दर्ज हुआ है। प्रकरण की प्राथमिक जांच के पश्चात् पुलिस कोतवाली, सीकर में प्रथम सूचना रिपोर्ट 76/2000 दर्ज करवाई गई है। जांच कार्यवाही जारी है।

(2) जी हां। पुर्जों की चोरी के प्रकरण एवं की गई कार्यवाही का विवरण दर्शाते हुए मानचित्र परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(3) विभिन्न प्रकरणों में परिशिष्ट-1 के अनुसार कार्यवाही की गई/की जा रही है।

(4) चोरी के प्रकरणों को रोकने हेतु समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जाते हैं।

परिशिष्ट-1

निगम में विभिन्न इकाइयों में पुर्जों की चोरी के मामलों की सूची

क्र. सं.	आगार का नाम	चोरी के पुर्जों का विवरण		कार्यवाही का विवरण
1	2	3		4
1.	चित्तौड़गढ़	1. दिनांक 11-8-95	अल्टरनेटर ऐसेम्बली	न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन
		2. दिनांक 06-6-97 से 08-6-97	सैल्फ व आल्टरनेटर	
		3. दिनांक 13-6-97	बस टायर की ट्यूब	
		4. दिनांक 10-5-98 से 11-5-98	आल्टरनेटर	एफ. आई. आर. दर्ज 335/98
2.	बून्दी	1. दिनांक 15-2-98	2 बैट्री (12 बोल्ट) 1 सैल्फ	दोषी चालक से सामान की राशि वसूल की गई
		2. दिनांक 21-12-99	2 बैट्री (12 बोल्ट)	" "
		3. दिनांक 31-12-97	1 सैल्फ	चालक अन्य प्रकरण में सेवा-पृथक
		4. दिनांक 14-7-99	2 बैट्री (12 बोल्ट)	आरोप-पत्र चालक को जारी
		5. दिनांक 01-10-99	2 बैट्री (12 बोल्ट)	एफ.आई.आर. दर्ज
		6. दिनांक 15-2-97	2 बैट्री, एयरलौक, 3 सीट की फार्म-3 2 सीट की फर्मा-3, गार्ड रील 33 फीट (साइड बिन्डो), ग्लास नग 12,	

1	2		3	4
			कार्नदहवा ग्लास-3	
		7. दिनांक 4-3-98	एक टायर कम	निर्णय बकाया
		8. दिनांक 7-7-98 से 13-7-98	फील्टर बाडी, दोसीट, शीशे, हैडलाइट, अल्टरनेटर बुक्स, सैल्फबैट्री आदि	
3.	सीकर	1. दिनांक 17-2-96	गियरबौक्स	1. चालक को दोषारोपण पत्र जारी तथा जांच कार्यवाही विचाराधीन 2. आंशिक दोषी मैकेनिक से रु. 7210/- की वसूली, एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से तथा निलंबित काल का वेतन जब्त।
4.	फलौदी	1. दिनांक 06-10-98	1. टायर मय ट्यूब फ्लेप व व्हील रींग 2. इलेट्रिक बैल्डींग केबिल मय बैल्डींग	एफ.आई.आर. दर्ज 218/7-10-96 पुलिस कार्यवाही जारी
5	अनूपगढ़	1. दिनांक	14 पुखे सिल्वर लाइन वाहन के चोरी	एफ.आई.आर. दर्ज कार्यवाही विचाराधीन
		2. दिनांक 16-8-98	प्रौपेलर साफ्ट	जांच कर पत्रावली बद्ध किया।

1	2	3		4
6.	श्रीगंगानगर	1. दिनांक 14-9-96	बस की बैट्री	एफ.आई.आर. दर्ज
		2. दिनांक 12-8-98	किंगपीन बुश-तीन नग	एफ.आई.आर. दर्ज
			ड्रेन प्लग/पैशर बाल्ब	
		3. दिनांक 06-12-99	रेडियेटर ऐसेम्बली	एफ.आई.आर. दर्ज
7.	नागौर	1. दिनांक —	नये टायरों की चोरी	टायर बरामद
		2. दिनांक 02-11-96	2 नये टायर	
			2 नई ट्यूब	
			5 पुराने रेडियेटर	
			10 नई ट्यूब	
			02 आर.सी. पम्प	
			03 आर.सी. सैल्फ स्टार्टर	
8.	बाड़मेर	1. दिनांक 22-4-99 से 26-4-99	02 टायर एवं 01 स्टैपनी चोरी	एफ.आई.आर. दर्ज
			01 रिट्रेड टायर	
9.	लोहागढ़	1. दिनांक 16-3-96	24 कमानी के टूटे हुए पत्ते	एफ.आई.आर. दर्ज प्रकरण न्यायालय में
			01 रैडियेटर	विचाराधीन
		2. दिनांक 06-8-96	04 रैडियेटर चोरी	एफ.आई.आर. दर्ज एवं सुरक्षा प्रहरी का आरोप पत्र जारी।

1	2	3		4
		3. दिनांक 04-10-99	01 बैट्री (12 बोल्ट एवं 19 प्लेटें)	एफ.आई.आर. दर्ज एवं सम्बन्धित भंडार निरीक्षकों दोषारोपण-पत्र जारी
10.	टोंक	1. दिनांक 13-10-96	03 नग रैडियेटर	एफ.आइ.आर. दर्ज चालान न्यायालय में पेश
		2. दिनांक 09-5-97	02 नग रैडियेटर	" "
11.	सरदारशहर	1. दिनांक 16-4-96	3 वाली एक सीट	पुलिस कार्यवाही एवं चालक को आरोप-पत्र
		2. दिनांक 28-4-98	कमानी टुकड़े, हेडलाईट बल्ब, एफ लाइट बल्ब, वेकेटपुराना होजपाईप	
12.	झुन्झुनूं	1. दिनांक 5-5-96	मेन साफ्ट व अल्टरनेटर	पुलिस कार्यवाही जारी, दोषी कर्मचारी को आरोप पत्र
13.	भीलवाड़ा	1. दिनांक 4-12-96	बैट्री चोरी	पुलिस कार्यवाही, चालक को आरोप-पत्र
		2. दिनांक 9-6-97	आर.सी. अल्टरनेटर	दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही
14.	जवाहरनगर	1. दिनांक 3-3-97	1 अल्टरनेटर	दोषी को आरोप-पत्र जारी, निर्णय शेष
		2. दिनांक —	अल्टरनेटर कम पाया	जांच कार्यवाही जारी

1	2	3		4
15.	अजयमेरु	1. दिनांक 5-5-97 से 7-5-97	स्टेपनी	निर्णय शेष
		2. दिनांक 1-11-99		चोरी करते पकड़े गये अज्ञात व्यक्तियों को पुलिस हवाले किया।
16.	कोटपूतली	1. दिनांक 10-6-97	एयरकन्ट्रोल बल्ब, फिटर केप, सीट फ्रेम, बैट्री केबिल आदि	
		2. दिनांक 29-9-98	कमानी पत्ती	चालक के आरोप का निर्णय शेष
17.	उदयपुर	1. दिनांक 17-12-97	स्टेपनी	वेतन से स्टेपनी की राशि वसूल की जा रही है
18.	सांगानेर	1. दिनांक 28-5-98	01 ट्यूब	
19.	बारां	1. दिनांक 26-7-98	एल्यूमीनियम सीटर, कमानी पत्ते	एफ.आई.आर. दर्ज, आरोप-पत्र जारी
20.	के. कार्यशाला अजमेर	1. वर्ष 1995-96	में पुर्जों की चोरी की कमी पाई गई	प्रकरण में सम्बन्धित इकाई प्रभारी द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज

प्राथमिक सहकारी समिति सागलिया/फागलवा/झींगर छोटी का सदस्यता प्रकरण

199. श्री अमराराम (धोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने राज्य में नये सदस्य बनाने का अभियान चलाया था जिसमें सीकर जिले की प्राथमिक सहकारी समितियों में सदस्य नहीं बनाने की शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि जिला सीकर की सहकारी समितियों द्वारा सदस्य नहीं बनाने पर कई सदस्यों ने सदस्यता शुल्क सहकारी बैंक में जमा करवाया था? यदि हां, तो उनकी सदस्यता का क्या हुआ और ग्राम सेवा सहकारी समिति सागलिया/फागलवा/झींगर छोटी समिति पर आज तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां, कुछ प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा सदस्य नहीं बनाने की शिकायत प्राप्त हुई है। सहकारी समितियां द्वारा सभी योग्यताधारी आवेदकों को सदस्य बना दिया गया है।

(2) जी हां, प्राथमिक सहकारी समितियां सांगलिया, फागलवा व झींगर छोटी समितियों के संचालक मण्डलों द्वारा आवेदकों की योग्यता पूर्ण करने के सम्बन्ध में आश्वस्त होने पर सदस्यता प्रदान कर दी गई है व शेष योग्यता धारण नहीं करने वाले आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गये।

सदस्यता बनाने का विवरण

क्र.सं.	नाम समिति	प्राप्त सदस्यता आवेदन पत्रों की संख्या (जिनके द्वारा बैंक में राशि जमा करायी गयी।	सदस्यता प्रदान किये गये आवेदन पत्रों की संख्या।	अस्वीकृत आवेदन संख्या
1	2	3	4	5
1.	फागलवा ग्राम सेवा सहकारी समिति	56	40	16
2.	झींगर छोटी ग्राम सेवा सहकारी समिति	28	—	28
3.	सांगलिया ग्राम सेवा सहकारी समिति	65	28	37
4.	सुभाषनगर जेरटी ग्राम सेवा सहकारी समिति	284	284	—

जिला बाड़मेर में पी.वी.सी. एवं ए.सी. पाइपों की कमी

200. **श्री गोपाराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य के प्रत्येक जिले में विभिन्न माप के पी.वी.सी. एवं ए.सी. पाइपों की कमी चल रही है? यदि हां, तो इस कमी को कब तक पूरी कर ली जायेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला बाड़मेर में विभिन्न माप के पी.वी.सी. एवं ए.सी. पाइपों की कमी के कारण कई स्वीकृत जल योजनायें अपूर्ण पड़ी हैं?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिवाना में स्वीकृत जल योजनाओं को पूर्ण करने हेतु गर्मी से पहले विभिन्न माप के ए.सी. व पी.वी.सी. पाइप उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग में उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुए वर्ष 99-2000 में 2233 कि.मी. ए.सी. पाईप एवं 533 कि.मी. पी.वी.सी. पाईप क्रय किए गए हैं। दोनों ही प्रकार के पाईप को आगामी वर्ष में प्राप्त करने हेतु नयी निविदायें भी आमंत्रित करली गई हैं।

(2) जिला बाड़मेर हेतु ए.सी. पाईप सभी साईज में आदेशित हो चुके हैं तथा पाईपों की आपूर्ति चल रही है। पी.वी.सी. में 63 व 75 मी.मी. साईज के पाईप आदेशित होना बाकी है जिसके लिए वस्तु व्यवस्था वृत द्वारा निविदायें प्राप्त कर ली गई। इन निविदाओं पर आवश्यक कार्यवाही प्रगति में हैं तथा दर संविदा होते ही पाईप आदेशित कर सप्लाई ले ली जाएगी।

(3) सिवाना क्षेत्र में स्वीकृत 21 योजनाओं में से 18 पर पाईप की पूर्ण आपूर्ति हो चुकी है। शेष 3 योजनाओं पर कुल 139 कि.मी. मांग के विरुद्ध 66 कि.मी. पाईप प्राप्त हो चुके हैं एवं शेष की आपूर्ति नई दर संविदा पर प्राप्त कर सम्भव हो सकेगा।

जयपुर संभाग में आयल विक्रेताओं द्वारा मिलावट की जांच

201. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जयपुर शहर/दौसा/सिकन्दरा/महुवा/हिण्डौन व गंगापुर सिटी में नकली आयल के कारोबार में लिप्त किस-किस व्यक्ति/फर्म को कब-कब पकड़ा गया तथा उनके विरुद्ध कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) जिला सवाईमाधोपुर/करौली/दौसा एवं जयपुर में किस-किस अधिकृत विक्रेता एवं पैट्रोल पम्प पर कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी किये गये? उक्त जिलों में पड़ने वाले अधिकृत विक्रेता एवं पैट्रोल पम्पों को जारी किये गये लाइसेंस की प्रतियां मय विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में नकली आयल के कारोबार के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही सदन के पटल पर रख दी गई है। दौसा/सिकन्दरा/महुवा/हिण्डौन व गंगापुर सिटी में ऐसा कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है।

(2) जिला सवाईमाधोपुर/करौली/दौसा एवं जयपुर में अधिकृत विक्रेताओं एवं पैट्रोल पम्पों पर सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किये गये लाईसेन्सों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। उक्त जिलों में अधिकृत विक्रेताओं एवं पैट्रोल पम्पों को जारी किये गये लाईसेन्सों की गत तीन वर्ष की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा फूलों पर आड़त वसूली

202. **श्री रमजान खान (पुष्कर)** : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि कृषि जिन्सों पर मंडी समितियां केवल 2 प्रतिशत आड़त और फूलों पर इससे अधिक आड़त वसूल करती हैं?

(2) क्या फूल राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम के तहत कृषि जिन्सों की अनुसूचियों में शामिल नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार फूलों को कृषि जिन्सों की अनुसूची में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। फूलों को कृषि जिन्सों की अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि फूलों का धार्मिक उपयोग ज्यादा तथा व्यापारिक उपयोग कम होता है।

थाना संगरिया जिला हनुमानगढ़ में चूरा/डोडा पोस्त के संबंध में दर्ज मुकदमे

203. **श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि थाना संगरिया जिला हनुमानगढ़ में दिनांक 1 अप्रेल, 1999 व गांव हरिपुरा में मुकदमा नं. 139/99 व 140/99 चूरा, डोडा, पोस्त के सम्बन्ध में दर्ज हुये थे? यदि हां,तो कितनी मात्रा में उक्त सामग्री बरामद हुई है? क्या सम्बन्धित व्यक्ति के पास चूरा, डोडा पोस्त रखने का लाइसेन्स था? यदि हां, तो कितनी मात्रा तक का?

(2) उक्त प्रकरणों में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हुये तथा उन पर कौन-कौनसी धारायें लगाई गई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एक रेन्ज में उपनिरीक्षक से राजस्थान पुलिस सेवा तक सेवा में पदस्थापन के सम्बन्ध में कोई सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो कितनी ?

(श्री के. सी. विश्नोई)

(4) बीकानेर रेन्ज में ऐसे कितने अधिकारी हैं जो उक्त पदों तक अपनी सेवायें दे रहे हैं तथा आज तक भी वहीं कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि थाना संगरिया जिला हनुमानगढ़ में दि. 1.4.99 को गांव हरिपुरा का डोडा, पोस्त, चूरा सम्बन्धित अभियोग संख्या 140/99 अन्तर्गत धारा 8/15,26 एनडीपीएस. एक्ट में पंजीबद्ध हुआ है। एवं संगरिया मण्डी का डोडा पोस्त चूरा संबंधित अभियोग सं. 139/99 अन्तर्गत धारा 8/15,26 एनडीपी. एस. एक्ट का अभियोग पंजीबद्ध हुआ है। उपरोक्त अभियोगों में क्रमशः 15 क्विंटल 74 किलोग्राम एवं 9 क्विंटल 51 किलोग्राम डोडा पोस्त चूरा बरामद हुआ है। संबंधित व्यक्तियों के पास चूरा डोडा पोस्त रखने का लाइसेंस था। अभियोग सं. 140/99 में लाइसेन्सी खुदरा दुकान में 500 किलोग्राम एवं अभियोग सं. 139/99 में होल सेल ठेका पोस्त में मात्रा निर्धारित नहीं है।

(2) अभियोग संख्या 139/99 थाना संगरिया में एक अभियुक्त (सतीश कुमार पुत्र श्री किस्तुरीलाल जाति अग्रवाल उम्र 42 साल निवासी वार्ड नं. 13 संगरिया) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 8/15, 26 एनडीपीएस. एक्ट एवं अभियोग संख्या 140/99 थाना संगरिया में एक अभियुक्त (राजकुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति अग्रवाल उम्र 53 साल निवासी वार्ड नं. 7 संगरिया) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 8/15, 26 एनडीपीएस. एक्ट में दर्ज किये गये।

(3) एक रैन्ज में एस.आई. से आरपीएस. तक के सेवा में पदस्थापन के सम्बन्ध में कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

(4) बीकानेर रेन्ज में जो अधिकारी एस.आई. से आरपीएस. तक के सेवाकाल में अधिकतर बीकानेर रेन्ज में रहे हैं, एवं आज भी वही कार्यरत है। उनकी संख्या सात है। जिनके नाम क्रमशः श्री ओम प्रकाश अति. पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक क्रमशः श्री सुजानसिंह, शम्भूसिंह, ओमप्रकाश जांगिड़, रिछपालसिंह, जगदीशचन्द्र विश्नोई, जीवराजसिंह है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व सेनाधिकारी को भू-खण्ड का आवंटन

204. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय की जयपुर बैंच के न्यायमूर्ति ने मेजर सूरजभान सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अन्य की सिविल रिट पीटीशन संख्या 643 वर्ष 1981 के निर्णय दिनांक 27-10-1998 को रिट पीटीशन स्वीकार कर राज्य सरकार पर पाँच हजार रुपये के खर्चे सहित मेजर-सूरजभान सिंह जोधा को राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 13-7-1978 अनुसार मालवीय नगर स्कीम में उनके इन्कम ग्रुप के अनुसार आवासीय भूखण्ड उस समय

(श्री हीरासिंह चौहान)

की प्रचलित रेट से आवंटित करने के आदेश पारित किये थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1962 से 1988 तक भारतीय फौज में कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ सेना अधिकारी को न्यायालय के निर्णय बाद भी पिछले 17 माह तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाट आवंटित नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यू.आई.टी. के स्थान पर वर्ष 1982 से जयपुर विकास प्राधिकरण इस पीटिशन में राज्य सरकार के साथ रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 थी? यदि हां, तो उनके अभिभाषक ने माननीय न्यायमूर्ति के समक्ष 3 माह में मालवीय नगर स्कीम या अन्य स्कीम में पीटिशनर कर्नल जोधा के चाहेनुसार प्लाट आवंटित करने की सहमति दी थी? यदि हां, तो उस पर अब तक आवंटन कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब राज्य सरकार व जयपुर विकास प्राधिकरण माननीय उच्च न्यायलय के निर्णय की पालना कब तक करने का विचार रखते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मेजर सूरजभान सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य की सिविल रिट पीटशन संख्या 643/1981 में दिये गये निर्णय दिनांक 27.10.98 की छाया प्रति संलग्न है।

(2) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.10.98 की पालना में 10 माह का विलम्ब मालवीय नगर योजना में आयवर्ग के अनुसार भू-खण्ड को चिन्हित करने एवं आवंटन हेतु प्रकरण को प्राधिकरण की एलपीसी की बैठक में रखकर स्वीकृति लेनें के कारण हुई है। उक्त निर्णय के विरुद्ध खण्डपीठ में दायर अपील के निर्णय के अध्यधीन मालवीय नगर योजना में भू-खण्ड संख्या डी-846 क्षेत्रफल 286.91 वर्गगज दिनांक 2.9.99 को आवंटित किया जा चुका है।

(3) जी हां। प्राधिकरण अभिभाषक ने माननीय न्यायमूर्ति के समक्ष 3 माह में भू-खण्ड आवंटन करने की सहमति दी थी, जिसके आधार पर श्री सूरजभान सिंह जोधा को मालवीय नगर में भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया है।

(4) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर श्री सूरजभान सिंह को मालवीय नगर योजना में भू-खण्ड आवंटन कर दिया गया है। आवंटन पत्र दिनांक 2.9.99 की छाया प्रति संलग्न है।

(निर्णय एवं आवंटन पत्र की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला चूरू में किये गये वृक्षारोपण का मूल्यांकन

205. **श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वन क्षेत्रफलों के बढ़ाने हेतु वृक्षारोपण पर वर्ष 1980 के पश्चात्

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कितनी राशि व्यय की गई तथा उससे कितना वन क्षेत्र बढ़ा है? व्यय की गई राशि में संस्थागत व्यय पर कितनी राशि व्यय हुई?

(2) क्या यह सही है कि वानिकी विकास परियोजना, अरावली वृक्षारोपण परियोजना तथा इन्दिरा गांधी नहर वृक्षारोपण परियोजना का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृक्षारोपण उक्त परियोजना के बंद होने से प्रभावित होगा व उक्त परियोजनाओं पर कार्यरत कर्मचारियों का समायोजन कहां किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मरु विकास कार्यक्रम में वर्ष 1994 से जिला चूरू को कितनी राशि आवंटित की गई व कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई तथा वृक्षारोपण में कितनी राशि व्यय हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला चूरू में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम में वर्ष 1999-2000 में कितने वृक्ष लगाये गये, उनमें से कितने जीवित हैं तथा इनका मूल्यांकन कब-कब व किस-किस द्वारा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने हेतु वृक्षारोपण पर वर्ष 1980 के पश्चात् विभिन्न योजनाओं में 1050.60 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई तथा उससे 10,30,011 हैक्टर वन क्षेत्र में वृक्षारोपण चारागाह विकास एवं अन्य विकास कार्य कराये गये है। व्यय की गई राशि में से संस्थागत व्यय पर लगभग 188.34 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

(2) अरावली वृक्षारोपण परियोजना 31.3.2000 को पूर्ण हो गयी है। वानिकी विकास परियोजना एवं इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण परियोजना वर्ष 2002 में पूर्ण होगी। अरावली वृक्षारोपण परियोजना के स्थान पर "अरावली वानिकी योजना स्वीकृत होना संभावित है। नई योजना स्वीकृत न होने की स्थिति में विद्यमान अरावली वृक्षारेपण परियोजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष कराये जाने वाले लगभग 20,000 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रभावित होगा। दिनांक 31.3.2000 को पूर्ण हो रही विद्यमान अरावली वृक्षारोपण परियोजना में कार्यरत स्टाफ के समायोजन हेतु कार्यवाही की जा रही है।"

(3) जिला चूरू में मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1994 से 1999-2000 की अवधि में आवंटित की गई राशि रुपये 1071.89 लाख रुपये में से वृक्षारोपण कार्यों पर 959.61 लाख रुपये तथा संस्थागत व्यय पर 112.28 लाख रुपये व्यय किये गये। जलग्रहण/कलस्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 95-96 से 99-2000 तक की अवधि में आवंटित राशि 176.00 लाख रुपये में से प्रशासनिक व्यय 66.10 लाख रुपये, प्रशिक्षण व्यय 4.30 रुपये, सामुदायिक व्यय 21.74 लाख रुपये तथा प्रवेश कार्य पर 34.20 लाख रुपये व्यय किये गये। विवरण परिशिष्ट-"क" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जिला चूरू में वन विभाग द्वारा वर्ष 1999-2000 में कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया।

परिशिष्ट-"क"

जिला चुरू में मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित राशि व व्यय की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	आवंटित राशि	व्यय राशि (लाखों में)		
			वृक्षारोपण व्यय	संस्थागत व्यय	योग
1	2	3	4	5	6
1.	94-95	349.33	319.70	29.63	349.33
2.	95-96	405.97	377.97	28:00	405.97
3.	96-97	233.00	233.00	—	233.00
4.	97-98	83.59	28.94	54.65	83.59
5.	98-99	—	—	—	—
6.	99-2000	—	—	—	—
	योग :	1071.89	959.61	112.28	1071.89

जलग्रहण लस्टर कार्यक्रम (विवरण लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटित राशि	प्रशासनिक व्यय	प्रशिक्षण व्यय	सामुदायिक व्यय	प्रवेश कार्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	95-96	16.00	—	—	—	—	—
2.	96-97	29.00	24.00	0.22	2.34	18.56	45.12
3.	97-98	110.20	19.20	2.14	18.66	9.37	49.37
4.	98-99	20.80	21.76	—	0.59	6.10	30.27
5.	99-2000	0	1.14	—	0.15	8.17	1.58
	योग :	176.00	66.10	4.30	21.74	34.20	126.34

परिवहन विभाग द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट का क्रियान्वयन

206. **श्री जनार्दन गहलोत** (करौली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि यातायात मंत्री की अध्यक्षता में राज्य में अवैध वाहनों के संचालन को रोकने एवं परिवहन निगम की सेवाओं में सुधार हेतु कोई कमेटी का गठन किया गया था? यदि हां, तो क्या इस कमेटी ने कोई सुझाव दिये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कमेटी के सुझावों के बाद क्या-क्या निर्णयों की क्रियान्विति की गई और क्या शेष हैं?

(3) क्या सरकार शेष निर्णयों की क्रियान्विति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यातायात मंत्री जी की अध्यक्षता में ऐसी किसी कमेटी का गठन नहीं किया गया है। उनकी अध्यक्षता में राज्य में वाहनों के अवैध संचालन को रोकने एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थिति को सुधारने के लिए विचार-विमर्श हेतु एक अनौपचारिक बैठक बुलाई गई थी। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) उक्त बैठक में सुझाव भी प्राप्त हुए हैं; जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। सुझावों की क्रियान्विति की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट-"क"

माननीय यातायात मंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य में अवैध वाहनों के संचालन को रोकने, परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाने, परिवहन निगम की सेवाओं में सुधार करने तथा निगम की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उपायों पर दिनांक 23.10.99 को प्रातः 11.00 बजे शासन सचिवालय परिसर में स्थित मंत्रालय भवन के रूम नं. 119 में हुई बैठक का कार्यवाही विवरण। इस सभा में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्न प्रकार है : —

माननीय यातायात मंत्री महोदय ने उपस्थित सभी विधायकों, यातायात सचिव, निगम अध्यक्ष, निगम यूनियनों के विभिन्न पदाधिकारियों एवं अन्य उपस्थित सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देते हुए बैठक में विचार हेतु रखे जाने वाले बिन्दुओं से अवगत कराया एवं सभी उपस्थित सज्जनों से सुझाव आमंत्रित किए।

माननीय यातायात मंत्री महोदय ने अवैध वाहन संचालन के सम्बन्ध में जो व्यवस्थाएं व आदेश पारित किए हैं, उसकी जानकारी दी एवं उनकी पालना हेतु सरकार का दृढ़ निश्चय भी व्यक्त किया। माननीय मंत्री महोदय ने यह भी अवगत कराया कि विधान सभा सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा अवैध वाहन संचालन की गम्भीरता को सदन में रखा है, उसी के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने कुछ आदेश जारी किए हैं। जिसकी क्रियान्विति जिला स्तर पर करवाई जाएगी।

माननीय मंत्री महोदय ने यह भी अवगत कराया कि निगम के, आगारों में एक-एक करोड़ का घाटा हुआ है, ऐसे आगारों की जांच की जाए कि ऐसा क्यों हुआ? यह भी अवगत कराया गया कि राज्य सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाई गई है। जिसकी अध्यक्षता निगम अध्यक्ष द्वारा की गई है। उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है एवं उसके आधार पर शीघ्र निर्णय किया जाकर आवश्यक कार्यवाही भी सम्पादित की जाएगी।

मंत्री महोदय ने सर्वप्रथम निगम अध्यक्ष को निवेदन किया कि वे अपने सुझाव रखें। निगम अध्यक्ष द्वारा सभी उपस्थित विधायकों एवं अन्य निमंत्रित सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए एवं विषय की गम्भीरता में रूचि लेने के लिए आभार व्यक्त किया गया। निगम अध्यक्ष ने संस्थापन पर स्पेयर पार्टस एवं पे-कमीशन के कारण निगम पर जो आर्थिक भार पड़ा है, उसके सम्बन्ध में अवगत कराया। उनके द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि वाहनों का अवैध संचालन एक गंभीर समस्या तो है लेकिन यह भी कोई ऐसी समस्या नहीं है, जिससे निपटा नहीं जा सकता है। राज्य सरकार के दृढ़ निश्चय से इस पर अंकुश एवं नियन्त्रण किया जा सकता है। उनका यह भी कहना था कि निगम का 20-25 प्रतिशत यात्रीभार निजी वाहनों द्वारा उठा लिया जाता है। बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन जुगाड़ चल

रहे हैं। इन्हें सम्पूर्ण रूप से हटाकर बन्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने निजी वाहनों से निगम वाहनों की प्रतिस्पर्धा की बात भी कही एवं "लेवल प्लेन फील्ड" की बात है। निजी वाहनों की एस.आर.टी. में जो अन्तर है, वह भी एक कारण है। निगम ने अपनी इन्वेंटरी पर कन्ट्रोल किया है। उन्होंने अवगत कराया है कि निगम का एस.आर.टी. कम किया जाए। समाज के विभिन्न वर्गों को जो रियायती एवं निःशुल्क यात्रा सुविधा निगम द्वारा दी जाती है, उसकी भरपाई राज्य सरकार को करनी चाहिए।

निगम द्वारा पड़ोसी राज्यों के साथ अन्तर्राज्यीय समझौतें पूर्ण कर लिए गए हैं एवं उन समझौतों को राज्य सरकार के स्तर पर अन्तिम गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाकर क्रियान्विति के लिए सुझाव दिए गए हैं। अन्तर्राज्यीय बस अड्डा, दिल्ली से निगम वाहनों का संचालन नहीं होने के कारण निगम को प्रतिदिन रुपये 60 हजार का नुकसान हो रहा है।

राज्य सरकार ने अवैध वाहनों के संचालन के सम्बन्ध में अभी जो आदेश जारी किए गये हैं, के सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा बताया कि निगम के कार्यकारी निदेशक (यातायात) के माध्यम से चैक कराने पर पाया गया कि राज्य सरकार के आदेशों की पूर्ण पालना नहीं हो रही है। जब-जब विशेष अभियान चलाया जाता है तो निगम के राजस्व में वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि कैलादेवी मेले में अवैध वाहन नहीं चलने से निगम के राजस्व में करीब 2 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण में निगम प्रशासन को पूर्ण रूप से स्वतन्त्रता दी जाए जिससे कि निगम का प्रशासनिक नियन्त्रण बना रहे।

यूनियन के प्रतिनिधि श्री ऋषिराज ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि वाहनों के अवैध संचालन की बीमारी राज्य सरकार की समझ में आ गई है। उन्होंने अपने सुझाव में कहा कि आन्ध्र प्रदेश के अनुरूप राजस्थान में भी सारे मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए एवं जो निजी वाहन संचालित हैं, उन्हें अनुबन्ध पर ले लिया जाए। उनका यह भी कहना था कि टिकट खरीदने के लिए यात्रियों को ही जिम्मेदार बनाया जाए एवं टिकट लेने की जिम्मेदारी यात्री पर ही डाली जावें। उनका यह भी सुझाव था कि निगम की प्रबन्धकीय व्यवस्था के लिए विभिन्न प्रकार की कमेटियाँ बनाई जावें एवं खामियों को दूर किया जाए। उनके द्वारा इस बात पर भी जोर दिया गया कि निगम को राज्य सरकार के विभाग की तरह न चलाया जाए एवं निगम को कॉमर्शियल लाईन पर चलाया जाए एवं निगम को कॉमर्शियल लाईन पर चलने की स्वतन्त्रता दी जावें।

श्री मांगीलाल यादव, यूनियन प्रतिनिधि ने यह बैठक बुलाने के लिए उनकी यूनियन की ओर से राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी यूनियन ने निगम में पिछले 5 महीनों से अवैध वाहनों के विरुद्ध जंग छेड़ रखी है एवं इस सम्बन्ध में

सभी माननीय विधायकों एवं सचिवालय के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाता रहा है। उनकी यूनियन हड़ताल के लिए तैयार हुई थी एवं राज्य सरकार ने जो नये निर्णय लिए उनका स्वागत भी यूनियन ने किया, पर यह चिन्ता भी व्यक्त की कि सरकार के आदेशों की पालना पूर्ण रूप से नहीं हो रही है। उन्होंने कुछ जिला कलक्टरों एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही नहीं करने एवं उनकी यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक जिला कलक्टर से सम्पर्क की बात बताई। श्री यादव ने कहा कि कुछ कलक्टर तो वाहनों के अवैध संचालन की तरफ्दारी करते पाए गए। उनका यह भी कहना था कि जिला स्तर पर जो अधिकारी राज्य सरकार के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं, उनकी पहचान की जाए एवं जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि कान्ट्रेक्ट कैरिज टूरिस्ट परमिट प्रतिवर्ष 500 की तादाद में बढ़ रहे हैं एवं वर्तमान में यह संख्या 2740 के आसपास हो गई है। इसको किस सीमा तक बढ़ाया जाना है, उसकी सीमा निर्धारित होनी चाहिए। राज्य में जो निजी वाहन संचालित है, उनमें से जो अच्छी कण्डीशन के वाहन है उन्हें अनुबन्ध पर ले लेना चाहिए। कई ऐसे मार्ग भी है जो संचालन योग्य नहीं है। फिर भी परमिट जारी किए गए हैं। ऐसे परमिट वाले वाहनों को निगम के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलाया जा रहा है। उन्हें तत्काल बन्द किया जाए। जो जीपें प्रदूषण फैलाती हैं उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए जाए एवं संख्या सीमा निर्धारित की जाए एवं जो जीपें परमिट का उल्लंघन करती है उनका रजिस्ट्रेशन केन्सिल किया जाना चाहिए। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार द्वारा 6 जून, 1994 को अवैध वाहनों की चैकिंग के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें उप अधीक्षक के स्तर के अधिकारी को अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों में सभी पुलिस थानों में तैनात पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी को भी शामिल किए जाने का सुझाव दिया गया। श्री यादव ने सुझाया कि 1988 के मोटरयान अधिनियम के सन्दर्भ में निगम अधिकारियों को अनाधिकृत वाहनों की चैकिंग का अधिकार देने के लिए पूर्ण परीक्षण करवाया जाना चाहिए।

सीटू के प्रतिनिधि श्री गोविन्द पिल्लई ने श्री यादव के सुझावों से सहमति देते हुए कहा कि राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेशों की पालना की जाए।

श्री लक्ष्मण सोनी यूनियन प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि अवैध वाहनों के संचालन के सम्बन्ध में दिनांक 23.9.99 को जो आदेश जारी किए गए हैं, उनकी पूर्ण रूपेण पालना नहीं की जा रही है। पालना सुनिश्चित की जावें।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम श्रम संगठन, इण्टक के अध्यक्ष श्री ओ.पी. वर्मा ने भी उक्त सूझावों पर सहमति व्यक्त करते हुए वाहनों के अवैध संचालन पर रोक लगाने पर बल दिया।

श्री जगतार सिंह ने कहा कि अवैध वाहन क्यों हुए? निगम का संचालन कैसा है? इस सम्बन्ध में भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने जोधपुर-बाड़मेर राष्ट्रीयकरण स्कीम के बारे में बताया। निगम के वाहन छोटी गांवों की सवारियों को नहीं उठाते हैं। यह अवैध वाहनों के बढने का कारण है। निगम के वाहन छोटे यात्रियों को नहीं उठाती है एवं लम्बी दूरी की सेवायें संचालित है। इसलिए छोटे मार्गों पर भी स्टोपेज होने चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि निगम के ऑल इण्डिया परमिट के वाहन भी स्टेज कैरिज के रूप में चलते हैं। निजी वाहनों को निगम के बस स्टेण्डों पर जाने की इजाजत दी जानी चाहिए। क्योंकि निजी वाहन निगम को सवारियां उपलब्ध करवाते हैं। जिन जीपों की बॉडी रेग्जीन व कपड़े की है, ऐसी जीपों को टैक्सी का परमिट नहीं दिया जाना चाहिए व छोटे वाहनों को नगरपालिका सीमा के बाहर का परमिट नहीं दिया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि निगम को पीक सीजन में शटल सर्विसेज चलानी चाहिए व एक साथ चलने वाले निगम वाहनों का पुनः शिड्यूलिंग किया जाना चाहिए। उनका यह भी सुझाव था कि परिवहन विभाग के निरीक्षकों को रोडवेज की बसों एवं परिचालक को चैक करने के निर्देश दिए जाने चाहिए।

श्री एच.के. भार्गव ने बताया कि निगम के दूदू बस स्टेण्ड पर यात्रियों की सुविधार्थ केन्टीन में जो सामान दिया जाता है, वह पूर्ण रूप से प्रदूषित होता है।

श्री सुरेश कौल, परिवहन निरीक्षक प्रतिनिधि ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत उनको पूर्ण अधिकार नहीं है एवं चैकिंग स्टाफ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, जिससे भी पूर्ण रूप से निरीक्षण नहीं हो पाता है।

श्री गहलोत ने कहा कि उनके स्वयं के एरिया में पुलिस की जीपें चल रही हैं उन्होंने उदाहरण दिया कि करौली से कैलादेवी चलने वाले वाहन गिरह गांव में नहीं जाती है एवं जो रूट्स निर्धारित है उस पर नहीं चलते हैं।

उनका यह भी कहना था कि गंगानगर मार्ग पर रात्रिकालीन में जो बसें चलती है, उनमें से किसी के पास परमिट नहीं है, संचालित है, जिसके लिए चैकिंग करवाया जाना चाहिए। उनका यह भी सुझाव था कि निगम के वाहन जिन मार्गों पर चलते हैं उन मार्गों में स्टाप निर्धारित होने चाहिए और उन्हीं पर निगम वाहन रूकने चाहिए। निगम के चालक-परिचालक निजी ढाबों पर वाहनों को रोकते हैं। अतः इस पर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री गहलोत एवं श्री बुरड़क का कहना था कि जिला स्तर पर जो परिवहन कमेटियां बनाई गई है उनमें कार्यकर्ताओं को रखा जाना चाहिए क्योंकि विधायकगण व्यस्तता के कारण भाग नहीं ले पाते हैं। उनका यह भी सुझाव था कि छोटी कमेटियाँ भी बनाई जाए एवं महिने-दो महिनों के लिए बैठक बुलाई जाकर इस सम्बन्ध में विचार विमर्श किया

जाना चाहिए। श्री दिग्विजय सिंह का कहना था कि तीन वर्ष पूर्व निगम लाभ की स्थिति में था एवं देश में उसका नाम था तो अब ऐसा क्या हो गया कि निगम की यह स्थिति हो गई? इसके कारणों पर रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। उनका यह भी सुझाव था कि निगम के ओवर हैडस खर्चे ज्यादा है जो कम किए जाने चाहिए। पूर्व राष्ट्रीयकरण 30 प्रतिशत था जो अब 20 प्रतिशत ही रह गया है। निगम को आर्थिक दृष्टि से लाभ देने वाले मार्गों पर वाहन संचालन व्यवस्था करनी चाहिए। निगम को स्वायत्ता दी जानी चाहिए एवं निगम की सेवाओं का यह अर्थ नहीं है कि उन्हें घाटे में चलाया जाए। वर्तमान में डीजल के भाव बढ़े हैं एवं इन बढ़ी हुई दरों के कारण पड़ने वाले भार के सम्बन्ध में जनता को सूचित किया जाना चाहिए। उनका यह भी सुझाव था कि जिला स्तर पर जो कमेटियाँ बनाई गई है, उसमें यूनियन जन प्रतिनिधि रोड़वेज प्रशासन एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की महिनें में एक बैठक हो एवं वे कमेटी अधिकार प्रदत्त हो।

श्री बुरड़क ने कहा कि चुरू-सरदारशहर दोनों आस-पास हैं तो दो आगार का क्या औचित्य है। पूर्व में एक ही आगार था इसलिए उसका विश्लेषण कराया जाना चाहिए उनका यह भी कहना था कि निगम की जो चैकिंग व्यवस्था है, वह पूर्व रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त है एवं यह चैकिंग सिस्टम तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी राजकीय उपक्रम समिति के भ्रमण के दौरान उनके द्वारा भीलवाड़ा (–) सरदारशहर एवं बांसवाड़ा आगारों की चैकिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछताछ की तो ज्ञात हुआ कि उन्होंने कोई चैकिंग रिपोर्ट नहीं की है। इसलिए चैकिंग को रोक कर खर्चे को कम किया जाना चाहिए।

श्रीमती विजय लक्ष्मी ने कहा कि हनुमानगढ़ के लिए कोई डीलक्स सेवा नहीं है एवं साधारण बस सेवा व एक्सप्रेस सेवाएं जो संचालित की जा रही है, उनको समथान्तर देकर चलाया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि आगारों में जो मरम्मत के लिए बजट दिया जाता है वह बहुत अधिक है। अतः इसका मोनेटरिंग होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अनुपगढ़ बस स्टेण्ड बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन शीघ्र किया जाना चाहिए।

श्रीमती ममता शर्मा ने बताया कि कोटा-जयपुर के मध्य जो डीलक्स सेवा संचालित है वह सात घण्टे लेती है एवं नकारा डीलक्स बसों को कोटा के लिए चलाया जा रहा है।

श्री त्रिलोक पूर्विया ने कहा कि कार्यशाला में स्पेयर पार्टस आदि पर जो खर्चा होता है, उनका मोनेटरिंग होना चाहिए एवं कार्यशाला का खर्चा ही निगम को घाटा दे रहा है। उनका यह भी कहना था कि परिचालक मजबूरी में चोरी करता है क्योंकि उसे चैकिंग पार्टी को देना पड़ता है।

सभा के अन्त में यातायात आयुक्त एवं शासन सचिव श्री आर. के. मीणा ने माननीय मंत्री महोदय सभी माननीय विधायकों, यूनियन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों वर्ग को बैठक में उपस्थित होकर अपने अमूल्य सुझाव प्रेषित करने के लिए धन्यवाद अर्पित किया।

परिशिष्ट-1

उपस्थित सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम	पद
1	2	3
1.	श्री छोगाराम बाकोलिया	माननीय यातायात मंत्री
2.	श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई	माननीय विधायक, सूरतगढ़
3.	श्री जर्नादन सिंह गहलोत	माननीय विधायक, करौली
4.	श्री दिग्विजय सिंह	माननीय विधायक, उनियारा
5.	श्री हरज़ीराम बुरड़क	माननीय विधायक, लाडनूं
6.	श्री त्रिलोक पूर्विया	माननीय विधायक, उदयपुर
7.	श्रीमती ममता शर्मा	माननीय विधायक, बून्दी
8.	श्री आर. के. मीणा	यातायात आयुक्त एवं शासन सचिव
9.	श्री वी. एन. बहादुर	अध्यक्ष राजस्थान परिवहन निगम
10.	श्री एम. के. खन्ना	विशिष्ठ शासन सचिव, (गृह)
11.	श्री दीपक उप्रेती	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम
12.	श्री वी. एल. शर्मा	वित्तीय सलाहकार, राजस्थान परिवहन निगम
13.	श्री सूरजभान मीणा	कार्यकारी निदेशक (यातायात) राज. परिवहन निगम
14.	सुश्री शमीम अख्तर	अति. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर
15.	श्री पंकज मनु	शासन उप सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
16.	श्री वाई. एन. भार्गव	महाप्रबन्धक (बस बॉडी) राज. परिवहन
17.	एच. के. भार्गव.	निगम
18.	श्री जगतार सिंह	प्रतिनिधि, खालसा मोटर्स, फालना, जिला पाली

1	2	3
19.	श्री रामवतार शर्मा	महासचिव, राज. परिवहन निगम, एटक
20.	श्री एम. एल. यादव	प्रान्तीय अध्यक्ष, राज. परिवहन निगम, एटक
21.	श्री ओ. पी. वर्मा	पूर्व प्रान्तीय अध्यक्ष राज. प. निगम, इण्टक
22.	श्री राम सिंह रावत	महामंत्री, राज. परिवहन निगम, इण्टक
23.	श्री गोविन्द पिल्लई	प्रान्तीय अध्यक्ष, राज. परिवहन निगम, सीटू
24.	श्री किशन सिंह राठौड़	सहा सचिव, राज. परि. निगम, सीटू
25.	श्री ऋषि राज शर्मा	प्रान्तीय अध्यक्ष, रापनि, भामस
26.	श्री लक्ष्मण सिंह सोनी	प्रान्तीय महामंत्री, रापनि. भामस
27.	श्री अरूण शर्मा	उपाध्यक्ष, राज. परिवहन निरीक्षक संघ, परिवहन विभाग, राजस्थान जयपुर।
28.	श्री सुरेश कौल	अध्यक्ष, राज. परिवहन निरीक्षक संघ, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
29.	श्री रवीन्द्र यादव	सहा. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग
30.	श्री पुरूषोतम बियाणी	उपायुक्त परिवहन, परिवहन विभाग।
31.	श्री वी. पी. शुक्ला	प्रान्तीय अध्यक्ष, राजस्थान परिवहन निगम, इन्टक
32.	श्री यू. सी. भट्ट	सचिव, राजस्थान परिवहन निगम

तारांकित प्रश्न संख्या-207
(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र बानसूर के हैण्डपम्पों की मरम्मत

208. **श्री जगत सिंह दायमा** (बानसूर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर के कौन-कौन से ग्राम किस-किस योजना से जुड़े हुए हैं और कुल कितने ग्रामों में हैण्डपम्प लगे हुए हैं तथा कितने-कितने हैण्डपम्प कब-कब लगाये ?

(2) क्या उक्त सभी हैण्डपम्प चालू स्थिति में हैं ? यदि हां, तो कितने हैण्डपम्प चालू हैं तथा कितने और कहां-कहां खराब हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार खराब हैण्डपम्प को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में तहसील बानसूर व बहरोड़ के 169 गांव हैं, 1 गांव गैर आबाद है। 168 आबाद गांवों में 18 में पाइप्ड योजना, 6 में पम्प व टैंक योजना, 14 में पारम्परिक जल स्रोत योजना 1 गांव क्षेत्रीय जल योजना व 129 गांव आबादी अनुसार हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित हैं। 129 गांवों में सन् 81 से अब तक 952 हैण्डपम्प लगे हुए हैं। जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-"अ" पर है।

(2) वर्तमान में चल रहे हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के दौरान् 952 हैण्डपम्पों में से 721 हैण्ड पम्प चालू पाये गये, 92 हैण्डपम्प मरम्मत योग्य हैं एवं 139 हैण्डपम्प सूखे/नकारा है। गांव वार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर दिया हुआ है।

(3) जी हां। समस्त खराब, मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों को माह अप्रेल 2000 में ठीक कर दिया जायेगा।

(विवरण की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पुलिस थाना नगर (भरतपुर) का क्रमोन्नयन

209. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1998 एवं 1999 में भरतपुर जिले में कुल कितनी प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज हुई ? थानेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में दर्ज मुकदमों में से कितनों में चालान पेश हुए और कितनों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई तथा कितने अभी विचाराधीन हैं ? थानेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नगर थाने को अपग्रेड कर निरीक्षक स्तर का करने का विचार है ? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों।

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में वर्ष 1998 एवं 1999 में क्रमशः 8350 व 8693 प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज हुई। थानेवार, शीर्षकवाइज संख्या

(गृह मंत्री)

सूची निस्तारण सहित परिशिष्ट-"क" से "क-9" संलग्न है।

(2) (क) वर्ष 1998 में दर्ज अभियोगों में 5298 में चालान, 3031 में अंतिम रिपोर्ट एवं 21 अभियोग अभी अन्वेषणाधीन हैं।

(ख) वर्ष 1999 में पंजीबद्ध अभियोगों में 5144 में चालान, 3242 में अंतिम रिपोर्ट एवं 307 अभियोग अभी अन्वेषणाधीन है।

(ग) थानेवार सूचना परिशिष्ट-"क" से "क-9" में अंकित है।

(3) इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि आल इण्डिया नॉर्म्स के अनुसार एक वर्ष में 360 से अधिक अपराध पंजीबद्ध होने वाले थाने को ही निरीक्षक स्तर के थाने में क्रमोन्नत किये जाने का प्रावधान है। थाना नगर की औसत अपराध संख्या 360 से कम होने के कारण थाना नगर को निरीक्षक स्तर का करना संभव नहीं है।

(थानेवार सूचना की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर विकास प्राधिकरण की सम्राट नगर योजना

210. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने सम्राट नगर योजना के नाम से योजना बनाई थी? यदि हां, तो कब एवं किस स्थान पर एवं कितनी हैक्टर भूमि पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना की भूमि हरित पट्टी से आवासीय योजना में परिवर्तित की गई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के भूखण्डधारियों द्वारा लीज़ राशि जमा करवाने के उपरान्त भी दिनांक 10 जनवरी, 2000 तक भूखण्डधारियों को पट्टे वितरण नहीं किये गये? यदि हां, तो पट्टे वितरण नहीं करने के क्या कारण रहे? क्या सरकार वर्ष 1985 से 15 मार्च, 2000 तक पट्टे से वंचित रह रहे लोगों को अतिशीघ्र पट्टे वितरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह भी सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्राट नगर योजना की भूमि को अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग में लेने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त भूखण्डधारियों के लिए अन्य वैकल्पिक क्या व्यवस्था होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सम्राट नगर योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं बनाई गई है।

(2) जी हां। उक्त योजना की भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25(1) के अन्तर्गत भू-उपयोग तत्कालीन मास्टर प्लान में हरित से आवासीय उपयोग दिनांक 28.3.95 को किया गया।

(3) जी नहीं। भूखण्डधारियों में से कुछ व्यक्तियों ने दिनांक 10.1.2000 से पहले नियमन राशि जमा कराई है। इस

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

योजना में कुछ भूखण्डधारियों को पट्टे वितरण नहीं किये गये। पट्टे वितरण नहीं करने का कारण यह रहा है कि उक्त गृह निर्माण समिति की भूमि में से कुछ भूमि हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा अवाप्त की गई है शेष भूमि में से मास्टर प्लान 2011 जो 1.9.98 से प्रभावी है के अनुसार 200 फुट सड़क प्रस्तावित होने के कारण सम्राट नगर योजना के भूखण्डधारियों का नियमन नहीं किया गया है। हवाई अड्डा की अवाप्त में आई जमीन एवं मास्टर प्लान 2011 में प्रस्तावित 200 फुट सड़क के बाद शेष बचे भूखण्ड धारियों के नियमन कर पट्टा दिया जाने पर विचार किया जा रहा है। समिति को यह कहा गया कि यदि वह चाहे तो दो सौ फुट सड़क की भूमि तथा हवाई अड्डा योजना में आई भूमि छोड़कर शेष भूमि का रि-प्लान प्रस्तुत कर दें। समिति ने अभी तक रि-प्लान प्रस्तुत नहीं किया है। रि-प्लान मिलते ही या रि-प्लान नहीं मिला तो शेष नियमन योग्य भूखण्डों का नियमन शीघ्र कर दिया जावेगा।

(4) यह सही है कि सम्राट नगर योजना की भूमि में से कुछ भूमि हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा अवाप्त की गई है तथा शेष भूमि में से मास्टर प्लान 2011 में 200 फुट सड़क प्रस्तावित है। हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा खातेदारों को मुआवजा दे दिया गया है। प्रस्तावित 200 फुट रोड में आने वाले भूखण्ड धारियों को अन्य स्थान पर वैकल्पिक भूखण्ड देने का प्रस्ताव नहीं है। यह भूमि धारा 90(बी) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित हो चुकी है। भूमि अवाप्ति पर विधिवत् मुआवजा दिया जावेगा।

बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स चन्देरिया द्वारा किये जाने वाले विस्फोट

211. **श्री कालूलाल खोईवाल** (गंगरार) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स चन्देरिया द्वारा फैल रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु सरकार ने कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो किस प्रकार? क्या उक्त फर्म से अब भी प्रदूषण फैल रहा है? क्या यह सही है कि प्रदूषण से जन-जीवन खराब हो रहा है? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम हेतु क्या कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स चन्देरिया की माइन्स है? यदि हां, तो कहां तक व इसका क्षेत्र कहां-कहां पर है और कितनी सीमा निश्चित की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या माइन्स में किये जा रहे ब्लास्टिंग की समय सीमा निश्चित है। उक्त माइन्स में कितनी क्षमता तक ब्लास्टिंग की जाती है?

(4) क्या ब्लास्टिंग से हो रहे कम्पन से आस-पास के गांवों के मकानों में पड़ रही दरारों, छतों आदि के लिए मैनेजमेन्ट कोई प्रभावी कदम उठा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालूलाल खोईवाल)

(5) क्या बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स की माइन्स में भारी ब्लास्टिंग से चन्देरिया, सुरजना, भेरडा, नगरी, भोईखेड़ा गांवों में हो रहे मकान/पशुधन के नुकसान की कभी जांच कराई गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस संबंध में कोई प्रभावी कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स चन्देरिया द्वारा की जा रही अनदेखी व लापरवाही पर सरकार कोई नियन्त्रण रखती है? क्या सरकार द्वारा इस हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स, चन्देरिया द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उद्योग में स्थापित इन प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता एवं भौतिक सत्यापन हेतु समय-समय पर निरीक्षण एवं वायु प्रदूषक तत्वों की जांच की जाती है। मण्डल द्वारा एकत्रित किये गये वायु प्रदूषक तत्वों की जांच में पाया गया कि अधिकांश प्रदूषक तत्व मण्डल मानकों की निर्धारित सीमा में है। यदि प्रदूषक तत्व मण्डल मानकों की सीमा में नहीं पाये जाते हैं तो मण्डल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु उद्योग को नोटिस/चेतावनी जारी की जाती है।

(2) जी हां। बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स, चन्देरिया (चित्तौड़गढ़) की माइन्स हैं। बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स के पक्ष में सन् 1964 में एक खनन पट्टा वास्ते खनिज लाइमस्टोन (सीमेन्ट ग्रेड) हेतु क्षेत्र 15.48 वर्ग किलोमीटर चित्तौड़गढ़ के निकट ग्राम भोईखेड़ा, गेरड़ा, जाई-सूरजना आदि के नाम स्वीकृत होकर दिनांक 4.10.82 तक धारित रहा। दिनांक 5.10.82 को 5.492 वर्ग किलोमीटर एवं दिनांक 4.4.87 को 4.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राज्य सरकार को समपर्ण किया गया। वर्तमान में बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स, चन्देरिया की लाईमस्टोन माईनिंग लीज क्षेत्र मेरडा, जाई-सूरजना एवं नगरी गांव में 5.988 वर्ग किलोमीटर (अर्थात् 5.99 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र में फैला हुआ है।

मेरडा ब्लाक—2.340 वर्ग किलोमीटर

जाई-सूरजना—3.648 वर्ग किलोमीटर

(3) ब्लास्टिंग का समय दोपहर डेढ़ बजे से तीन बजे तक निर्धारित है। खान सुरक्षा निदेशालय ने गांवों की निकटता को देखते हुए प्रति डिले (दो विस्फोटों के बीच का समय) 150 किलाग्राम एक्सप्लोजिव (विस्फोटक) तक काम में लेने की अनुमति दे रखी है।

(4) जी नहीं। उक्त क्षेत्र के मकानों को कम्पन से कोई खतरा नहीं है।

(5) जी नहीं। ब्लास्टिंग से किसी प्रकार की हानि होने की सूचना प्राप्त नहीं होने से जांच नहीं करायी गयी है। ब्लास्टिंग से किसी प्रकार की हानि होने की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण किसी प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई है।

(6) जी हां। बिडला सीमेन्ट वर्क्स, चन्देरिया द्वारा अनियमितता वरतने की

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

जानकारी/शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

बस स्टेण्ड हनुमानगढ़ जंक्शन व हनुमानगढ़ टाऊन का अन्यत्र स्थानान्तरण

212. **श्री आदराम मेघवाल (टीब्बी) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बस स्टेण्ड हनुमानगढ़ जंक्शन व हनुमानगढ़ टाऊन को आवागमन के साधनों में भारी वृद्धि होने के कारण अन्यत्र स्थानान्तरित किया जावेगा? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी नहीं उक्त बस स्टेण्ड नगरपालिका हनुमानगढ़ द्वारा निर्मित है।

डीडवाना (नागौर) क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गोदाम निर्माण प्रकरण

213. **श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) एवं श्री रूपाराम (डीडवाना) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका डीडवाना जिला नागौर को सरकार के आदेशों से जिला कलेक्टर नागौर ने अपने आदेश दिनांक 7-4-1996 के द्वारा डीडवाना क्रय-विक्रय सहकारी समिति को गोदाम बनाने हेतु खसरा नम्बर 885 में से 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि आवंटित कर दी गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि का पट्टा व कब्जा दिनांक 19-5-1996 को इस संस्था (समिति) को सुपुर्द कर दिया गया था? उक्त समिति के उस समय कौन-कौन सदस्य थे? नाम व पते की सूची सदन की मेज पर रखें। क्या इसका "लीज डीड" पंजीकृत हो चुका है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर गोदाम का निर्माण नहीं कराया गया बल्कि समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों द्वारा उस पर अवैध रूप से कब्जा कर वहां पर अपने भवन बना लिये हैं? यदि नहीं, तो अभी मौके की क्या स्थिति है और उन पर किसका अनाधिकृत कब्जा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति के विरुद्ध कोई जांच भी हुई है? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम/निष्कर्ष रहे और उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

(5) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का भूतपूर्व न्यायाधीश श्री बैरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि श्री बैरी कमेटी की रिपोर्ट में यह माना है कि इस आवंटित भूमि पर अनअधिकृत निर्माण/भवन बना दिया गये हैं जिन्हें तुरन्त हटाया जावे? यदि हां, तो अतिक्रमी कौन-कौन व्यक्ति हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री दिग्विजय सिंह)

(7) श्री बैरी कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है? क्या उक्त भूमि का अभी तक भी समिति से कब्जा नहीं लिया है?

(8) क्या यह सही है कि इससे सम्बन्धित पत्रावली मा. मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में लम्बित है? यदि हां, तो उसमें इतना समय कैसे लग रहा है और नहीं, तो उस पर क्या आदेश पारित किये गये?. विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। आदेश दिनांक 7.4.1996 से जिला कलेक्टर, नागौर ने कोई भूमि आवंटित नहीं की है। किन्तु दिनांक 7.4.1966 के आदेश से खसरा नम्बर 885 में 3 बीघा भूमि क्रय विक्रय सहकारी समिति को आवंटित की गई थी।

(2) जी नहीं। किन्तु भूमि के पट्टे के स्थान पर अनुबन्ध (शरायतनामा) का निष्पादन किया गया।

दिनांक 19.5.66 को डीडवाना क्रय विक्रय सहकारी समिति की प्रबन्धकारिणि समिति के निम्न सदस्य थे—

1. श्री चेनाराम, अध्यक्ष, मु. पो. बड़ाबरा
2. श्री किशनलाल काकड़ा, मु. पो. कोल्या
3. श्री प्रभूसिंह, सदस्य, मु. पो. देवराठी
4. श्री मंगराम, सदस्य, मु. पो. पायली
5. श्री खेमाराम, सदस्य, मु. पो. लोरीलीकलां
6. श्री कानाराम, सदस्य, मु. पो. कीचक
7. श्री उदाराम, सदस्य, मु. पो. जतनपुरा
8. श्री बेगाराम, मु. पो. डीकावा

जी हां। लीज डीड दिनांक 15.7.78 को निष्पादित की जाकर दिनांक 2.8.1978 को पंजीकृत हो चुकी है।

(3) जी नहीं। कुल आवंटित भूमि में से क्रय-विक्रय सहकारी समिति, डीडवाना द्वारा 1171 वर्ग गज पर वर्ष 68-69 में गोदाम एवं कार्यालय का निर्माण कराया गया था। नगरपालिका डीडवाना द्वारा क्रय-विक्रय सहकारी समिति, डीडवाना को आवंटित भूमि में से शेष 4637 वर्गगज भूमि आम नीलामी द्वारा दिनांक 25.5.70 को विक्रय की गई थी। नगरपालिका की रिपोर्ट के अनुसार इस भूमि पर वर्तमान में पूर्णाराम पुत्र चेनाराम, रामकरण पुत्र चेनाराम एवं ओमप्रकाश पुत्र प्रभुदयाल का कब्जा है।

(4) ही जां। राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत जांच करवाई गई। जांच में पाया गया कि तत्कालीन संचालक मण्डल के सदस्यों तथा मुख्य व्यवस्थापक द्वारा 1966 में उक्त भूमि का सीमांकन नहीं करवाया गया था तथा वर्ष 1970 में नगरपालिका डीडवाना द्वारा की गई नीलामी पर विरोध भी नहीं किया गया एवं वर्ष 1988-89 में अनियमित निर्माण का विरोध नहीं करने का दोषी मानते हुए 26,22,220/- रु. राशि के लिए संचालक मण्डल के सदस्यों एवं मुख्य व्यवस्थापक को दोषी माना गया है। जांच परिणाम के आधार पर राज. सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत न्यायालय, संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, अजमेर में प्रकरण दर्ज कर दिनांक 21.4.99 को तत्कालीन दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर वर्तमान में न्यायिक प्रक्रियाधीन है।

(सहकारिता मंत्री)

(5) जी हां, बेरी समिति की रिपोर्ट प्रति संलग्न है।

(6) इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही राजस्व विभाग एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा की जानी है।

(8) इस मामले से सम्बन्धित सहकारिता विभाग की कोई पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय में लम्बित नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

करौली जिले की अनाज मण्डी से सब्जी मण्डी तक भयंकर पानी की किल्लत

214. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि करौली शहर की सब्जी मण्डी से अनाज मण्डी में पानी की मैन पाइप लाइन गटर के कुओं के बीच आने की वजह से अस्थाई पाइप लाइन डाली हुई है? यदि हां, तो क्या इससे उक्त स्थान के निवासियों को पानी की भंयकर किल्लत हो रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पाइप लाइन पर अत्यधिक कनेक्शन होने के कारण जनता को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? क्या सरकार उक्त स्थान पर पानी की स्थाई बड़ी पाइप लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्थान के निवासियों ने कई बार अधिकारियों से शिकायतें की हैं? यदि हां, तो सरकार ने आज तक उस पर क्या कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार इसमें लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। सब्जी मण्डी से अनाज मण्डी क्षेत्र में वहां के निवासियों को संतोषप्रद तरीके से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जी.आई. पाइप लाइन 80 एमएम 30 मी. एवं 65 एमएम की 100 मी. पाइप लाइन स्थाई तौर पर बिछाई हुई है। पेयजल वितरण संतोषप्रद है।

(2) जी नहीं। उक्त पाइप लाइन में 25 निजि जल संबंध हैं, सब्जी मण्डी व अनाज मण्डी क्षेत्र में पेयजल वितरण संतोषप्रद है। अंतिम छोर के उपभोक्ताओं को उच्च क्षेत्र होने के कारण पेयजल कम दबाव से उपलब्ध हो रहा है। इसमें सुधार हेतु शहरी जल योजना करौली की संवर्द्धन योजना 70 लाख रु. वर्ष 1999 में स्वीकृत हुई है, जिसके अंन्तर्गत उच्च जलाशय का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। अनाज मण्डी व सब्जी मण्डी क्षेत्र में आवश्यकता के अनुरूप और पाइप लाइन भी बिछाया जाना प्रस्तावित है, जिससे समस्या का स्थाई निदान हो जायेगा।

(3) जी हां। पाइप लाइन में कम दबाव व लीकेज की शिकायत प्राप्त हुई थी। लीकेज तुरंत ठीक करवा दिये गये थे व दबाव सुधारने बाबत् कार्य प्रगति में है।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट-5

(तारांकित प्रश्न संख्या-184 की सूची)

वर्ष 1998-1999 में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत सड़कों की सूची

परिशिष्ट-"अ"

जिला-नागौर

क्र.सं.	कृ.उ.म.स. का नाम	स/सड़क का नाम	माह फरवरी 2000 तक कुल व्यय	भौतिक, प्रगति
1	2	3	4	5
1.	नागौर	स/सड़क आवंलियासर से बोसेरी	25.81	कार्य पूर्ण हो चुका है।
2.	नागौर	स/सड़क रायधेनु से गुढ़ा भगवानदास	14.99	कार्य पूर्ण हो चुका है।
3.	नागौर	स/सड़क करनी से पाबूसर	4.75	कार्य पूर्ण हो चुका है।
4.	नागौर	स/सड़क खाटोड़ा	26.22	कार्य पूर्ण हो चुका है।
5.	नागौर	स/सड़क भांकरोटा से सीलगांव	29.48	कार्य पूर्ण हो चुका है।
6.	नागौर	स/सड़क गोवां कलां	53.41	कार्य पूर्ण हो चुका है।
7.	नागौर	स/सड़क थिरोड	9.05	कार्य पूर्ण हो चुका है।
8.	मेड़ता सिटी	स/सड़क कुचेरा खजवाना रोड़ से गज्जू	8.33	कार्य पूर्ण हो चुका है।
9.	मेड़ता सिटी	स/सड़क मेड़ता रोड़ से रियाश्यामदास	47.94	कार्य पूर्ण हो चुका है।
10.	मेड़ता सिटी	स/सड़क मेड़ता रोड़ से ओलादीन	15.27	कार्य पूर्ण हो चुका है।
11.	मेड़ता सिटी	स/सड़क रोहिसा से रोहिसी	25.52	कार्य पूर्ण हो चुका है।
12.	मेड़ता सिटी	स/सड़क ओलादीन से देशवाल	15.32	कार्य पूर्ण हो चुका है।
13.	मेड़ता सिटी	स/सड़क मेड़ता रोड़ से गगारड़ा, गगारड़ी	26.25	कार्य पूर्ण हो चुका है।
14.	मेड़ता सिटी	स/सड़क मेड़ता नागौर से गागुड़ा	5.33	कार्य पूर्ण हो चुका है।

1	2	3	4	5
15.	मेड़ता सिटी	स/सड़क इन्द्रावड से शेखासनी (शे.ल.)	14.81	कार्य पूर्ण हो चुका है।
16.	मेड़ता सिटी	स/सड़क पांचरोलिया से चावण्डिया	25.66	कार्य पूर्ण हो चुका है।
17.	मेड़ता सिटी	स/सड़क भेरून्दा अजमेर रोड़ से निम्बोला बिसवा	7.00	कार्य पूर्ण हो चुका है।
18.	मेड़ता सिटी	स/सड़क जारोडा रेण रोड से जेसास अखेराज	4.61	कार्य पूर्ण हो चुका है।
19.	कुचामन सिटी	स/सड़क वेसरोली से जिंजालिया	6.44	कार्य पूर्ण हो चुका है।
		योग	356.11	

वर्ष 1999-2000 में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत सड़कों की सूची

जिला-नागौर

क्र.सं.	कृ.उ.म.स. का नाम	स/सड़क का नाम	माह फरवरी 2000 तक कुल व्यय	भौतिक, प्रगति
1	2	3	4	5
1.	नागौर	स/सड़क रूपाथल		निविदायें 15.3.2000 को प्राप्त कर ली गई है, निविदायें निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
2.	नागौर	स/सड़क आकोडा	–	—उपरोक्तानुसार—
3.	नागौर	स/सड़क डिडियाकलां	–	—उपरोक्तानुसार—
4.	नागौर	स/सड़क जालनियासर	–	—उपरोक्तानुसार—
5.	नागौर	स/सड़क अवलियासर	–	—उपरोक्तानुसार—
6.	नागौर	स/सड़क गेलोली	–	—उपरोक्तानुसार—
7.	नागौर	स/सड़क टांगला	–	—उपरोक्तानुसार—

1	2	3	4	5
8.	डीडवाना	स/सड़क आकोदा	0.07	—उपरोक्तानुसार—
9.	डीडवाना	स/सड़क बेडवा	–	—उपरोक्तानुसार—
10.	डीडवाना	स/सड़क छापरा	–	—उपरोक्तानुसार—
11.	डेगाना	स/सड़क आन्तरोली कलां	0.07	—उपरोक्तानुसार—
12.	डेगाना	स/सड़क आन्तरोली	–	—उपरोक्तानुसार—
13.	कुचामन सिटी	स/सड़क राजलिया	–	—उपरोक्तानुसार—
14.	कुचामन सिटी	स/सड़क भरनाई	–	—उपरोक्तानुसार—
15.	कुचामन सिटी	स/सड़क मोदी चारणा	–	—उपरोक्तानुसार—
16.	कुचामन सिटी	स/सड़क सरनावडा	–	—उपरोक्तानुसार—
17.	मेड़ता सिटी	स/सड़क गागुंदा बस स्टेण्ड से धंधवाड़ा	–	निविदायें 15.3.2000 को प्राप्त कर ली गई है, निविदायें निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
18.	मेड़ता सिटी	स/सड़क सनेरिया	–	निविदायें 16.3.2000 को प्राप्त कर ली गई है, निविदायें निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
19.	मेड़ता सिटी	स/सड़क मोडियाना	–	—उपरोक्तानुसार—
20.	मेड़ता सिटी	स/सड़क सिरसला	–	—उपरोक्तानुसार—
21.	मेड़ता सिटी	स/सड़क सथना खुर्द (शेष लम्बाई)	–	—उपरोक्तानुसार—
22.	मेड़ता सिटी	स/सड़क रावता खेड़ा	–	—उपरोक्तानुसार—
23.	मेड़ता सिटी	स/सड़क कीला	–	—उपरोक्तानुसार—
24.	मेड़ता सिटी	स/सड़क चुन्दिया से बेसराकलां/खुर्द	–	निविदायें 18.3.2000 को प्राप्त कर ली गई है, निविदाएं निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4	5
25.	मेड़ता सिटी	स/सड़क अलनियावास से सुरजगढ़	–	निविदायें 16.3.2000 को प्राप्त कर ली गई है, निविदाएं निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
26.	मेड़ता सिटी	स/सड़क बासनी सेजा से गठिया	–	—उपरोक्तानुसार—
27.	मेड़ता सिटी	स/सड़क बग्गड रोड से बासनी सुमेर	–	—उपरोक्तानुसार—
28.	मेड़ता सिटी	स/सड़क बग्गड रोड से कडकवाल	–	—उपरोक्तानुसार—
29.	मेड़ता सिटी	स/सड़क बड़ी गणेश मन्दिर से जाटावास	–	—उपरोक्तानुसार—
		योग	**0.14**	
		कुल योग	**356.40**	

परिशिष्ट-6

परिशिष्ट-"क"

(तारांकित प्रश्न संख्या-185 की सूची)

अभावग्रस्त जिलों में कराये जा रहे कार्यों का कार्यवार विवरण (संवत् 2056)

क्र. सं.	नाम कार्य
1.	कच्चे/पक्के छोहड़ से मिट्टी निकालना
2.	कच्ची सड़कों का निर्माण
3.	राजीव गांधी प्राथ. शालाओं का निर्माण
4.	दुकानों का निर्माण
5.	सार्वजनिक कुण्ड निर्माण
6.	सार्वजनिक कुआं मरम्मत
7.	सार्वजनिक कूप निर्माण
8.	ग्राम पंचायत भवन
9.	नाली सफाई
10.	खडीन कार्य
11.	बांध कार्य
12.	सामुदायिक विकास केन्द्र निर्माण
13.	नहर सुधार कार्य
14.	एनीकट निर्माण/मरम्मत के कार्य

इसके अतिरिक्त ऐसे समस्त सार्वजनिक उपयोग के कार्य जिनमें सामग्री व्यय की राशि अन्य मदों से प्राप्त हो सके।

परिशिष्ट-"ख"

कराये गये एनिकट्स के कार्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	नाम पंचायत समिति	खोले गये एनिकट कार्यों की संख्या
1	2	3	4
1.	डूंगरपुर	आसपुर	2
		बिछीवाड़ा	5
		डूंगरपुर	5
		सागवाड़ा	2
		सिमलवाड़ा	3
2.	जालौर	भीनमाल (तह.)	
		जीतपुरा एनिकट हनुमान मंदिर के पास	1
		रानीवाड़ा	
		दातावाड़ा एनिकट	1
3.	उदयपुर	भिण्डर	4

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-246 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में स्थापित उच्च तथा भूतल जलाशयों की सूची

क्र.सं.	उच्च जलाशय	भूतल जलाशय
1.	कोटपूतली शहरी	देवता
2.	बनेठी	छाजड़ा
3.	नारेडा	पानेडा
4.	चिमनपुरा	रायकरणपुरा
5.	शुकल्लावास	गोपालपुरा
6.	पुरूषोतमपुरा	सांगटेडा
7.	दांतिल	मोलाहेडा
8.	भोनावास	नोरंगपुरा
9.	भैंसलाना	बनार
10.	प्रयागपुरा	सुदरपुरा
11.	पावटा	सुजातनगर
12.	बडनगर	द्वारिकपुरा
13.	राजनोता	फतेहपुरा खुर्द
14.	पाचूडाला	टोरडा कलां
15.		पंडितपुरा
16.		भूरी भडाज
17.		बिटलोदा
18.		कुजोता
19.		खेलना
20.		नांगल पंडितपुरा
21.		बूचारा
22.		सुन्दरपुरा

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट-"अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-249 की सूची)

गत वर्ष लगाये गये हैण्ड पम्पों का विवरण

क्र.सं.	तहसील बामवास	गांव का नाम	कोड नं.	लगाये गये हैण्ड पम्पों का स्थान (प्रत्येक स्थान पर एक हैण्ड पम्प)	योजना (मद)	लगाने का माह
1	2	3	4	5	6	7
	तहसील (बामनवास)					
1.	" "	कुआ गांव	10	मीना बस्ती	एम.एन.पी. एससी/एसटी	4/99
2.	" "	नाननवास	148	सुन्दर बैरवा की ढाणी	" ए.आर.पी.	4/99
3.	बामनवास	पटटी कलां	47	बैरवा ढाणी	" "	4/99
4.	" "	रिवाली	06	कंचन की ढाणी	" "	5/99
5.	" "	सुकार	09	खार की ढाणी	" "	7/99
6.	" "	कंकराला	16	कोली बस्ती धर्मशाला	एम.एन.पी एससी/एसटी	7/99
7.	" "	गोठड़ा	15	मीणा बस्ती	" "	7/99
8.	बामनवास	पटटीकलां	47	बैरवा ढाणी	एआरपी	7/99
9.	" "	गोठ	03	बैरवा मीणा बस्ती	एम.एन.पी. एससी/एसटी	7/99
10.	" "	नाननवास	148	मीणा/राजपुत बस्ती	" "	7/99
11.	" "	जाहिरा	31	बागरिया बस्ती	" "	7/99
12.	" "	शंकरपुरा	104	मीणा बस्ती	" "	7/99
13.	" "	रिवाली	06	रेगर बस्ती	" "	7/99
14.	" "	बरनाला	133	मोहन लाल की ढाणी	ए.आर.पी	8/99
15.	" "	सरसाली	83	बागवाली ढाणी	" "	7/99
16.	" "	सुखानन्दपुरा	111	मीणा ढाणी	" "	7/99

1	2	3	4	5	6	7
तहसील (बामनवास)						
17.	"	" सुखानन्दपुरा	111	मीना ढाणी	एम.एन.पी. एससी/एसटी	7/99
18.	"	" सांचौली	110	बैरवा बस्ती	एससी/एसटी	7/99
19.	"	" चक उदयरामपुरा	112	रामपुरा पुरानी आबादी	ए.आर.पी	7/99
20.	"	" " "		सुरेश मीना की ढाणी	एमएनपी एससी/एसटी	7/99
21.	"	" चक उदयरामपुरा	112	रामपुरा पुरानी आबादी	ए.आर.पी.	7/99
22.	"	" अभयपुरा	34	मीना बस्ती	एमएनपी	7/99
23.	"	" बामनवासपट्टी खुर्द	48	खूट का बालाजी	एमएनपी एससी/एसटी	7/99
24.	"	" गुजर ठिकरिया	122	बैरवा बस्ती	" "	7/99
25.	"	" बाटोटा	142	हरिजन बस्ती	" "	7/99
26.	"	" वेरखण्डी	137	मीना बस्ती	" "	7/99
27.	"	" बैरखण्डी	137	रेगर बस्ती	एम.एन.पी. एससी/एसटी	799
28.	"	" गुर्जर बड़ोदा	94	बैरवा बस्ती	" "	7/99
29.	"	" " "	"	गिरार्ज की ढाणी 32 जिला 32 काम	" "	7/99
30.		कंकराला	16	मीना बस्ती	एमएनपी एससी/एसटी	7/99
31.	"	" सरसाली	83	बैरवा बस्ती	" "	7/99
32.	"	" बैरखण्डी	137	लिंक रोड	" "	7/99
33.	"	" बड़ी झौपड़ा	75	गुर्जर ढाणी	ए.आर.पी. एससी/एसटी	7/99
34.	"	" सीतोड़	76	मीना बस्ती	एमएनपी एससी/एसटी	7/99
35.	"	" बरनाला	133	मीना बस्ती	" "	7/99
36.	"	" नारोलीचौड़	84	मीना बस्ती	एससी/एसटी	7/99

1	2	3	4	5	6	7
	तहसील (बामनवास)					
37.	" "	टोडा	25	बैरवा बस्ती	एससी/एसटी	7/99
38.	" "	बाटोदा	142	रामलाल माली ढाणी	" "	8/99
39.	" "	चांदनहोली	87	बैरवा बस्ती	" "	8/99
40.	" "	श्योसिंहपुरा	93	बैरवा बस्ती	" "	8/99
41.	" "	गडी का बैरवा	97	बैरवा बस्ती	" "	8/99
42.	" "	सुमेल	96	कोली मोहल्ला	" "	8/99
43.	" "	पिपलाई	77	माली ढाणी	एआरपी	8/99
44.	" "	पिपलाई	77	मीना बस्ती	एमएनपी एससी/एसटी	12/99
	तहसील बौंली					
45.	" "	दतूली	17	भेरूजी के पास	माडा योजना	5/99
46.	" "	पीलू खेड़ा	20	तलाई पर	" "	5/99
47.	" "	कोडियाई	51	मीना बस्ती	" "	5/99
48.	" "	सोयला	2	मीना बस्ती समरकंटीन	" "	12 5/99
49.	" "	जस्टाना	58	हथाई के पास	" "	9/99
50.	" "	थडोली	96	हनुमान जी के पास	" "	8/99
51.	" "	नीमोद	65	बावड़ी ढोले पर मीना बस्ती	" "	1/2000
52.		गंगवाड़ा	90	मिडिल स्कूल		" "
53.		बौंली 86		सी.से.स्कूल	" "	" "
54.		सोयला	2	प्रा. स्कूल	" "	" "
55.		कोडियाई	51	भैरूजी के पास	समरकंटी. एआरपी	" " " "
56.		जस्टाना	58	खटीक मौहल्ला	" "	" "
57.		रूंगटी 5		हनुमान जी मन्दिर	" "	" "
58.		जस्टाना	58	हरीजन बस्ती	" "	9/99
59		गोतोड़	18	अवधेश के पास	" "	5/99
				कुल योग	59	

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-252 का विवरण)

शहर करौली, हैण्ड पम्पों की सूची

क्र.सं.	लोकेशन	चालू	नकारा
1	2	3	4
1.	वाटर वर्क्स कैम्पस्	चालू	
2.	कोर्ट कैम्पस्	"	
3.	पंचायत समिति कार्नर पर	—	नकारा
4.	पांचना सिंचाई विभाग के पीछे	चालू	
5.	पुरानी ट्रक यूनियन चौराहा	"	
6.	मैगनीज स्कूल	—	हटाया गया
7.	चुंगी नाका गंगापुर	चालू	
8.	होली खिडकिया माली बस्ती	—	नकारा
9.	" "	—	"
10.	कॉलेज के सामने	चालू	
11.	पुराने कॉलेज के सामने	"	
12.	माण्डररायल रोड चौराहा	"	
13.	भारद्वाज गोदाम के पास	—	हटाया गया
14.	मुरलीपुरा	चालू	
15.	शिकारगंज	"	
16.	बसन्त गुर्ज	"	
17.	आमली वाला तालाब (नीचे)	—	हटाया गया
18.	" " (ऊपर)	—	"
19.	रनगवॉ ताल	चालू	
20.	बडवाला तालाब	"	
21.	सिटी डिस्पेन्सरी जेल के पास	"	
22.	सब्जी मण्डी	—	नकारा
23.	अनाज मण्डी	—	"
24.	कायस्त खिड़किया वाहर	—	हटाया गया

1	2	3	4
25.	पावर हाऊस के पास	–	हटाया गया
26.	हिण्डौन गेट के अन्दर	–	"
27.	इन्सपैक्टर स्कूल के पास	चालू	
28.	ताबे की टौरी	"	
29.	श्मशान घाट	"	
30.	बागुर बाला	–	हटाया गया
31.	ढोली खार मस्जिद के पास	चालू	
32.	शेड की देवी के पास	चालू	
33.	चटीकना जाटव बस्ती	–	नकारा
34.	मेला गेट	–	"
35.	ट्यूवैल नं. 6 के पास	चालू	
36.	ट्यूवैल नं. 5 के पास		
37.	तीन दरवाजों के पास (कोली बस्ती)	–	नकारा
38.	आरएसई पोस्ट बस स्टेंड के पास	–	हटाया गया
39.	बस स्टेण्ड करौली	चालू	
40.	अस्पताल (जनाना)	–	नकारा
41.	पैट्रोल पंप गुलाब बाग	–	हटाया गया
42.	चुंगी नाका मासलपुर रोड	चालू	
43.	स्कूल नं. 3 सायनाथ खिडकिया	–	हटाया गया
44.	बडा बाजार पीपल नीचे	–	"
45.	गर्ल्स स्कूल बजीरपुर गेट	–	नकारा
46.	कोली बस्ती	हटाया गया	–
47.	हरिजन बस्ती होली खिडकिया	–	"
48.	गोमती आश्रम के पास	–	"
49.	मोपिया बस्ती तालाब	–	नकारा
50.	हायर सैकण्डरी स्कूल	चालू	
51.	इन्द्र कॉलोनी गुलाब बाग	–	नकारा

1	2	3	4
52.	जाव्व बस्ती पाण्डे का कुआ	—	नकारा
53.	जाव्व बस्ती धोबी दह	—	"
54.	बजीरपुर गेट बाहर	—	"
55.	सीताबाडी मनोहर धोबी के पास	चालू	
56.	मासलपुर दरवाजा चौहान अथाई	"	
57.	छतपाडा छोटे धोबी के पास	—	हटाया गया
58.	रेस्ट हाऊस कैम्पस् में	चालू	
59.	नदी दरवाजा	"	
60.	बऊआ दो चोटीकना	—	हटाया गया
61.	बजीरपुर गेट मौवली के पास	चालू	
62.	पी.डब्ल्यू.डी. डाक बंगले के गेट पर	"	
63.	ट्रक यूनियन गैस एजेन्सी के पास	"	
64.	जाटव बस्ती शिकारगंज	"	
65.	डा. अम्बेडकर चौराहा	"	
66.	केशवपुरा मिडिल स्कूल के पास	—	नकारा
67.	पांचना रेस्ट हाऊस के पास	चालू	
68.	धोबीपुरा पातरी	—	नकारा
69.	मेंगनीज चन्द्र नगर कॉलोनी बड के पास	चालू	
70.	सेलोकर हनुमान मंदिर के पास	"	
71.	एस.सी/एस.टी. छात्रावास रनगमाताल	"	
72.	गोमती नगर बाबूसिंह के पास	"	
73.	हनुमानपुरा हनुमानजी के पास	"	
74.	मुरलीपुरा जाटव बस्ती	"	
75.	हायर सैकण्डरी स्कूल के पीछे	"	
76.	सेवासिंह की गली मोती धोबी के पास	"	
77.	वऊआ खो साजिद के घर के पास	—	नकारा
78.	कोठी ध्यान पाल की	चालू	

1	2	3	4
79.	पुरानी चुंगी नाका माण्डरायल रोड	चालू	
80.	पातरी की डंगरिया	"	
81.	होलीखिडकिया हनुमानजी के पास	–	हटाया गया
82.	छत पाडा सिनेमा हाल के पास-	चालू	
83.	भुडारा तिराहा	–	नकारा
84.	पदमतलाव	–	"
85.	योगी डाडा चटीकना	चालू	
86.	चटीकना सब्जी मण्डी	"	
87.	चटीकना कुम्हार बस्ती	–	हटाया गया
88.	सेवासिंह की गली	चालू	
89.	सायनाथ खिडकिया कडेरों के पास	"	
90	विलियम साहब की गली रंगरेजों के पास	"	
91.	तांबे टौरी (गेंदालाल के पास)	"	
92.	भोडेरा	"	
93.	तिराहा दीपपुरा	"	
94.	पांचना सिंचाई विभाग के पीछे	"	
95.	अगोला शिकारगंज	"	
96.	गंगापुर रोड गोमती नगर कार्नर	"	
97.	आश्रम गोमती नगर कॉलोनी	–	हटाया गया
98.	रामदयाल की चक्की के पास	चालू	
99.	पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाऊस के पास	"	
100.	हायर सैकण्डरी स्कूल में मीणा	"	
101.	उपजिलाधीश के निवास के पास	"	
102.	चटीकना वालकदास मंदिर	–	हटाया गया
103.	कौआ खो नदी का रास्ता	–	"
104.	नदी गेट तिराहे पर	–	"
105.	गुर्ज रास्ता कार्नर	–	"

1	2	3	4
106.	केशनवुरा तिराहा नयी बस्ती	–	हटाया गया
107.	ढोलीखार	–	"
108.	ढेलिखार गली कार्नर पर	–	"
109.	ढेलिखार कच्ची बस्ती	–	"
110.	मदन मोहन जी मंदिर के पास	चालू	
111.	खादी भण्डार के सामने	"	
112.	मण्डरायल रोड शिकारगंज	"	
113.	मण्डरायल रोड शिकारगंज	"	
114.	पंचायत समिति के भीतर	"	
115.	एडी.जे. कोट के भीतर	"	
116.	पेट्रोल पंप के सामने गंगापुर रोड़	"	
117.	नवल की चक्की के पास	"	
118.	श्री जर्नादन सिंह गहलोत के मकान के सामने (गुलाब बाग)	"	

उपरोक्त हैण्ड पम्पों का निर्माण वर्ष 1982-83 से मार्च, 99 में स्वीकृति के अनुरूप कराया गया। हैण्ड पम्प निर्माण पर प्रति हैण्ड पम्प वर्ष 1982-83 में लगभग 20,000/- रु. तथा वर्ष 98-99 में प्रति हैण्डपंप 46 हजार रु. स्वीकृति के अनुरूप व्यय हुये हैं।

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-256 का विवरण)

वर्ष 1995 से 1999 के पूरे वर्षों का व फरवरी 2000 तक की अनुसूचित जाति पर अत्याचार सम्बन्धी प्रकरणों की सूची जिला पाली

क्र.सं.	शीर्षक	वर्ष	दर्ज	अ.व.	अ.प.	अ.स.	पेण्डिग	चालान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हत्या	1995	2	–	–	–	–	2
		1996	–	–	–	–	–	–
		1997	3	–	–	–	–	3
		1998	2	–	1	–	–	1
		1999	3	–	–	–	–	3
	फरवरी	2000	–	–	–	–	–	–
2.	बलात्कार	1995	6	2	–	–	–	4
		1996	2	–	–	–	–	2
		1997	3	–	–	–	–	3
		1998	4	1	–	–	–	3
		1999	–	–	–	–	–	–
	फरवरी	2000	–	–	–	–	–	–
3.	गम्भीर चोट	1995	4	1	–	–	–	3
		1996	1	–	–	–	–	1
		1997	6	–	–	–	–	6
		1998	4	–	–	–	–	4
		1999	11	–	–	–	–	11
	फरवरी	2000	1	–	–	–	1	–
4.	गम्भीर क्षति	1995	2	–	–	–	–	2
		1996	–	–	–	–	–	–
		1997	4	2	–	–	–	2
		1998	4	3	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1999	2	–	–	–	–	2
	फरवरी	2000	–	–	–	–	–	–
5.	एससी/एसटी एक्ट	1995	10	8	–	–	–	2
		1996	15	8	–	–	–	7
		1997	9	9	–	–	–	–
		1998	10	6	–	–	–	4
		1999	8	4	–	–	–	4
	फरवरी	2000	1	–	–	–	1	–
6.	अन्य भादस	1995	207	94	–	–	–	113
		1996	176	105	1	–	–	70
		1997	164	87	–	–	–	77
		1998	209	93	–	–	–	116
		1999	225	98	2	–	2	123
	फरवरी	2000	14	2	–	–	6	6
7.	अन्य	1995	231	105	–	–	–	126
		1996	194	113	1	–	–	80
		1997	189	98	–	–	–	91
		1998	233	103	1	–	–	129
		1999	249	102	2	–	2	143
	फरवरी	2000	16	2	–	–	8	6
		योग	1112	523+4=527			10	575

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-260 की सूची)

पुलिस मुख्यालय में वर्ष 1980-85 से लगातार पदस्थापित कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	प्रथम नियुक्ति/ पदस्थापन व वर्ष	पदस्थापन शाखा	प्रथम पदोन्नति वर्ष/ शाखा जिससे हटाया/लगाया गया	द्वितीय पदोन्नति वर्ष/शाखा जिससे हटाया/लगाया गया	वर्तमान पदस्थापन शाखा	पुलिस मुख्यालय में लगातार पदस्थापन का वर्ष
1.	श्री अशोक कुमार चौहान कार्या. सहा.	19.12.71 क. लि.	वित्त शाखा पु.मु. जयपुर	1.1.83 व. लि. 1982-83 वित्त शाखा से सिनियरटी सैल	9.6.93 का. स. 1993-94 सीनियरटी सैल से अनु.-5	अनु.-5, पु.मु. जयपुर	29 वर्ष
2.	श्री किशन कुमार कार्या. सहा.	27.4.77 क. लि	अनु.-4, पु. मु., जयपुर	31.3.84 व. लि. अनु.-4 में यथावत	1.2.95 का.स. 1994-95 अनु.-4 में यथावत दिनांक 17.10.97 से हटाकर अनु.-9, में लगाया गया	अनु.-9, पु.मु., जयपुर	17 वर्ष
3.	श्री अशोक कुमार कपूर कार्या.सहा.	23.7.65 कलि.	वित्त शाखा, पु.मु. जयपुर	1.4.83 व. लि. 1983-84 वित्त शाखा से ऑं एवं क., पु.मु. जयपुर	13.9.95 का.स. 1995-96 ऑं. एवं क. में यथावत	ऑं. एवं क., पु.मु. जयपुर	35 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा, वलि.-कम-स्टेनो	24.1.76 कलि.	के.भ.पु. मु., जयपुर	21.9.87 वलि. स्टेनो 1987-88 के.भ., पु.मु. जयपुर में यथावत	–	के.भ.पु. मु., जयपुर	17 वर्ष
5.	श्री ओम प्रकाश शर्मा, वलि.-कम-स्टेनो	9.4.72 कलि. पु.मु. में पदस्थापन दि. 1.7.85	आँ. एवं क., पु.मु., जयपुर	1.11.92 वलि. स्टेनो 1992-93 आँ. एवं क. में यथावत	–	आँ. एवं क., पु.मु., जयपुर	15 वर्ष
6.	श्री रामचन्द वलि.	9.9.81 कलि. पु.मु. में पदस्थापन दि. 3.8.82	वित्त शाखा, पु.मु. जयपुर एवं अनु.-5, पु.मु. जयपुर	31.3.97 वलि. 1996-97 अनु.-5, पु.मु. में यथावत	–	अनु.-5, पु.मु., जयपुर	18 वर्ष
7.	श्री बृज मोहन, वलि.	5.1.81 कलि.	आँ. एवं क., पु.मु., जयपुर	31.3.91 वलि. 1990-91 आँ. एवं क. में यथावत	–	आँ. एवं क., पु.मु., जयपुर	19 वर्ष
8.	श्री भंवरलाल बुनकर वलि.	4.10.80 कलि. पु.मु. में पदस्थापन दि. 1.4.81	एलोकेशन शाखा, पु.मु. जयपुर	31.3.91 वलि. 1990-91 एलोकेशन शाखा, पु.मु. जयपुर	–	एलोकेशन शाखा, पु.मु. जयपुर	19 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	श्री नरेश कुमार गोयल, व.लि.	17.6.76 क.लि. पु.मु. जयपुर में पदस्थापन दि. 1.2.79	केभ., पु. मु., जयपुर	14.6.91 व.लि. 1991-92 केम., पु.मु., जयपुर में यथावत पदस्थापन	–	के.भ., पु. मु., जयपुर	20 वर्ष
10.	श्री श्याम मित्तल, व.लि.	13.1.77 क.लि. पु.मु. में पदस्थापन दि. 1.2.84	के.भ., पु.मु., जयपुर	1.8.91 व.लि. 1991-92 के.भ., पु.मु. जयपुर में यथावत पदस्थापन	–	के.भ.पु. मु., जयपुर	16 वर्ष
11.	श्री घनश्याम शर्मा व.लि.	19.5.75 क.लि. पु.मु. में पदस्थापन दि. 1.1.84	के.भ., पु.मु., जयपुर	1.8.90 व.लि. 1990-91 के.भ., पु.मु., जयपुर में यथावत पदस्थापन	–	के.भ., पु.मु., जयपुर	16 वर्ष
12.	श्री रामवतार अग्रवाल, व.लि.	1.6.77 क.लि.	आँ. एवं क. पु.मु. जयपुर	18.6.91 व.लि. 1991-92 आँ. एवं क., पु.मु., जयपुर से अनु.-9 में लगाया गया	–	के.भ., पु. मु., जयपुर	23 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	श्री महेश लाल माथुर वलि.	19.10.73 कलि. पु.मु. में पदस्थापन दि. 23.10.80	वित्त शाखा, पु.मु., जयपुर	13.6.89 वलि. 1989-90 वित्तशाखा, पु.मु., जयपुर में यथावत पदस्थापन	–	वित्त शाखा पु.मु., जयपुर	19 वर्ष
14.	श्री अनिल कुमार कंसल, वलि.	16.1.79 कलि. पु.मु. में पदस्थापन दि. 1.8.79	के.भ., पु.मु., जयपुर	31.3.97 वलि. 1996-97 के.भ., पु.मु., जयपुर में यथावत पदस्थापन	–	के.भ., पु.मु., जयपुर	18 वर्ष
15.	श्री ऋतुराज शर्मा, कलि.	19.1.80 कलि. पु.मु. में पदस्थापन दि. 1.4.82	अनु.-8, पु. मु., जयपुर	–	–	अनु8, पु. मु., जयपुर	18 वर्ष
16.	श्रीमति सुरेन्द्र कुमारी, कलि.	20.2.80 कलि. पु.मु. में पदस्थापन दि. 1.3.80	के.भ., पु.मु., जयपुर	–	–	के.भ., पु.मु., जयपुर	20 वर्ष
17.	श्री बाबूलाल शर्मा कलि.	26.9.84 कलि.	टंकण शाखा पु.मु. जयपुर एवं के.भ., पु.मु. जयपुर	–	–	के.भ., पु.मु., जयपुर	15 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	श्री शंकर लाल शर्मा, कलि.	14.6.83 कलि. पु.मु. में पदस्थापन दि. 1.10.85	वित्त शाखा एवं अनु.-3 पु.मु. जयपुर	–	–	वित्त शाखा, पु.मु., जयपुर	14 वर्ष
19.	श्री चिरंजी लाल बैरवा, कलि.	14.6.83 कलि.	वित्त शाखा, पु.मु. जयपुर	–	–	वित्त शाखा, पु.मु. जयपुर	17 वर्ष
20.	श्री सुरेश कुमार शुक्ला कलि.	8.5.84 कलि.	वित्त शाखा, पु.मु. जयपुर	–	–	वित्त शाखा, पु.मु. जयपुर	15 वर्ष

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-262 की प्रति)

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक : प1(9)वन/96 जयपुर, दिनांक : 2 फरवरी, 2000

परिपत्र

अधिकार एवं रियायत धारकों द्वारा घरेलु उपयोग हेतु चेजा पत्थर वन क्षेत्र से लाने का प्रकरण राज्य सरकार में लम्बे समय से विचाराधीन था। इस विषय में सम्बन्धित नियम, अधिनियमों का अध्ययन करने के पश्चात् निम्न दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं : —

(1) केवल अधिकार धारक (जिनके अधिकार सम्बन्धित वन क्षेत्र के लिये अनुदेश/स्वीकार किये गये हैं ही वन क्षेत्र से चेजा पत्थर एकत्रित कर सकेंगे।

(2) ग्रामीण केवल घरेलु उपयोग के लिये ही पत्थर ले जा सकेंगे। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उपयोग हेतु पत्थर ले जाने पर रोक होगी।

(3) पत्थर ले जाने सम्बन्धित अधिकारों, रियायतों एवं विशेष अधिकार के तहत अधिकार धारक को वन भूमि में पेड़ काटने या भूमि खुदाई की अनुमति नहीं होगी।

(4) पत्थर केवल हाथों से (मैनुअली) इकट्ठे किये जा सकेंगे। मशीनों द्वारा पत्थर इकट्ठे किये जाने की अनुमति नहीं होगी।

(5) उक्त प्रकार से एकत्रित पत्थरों का परिवहन केवल स्थानीय वाहनों यथा बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि द्वारा ही किया जा सकेगा। ट्रक, ट्रेक्टर द्वारा पत्थरों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी।

(6) इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी, नाकेदार/वनपाल अधिकार धारक के नाम नियमानुसार एक अनुमति पत्र जारी करेगा जिसमें हटाये जाने वाले पत्थरों की मात्रा, स्थान का नाम जहां से पत्थर हटाया जायेगा व जहां उक्त पत्थर उपयोग में लाया जायेगा का उल्लेख होगा। अनुमति पत्र निःशुल्क जारी किया जायेगा। पत्थरों के रात्रि परिवहन (सूर्यास्त से सूर्योदय तक) की अनुमति नहीं होगी।

ह.

(एस.अहमद)

शासन सचिव, वन

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

No. f. 2(20) Rev. Gr. 8/79 Jaipur, dated, 26th october, 86

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under coution 68, read with coution 76, of the Rajasthan Forest, Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) and the of this department to previous notification No. F.2(20)Rev. Gr. 8/79 dated 6.5.83, the state Government hereby empowered the forest officer mentioned in column No. 2 of the table given below to compound, the office motified in column No. 3 of the table within their respective Territorial jurisdication and accept compresation boording to sale prescribed in column No. 4 and accept compensation according to the scale prescribed in column No. 4 of the table.

S. No.	Compounding Authority	Nature of offence	Scale of compensation
1	2	3	4
1.	Forest Range officers/ wild Life Rangers /Como. Rangers.	Offencer involving transport of forest produce by hand Load, animal load and cycle, loads	The amount of compenation for the produce being carried shall be equal to its market value plus amount of penilty to the extent
2.	Asstt. conservator of forest wild Life wardons./ Asstt. Field Directores Tiger project.	Offencer involving transport of forest produce by bullock carts or any other 'animal' driver vehicle.	of an equal amount to market value of the produce being carried plus to the extaut of the value of medium of transportation in lion of confisation of the animal or vehicle if any, used for the

1	2	3	4
3.	Divisional forest officers/Dy. Conservatores of Forests/ Dy. chief of wild life-wardens/ field. Director, Tiger Project.	Offences involving transport of forest produce by moohanically driven vehicles.	transportion of the produce. In case of compounding amount lose then amount of penalty and value of medium of transptation the compounding officer shall explain reasons therefor.

By order,

(R.J. Majithia)

Secretary to the Government.

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-263 की सूची)

रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य रामगढ़ के 100 मीटर के दूरी पर पड़ने वाले ग्रामों के निकट स्वीकृत खनन पट्टों की सूची

क्र.सं.	एम.एल.	नाम पट्टेधारी	क्षेत्र व ग्राम
1	2	3	4
1.	516/90	श्री सोहन लाल पुत्र कालू लाल खटकड़ा	3600 वर्गमीटर निकट ग्राम खटियाडी
2.	533/90	श्री श्योजी पुत्र शोरराम बलदेवपुरा	3600 वर्गमीटर नि. ग्राम खटियाड़ी
3.	177/93	संतोष पत्नि ज्ञानचन्द इन्द्रगढ़	60×70 वर्गमीटर बारबास अखेड़
4.	178/93	ललित पुत्र चिरंजी लाल इन्द्रगढ़	60×60 वर्गमीटर बारबास अखेड़
5.	175/93	रामबाबू पुत्र हरिप्रसाद लाखेरी	60×60 वर्ग मीटर बारबास
6.	802/80	गोरी लाल पुत्र रामधन दतेलपुरा	60×60 वर्ग मीटर भैरुपुरा।

परिशिष्ट-II

वन्यजीव अभ्यारण्य रामगढ़ सूची के खनन क्षेत्र की दूरी की सूची

क्र.सं.	खान मालिकों का नाम	अभ्यारण्य की वन सीमा से दूरी
1	2	3
1.	श्री सोहन लाल पुत्र कालू लाल खटकड़	60 मीटर
2.	श्री श्योजी पुत्र शोरराम बलदेवपुरा	100 मीटर
3.	श्री संतोष पत्नी ज्ञान चन्द इन्द्रगढ़	100 मीटर
4.	श्री ललित पुत्र चिरंजी लाल इन्द्रगढ़	80 मीटर
5.	श्री रामबाबू पुत्र हरि प्रसाद लाखेरी	100 मीटर
6.	श्री गोरी लाल पुत्र रामधन दलेलपुरा	सीमा से लगती हुई।

परिशिष्ट-III

सेवा में,

श्रीमान् उपवन संरक्षक महोदय,

वन्य जीव, (कोटा)

विषय : ग्राम गोजा खटीयाड़ी में गिरनिरी स्टोन निकालने की स्वीकृति देने बाबत।

मान्यवर जी,

उपरोक्त विषय में नम्र निवेदन है कि गोजा खटीयाड़ी में गिरनिरी स्टोन निकालने के लिये खनिज विभाग बूंदी द्वारा रियाती नियम 1986 के नियम 65 के तहत स्वीकृति दे रखी है। जिस क्षेत्र में हम को कार्य करने की अनुमति मिली है वह क्षेत्र खसरा नं. 10 में आता है। जो की राजस्व रिकार्ड में आता है। तथा वन क्षेत्र से बाहर है।

उक्त क्षेत्र में कार्य करने से हमें वन विभाग द्वारा रोका गया था, जो की वन क्षेत्र में नहीं आता है।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उक्त क्षेत्र में हमें कार्य करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी

अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री गंगा विशन शर्मा

ग्राम हिण्डोली जिला (बूंदी)

कार्यालय उप वन संरक्षर वन्यजीव , कोटा

मूल प्रार्थना पत्र श्री अशोक कुमार शर्मा का क्षेत्रीय वन अधिकारी खटकड़ को प्रेषित कर लेख है कि सहायक वन संरक्षक बूंदी के साथ मौका देखा गया। मौके पर खटियाड़ी गांव के नजदीक बूंदी से खटकड़ की विद्युत लाईन से लगता हुआ क्षेत्र है। अस्थाई अनुज्ञापत्र पेशानी गिरनिरी स्टोन का आवेदक को मिला हुआ है जिसकी मियाद के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं है। यदि खनन वन सीमा से 50 मीटर दूर खटियाड़ी गांव से लगते हुए क्षेत्र में किया जाता है तो करने दिया जाये।

ह.

उप वन संरक्षक

(वन्य जीव)

कोटा

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-266 की प्रति)

दी अलवर सैण्ट्रल का-आपरेटिव बैंक लि. अलवर

क्रमांक : 14100-11 दिनांक : 20-1-2000

आदेश

सोरसाकलां ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. प्रबंधाकारी के पदाधिकारियों को प्राप्त सहमति पत्र के अनुसार श्री सुरेशचन्द गुप्ता व्यवस्थापक सरोदा ग्राम सेवा सहकारी समिति प.सं. तिजारा का स्थानान्तरण सौरसाकलां ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. प.सं. मुण्डावर में किया जाता है।

श्री रायसिंह व्यवस्थापक लुहाडेरा ग्राम सेवा सहकारी समिति को इसरोदा ग्राम सेवा सहकारी समिति अतिरिक्त रूप से एलाट की जाती है।

प्रबंध निदेशक

प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 20-1-2000

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-268 की सूची)

परिशिष्ट-1

दी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा

ग्राम सेवा सहकारी समितियों को स्वीकृत केश क्रेडिट लिमिट निर्धारित प्रक्रिया में परिचालन नहीं किया जाकर अन्य मद में उपयोग की गई की सूचना

क्र.सं.	नाम समिति	वर्ष	स्वीकृत लिमिट की राशि	उद्देश्य	स्वीकृत उद्देश्य के विपरीत ऋण के प्रति उपयोग में ली गई राशि एवं अवधि		इस प्रकार उपयोग की गई राशि से समिति को हुई हानि की राशि ब्याज दरें 5 प्रतिशत
					राशि	अवधि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	माताजी का खेड़ा	92-93	75000.00	खाद एवं	50000.00	28 माह	5833.00
2.	लसाडिया	" "	60000.00	उपभोक्ता वस्तुएं	58000.00	19 माह	4592.00
3.	कोटडी	" "	100000.00	" "	8000.00	1 माह	33.00
4.	छापरेल	" "	75000.00	" "	5000.00	12 माह	250.00
5.	सातोला का खेडा	" "	100000.00	" "	20000.00	4 माह	333.00
6.	बोरड़ा	" "	100000.00	" "	30000.00	21 माह	2625.00
7.	पारोली	" "	100000.00	" "	19000.00	6 माह	475.00
8.	बिशनिया	" "	75000.00	" "	10000.00	12 माह	500.00

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	अखेपुर	92-93	50000.00	खाद एवं	6000.00	24 माह	600.00
10.	सगेतपुरिया	" "	–	उपभोक्ता वस्तुएँ	20000.00	93 दिवस	7750.00
11.	बरण	" "	50000.00	" "	30000.00	4 दिवस " "	बचत खाता में हस्तान्तरित कर अनियमितता की गई
12.	सरदारनगर	" "	80000.00	" "	75000.00	" "	" "
13.	सालरियाकलां	" "	100000.00	" "	40000.00	" "	" "
14.	लाम्बियाकलां	" "	80000.00	" "	70000.00	" "	" "
15.	बल्दर खां	" "	100000.00	" "	90000.00	" "	" "
16.	बबराना	" "	80000.00	" "	45000.00	" "	" "
							22591.00

परिशिष्ट-"अ"

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-269 का विवरण)

क्र.सं.	संस्था का नाम	कार्यरत दिनांक	हिस्सा पूंजी राशि	संस्था की तीन वर्ष की लाभ/हानि		अध्यक्ष व प्रशासक का नाम	कार्यरत दिनांक	संस्था का गत चुनाव की दि.	चुनाव कब तक होने है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				वर्ष	लाभ/हानि				
1.	राज.रा. भूमि विकास बैंक लि. जयपुर	26-3-57	ला. 23875	96-97 97-98 98-99	+1086.34 ला. +1340.56 ला. +1553.75 ला.	श्री दुर्गा सिंह रूद अध्यक्ष	26-2-97	26-2-97	सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने संबंधी निर्णय मानसून के उपरान्त यथा समय सुविधानुसार लिया जाकर चुनाव सम्पन्न कराये जायेंगे।
2.	राज. सह. स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लि. जयपुर।	7-3-92	1996.29 ला.	96-97 97-98 98-99	– 464.90 ला. +422.54 ला. –179.83 ला.	श्री डी.एस. मीणा, प्रमुख शासन सचिव (सहकारिता)	23-12-98	राज्य सरकार द्वारा संचालक मण्डल मनोनीत कर रखा है।	उपरोक्तानुसार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	राज. रा. सह. आवासन संघ लि. जयपुर।	31.12.70	237.46 ला.	96-97 97-98 98-99	+16.04 ला. +22.33 ला. +45.70 ला.	श्री आर. के. शर्मा उप शासन सचिव, (सहकारिता)	4-3-98	संस्था में प्रारम्भ से ही निर्वाचन नहीं हुए है।	उपरोक्तानुसार
4.	तिलम् संघ, राज. जयपुर	3-7-90	5182.20 ला.	96-97 97-98 98-99	–1718.46 ला. –2040.53 ला. +196.51 ला.	श्री डी.एस. मीणा प्रमुख शासन सचिव, (सहकारिता)	18-3-99	मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया गया है।	उपरोक्तानुसार
5.	राज. रा. सह. उपभोक्ता स. लि. जयपुर।	27-3-67	304.58 ला.	96-97 97-98 98-99	+63.59 ला. +22.39 ला. +46.96 ला.	श्री के.एस. राठौड़ तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, तिलम संघ, जयपुर	12-10-99	9-6-92	उपरोक्तानुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	राज. रा. क्रय विक्रय सह. संघ लि. जयपुर।	26-11-57	666.51 ला.	96-97 97-98 98-99	+183.35 ला. +148.05 ला. +48.11 ला.	श्री ओ. पी. सैनी, रजिस्ट्रार, स.स. जयपुर।	7-7-99	8-6-92	उपरोक्तानुसार।
7.	दी राज. स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. जयपुर।	14-10-53	2712.23 ला.	96-97 97-98 98-99	+378.28 ला. +489.81 ला. +599.10 ला.	श्री डी.एस. मीणा प्रमुख शासन सचिव, (सहकारिता)	23-12-98	18-8-94	उपरोक्तानुसार।
8.	दी राज. अरबन आपरेटिव फैडरेशन बैंक लि. जयपुर।	18-8-87	0.40 ला.	96-97 97-98 98-99	न लाभ न हानि -0.00317 ला. +1.17 ला.	श्री कमल मेहता, अध्यक्ष वर्तमान में है।	1-3-99	1-3-99	उपरोक्तानुसार।
9.	राज. रा. सहकारी संघ लि. जयपुर।	21-12-57	शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त है।	शैक्षणिक संस्था है।		श्री रामनिवास मिर्धा भूतपर्वू केन्द्रीय मंत्री	7-3-2000	19-10-94	उपरोक्तानुसार।
10.	राज. रा. सहकारी मुद्रणालय, जयपुर।	5-2-60	39.40 ला.	93-94 94-95 95-96	+18.99 ला. +27.07 ला. +14.12 ला.	श्री डी.आर. मीणा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम), स.स. जयपुर	12-4-99	31.10-94	उपरोक्तानुसार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	राज. वन एवं श्रमिक संघ लि. जयपुर।	17-3-60	2.98 ला.	93-94 94-95	–2.09 ला. –2.09 ला.	श्री ताराचंद प्रबन्ध निदेशक, दी इन्डूस्टियल को-आपरेटिव बैंक लि. जयपुर	14-6-99	30-1-89	उपरोक्तानुसार
12.	श्री केशोरापाटन सह. शुगर मिल्स जि. बूंदी	15-11-65	699.44 ला.	96-97 97-98 98-99	– 641.34 ला. – 601.74 ला. – 817.31 ला.	श्री भरतराम मीणा, प्रशासक	23-3-99	शुरू से ही के चुनाव नहीं हुए है।	उपरोक्तानुसार।
13.	राज. डेयरी फैडरेशन को-ओपरेटिव लिं. जयपुर।	3-10-77	4.28 लाख	89-90 90-91 91-92	– 397.03 ला. – 509.62 ला. – 908.37	श्री गुरुदेव सिंह, सचिव, डेयरी एवं पशु पालन विभाग, जयपुर।	22-10-99	शुरू से ही मनोनीत संचालक मण्डल है।	उपरोक्तानुसार।
14.	राज. रा. सहकारी बुनकर संघ लि. राज. जयपुर।	13-6-57	34.03 ला.	95-96 96-97 97-98	+30.05 ला. – 47.90 ला. +6.82 लाख	श्रीमति सीमा बहुगुणा निदेशक उद्योग विभाग राज. जयपुर।	23-12-98	9-7-92	उपरोक्तानुसार।

1	2	3
12.	8.3.2000	नेताणा पक्का जोहड से मिट्टी निकलवाना भामासी
13.	" "	कलाणा पक्का जोहड से मिट्टी निकलवाना देपालसर
14.	" "	रातवाणियां से मिट्टी निकलवाना रिबिया
15.	" "	सातलाना से मिट्टी निकलवाना सहनाली छोटी
16.	" "	पक्के जोहड से मिट्टी निकलवाना मोलीसर बड़ा
17.	" "	पक्के जोहड से मिट्टी निकलवाना हुणतपुरा
18.	" "	पक्के जोहड से मिट्टी निकलवाना बास ढाकान
19.	" "	पक्के जोहड से मिट्टी निकलवाना चंदेलनगर
20.	" "	पक्के जोहड से मिट्टी निकलवाना मठौडी
21.	" "	सार्वजनिक कुण्ड़ की मिट्टी निकलवाना ढाढरिया चारणान
22.	" "	रिधाणा पक्का जोहड़ से मिट्टी निकलवाना जोड़ी पट्टा लहोस
23.	" "	पक्का जोहड से मिट्टी निकलवाना खारिया
24.	" "	रणजीताना पक्के जोहड मिट्टी निकलवाना धीरासर शेखावतान
25.	" "	कन्हाणा पक्के जोहड से मिट्टी निकलवाना धीरासर शेखावतान
26.	14.3.2000	सड़क निर्माण सहनाली बड़ी से जहारपुरा रेल्वे फाटक 3 कि
27.	" "	सड़क निर्माण लहोसनाबड़ा से लहोमना छोटा 3 किमी
28.	" "	सड़क निर्माण बालरासर आथना से कुन्सीसर 6 किमी
29.	" "	सड़क निर्माण करणपुरा से लीदडिया 3 किमी
30.	" "	सड़क निर्माण आसलखेडी से चंदेलनगर 2 किमी
31.	" "	सड़क निर्माण रिबिया से महरावणसर 3 किमी
32.	" "	सड़क निर्माण हुणतपुरा से थैलासर 250 मीटर
33.	" "	सड़क निर्माण दूधवामीठा से रामपुरा 3 किमी
34.	" "	सड़क निर्माण नाकरासर से रायपुरिया 3 किमी
35.	" "	सड़क निर्माण सहजूसर से झारिया 6 किमी
36.	" "	इसराणा जोहड से मिट्टी निकलवाना, कोटवादनाथो
37.	" "	रतनाना जोहड से मिट्टी निकलवाना बालरासर आथूना
38.	" "	धानकानी जोहड से मिट्टी निकलवाना धांध
39.	" "	तालाब से मिट्टी निकलवाना से चलकोई बीकान
40.	" "	पश्चिम बीहड जोहड से मिट्टी निकलवाना सिरसला
41.	" "	गोरखाना जोहड से मिट्टी निकलवाना बूंटिया

जिला कलक्टर (सहायता)

चूरू

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-271 का विवरण)

उन उद्योगों की सूची जिन्होंने मण्डल से वैध उद्योग संचालन हेतु सम्मति प्राप्त कर रखी हैं

क्र.सं.	उद्योग का नाम एवं पता
1	2
1.	मै. अजय स्पीनर्स लि., अजमेर रोड़, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा।
2.	मै. भीलवाड़ा सिन्थेटिक्स लि., हमीरगढ़ रोड़, भीलवाड़ा।
3.	मै. धरती धन मिनरल्स, आगरिया, भीलवाड़ा।
4.	मै. गोलेछा मिनरल्स (प्रा.) लि., माण्डलगढ़, भीलवाड़ा,
5.	मै. कन्चन वूलन प्रा. लि., अजमेर रोड़, भीलवाड़ा,
6.	मै. कुमार क्रशर, पान्सल मेजा डेम रोड़, भीलवाड़ा,
7.	मै. ममता सर्जिकल कॉटन इन्द्र., गुलाबपुरा, भीलवाड़ा,
8.	मै. गणपति ब्रिक्स, रूपाहेली, भीलवाड़ा।
9.	मै. कुशवाह ब्रिक्स, रूपाहेली, अजमेर रोड़, भीलवाड़ा,
10.	मै. मनोहर मिनरल्स एण्ड केमिकल्स एफ-39, रिको औ.क्षे., भीलवाड़ा,
11.	मै. मरूधर एलंम एण्ड केमिकल्स प्रा. लि., रिको औ.क्षे., भीलवाड़ा,
12.	मै. मेवाड़ फटीलाईजर्स, गांधी नगर, भीलवाड़ा,
13.	मै. मॉडर्न ब्लेण्ड, चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा,
14.	मै. मॉडर्न स्पिनर्स, रायला, भीलवाड़ा,
15.	मै. मोतिया स्पिनर्स प्रा. लि., गुलाबपुरा, भीलवाड़ा,
16.	मै. निर्मल स्टोन क्रशर, मुजरास, भीलवाड़ा,
17.	मै. नितिन स्पिनर्स लि., हमीरगढ़ रोड़, भीलवाड़ा,
18.	मै. पेसिफिक रिफेक्ट्रीज, पान्सल रोड़, भीलवाड़ा,
19.	मै. पठान स्टोन क्रशर, रनिकपुरा, तह. बनेड़ा, भीलवाड़ा,
20.	मै. प्रतिभा ग्रेनाइट, बदनोर, भीलवाड़ा,
21.	मै. राजस्थान सेरेमिक इन्ड. मांडल, भीलवाड़ा,
22.	मै. रतनगिरी टेक्सटाईल लि. चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा
23.	मै. रिलईबल रिफेक्ट्रीज प्रा. लि., सरदारनगर, तह. बनेड़ा, भीलवाड़ा,
24.	मै. समीर केमिकल्स इन्ड., गांधी नगर भीलवाड़ा,

1	2
25.	मै. सर्वोदय सूटिंग्स प्रा. लि. रिको औ. क्षे., भीलवाड़ा,
26.	मै. शाह फेब्रिक्स, अजमेर रोड़, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा,
27.	मै. साक्षी सिन्थेटिक्स प्रा. लि. ई. 189 बी. औ. क्षे., भीलवाड़ा,
28.	मै. शिवम इन्सुलेशन प्रा. लि., मुजरास, उदयपुर रोड़, भीलवाड़ा,
29.	मै. त्रिवेणी सिमेन्ट वर्क्स, त्रिवेणी चौराहा, भीलवाड़ा,
30.	मै. उदयपुर मिनरल डवलप एण्ड सिन्डीकेट, गेवरिया यूनिट भीलवाड़ा,
31.	मै. उदयपुर मिनरल डवलप सिन्डीकेट, भीलवाड़ा
32.	मै. उदयपुर मिनरल डवलपमेण्ट सिन्डीकेट, भिलवाड़ा (माण्डलगढ़)
33.	मै. मनोहर इन्सुलेशन प्रा. लि., बेरा, अजमेर रोड़, भीलवाड़ा,
34.	मै. रॉयल सूटिंग्स प्रा. लि., मांडल अजमेर रोड़, भीलवाड़ा,
35.	मै. पिलानीवाला टेक्सटाईल्स मिल्स लि., स्पे. 1, रि. आ. क्षे., भीलवाड़ा,
36.	मै. समुराई सिन्थैटिक्स प्रा. लि., चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा,
37.	मै. केशव (इण्डिया) प्रा. लि., रायसिंगपुरा, भीलवाड़ा,
38.	मै. मृदुअल गैन्योर मिल्स प्रा. लि., लाम्बिया, भीलवाड़ा,
39.	मै. श्री सांकरिया स्पिनर्स लि., मांडल, अजमेर रोड, भीलवाड़ा
40.	मै. सिद्धार्थ टेक्सकॉन प्रा. लि., हमीरगढ़, भीलवाड़ा,
41.	मै. जैन सूटिंग्स प्रा. लि., 196-बी, रि. ओ. क्षे., भीलवाड़ा;
42.	मै. बी. एस. एल. बूलफिंग, चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा,
43.	मै. मोडटेक्स टेक्सराइजिंग, भीलवाड़ा,
44.	मै. वेल विव फेब्रिक्स प्रा. लि., गठीला खेड़ा, भीलवाड़ा,
45.	मै. सिरोहिया सिन्थेटिक्स प्रा. लि., भीलवाड़ा,
46.	मै. बाहेती सिलीकोन, चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा,
47.	मै. जे. बी. मिनरल्स ग्राईडिंग मिल्स, आसीन्द, भीलवाड़ा,
48.	मै. आर. आर. मार्बल्स, रायला, भीलवाड़ा,
49.	मै. गुडविल मिनरल्स, अजमेर रोड़, भीलवाड़ा,
50.	मै. भीलवाड़ा, अलकेलिज, चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा,
51.	मै. मेवाड़ माईनकेम इन्ड. भोली, भीलवाड़ा,
52.	मै. जुपीटर मेटल प्रा. लि., कुच्छलवाड़ा, भीलवाड़ा,
53.	मै. सन्वन वूल-टेक्स प्रा. लि., मांडल अजमेर रोड़, भीलवाड़ा,

1	2
54.	मै. ए. के. स्पिनटेक्स, चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा,
55.	मै. अन्नत सिन्टेक्स, चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा,
56.	मै. भीलवाड़ा प्रोसेसर्स, लि., चित्तौड़, रोड़, भीलवाड़ा,
57.	मै. हिन्दुस्तान प्रोसेर्स, चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा,
58.	मै. जानकी प्रोसेसर्स प्रा. लि., चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा,
59.	मै. राज. स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स, मण्डपम, भीलवाड़ा,
60.	मै. रन्जन पोलिस्टर, चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा,
61.	मै. रन्जन प्रोसेर्स, चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा,
62.	मै. संगम प्रोसेसर्स, चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा,
63.	मै. संगम स्पिनर्स, चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा,
64.	मै. सोना प्रोसेसर्स, चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा,
65.	मै. टेडको ग्रेनाइट, चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा,
66.	मै. टी. पी. एल. इन्ड., चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा,
67.	मै. ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा,
68.	मै. गायत्री स्पिनर्स, चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा,
69.	मै. भीलवाड़ा स्पिनर्स, गांधी नगर, भीलवाड़ा,
70.	मै. ग्लोबल सिन्टेक्स, उदयपुर रोड़, भीलवाड़ा,
71.	मै. सिद्धार्थ प्रासेसर्स, उदयपुर रोड़, भीलवाड़ा,
72.	मै. स्वास्तिका प्रोसेसर्स, पुर रोड़, भीलवाड़ा
73.	मै. हिन्दुस्तान जिंक लि., रामपुरा, आंगूचा, भीलवाड़ा,
74.	मै. आर. सी. डी. एफ., भीलवाड़ा,
75.	मै. आर. पी. एल. (इन्ड.), लि., अजमेर रोड़, भीलवाड़ा,
76.	मै. सुजुकी प्रोसेसर्स, अजमेर रोड़, भीलवाड़ा,
77.	मै. राज. स्पि. एण्ड विव. मिल्स, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा,
78.	मै. सुपर सिन्कोटेक्स (ई.), गुलाबपुरा, भीलवाड़ा,
79.	मै. प्रिमियर एलपीजी लि. खारी का लाम्बा, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा,
80.	मै. मॉडर्न वूलन्स, चित्तौड़, रोड़, भीलवाड़ा,
81.	मै. बोहरा सिन्थेटिक्स, पुर रोड़, भीलवाड़ा।
82.	मै. सुप्रीम स्टोन क्रशर, डेम रोड़, भीलवाड़ा।
83.	मै. ओसवाल सूटिंग्स प्रा. लि., रिको औ. क्षेत्र, भीलवाड़ा।

परिशिष्ट-"ब"

उन उद्योगों की सूची जिनकी उद्योग चालान सम्मति वैधता समाप्त हो गई है/बिना सम्मति के कार्यरत हैं

क्र.सं.	उद्योग का नाम का पता
1	2
1.	मै. अचिन्त केमिकल, अजमेर रोड़, भीलवाड़ा
2.	मै. भारतीय स्पिनर्स लि., गंगापुर, भीलवाड़ा
3.	मै. भीलवाड़ा रिफ्रैक्ट्रीज, अजमेर रोड़, भीलवाड़ा
4.	मै. भीलवाड़ा वूलन मिल, हमीरगढ़ रोड़, भीलवाड़ा
5.	मै. चामुण्डा ताप निरोधक प्रा. लि., अजमेर रोड, भीलवाड़ा
6.	मै. गलुण्डिया टैक्सटाईल्स प्रा. लि., रि. औ. क्षे., भीलवाड़ा
7.	मै. गोपाल मिनरल्स, रि. औ. क्षेत्र. भीलवाड़ा
8.	मै. जगदीश पेपर बोर्ड, मुजरास, भीलवाड़ा
9.	मै. मातेश्वरी रिफ्रैक्ट्रीज प्रा. लि., रायसिंगपुरा, भीलवाड़ा
10.	मै. नाकोड़ा स्टील्स मिल लि., लि., ई-149, रि. औ. क्षे., भीलवाड़ा
11.	मै. नवरंग रिफ्रैक्ट्रीज प्रा. लि., अजमेर रोड़, भीलवाड़ा
12.	मै. नाकोड़ा ऑयल एण्ड केमिकल, हमीरगढ़, भीलवाड़ा
13.	मै. न्यूटेक रिफ्रैक्ट्रीज प्रा. लि., अजमेर रोड़, भीलवाड़ा
14.	मै. ओम स्ट्रक्चर प्रा. लि., कुच्छलवाडा, भीलवाड़ा
15.	मै. स्पिनिंग फैडरेशन, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा
16.	मै. श्रीनाथ स्टोन क्रशर, ग्राम सांगानेर, भीलवाड़ा
17.	मै. सरला सिन्थेटिक्स, रि.औ.क्षे., भीलवाड़ा
18.	मै. जेन्टलमेन सूटिंग्स प्रा. लि., रि. औ. क्षे., भीलवाड़ा
19.	मै. श्री माईन केम ईन्ड., आसीन्द, भीलवाड़ा
20.	मै. अरूण ब्रिक्स, अजमेर रोड़, भीलवाड़ा
21.	मै. जयभवानी पेपर बोर्ड इन्ड., गुलाबपुरा, भीलवाड़ा
22.	मै. बाहेती ऑर्गेनिक्स, भीलवाड़ा
23.	मै. ड्येरेण्ट केमिकल्स, इन्ड., भीलवाड़ा

1	2
24.	मै. बन्ट्या फैब्रिक्स, चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा।
25.	मै. रूप ट्रेडर्स, भीलवाड़ा
26.	मै. आ. ई. बी. कं. लि., रामपुरा आगूंचा, भीलवाड़ा
27.	मै. जगदम्बा प्रोसेसर्स, चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा
28.	मै. तानिया गैस सर्विस, हुरडा, भीलवाड़ा
29.	मै. मॉर्डन थ्रेडस (ई) लि., रायला, भीलवाड़ा
	उद्योग जो वर्तमान में बन्द हैं
30.	मै. भीलवाड़ा रिफाइण्ड एण्ड सोलवेन्ट, रि. औ. क्षे., भीलवाड़ा
31.	मै. ज्वैल सीमेन्ट, अगरिया, भीलवाड़ा
32.	मै. महावीर इन्सुलेशन प्रा. लि., रि. औ. क्षे., भीलवाड़ा
33.	मै. पंकज केमचेम प्रा. लि., रि. औ. क्षे., भीलवाड़ा
34.	मै. राज सीमेन्ट इण्ड. रि. औ. क्षे., भीलवाड़ा
35.	मै. सुपरटेक रिफेक्ट्रीज, ग्राम बेरा, भीलवाड़ा
36.	मै. आर. के. प्रोसेर्स, (टैसकॉन), चित्तौड़ रोड़, भीलवाड़ा

परिशिष्ट-"स"

भीलवाड़ा जिले में स्थित औद्योगिक इकाईयों से उत्पन्न प्रदूषण के बारे में प्राप्त शिकायत एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विगत एक वर्ष में की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	शिकायत का विवरण	प्राप्ति दिनांक	शिकायतकर्ता मार्फत	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	मैं. संगम प्रोसेर्स, चित्तौड़ रोड भीलवाड़ा द्वारा आटूण तालाब में प्रदूषण फैलाने बाबत	31.5.99	जिलाधीश, भीलवाड़ा	शिकायत का निरीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला क़लेक्टर, भीलवाड़ा को कार्यालय पत्रांक 302-303 दिनांक 10.6.99 को प्रेषित किया गया। उद्योग का निरीक्षण दिनांक 1.12.99 को किया गया। उद्योग द्वारा निस्त्रावित उच्छिष्ठ मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पावे जाने पर उद्योग को जले अधिनियम, 1974 के तहत दिनांक 7.3.2000 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
2.	मै. तिवाड़ी प्रोसेसर्स लि. व मै. संगम स्पिनटेक चित्तौड़ रोड़ द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के संबंध में	1.3.2000	जिलाधीश भीलवाड़ा	शिकायतकर्ता की कृषि भूमि पर उद्योग द्वारा उपचारित जल के जाने एवं कृषि भूमि पर विपरीत प्रभाव पड़ने का उल्लेख था। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा 1-2 मार्च, 2000 को निरीक्षण करने पर उक्त शिकायत सही पाए जाने पर दिनांक 16.3.2000 को उक्त दोनों उद्योगों को नोटिस दिया गया। 29.3.2000 को निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उद्योगों ने उपयुक्त व्यवस्था कर ली है एवं शिकायतकर्ता के परिसर में अब पानी प्रवेश नहीं करता है।

1	2	3	4	5
3.	मै. मयूर सटिंग, गुलाबपुरा भीलवाड़ा द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के संबंध में	23.12.98	कार्यालय अधि. अभि. जन स्वा अभि. विभाग, खण्ड शाहपुरा, भीलवाड़ा	मण्डल द्वारा शिकायत की जांच की गई जिसमें उद्योग द्वारा जल प्रदूषण फैलाये जाने की शिकायत सही पाये जाने पर संबंधित उद्योग की सम्मति दिनांक 8.4.99 को निरस्त कर दी गई। तत्पश्चात् दिनांक 15.7.99 को पुनः उद्योग का निरीक्षण करने पर पाया कि उद्योग द्वारा अब जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समुचित कार्यवाही कर ली गई है। इस आधार पर उद्योग को दिनांक 4.10.99 को संचालन हेतु सम्मति जारी की गई।
4.	मैं. ममता सर्जिकल, गुलाबपुरा द्वारा फैलाये जा रहे जल प्रदूषण बाबत	27.8.98 (दूरभाष द्वार)	नगर पालिका गुलाबपुरा।	राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उद्योग को जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था करने बाबत दिनांक 27.9.98 को निर्देशित किया गया। उद्योग द्वारा दिनांक 23.7.99 को संचालन हेतु सम्मति के लिए आवेदन किया गया। उद्योग का दिनांक 17.8.99 को निरीक्षण किये जाने पर जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था पाये जाने पर दिनांक 24.8.99 को मण्डल द्वारा सम्मति जारी की गई।

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-277 का विवरण)

क्र.सं.	विभाग	किस्म/श्रेणी	वाहन संख्या	वाहन चालू अथवा बंद	वाहन कब से बंद पड़ा है।	गत 2 वर्षों में वाहन की मरम्मत पर व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	जिला पूल	कार इसूजू	आरजे. 22 सी 1811	चालू	–	31,391
		जिप्सी	आरपीए-6971	चालू	–	25,998
		कार इसूजू	आरजे 2 सी 5984	चालू	–	22,543
		कार नोवा	आरजे 14सी-4813	चालू	–	41,328
		जिप्सी	आरजे 22 सी-177	चालू		17,439
		जिप्सी	आरजे. 22 सी-262	चालू	–	63,681
		जीप डीपी 540	आरजे 22 सी-1571	चालू	–	12,568
		जीप एमडीआई	आरजे 22 सी-1711	चालू	–	8,039
		" "	आरजे. 22 सी-1572	चालू	–	20,644
		जीप डीपी 540	आरजे 14 सी-2323	चालू	–	31,546
		जीप डीआई	आरजे 22 सी-501	चालू	–	26,692
2.	राजस्व विभाग	जीप एमडीआई	आर. जे 22 सी-1545	चालू	–	26,116
		" "	आरजे 22 सी-1712	चालू	–	सूचना अप्राप्त
		" "	आरजे 22 सी-1713	चालू	–	सूचना अप्राप्त
		जीप डीआई	आरजे 22 सी-642	चालू	–	सूचना अप्राप्त
		जीप डीआई	आरजे 22 सी-644	चालू	–	सूचना अप्राप्त
		जीप डीआई	आरजे 22 सी-857	चालू	–	सूचना अप्राप्त
		जिप्सी	आरजे 22 सी-2212	चालू	–	सूचना अप्राप्त
3.	जिला ग्रामीण	कार	आरजे 22 सी-0001	चालू	–	सूचना अप्राप्त
	वि. अधिकारण	जिप्सी	आरपीए-6235	चालू	–	सूचना अप्राप्त

1	2	3	4	5	6	7
		जीप डीआई	आरजे 22 सी-1050	चालू	–	सूचना अप्राप्त
4.	अनुसूचित जाति विकास निगम	जीप डीपी-540	आरपीआई-3061	चालू	–	7,445
5.	जिला परिषद	कार डीजल	आरजे 22 सी-1351	चालू	–	11,989
		जीप इंटर	आरजे 22 सी-0051	चालू	–	23,177
6.	साक्षरता समिति	जीप डीपी-540	आरजे-22 सी-598	चालू	–	67,101
7.	पंजीयन एवं मुद्रांक	जीप डीआई	आरजे 01 सी-1342	चालू	–	39,270
8.	पंचायत समिति पाली	जीप एमडीआई	आरजे 14-सी-8840	चालू	–	35,787
	पाली	मोटर साईकिल	आरपीए-1910	चालू	–	2,041
	रोहट	मोटर साईकिल	आरपीए-8903	बंद	3/99	–
	रोहट	जीप डीआई	आरजे 22सी-413	बंद	12/99	25,988
	मा.जं.	जीप एमडीआई	आरजे 14-1सी-5097	चालू	–	44,765
	मा.जं.	जीप एमडीआई	आरजे 14-1सी-5097	चालू	–	44,765
	मा.ज.	जीप	आरजे 14-89	बंद	9/94	–
	मा.जं.	मोटर साईकिल	आरजे 22-420	चालू	–	6,200
	मा.जं.	मोटर साईकिल	आरपीए-8909	चालू	–	8,280
	रानी	मोटर साईकिल	आरपीए-8905	चालू	–	2,799
	रानी	जीप एमडीआई	आरजे 14-1सी-9996	चालू	–	41873
	देसूरी	जीप डीआई	आरजे 22 सी-534	चालू	–	17,188
	देसूरी	मोटर साईकिल	आरपीए-9036	चालू	–	9,770
	जैतारण	जीप डीआई	आरजे 14सी-4900	चालू	–	43,894
	जैतारण	जीप	आरजे 22-421	बंद	5/99	–
	जैतारण	मोटर साईकिल	आरपीए-8902	चालू	–	3,520
	रायपुर	जीप डीआई	आरजे 14-2 सी 213	चालू	–	56,237

1	2	3	4	5	6	7
	रायपुर	मोटरसाईकिल	आरपीए-9037	चालू	–	8,571
	रायपुर	मोटरसाईकिल	आरजे 14 एम-4805	चालू	–	8,520
	रायपुर	मोटरसाईकिल	आरजे 16 एम-1893	चालू	–	7,215
	सुमेरपुर	जीप डीआई	आरजे 14-2 सी-627	चालू	–	55,233
	सुमेरपुर	मोटरसाइकिल	आरपीए-8909	चालू	–	6,453
	सोजत	जीप डीआई	आरजे 14 सी-3239	चालू	–	37,089
	सोजत	मोटरसाइकिल	आरपीए-8912	चालू	–	सूचना अप्राप्त
	बाली	जीप डीआई	आरजे 14-1सी-4907	चालू	–	47,208
	बाली	जीप	आरजेटी-3229	बंद	89 से पूर्व	
	बाली	जीप	आरपीसी-656	बंद	7/95	–
	बाली	मोटरसाईकिल	–	चालू	–	27,378
9.	सिंचाई विभाग	कार	आरएनएच-7655	चालू	–	50,000
		जीप डीआई	आरजे 22सी-672	चालू	–	49,000
		जीप डीआई	आरजेटी-4932	चालू	–	31,000
		जीप डीआई	आरएसओ-1196	चालू	–	30,000
		जीप इंटर	आरजेटी-4844	चालू	–	43,000
		जीप इंटर	आरजेटी-1700	चालू	–	39,000
		जीप इंटर	आरजेटी-5712	चालू	–	8,000
		जीपडीपी-540	आरजे 22-सी-369	चालू	–	32,059
		ट्रेकर	आरजे डब्ल्यू-2245	चालू	–	30,222
		ट्रेक्टर	आरजेटी-7875	चालू	–	–
		ट्रेक्टर	आरजेटी-7270	चालू	–	5,000
		ट्रेक्टर	आरजेटी-6590	चालू	–	10,000
		ट्रेक्टर	आरजेटी-5892	चालू	–	–
		ट्रेक्टर	आरपीए-1120	चालू	–	–
		ट्रेक्टर	आरजेटी-2140	चालू	–	15,000
		ट्रेक्टर	आरजेटी-1946	चालू	–	2,000
		ट्रेक्टर	आरजेटी-1166	चालू	–	8,914

1	2	3	4	5	6	7
		ट्रक टाटा	आरजेक्यू-6884	चालू	–	22,446
		टेक्टर	आरएनबी-2873	बंद	1998 से	–
		टेक्टर	आरएनबी-3282	बंद	1998 से	–
		टेक्टर	आरजेडब्ल्यू-458	बंद	1998 से	–
		टेक्टर	आरजेटी-272	बंद	1998 से	–
		टेक्टर	आरएसक्यू-1160	बंद	1998 से	–
10.	कृषि विभाग	जीप इंटर	आरआरएक्स-9892	चालू	–	16,633
		जीप इंटर	आरपीआई-7472	चालू	–	12,321
		जीप इंटर	आरजे 14सी-3580	चालू	–	27,851
		जीप डीपी	आरजे 14सी-140	चालू	–	27,397
		जीप इंटर	आरजे 14सी-2759	चालू	–	29420
		जीप इंटर	आरजे 14सी-3503	खराब	–	13142
		लैब वैन	आरटी 7130	चालू	–	8969
11.	उद्योग विभाग	जीप डीपी-540	आरजे 22सी-415	चालू	–	20,797
12.	पशुपालन	जीप इंटर	आरआरजेड-1932	चालू	–	9,912
	विभाग	जीप इंटर	आरजेटी-8010	चालू	–	7,647
		जीप इंटर	आरजेएस-5819	चालू	–	4,308
13.	वन विभाग	जिप्सी	आरजे 22सी-671	चालू	–	24,754
		ट्रक	आरजेटी-6464	चालू	–	18,305
		ट्रक टेंकर		खराब	2/97	–
		ट्रेक्टर		खराब	3/98	8,689
		ट्रेक्टर		खराब	3/99	–
		2 मोटरसाईकिल		खराब	4/98	–
		6 मोटरसाईकिल		चालू	–	11,030
		3 हीरोपुक		चालू	–	2,558
		केंटर	आरजे 14जी-530	चालू	–	42,677
14.	सहकारी स.	जीप इंटर	आरजेएन-1740	चालू	–	14,262

1	2	3	4	5	6	7
15.	सार्वजनिक निर्माण	कार	आरएनएक्स-1975	चालू	–	सूचना अप्राप्त
		टैक्टर	आरजेटी-9680	चालू	–	सूचना अप्राप्त
		जीप	आरपीई-4911	चालू	–	1,42,721
		ट्रक	आरजेक्यू-8996	चालू	–	49,391
		ट्रक	आरजेक्यू-7024	चालू	–	सूचना अप्राप्त
		ट्रक	आरएसक्यू-3697	चालू	–	सूचना अप्राप्त
		जीप इंटर	आरआरएक्स-9701	चालू	–	सूचना अप्राप्त
16.	आबकारी विभाग	जीप	आरजे 22सी-332	चालू	–	21,372
17.	कृषि उपज मंडी समिति, सुमेरपुर	जीप	आरजेटी-3697	चालू	–	32,527
		फायर ब्रिगेड	आरजे	चालू	–	49,439
		ट्रेक्टर		चालू	–	3,284
18.	जनसम्पर्क वि.	जीप	आरजे 22सी-493	चालू	–	18,197
19.	भेड़ ऊन वि.	जीप	आरएनआई-7179	चालू	–	10,866
20.	भूमि विकास बैंक	जीप	आरजे 22 सी-647	चालू	–	53,933
21.	परिवहन वि.	जिप्सी	आरजे 22सी-1541	चालू	–	7,129
		जीप	आरजे 22सी-696	चालू	–	6,607
22.	राज, वित्त निगम	जिप्सी	आरजे 14सी-831	चालू	9.3.2000 को डीडब्ल्यूडीए जोधपुर में ट्रांसफर	26,817
23.	महिला विकास अभि.	जीप	आरजे 14/2सी-6445	चालू	–	4,214
24.	पुलिस विभाग	कार	आरजे 14सी-490	चालू	–	40,940
		जिप्सी	आरजे 22सी-2107	चालू	–	10,011
		जिप्सी	आरजे 22 सी-837	चालू	–	44,970

1	2	3	4	5	6	7
		जिप्सी	आरजे 22सी-1166	चालू	़	32,806
		जिप्सी	आरजे 22सी-1818	चालू	–	8,623
		जिप्सी	आरजे 22सी-1167	चालू	–	18,861
		जिप्सी	आरजे 22सी-1168	चालू	–	17,894
		जिप्सी	आरजे 22सी-1169	चालू	–	13,246
		जिप्सी	आरजे 22सी-1133	चालू	–	13,870
		जिप्सी	आरजे 22सी-281	चालू	–	39,925
		जिप्सी	आरजे 22सी-1159	चालू	–	23,691
		जिप्सी	आरजे 22सी-2109	चालू	–	7,397
		मोटरसाईकिल	आरजे 22-2एम-2277	चालू	–	286
		मोटरसाईकिल	आरजे 22-2एम-2278	चालू	–	–
		मोटरसाईकिल	आरजे 22-2एम-6726	चालू	–	773
		मोटरसाईकिल	आरजे 22-2एम-7180	चालू	–	561
		मोटरसाईकिल	आरजे 22-2एम-7181	चालू	–	356
		मोटरसाईकिल	आरजे 22-2एम-7182	चालू	–	323
		मोटरसाईकिल	आरजे 22-2एम-9889	चालू	–	–
		जीप	आरजे 22सी-239	चालू	–	13,185
		जीप	आरजे 22सी-486	चालू	–	37,460
		जीप	आरजे 22सी-489	चालू	–	10,669
		जीप	आरजे 22सी-490	चालू	–	8,623
		जीप	आरजे 22सी-237	चालू	–	44,899
		जीप	आरजे 22सी-557	चालू	–	12,975
		जीप	आरजे 22सी-437	चालू	–	10,600
		जीप	आरजे 22सी-562	चालू	–	14,620
		जीप	आरजे 22सी-890	चालू	–	24,460
		जीप	आरजे 22सी-2105	चालू	–	9,396
		जीप	आरजे 22सी-1238	चालू	–	3,699

1	2	3	4	5	6	7
		जीप	आरजे 22सी-1162	चालू	–	2,780
		जीप	आरजे 22सी-1239	चालू	–	4,285
		जीप	आरजे 22सी-1515	चालू	–	6,671
		जीप	आरजे 22सी-1594	चालू	–	14,960
		जीप	आरजे 22सी-1745	चालू	–	7,705
		जीप	आरजे 22सी-1747	चालू	–	7,816
		जीप	आरजे 22सी-1749	चालू	–	5,917
		जीप	आरजे 22सी-2110	चालू	–	9,958
		जीप	आरजे 22सी-2506	चालू	–	–
		ट्रक टाटा	आरजे 22जी-842	चालू	–	5,196
		ट्रक	आरजेटी-1303	चालू	–	30,556
		आलविन ट्रक	आरजे 22पी-611	चालू	–	9,840
		ट्रक टाटा	आरजे 22जी-952	चालू	–	–
		जीप	आरपीए-4747	बंद	16.3.89 को जलने से नष्ट	
		जीप	आरजे 22सी-561	बंद	13.9.97 को दुर्घटना से रिपेयर योग्य नहीं।	
25.	चिकित्सा विभाग	कार	आरएसबी-200	चालू	–	20,470
		जीप	आरजे 22सी-972	चालू	–	16,940
		जीप	आरजे 22सी-2119	चालू	–	13,890
		बस	आरजे 14पी-3223	चालू	–	13,550
		बस	आरजे 22पी-256	चालू	–	33,550
		जीप	आरजे 22सी-1079	चालू	–	45,900
		जीप	आरजे 22सी-1124	चालू	–	3,400
		जीप	आरजे 22-1233	चालू	–	36,500
		एम्बुलेंस	आरजे 14 ई-84	चालू	–	5,600

1	2	3	4	5	6	7
		एम्बुलेंस	आरजे 22ई-122	चालू	–	3,800
		एम्बुलेंस	आरपीए-6226	चालू	–	11,750
		एम्बुलेंस	आरपीए-3168	चालू	–	22,200
		एम्बुलेंस	आरजे 14ई-77	चालू	–	8,900
		एम्बुलेंस	आरजे 22ई-265	चालू	–	–
		जीप	आरजे 22सी-1128	चालू	–	12,950
		जीप	आरपीए-2921	चालू	–	9,900
		जीप	आरजे 22सी-1126	चालू	–	9,170
		जीप	आरपीए-4293	चालू	–	17,300
		जीप	आरपीआई-8744	चालू	–	20,250
		जीप	आरपीए-8994	चालू	–	24,300
		मेटाडोर	एमएचपी-43	चालू	–	15,100
		एम्बुलेंस	आरजे 22ई-78	चालू	–	6,670
		एम्बुलेंस	आरजे 22ई-130	चालू	–	9,250
		एम्बुलेंस	आरजे 22ई-134	चालू	–	23,600
		एम्बुलेंस	आरजे 22ई-131	चालू	–	27,100
		एम्बुलेंस	आरजे 22ई-132	चालू	–	14,550
		एम्बुलेंस	आरजे 22ई-145	चालू	–	22,700
		एम्बुलेंस	आरजे 22ई-146	चालू	–	13,900
		एम्बुलेंस	आरजे 22ई-147	चालू	–	11,270
		एम्बुलेंस	आरजे 22ई-149	चालू	–	4,340
		एम्बुलेंस	आरजे 22ई-135	चालू	–	15,450
		जिप्सी	आरजे 14-4सी-1206	चालू	–	–
		मेटाडोर	आरपीए-5701	चालू	–	27,770
		मेटाडोर	आरपीए-2223	चालू	–	40,000
		बस	आरजे 14पी-9087	चालू	–	–
		जीप	आरपीए-7440	चालू	–	6,950

1	2	3	4	5	6	7
		मेटाडोर	आरपीए-2905	चालू	–	6,350
		ट्रक	डीएलएच-9871	चालू	–	27,850
		बजाज टेम्पो	आरजे 22पी-705	चालू	–	1,600
		वक्सीन वैन	आरजे 22जी-62	चालू	–	9,850
		वक्सीन वैन	आरजे 22जी-174	चालू	–	9,700
		एम्बुलेंस	आरजे 22ई-165	चालू	–	1,000
		ट्रक	आरपीए-4898	बंद	94 से	–
		एम्बुलेंस	आरजे 22ई-148	बंद	9/98 से	–
		मेटाडोर	आरपीए-5747	बंद	12/90 से	–
		जीप	आरजेटी-5134	बंद	1/2000	–
		जीप	आरपीए-7417	बंद	12/97 से	–
		एम्बुलेंस	आरजे 14ई-83	बंद	7/96 से	–
		स्टेण्डर्ड	एमएचवाई-826	बंद	11/99 से	–
		मेटाडोर	आरपीसी-946	बंद	11/99 से	–
		एम्बुलेंस	आरजे 14 ई-76	बंद	11/96 से	–
		स्टेण्डर्ड	आरपीए-1034	बंद	2/82 से	–
		मेटाडोर	आरपीए-313	बंद	2/82 से	–
		एम्बुलेंस	आरजेक्यू-412	बंद	1972 से	–
		एम्बुलेंस	आरजेटी-2981	बंद	2/2000 से	
		जिप्सी	आरपीएक्स-825	बंद	5/96 से	–
		जीप	आरजेक्यू-367	बंद	1986 से	–
		एम्बुलेंस	आरजे 14ई-82	बंद	7/96 से	–
		जीप	एमआरबी-697	बंद	87 से	–
		जीप	आरजेटी-8785	बंद	11/91 से	–
		एम्बुलेंस	आरपीए-4294	बंद	10/93 से	–
		जीप	आरएसएल-2607	बंद	87 से	–
		जीप	आरएसएल-9170	बंद	87 से	–

1	2	3	4	5	6	7
		मोटर साईकिल	आरजेटी-2939	बंद	85 से	–
		मोटर साईकिल	आरएसएन-1492	बंद	1/92 से	–
		मोटर साईकिल	आरजे 22एम-5914	बंद	10/97 से	–
		स्कूटर	आरजेटी-3291	बंद	75 से	–
		ट्रक फारगो	आरजेटी-1242	बंद	80 से	–
		एम्बुलेंस	आरपीसी-894	बंद	1/98	–
		एम्बुलेंस	आरजेसी-4475	बंद	2/97 से	–
		जीप	आरएनवाई-2993	बंद	2/97 से	–
		जीप	आरपीए-1095	बंद	4/95 से	–
26.	न्याय विभाग	कार	आरजे 22सी-1513	चालू	–	22,834
		कार	आरजे 22सी-1514	चालू	–	4,425
		कार	आरजे 22सी-516	चालू	–	13,318
		जीप	आरजे 22सी-576	चालू	–	22,688
27.	वाणिज्य कर विभाग	जिप्सी	आरजे 14-5563	चालू	–	54,028
		जिप्सी	आरएनक्यू-1557	चालू	–	24,437
		जिप्सी	आरएनएल-439	चालू	–	48,303
		जिप्सी	आरपीआइ-5361	चालू	–	16229
		जिप्सी	आरएनवी-7123	बंद	96 से	–
28.	मतस्य विभाग	जीप	आरजे 22सी-600	चालू	–	6,680
29.	नगर परिषद पाली	कार	आरजे 22सी-1314	चालू	–	47,741
		कार	आरजे 22सी-582	चालू	–	65,942
		जिप्सी	आरजे 22सी-304	चालू	–	54,142
		जिप्सी	आरपीए-7373	चालू	–	66,354
		जीप	आरजे 22सी-442	चालू	–	71,873
		जीप	आरपीए-2211	चालू	–	–
		टैम्पो	आरजेटी-2342	चालू	–	6,388
		मिनी ट्रक	आरजे 22 जी-208	चालू	–	42,616

1	2	3	4	5	6	7
		मिनी ट्रक	आरजेटी-6833	चालू	–	46,483
		ट्रक	आरजेटी-4222	बंद	9/97	17,284
		ट्रक	आरजेटी-5436	बंद	10/97	11,527
		ट्रेक्टर	आरजेटी-4013	चालू	–	12,388
		ट्रेक्टर	आरजेटी-1230	चालू	–	36,308
		ट्रेक्टर	आरपीए-7849	चालू	–	19,403
		ट्रेक्टर	आरजेटी-7049	चालू	–	9,321
		लोडर	नं. 1	चालू	–	25,226
		लोडर	नं. 1	चालू	–	1,43,423
		एक्जावेटर	आरजे 22ई-114	चालू	–	1,61,804
		रोड रोलर	–	चालू	–	52,213
		लूना	आरजे 22एम-6330	चालू	–	–
30.	प्रदूषण नियंत्रण मंडल पाली	मेटाडोर	आरएनआई-7179	चालू	–	45,846
31.	कृषि अनुसंधान केन्द्र	जीप	आरजे 14-345	चालू	–	25,259
32.	भू-जल विभाग	जिपसी	आरपीए-6251	बंद	11/99	18,006
		जीप	आरजे. 4सी-51	चालू	–	32,483
		एक्सप्लोसिव वैन	आरजे 22जी-863	चालू	–	30,631
		ट्रक	आरजे 19जी-2950	चालू	–	10,280
		ट्रक	आरजे 22जी-376	चालू	–	27,120

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या-280 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

LIST OF LINK ROADS SANCTIONED UNDER KUMS IN THE YR. 1999-2000 FSI.PRG

S.No.	District	KUMS	Name of Road Km.	Length Lacs	Amount Kacs
1	2	3	4	5	6
1.	AJMER	AJMER (F&V)	1. NH 8 TO SHARANA	3.30	28.25
		AJMER (GARIN)	1. NAYAGAON	1.60	13.30
			2. SHIVPURA	3.50	52.19
		BEAWAR	1. NH-8 TO SONIYANA (M/L)	.30	11.04
			2. LAKHEENA	3.00	35.73
			3. RANATA BHAGWANPURA	1.60	24.26
			4. BARAKHAN RAWAL I ROAD TO SATUKH EDA	1.50	27.47
			5. SHIVNATHPURA TO KABRA ROAD	3.00	26.82
		BIJAYANGAR	1. NEEMGARH	2.90	15.00
			2. KHERI	.80	6.50
			3. MATHEDA	3.00	35.15
		KEKRI	1. AMLI	5.00	42.12
			2. MOTIPURA KABNIYA RD TO GUDLIYA	1.50	9.48
			Distt. Total :	31.00	327.31
2.	ALWAR		1. INDOK	1.50	15.51
			2. SHAJPUR	1.28	15.27
			3. KALER	.90	10.17

1	2	3	4	5	6
			4. BHURIA BAS	1.60	12.40
		KHERLI	1. KHERLI TARF NOONIYA	1:10	9.82
			2. NAGAL TAPPEE	1.50	12.85
			3. BADKA	2.30	16.26
			Distt. Total :	10.18	92.28
3.	BARAN	ATRU	1. KANOTTYA	2.80	29.56
		BARAN	1. BAMAN GAON	13.50	186.00
			2. KASBA NONERA	2.60	30.00
			3. KARANHERA	3.50	36.26
			4. ASHANAWAR	2.00	9.54
			5. PIPALDA KALA	4.00	47.69
			6. PIPAL KHEDI	7.10	42.20
		CHHABRA	1. BHEELWARA NEECHA	3.50	35.10
			2. GADIYAMCHAR	3.25	29.42
			Di.tt. Total :	42.25	445.77
4.	BARMER	BALOTRA	1. MEWA NAGAR	2.00	15.00
			Distt. Total :	2.00	15.00
5.	BHARATPUR	BAYANA	1. JATOLI	1.40	10.74
			2. KHOONT KHERA	5.10	33.51
			1. PARASWARA	.90	5.37
		NADBAI	2. BARALI CHAR TO SALEMPUR	2.70	23.42
			Distt. Total :	10.10	73.04
6.	BHILWARA	BHILWARA	1. BHADASI	2.50	17.93
			2. DANIRA	1.60	8.96
			3. BAJUNDA	6.00	35.95
			Distt. Total :	10.10	62.84

1	2	3	4	5	6
7.	BIKANER	BIKANER (F&V)	1. BITHNOK TO GOVINDSAR	8.00	60.80
			2. NOKHA DHAIYA TO RANDHISAR	7.50	69.50
		BIKANER (GRAIN)	1. KHARADA	15.00	144.26
			2. JAMSAR TO DAUDSAR	7.00	61.74
		KHAJUWARA	1. RANISAR PUGAL PAD	2.00	21.15
		LOONKARANSAR	1. GAMBBAGH	6.50	60.20
		NOKHA	1. SAROOPSAR	3.00	24.00
			2. SOWA	8.30	70.20
			3. BILNIYASAR	6.00	48.00
			Distt. Total :	63.30	559.85
8.	BUNDI	BUNDI	1. RANIPURA	2.00	14.00
			2. SANWAIGARH	1.50	9.65
			3. NEGARH	12.00	123.00
			4. BARGAON	6.30	48.38
		SUMERGANJ	1. CHAVNDI KALLAN	3.10	31.00
			Distt. Total :	24.90	226.03
9.	CHITTOR-GARH	CHITTOGARH	1. SEMALIYA	1.00	4.80
		KAPASAN	1. RAMTHALI	2.50	18.80
			2. CHHAPARI	4.33	23.45
			3. PHALASIYA	3.70	23.23
			Distt. Total :	11.53	70.28
10.	DAUSA	DAUSA	1. THIKARIA	1.75	14.72
			2. DHARANWAS	.45	3.48
			3. DOOGARWAIA	4.60	38.81

1	2	3	4	5	6
			4. PYARIWAS	.95	7.74
			5. JASOTA SE BISHANPUR	6.00	41.73
		LALSOT	1. PALUMDA VIA RAMPURA	4.85	52.74
			2. HEMLYAWAS	6.20	62.50
			Distt. Total :	24.80	221.72
11.	HANUMA-NGARH	HANUMANGARH	1. 10 HMH	2.00	22.00
			2. 7LLW TO 3 KKW	3.00	33.00
		PILIBANGA	1. 24 PBN TO 28 PBN VIA 26 PBN (M/L)	3.50	38.50
			2. 9-10 SPD (M/L)	3.00	33.00
			Distt. Total :	11.50	126.50
12.	JAIPUR	CHAKSU	1. BARLI	2.55	32.14
		CHOMU	1. KANPURA	.98	20.09
			2. GWARDI	.95	9.64
			3. SAMARPURA	1.18	10.62
			4. JPDHPURA	1.50	11.97
			5. SIAU	3.58	28.55
		JAIPUR (GRAIN)	1. KERLI	1.50	16.20
			2. LADA KA BAS	1.60	19.56
			3. THIKARIA	1.20	11.96
			4. GULAB BARI	.50	5.00
			5. MOONDLI	3.18	39.35
			6. SHYAMPURA	3.15	28.22
			7. RAMYAWALA	1.00	7.55
			8. SINDOLI	1.50	13.80
			9. GAONLI	1.68	19.30

1	2	3	4	5	6
			10. NANGAL GAGORIAN	2.15	21.24
			11. TRILOKPURA	1.85	18.39
			12. KALWANIYA KA BAS	1.00	14.03
			13. HANUTPURA	.85	8.95
			14. DAMODARPURA	1.38	12.10
			15. KARNISAGAR	2.00	13.97
			16. LASADIA GOKULPURA	1.10	8.00
			17. DANGARWADA KHURD	1.80	12.36
			18. ARJUNPURRA	1.00	11.00
			19. DHORAT	2.00	12.80
			20. NANAN	4.40	42.75
		K. RENWAL	1. BHAGWATPURA	3.70	25.95
			2. KANWAO KA BAS	1.55	15.77
			3. JAISINGHPURA (M/L)	.80	7.22
			Distt. Total :	51.63	498.48
13.	JHALWAR	BHAWANIMANDI	1. DUBALIYA		3.10
		JHALRAPATAN	1. ANKHERI	7.20	69.50
			Distt. Total :	10.30	106.90
14.	JHUNJHUNU	JHUNJHUNU	1. DHANI PUROHITAN	1.60	13.20
			Distt. Total :	1.60	13.20
15.	JODHPUR	BILARA	1. BHAGSANI	5.73	32.35
		JODHPUR (F&V)	1. TANWARA	1.50	13.70
			2. BASNI SILWATA	1.00	7.00
			3. HAMIR NAGAR	3.00	17.50
		JODHPUR GRAIN)	1. KHJRJA KASSA	2.65	15.20
			2. OMPURA	3.00	16.05

1	2	3	4	5	6
			3. JAITPURA	2.95	18.00
			4. KARNANIO KIDHANI	2.00	17.70
			5. PUNASAR KHURD	7.00	34.00
			6. DHEERPURA	2.00	13.10
			7. HANIYA	10.00	64.70
			8. BAORI	5.20	31.20
			9. UDAIYANA KI DHANI	6.00	34.50
			10. NEWA	11.00	65.00
			11. AMRIT NAGAR	4.20	28.55
			12. MENON KI DHNI	6.35	40.00
			13. BAIPINI KHURD	4.00	28.40
			14. CHANCHALWA	3.00	17.00
			15. JAIMALA	10.30	59.50
			Distt. Total :	90.88	553.45
16.	KOTA	ITAWA	1. BABULIA KALAN	.85	13.21
		KOTA	1. JAKAROND	3.60	30.60
			2. KALYANPURA	2.65	25.30
			3. CHIPARDA	7.00	63.00
			4. PADSALYA	4.00	36.00
			5. KAKRAWDA	3.00	21.00
			6. PEPLDA BEERAM	1.50	15.32
			7. HANOITYA	3.00	24.00
			8. JHOTELI	4.50	40.50
		RAMGANJMANDI	1. PIPA KHERI	2.60	28.50
			2. SALERA KALAN	3.50	36.10
			3. SUKET TO SALAVAD	.28	7.10
			4. NAHARIYA	2.40	27.70

1	2	3	4	5	6
			5. CHECHAT TO MADANPURA (MISSING LENGTH)	.50	5.15
			6. RICHADIA TO DHAKIA VIA TAMOLIA	5.00	65.05
			7. SALEDA KHURD TO MAVASA	1.00	20.76
			Distt. Total :	45.38	459.29
17.	NAGAUR	DEEDWANA	1. AKODA	3.20	18.23
			2. BEDWA	1.50	19.20
			3. CHAPARA	2.30	13.26
		DEGANA	1. ANTOROLI KALLA	5.10	19.30
			2. ANTROLI	2.30	14.91
		KUCHAMANCITY	1. RAJLIA (1473)	1.00	8.99
			2. BHARNAI	4.00	21.09
			3. MODI CHARNA	2.50	12.56
			4. SARNA WARA	3.50	18.58
		MERTACITY	1. GAGUNDA BUS STAND TO DADHWARA	1.00	8.01
			2. SANERIYA	5.00	30.00
			3. MODIYANA	3.25	22.02
			4. SIRASLA	4.00	19.28
			5. SATHAND KHURD (M/L)	3.00	18.00
			6. RAWATKHARA	4.00	19.28
			7. KILA	2.20	14.98
			8. CHUNDIA TO BHAISRA KALAN/KHURD	8.00	64.11
			9. ALANYAWAS TO SURAJGARH	3.00	21.93
			10. L/R BASNI SENJHA TO GATHIYA	4.00	27.47

1	2	3	4	5	6
			11. MERTA-BAGGAR RD TO BASNI SAM ER	1.50	12.02
			12. MERI-BAGGAR RD TO KARAKWAL	.50	3.43
			13. RIAN BADI GANESH MANDIR TO JAT AWAS	2.50	20.03
		NAGAUR	1. ROOPATHAL	2.70	13.89
			2. AKORA	7.00	41.34
			3. DEEDIYA KALAN	4.00	19.55
			4. JALNIYASAR	10.50	54.29
			5. AWALIYASAR	7.00	49.94
			6. GELLOLI	6.00	31.35
			7. TANGLA	3.15	14.08
			Distt. Total :	107.70	651.84
18.	PALI	JAITARAN	1. BUTIWAS	1.00	4.80
			2. AMARPURA	1.50	5.70
		PALI	1. LALAKI	4.00	21.00
			2. GODAWAS	3.70	22.37
			3. PACHAPADERIYA	6.50	41.00
		RANI	1. KHATOOKHERA	5.25	50.39
		SOJAT ROAD	1. PACHAWA KALLAN	4.00	21.20
			2. THARASANI	4.60	34.00
			3. UPARLA NIMBALI	3.00	25.40
		SUMERPUR	1. MATAJI KA BADA	2.80	20.26
			2. JAWAIBANDH ROAD TO RAMNAGAR	.80	9.06
			3. DANVARLI BHIMANA ROAD TO VEDI	4.43	63.61

1	2	3	4	5	6
			4. JOKARIA	1.50	18.51
			5. JUNA BEDA	4.15	44.47
			6. BALI TO KAGADI VIA CHAMUNDARI MERTYA	5.00	80.82
			7. SOMPURA	1.60	29.66
			8. CHAMUNDRI LUNDARA TO HIRALA	2.70	38.25
			9. PAWA BUS STAND TO PAMESHWAR MAHADEO	.60	20.16
			10. GALTHANI TO MOJI BABA TEMPLE	.90	7.64
			11. C.D. WORK ON L/R BALANA TO RAJPURA	.00	3.65
			Distt. Total :	58.03	561.95
19.	SAWAI MADHOPUR	GANGAPURCITY	1. SUNDRI	4.50	51.00
			2. GUJARBARODA	3.40	26.33
			3. MORPA	3.25	26.99
			4. BAIRADA TO BINJARI	3.50	49.00
			5. MISSING LENGTH PILODA TO BAGLA I	1.00	9.99
			Distt. Total :	15.65	163.31
20.	SIKAR	SIKAR	1. MUNDIAWAS	3.00	26.40
			Distt. Total :	3.00	26.40
21.	SRIGANGA-NAGAR	ANOOPGARH	1. 3 NM (DHABA)	.50	5.00
			2. 8A	1.00	10.95
			3. 9 LM TO 15 LM	5.75	60.03
		GAJSINGHPUR	1. KHAYALIWALA RD. TO 3FD VIA27 FF	7.25	84.88

1	2	3	4	5	6
			,28FF, 2FDB		
		GHARSANA	1. 6 SKM TO 1-2 KM ABADI		
			UPTO KUM S BOUNDARY	5.75	63.90
			2. 17 MD HISAMKI ROAD		
			TO 21 MD	4.00	44.50
		GOLUWALA	1. GOLUWALA TO 33-35 LLW	4.75	52.25
		(NMA) JETSAR	1. APH-SURATGARH ROAD		
			10 SARKARI RD. TO 19SD	3.75	41.66
			2. SURATGARH JETSAR		
			ROAD TO 5 GB (A)	3.25	32.50
			3. M/L 7 GB TO 8 GB	.25	3.00
			4. JETSAR SRIVIJAINAGAR		
			ROAD TO 6 GB (A)	.50	5.72
		KESRISINGHPUR	1. DHNOOR TO 9S (B)	3.25	36.00
		PADAMPUR	1. 19 BB SAWANISAR ROAD		
			TO 5 EEA	1.00	11.50
			2. 4BB TO 3 BB	1.50	16.10
			3. JAITSAR-FAKEERWALI		
			ROAD TO 1RB	.50	5.75
			4. ICC TO 35 GG VIA 2NN	3.90	43.22
			5. PADAMPUR TO 20 BB-III	1.00	14.50
			6. PDP-JTS ROAD TO 36 RB		
			VIA 35 R B	2.00	23.00
			7. DD HEAD ARNIYA ROAD 7 CC	.90	10.35
			8. PIIP-JTS ROAD TO 4 RB (M/L)	1.50	17.25
			9. 5 KK-3KK RD. TO 4 KK	1.00	11.50
			10. CHANNA GUDUWALA	2.75	26.75

1	2	3	4	5	6
			11. 4JJ TO KUTIA	1.25	12.32
			12. 27 BB TO 28 BB	1.10	10.27
			13. 50 RB TO 52 RB	.65	7.47
		RAISINGHNAGAR	1. RAISINGHNAGAR-BIJAINAGAR RD TO BAJUWALA	.90	9.00
			2. LAKAHHAKAM	7.00	79.00
			3. THANDI VILL TO 22 NP (MOHAN NAGN)	5.00	55.00
			4. GGNGR-RSNR RD. TO GANGUWALA 56 RB	.50	5.50
			5. M/L 32 PS TO 39 PS	.70	7.70
			6. M/L PHQ 75 NP TO 43 PS	.90	9.90
		RAWLA	1. RAWLA-KHANUWALI ROAD 9 KND TO 23 KD	5.25	54.50
		SADULSHAHAR	1. MANIWALA TO SUNDERPURA	1.00	10.40
		SGNR (F&V)	1. 3 LNP TO 1 LNP	.50	5.50
			2. KIKARCHAK ROAD TO 22 LNP	3.50	38.50
			3. LADHUWALA ROAD TO THAKRAWALI	1.25	13.75
		SGNR (GRAIN)	1. BANWALI TO 5 BGS DALIYANWALI	3.25	25.17
			2. SIYAGAWALI TO SHYAMSINGH WALA (16 BNW)	3.00	33.00
			3. 23 ML TO 24 ML-25ML	5.25	57.75
			4. MATILI RATHAN TO 18 F	4.50	49.50
			5. 9ML TO 11 ML.	3.00	33.00

1	2	3	4	5	6
			7. 19Z TO 5C	1.25	13.75
			8. MIRZEWALA-MATILI RATHAN RD TO 13F	2.00	22.00
			9. SGNR-PDP ROAD TO 6G II	.50	5.50
			10. 9SPM TO 12 SPM	1.50	16.50
			11. BYEPASS ROAD TO 4D CHOTI	3.00	33.00
			12. BY PASS TO 6LNP	1.00	11.00
			13. BY PASS ROAD TO CHAK MAHARAJKA	4.00	44.00
			14. RICCO TO 17 ML	1.50	16.50
			15. HINDUMAL KOT RD 3(PULI) TO NHI 5	1.80	38.50
			16. DAULATPURA TO KONI	4.00	44.00
			17. NETEWALA TO 5ML	2.50	27.50
		SRIBIJAYNAGAR	1. RAMSINGHPUR KUPLI ROAD TO 20 A S	4.25	46.75
			2. 6 BLM TO 3 BLM	1.00	11.00
			3. VILL. ROAD 4 BETWEEN KM 2&3 TO 4 DJM	2.25	24.75
			4. 4 BLD TO 5 BLD (B) - (7 BLD)	3.00	33.00
			5. VILL. ROAD TO 4 TO 1 DAM	2.00	22.00
		SRIKARANPUR	1. 36 F TO 40 F VIA 2'0	6.00	66.00
		SURATGARH	1. SGH-AGH ROAD TO 13 SD	1.40	13.00
			Distt. Total :	148.75	1640.04
22.	TONK	DEOLI	1. PHALASIYA	4.05	38.46
		MALPURA	1. CHAN-BASURIYA	4.33	60.73
		NEWAI	1. BANASTHALI ROAD TO SUNARA UPTO–	4.13	43.99

1	2	3	4	5	6
			B/T ROAD		
		TONK	1. DHONDYA TO KURADI		
			VIA KUREDA	5.00	50.00
			2. KARIMPURA	3.05	21.17
			3. TONK TO SARWARABAD	2.50	21.64
			Distt. Total :	23.06	235.99
23.	UDAIPUR	FATEHNAGAR	1. MANKYAWAS	3.00	14.80
			2. VASANI KHURD	3.50	25.53
			3. GOLWARA	.40	2.57
		UDAIPUR	1. CHAALI	5.00	32.93
			2. PANER	4.00	35.90
			3. GHATER	5.25	41.65
			Distt: Total :	21.15	153.38
	State Total :			818.79	7284.85